1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 1] सप्तम विधान सभा के प्रथम सत्र का 40 वां दिवस [संख्या 21

मंगलवार,

दिनांक 12 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रतनलाल ताम्बी। प्रश्न संख्या 483।

ग्राम उपभोक्ताओं को दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं समय पर सुलभ कराना।

483. **श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)**: क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सहकारिता के माध्यम से राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाने का सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू किया जायेगा ?

(2) क्या ग्राज उपभोक्ताओं को दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं समय पर सुलभ हो रही हैं ? यदि नहीं, तो सरकार की प्रवृत्त व्यवस्था में सुधार की क्या योजना है ?

(3) क्या यह सही है कि किसानों को अधिकाधिक डीजल कृषि कार्य के लिये समय पर उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है ? यदि नहीं, तो क्या प्रत्येक पंचायत समिति अथवा तहसील में पैट्रोल पम्प्स की व्यवस्था कराने का सरकार विचार रखती है?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर):(1) जी हां, सहकारी समितियों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन कराया जा रहा है। जहां सहकारी समितियां सक्षम नहीं हैं वहां निजी विक्रेताओं की नियुक्ति की जाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य कराया जा रहा है। जब तक सहकारी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो जाती है तब तक निजी विक्रेता, जिनका कार्य संतोषजनक रहा है, को भी यथावत् कार्यरत् रखा गया है।

(2) उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, चीनी, केरोसीन, खाद्य तेल, कपड़ा इत्यादि दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं समय पर सुलभ कराने हेतु सरकार प्रयत्नशील है। चीनी एवं कोयले की उपलब्धि में वैगन समय पर नहीं मिलने के कारण कठिनाई हुई है। इस संबन्ध में भारत सरकार, रेलवे बोर्ड आदि संबन्धित एजेन्सियों से सम्पर्क कर समुचित व्यवस्था हेतु प्रयास किया जा रहा है।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

(3) जी हां। किसानों को उपलब्धि के आधार पर अधिकाधिक डीजल समय पर कृषि कार्य के लिये उपलब्ध कराने के लिये जिलाधीशों को निर्देश दिये हुए हैं। आर्थिक स्थिति एवं स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक पंचायत समिति में पैट्रोल पम्प स्थापित किये जाने का भारतीय तेल निगम द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में बताया है कि दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरित कराई जा रही हैं, इस संबन्ध में मेरी मान्यता है कि समाज विरोधी तत्व दुकानों के किसी न किसी तरह से लाइसेंस ले लेते हैं और सरकारी वितरण व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि पंचायतों और सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण करवाने की नीति निर्धारित कर के वितरण किया जाय ताकि अच्छे लोग आयें और.......

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं; माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : बराबर कई वर्षों से इस तरह के डीलर नियुक्त हुए हैं, इस संबन्ध में आप कोई नीति निर्धारित करे ऐसा मैं चाहूंगा।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, 24-11-79 को एक आदेश इस संबंध में दिया हुआ है जिसमें जिलाधीश, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, एक प्रतिनिधि उपभोक्ताओं की ओर से, एक प्रतिनिधि जिला खाद्य व्यापार की ओर से और जिला रसद अधिकारी, इन पांच अधिकारियों की समिति बनी हुई है जो उचित मूल्य की दुकानों को आवंटित करने का काम करती है। उसी के आधार पर यह होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुखलाल सेंणचा

श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, पिछले समय के अन्दर जिस प्रकार से डीजल की समस्या किसानों में और गांवों में पैदा हुई है उसके बारे में मैंने जिला कमेटी में भी सुझाव दिया था कि जो सहकारी समितियां हैं वह डीजल का व्यापार कर सकती हैं। मैं चाहूंगा कि गांवों में जितने ट्रैक्टर हैं और जितने पम्प सैट हैं उनके आधार पर जितना डीजल दे सकते हैं, उतना सहकारी समितियों को देने की व्यवस्था करें तो किसानों को ड्रम लेकर पैट्रोल पम्पों पर नहीं जाना पड़ेगा। क्या सरकार सक्षम सहकारी समितियों को डीजल देने के बारे में कोई विचार करेगी?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: पहले उत्तर आने दीजिये। माननीय सुखलालजी ने प्रश्न पूछा है।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर: अध्यक्ष महोदय, जहां पर पैट्रोल पम्प नहीं हैं वहां पर कुछ व्यपारी हैं जिनको कुछ मात्रा में डीजल देने का प्रावधान है लेकिन सहकारी समितियों की जो आर्थिक स्थिति है, वह ऐसी हम नहीं बना पाये जिससे

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
इतना व्यापार करने की धनराशि उनको उपलब्ध हो। आज लक्ष्य बहुत साफ है चाहे खाद्य सामग्री हो या सीमेंट, शक्कर हो या डीजल, सहकारी समितियों को हम प्राथमिकता देना चाहते हैं परन्तु प्रश्न आर्थिक परिस्थिति पर आकर अटकता है कि सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत की जाय। जो सहकारी समितियां सक्षम हैं उनको इंडियन आयल कंपनी के द्वारा निर्धारित राशि जमा कराने पर, लाइसेंस देने में कोई दिक्कत नहीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने की ओर आप काफी ध्यान दे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकारी वर्ग सहकारी समितियों के नाम पर किसी न किसी प्रकार से कमी निकाल कर पदाधिकारी, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, को कोई न कोई बात कह कर टाल देते हैं। निहित स्वार्थी तत्वों को देने की बात ज्यादा करते हैं। इस बारे में आप कोई सही नीति निर्धारित करने का कष्ट करें। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पांच आदमियों की समिति बनी हुई है। डीलर की नियुक्ति इसके माध्यम से ही होती है। मैं कह सकता हूं कि यह समिति फंक्शन नहीं करती है। हमारे जिले में कागजों पर ही यह समिति बनी हुई है। कोई फंक्शन नहीं करती है। क्या आप इस बारे में आवश्यक निर्देश जारी करेंगे ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर: अध्यक्ष महोदय, 8825 उचित मूल्य की दुकानों में से 5209 सहकारी क्षेत्र में हैं और 3716 निजी क्षेत्र में हैं। सहकारी क्षेत्र की 5209 दुकानों में से 649 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 4560 शहरी क्षेत्रों में हैं। 3616 दुकानें निजी क्षेत्र की जो हैं उनमें से 1111 शहरी क्षेत्र में और 2505 ग्रामीण क्षेत्र में हैं। मैं समझता हूं यह सारी स्थिति है। 5209 सहकारी क्षेत्र में 8825 में से हैं बाकी निजी क्षेत्र में चल रही हैं। सहकारी समितियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, इस संबंध में कोई बात हो तो ध्यान में लाई जाय। मेरा ख्याल है जितने पत्र आये हैं उन सब के उत्तर में मैंने स्पष्टतः लिखा है कि सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, ऐसे निर्देश दिये हैं। और भी कोई जानकारी दी जायेगी तो निश्चित मान कर चलें कि सहकारी क्षेत्र को ही प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रद्युम्नसिंह !

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जैसी कल्पना लेकर चलते हैं उतना अच्छा नहीं बना पाये हैं। दूसरी बात मैं निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो 2.90 रु. किलो कंट्रोल की चीनी बिकती है वह बाजार में 8 रु. किलो बिक रही है। उसका 75 प्रतिशत ब्लैक मार्केट हो रहा है। तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सतर्कता समिति बनाई जायेगी ? क्योंकि सहकारी समितियों के पास पैसा नहीं है। मैं आपसे मांग करूंगा कि वीकर सैक्शंस को इन्क्लूड करके ग्रामीण स्तर पर कोई सतर्कता समिति बनाई जाये जो माल प्रैक्टिसेज को रोकने में इफैक्टिव हो सकती हो। इसके बारे में सरकार क्या

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
करने जा रही है ? मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 18-6-80 को सहकारिता का सपना लिया गया वह सपना माननीय सदस्यों को मालूम होगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, जो शिकायतें मिलती हैं इस संबंध में विचार किया जाता है। नये सुझाव आपने दिये कि सतर्कता समिति ग्रामीण स्तर पर हो, तो प्रश्न एक ही होगा कि सरपंच को शामिल किया जाय, पटवारी को शामिल किया जाय, ग्राम सेवक को शामिल किया जाये तो वितरण की व्यवस्था तब तक नहीं होगी जब तक ये लोग नहीं आते। यदि इन तीन आदमियों की समिति बना दी जाय और इनके सामने वितरण हो तो उनमें से एक भी न आये तो कैसे वितरण होगा ? वितरण समय पर नहीं होगा। फिर भी जो सुझाव दिए गए हैं उन पर विचार करके तय करेंगे। जल्दी में कोई बात कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह फर्माया है कि सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य मंत्री के पास सहकारिता विभाग भी है तो क्या मंत्री महोदय सदन को यह विश्वास दिलायेंगे कि जिन सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति खराब है उनको ऋण, अनुदान की सुविधा देकर सबल बनायेंगे और उनकी मार्फत वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित करेंगे ? तहसील स्तर पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, एक शिड्यूल्ड ट्राइब का सदस्य विधायक, इनकी एक समिति बना दें जो महीने में एक बार बैठ कर सारी समीक्षा करे। इसके साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक और सहकारी समिति के पदाधिकारी व एक शिड्यूल्ड कास्ट और एक वीकर सैक्शन का सदस्य, इन की भी एक कमेटी बना दें जो वितरण व्यवस्था की देख रेख करे या इस कमेटी के मैम्बर्स को बिठा कर उनके सामने आवश्यक वस्तुओं का वितरण हो जाए और वे प्रमाणित कर दें, क्या इस तरह की व्यवस्था आप करेंगे ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जहां तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है जो सहकारी समितियां डिफाल्टर्स हैं उनकी तो सहायता करने में सरकार को दिक्कत होगी क्योंकि बैंक से जो कर्जा मिलता है वह नहीं मिल सकेगा। अगर सोसाइटी डिफाल्टर नहीं है तो मैं समझता हूं कि उसके सम्बन्ध में और कुछ करना होगा, उस पर विचार किया जा सकेगा।

जहां तक समिति बनाने का प्रश्न है मैं आपको बताऊं कि जो हालात हैं इस समय उन हालात को आप जानते हैं। उनको देखते हुए समिति बनावें और वह महीने में एक बार चैक करे तो उससे इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। आज हालत यह है कि नजर चूकी माल दोस्तों का। इसलिए मेहरबानी करके ऐसा रास्ता निकालें जिसकी वजह से नियमित

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

रूप से कोई वितरण की व्यवस्था हो सके। एक तो यह है कि फलां फलां तारीख को वितरण हो जाए। परन्तु इसमें भी एक दिक्कत आ रही है वह यह है कि भारत सरकार से माल कब उपलब्ध होगा, यह निश्चित नहीं होता है इसलिए कोई तारीख निश्चित करना संभव नहीं हो पाएगा। यह आइडिया पहले था कि अलग अलग तारीखें तय कर दें उन दिनों में कोई जन प्रतिनिधि आना चाहे तो वह यह देख ले कि वितरण भली प्रकार से हो रहा है। परन्तु माल की उपलब्धि का पता न होने के कारण तारीखें तय करना संभव नहीं हो सका है। फिर भी इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई न कोई रास्ता तलाश करके प्रयत्न करेंगे।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उसके अनुसार हमारी सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है इसके लिए आपने ब्राड स्ट्रेटेजी या युक्ति क्या सोची है जिसके द्वारा आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं? जो सुझाव आए हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि ब्राड स्ट्रेटेजी क्या है? यह बताएं जो कठिनाइयां हैं उनको आपने देख लिया है, आपने क्या युक्ति सोची है जिसके द्वारा आप यह समस्या हल करना चाहते हैं? यह पुकारता हुआ प्रश्न है, सवाल है। आप क्या करना चाहते हैं इसके विषय में, यह बता दें।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : माननीय सदस्य मैं स्ट्रेटेजी की बात बता चुका हूं। हमारी स्ट्रेटेजी यह है कि सहकारिता को प्रोत्साहन देना है। यह भी कह चुका हूं कि सहकारी समितियों को आर्थिक स्थिति को ठीक करने का प्रयत्न किया जाएगा। सतर्कता समिति का प्रश्न आया है। इस पर विचार किया जा रहा है। आज यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि ये बना दी जाएंगी। बाकी जो पुराने नियम 1979 में बने हुए हैं उन्ही के आधार पर काम चल रहा है। केवल एक परिवर्तन हुआ है शक्कर के मामले में। चीनी का वितरण 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा था। अब जनसंख्या बढ़ गयी है। चीनी मात्रा 425 ग्राम की गई है जो सभी नागरिकों को नहीं मिल पाती है।

श्री राजबहादुर : वितरण व्यवस्था में क्या परिवर्तन कर रहे हैं?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपकी मार्फत यह जानना चाहता हूं कि चीनी की मात्रा में भिन्नता क्यों है? शहर में ज्यादा और ग्रामों में कम मात्रा है। इसके बारे में क्या मंत्री महोदय विचार करेंगे? सहकारी समिति जो गांवों में या पंचायतों में चीनी ले जाती है उनको चीनी तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय से उठानी पड़ती है। आप उनको जो ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज देते हैं पांच, दस रुपया वह इतना कम है कि खर्चा पूरा नहीं हो पाता, इस कारण मजबूर होकर उनको यह सारी गड़बड़ी करनी पड़ती है। क्या मंत्री महोदय इस पर भी विचार करेंगे?

Page No. 6

(श्री रामसिंह विश्नोई)

दूसरा प्रश्न यह है कि जो डीजल, पैट्रोल पम्प हैं उनकी संख्या बहुत कम है इस कारण ब्लैक-मार्केटिंग होता है। इसलिए क्या जगह-जगह, जहां पर आप जरूरत समझते हैं, पर उचित संख्या में पैट्रोल, डीजल पम्प खोलने की व्यवस्था करेंगे ? क्या इसके लिए आपने कोई योजना बनायी है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, तीन प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाये हैं। चीनी की मात्रा में कहीं पर कोई अन्तर नहीं है। यह मात्रा 425 ग्राम प्रति यूनिट है। आम तौर पर शहर और ग्रामों में अन्तर हो जाता है। अब यह नहीं है। कहीं-कहीं यह अन्तर इसलिए हो जाता है कि यदि किसी जिले में चीनी जब्त की गयी हो तो जिलाधीश द्वारा विशेष मात्रा बढ़ा कर दी जा सकती है। ऐसा कोई अवसर हो तो जिलाधीश दे सकता है। इतना ही प्रावधान है। बाकी हमारी ओर से तो 425 ग्राम प्रति यूनिट चीनी दी जा रही है वह शहरों और ग्रामों को समान रूप से है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, चीनी दो-दो, तीन-तीन महीने में दी जाती है इससे डीलर द्वारा घोटाला किया जाता है। मेरा निवेदन है कि हर महीने की चीनी हर महीने दी जानी चाहिए। इससे घोटाला कम होने की संभावना रहेगी।

श्री अध्यक्ष : अब मैं कोई प्रश्न अलाऊ नहीं करूंगा। अगला प्रश्न।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जन जीवन से संबंधित है इसलिए इस पर आधे घंटे की चर्चा रखी जाए।

श्री अध्यक्ष : इस पर प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। अब मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कृपया इसको आधे घंटे की चर्चा में रखें। यह जन-जीवन से सम्बन्ध रखने वाला महत्व का विषय है।

श्री अध्यक्ष : कृपया इसको अन्य तरीके से उठावें।

अगला प्रश्न !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार करेंगे।

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सुझाव रखा था उस पर मंत्री महोदय का जवाब आ रहा था।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, जवाब आ चुका है।

(व्यवधान)

इसका जवाब आ चुका है, अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इस समस्या को अन्य तरीके से सदन में ला सकते हैं यदि आप इसको महत्वपूर्ण समझते हैं।

श्री मानसिंह !

Page No. 7

7

अस्पतालों में खराब एक्स-रे मशीन्स को ठीक कराना

484. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर तथा महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में एक्स-रे मशीनें कितनी हैं तथा उनमें से कितनी चालू हालत में हैं तथा कितनी बेकार पड़ी हैं, एवं कब से ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों अस्पतालों में एक्स-रे प्लेटों का काफी अभाव है जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है, विशेषकर राज्य कर्मचारियों को ?

(3) क्या यह सही है कि कर्मचारियों द्वारा अस्पताल से बाहर एक्स-रे कराने पर डॉक्टर्स सत्यापन नहीं करते फलत: उनको पुनर्भरण राशि नहीं मिल पाती है ?

(4) क्या सरकार बाहर एक्स-रे कराने की राशि का पुनर्भरण करने हेतु आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (1) सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में 16 एवं महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में 12 एक्स-रे मशीनें हैं। इनमें से चालू एवं खराब मशीनों की स्थिति निम्न प्रकार है:

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में 16 में से 11 मशीनें चालू हैं। दो मशीनें 18 माह से, एक मशीन 5 माह से व दो मशीनें 6 माह से खराब हैं।

महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में 12 में 11 चालू हैं और एक मशीन 11-8-76 से खराब है।

(2) जी हां।

(3) एक्स-रे अस्पताल से बाहर करवाने पर राजस्थान सामान्य सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 के अनुसार पुनर्भरण का प्रावधान नहीं है।

(4) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री मानसिंह देवड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से दो-तीन पूरक प्रश्न का जवाब एक साथ चाहूंगा।

एक क्या एक्स-रे मशीनें नयी खरीदी गई हैं ? अगर नहीं खरीदी गयी हैं तो वे सब चालू हालत में हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

दूसरा, एक्स-रे मशीन की प्लेटों की कमी साल भर बनी रहती है वह वाकई में कमी है या मेडिकल सुपरिण्टेडेंण्ट उनकी कमी बना देते हैं ? जिस समय एक्स-रे प्लेटों की कमी बताई गयी थी उस समय वे स्टॉक में थीं ? क्या प्लेटों की कमी के कारण राज्य कर्मचारियों और अन्य गरीबों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है ? इसके लिये आप क्या करने जा रहे हैं ?

क्या यह भी सही है कि अधिकतर डॉक्टर्स एक्स-रे कराने के लिये बाहर जाने

(श्री मानसिंह देवड़ा)
हेतु उत्साहित करते हैं ? इस प्रकार की जो कार्यवाही की जाती है क्या उस पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न के रूप में पूछें।

श्री मानसिंह देवड़ा : पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न इतना लम्बा नहीं होता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो मशीनें खराब हैं उनको ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है, यह मैंने आपसे निवेदन किया। जो एक्स-रे प्लेटें हैं उनके बारे में निवेदन करूं कि जयपुर और जोधपुर दोनों जगहों पर हर माह 4,500 प्लेट निर्धारित हैं। वह सप्लाई की जाती हैं। इस प्रकार करीब 150 प्लेट डेली वितरित होती हैं, उनकी सप्लाई होती है। इसके अलावा जब कमी हो जाती है तो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स और दूसरों को बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। पर आम तौर पर इसकी, कमी नहीं है। कमी जरूर है पर फाइनेन्शियल पाइन्ट है उस पर विचार किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मानसिंह देवड़ा : क्या सभी चालू मशीनों पर टेक्निशियन लगे हुये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जयपुर और जोधपुर में टेक्निशियन मौजूद हैं।

श्री मानसिंह देवड़ा : बिना टेक्निशियन के कितनी मशीनें मौजूद हैं ? मंडोर में मशीन 6 माह से खराब है। वहां आज तक टेक्निशियन लगा हुआ नहीं है। आप कह रहे हैं कि लगा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : जयपुर, जोधपुर का ही पूछें ?

श्री मानसिंह देवड़ा : जोधपुर में ही आता है। उसके नीचे ही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जयपुर और जोधपुर में मौजूद हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह बतलायें कि सवाई मानसिंह अस्पताल में एक्स-रे मशीनों की कमी है तो उसको पूरा करने की क्या योजना है ?

श्री मानसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि कभी-कभी प्लेटों की कमी हो जाती है। पर कमी हमेशा हो जाती है। इसकी जांच करायी जानी चाहिये कि क्यों कमी होती है ? डॉक्टर कहते हैं कि बाहर से एक्स-रे करवा लो, इसकी भी पूरी जांच करवाई जानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको भी समय दे दूंगा। पहले उत्तर तो आने दीजिये। पहले प्रश्न का उत्तर आने दीजिये। ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : इससे संबंधित है। इसके साथ-साथ उत्तर दे देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आपस में बातचीत न करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बाज वक्त कमी हो जाती है। जैसा मैंने सवाल के जवाब में कहा, कमी है और ज्यादा प्लेटें खरीदने के लिये ज्यादा फाइनेंस किया जा रहा है इससे कमी दूर होगी।

माननीय सदस्य ने कहा कि जोधपुर और जयपुर का सवाल है उसके बारे में मैंने निवेदन किया कि 16 में से 11 चालू हैं और जोधपुर में तो 12 में से 11 चालू हैं। एक खराब है वह सन् 1976 से खराब है। उसको ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा ! आॅर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगी कि इमर्जेंसी की जो एक्स-रे मशीन है वह खराब है, वह कितने समय से खराब है ? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहूंगी कि जो एक्स-रे प्लेट हैं उसमें प्रभावशाली लोगों का कितना कोटा है ? क्या गरीबों के लिये भी कोई कोटा है ?

श्री अध्यक्ष : प्रभावशाली लोगों का अलग से कोटा है क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रभावशाली लोगों का कोटा है ही क्या गरीबों का भी कोटा है ?

(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अलग से कोटा किसी का नहीं है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुये क्या एक्स-रे मशीनें पर्याप्त हैं? यदि अपर्याप्त हैं तो उनकी उचित व्यवस्था करने की क्या योजना है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले उत्तर आने दीजिये। संख्या पर्याप्त है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह संख्या मशीनों की पर्याप्त है। जो खराब हैं उनको ठीक कराने की कोशिश की जायेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इमर्जेंसी की भी मशीन ठीक है क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : अब तो मेरा नम्बर आ जायेगा। पहले वाले प्रश्न में भी मेरा पूरक प्रश्न रह गया था।

श्री अध्यक्ष : एक जोधपुर साइड के, एक जयपुर साइड के।

एक माननीय सदस्य : मेरा यह प्रश्न है कि जोधपुर में एक्स-रे मशीन लगी हुई है तो वहां पर कितने लोग बाड़मेर से एक्स-रे करवाने आते हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री श्रीराम गोटेवाला: मंत्री महोदय ने यह कहा कि 16 में से 11 मशीनें ठीक हैं और 5 ही खराब हैं, यह गलत है। मैं उनको निवेदन कर रहा हूं कि 11 खराब हैं और 5 मशीनें ठीक हैं।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आम तौर पर एस. एम. एस. अस्पताल से बाहर एक्स-रे होता है। सारे डॉक्टर यह कहते हैं कि यहाँ पर ठीक नहीं होगा, शर्मा में चले जाओ या और कहीं चले जाओ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को ठीक करावें। यहां सभी सुविधायें हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इस व्यवस्था को ठीक करावें...

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे प्रश्न का भी उत्तर नहीं आया कि इमर्जेंसी की मशीन ठीक है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इमर्जेंसी की मशीन सही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर आने दें।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे जो सूचना दी गयी है वह यह है कि 16 में से 11 चालू हैं। माननीय सदस्य यह कहते हैं कि 5 चालू हैं और 11 खराब हैं। मैं इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री चतुर्वेदी!

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मंत्री महोदय, आपने बताया कि राज्य कर्मचारियों को बाहर से एक्स-रे कराने पर पुनर्भरण की राशि नहीं मिलती है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप यह व्यवस्था करायें कि जो राज्य कर्मचारी एक्स-रे कराने जाते हैं उनका उस दिन तो एक्स-रे हॉस्पिटल में हो जाये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रावधान तो आपके जमाने से चला आ रहा है। यह कोई नया तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री राम नारायण डूंडी !

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से केवल इतना ही पूछना चाहूंगा कि.........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया है, माननीय श्री श्रीरामजी !

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह जानना चाहूंगा कि शहरों की भीड़ को कम करने के लिये जो दूसरे शहर हैं वहां पर एक्स-रे मशीन स्थापित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग से प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। केवल एक पूरक प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : प्रश्न संख्या (4) के उत्तर में आपने यह कहा है कि यह बात सोच रहे हैं। आज बाहर से जो एक्स-रे कराते हैं, उसकी राशि कर्मचारियों को नहीं मिलती है। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि राज्य कर्मचारियों का एक्स-रे निश्चित रूप से उसी दिन हो सकेगा ? यह गारन्टी आप दे सकेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गारन्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : राज्य कर्मचारी ही क्यों ? बहुत से गरीब आते हैं वहां।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकारी अस्पताल सिर्फ राज्य कर्मचारियों के लिए ही नहीं है। सभी के लिए है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज। आॅर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

नोहर स्थित तीन न्यायिक कोर्ट्स के लिए पृथक से भवन

485. श्री ज्ञानसिंह (भादरा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माह फरवरी, 1980 में नोहर में अपर सेशन जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के दो नये न्यायालय स्थापित किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों न्यायालय पुराने अस्पताल के भवन में कार्यरत हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल भवन में मुंसिफ के न्यायालय के लिए पूर्ण स्थान एवं सुविधायें नहीं थीं ? यदि हां, तो ऐसी हालत में अब तीनों न्यायालय किस प्रकार उक्त भवन में कार्य कर रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जीर्ण-शीर्ण भवन के तीन छोटे कमरों में तीनों जज एवं दण्डनायक अपने न्यायालय का कार्य करते हैं तथा लिपिकों एवं अभिभाषकों एवं आम जनता को बैठने एवं कार्य करने के लिए उक्त भवन में कोई स्थान नहीं है ?

(5) क्या सरकार उक्त तीनों न्यायालयों के लिए नये भवन बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) क्या सरकार उक्त पीठासीन अधिकारियों के लिए उपयुक्त आवासीय भवन के निर्माण कराने के लिए विचार कर रही है ?

विधि मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। अस्पताल भवन में न्यायालय का कार्य सुविधापूर्वक नहीं चल रहा है।

(4) जी हां। न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यद्यपि उपयुक्त नहीं है किन्तु बरामदों को अस्थायी रूप से बन्द करा कर दो कमरों की व्यवस्था की गई है।

(5) जी हां। सप्तम् वित्त आयोग ने नए न्यायालय भवन तथा आवास गृह निर्माण हेतु राशि आवन्टित की है। इसके लिए

Page No. 12

(12)

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया जा चुका है। प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृतियां भी शीघ्र ही जारी की जावेंगी।

(ग) जी हां। नव सृजित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के आवासीय गृह भी सप्तम् वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत शीघ्र ही निर्मित किये जायेंगे।

श्री ज्ञानसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, यह निर्माण कार्य कब तक हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, फरवरी माह में चालू कर दिया गया है। इसकी कार्यवाही की जा रही है। दिक्कत पैदा हो रही है, उसके बारे में कलेक्टर को कहा गया है। राजस्थान में जहां-जहां प्रावधान है, वहां किया जा रहा है।

श्री ज्ञानसिंह: बजट में जो सैंक्शन है, उसके अनुसार भवनों का काम कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: सैंक्शन जारी की जा रही है। जल्दी ही शुरू हो जायगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम के अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जाति के गैर सरकारी व्यक्ति को नियुक्ति

486. **श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू)**: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या मार्च, 1980 में स्थापित अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जाति के गैर सरकारी व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती कमला): निगम के प्रथम प्रबन्धक मण्डल एवं अध्यक्ष का मनोनयन अभी विचाराधीन है।

श्री सी. एल. कंवरिया: इस निगम में कितने सदस्य होंगे ?

श्रीमती कमला: इसका जो मण्डल होगा उसमें सोसाइटीज के 6 सदस्य, नॉमीनेटेड रिप्रेजेन्टेटिव 7 होंगे, 5 राज्य सरकार के और 2 भारत सरकार के प्रतिनिधि होंगे। शिड्यूल्ड कास्ट्स के 2 प्रतिनिधि होंगे।

श्री सी. एल. कंवरिया: इस निगम के अन्तर्गत सामाजिक एवम् आर्थिक विकास के लिए किस किस प्रकार की सहायता व ऋणों का प्रावधान रखा जाएगा ?

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न है।

श्री सी. एल. कंवरिया: इससे सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि जो पद सरकार के विचाराधीन है क्या वह अनुसूचित जाति को दे दिया जायेगा ?

श्रीमती कमला: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि यह मन्त्रि मण्डल के विचाराधीन है इसका गठन राज्यपाल शासन में हुआ था। विधिवत् गठन बाकी है। सारी प्रक्रिया अपनाई जानी बाकी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

सुमेरपुर में मुंसिफ एवं न्यायिक अदालत के अधीनस्थ पुलिस थाने

487. श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुमेरपुर): क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या इस वर्ष सुमेरपुर, जिला पाली में मुंसिफ एवं जुडिशियल न्यायालय की स्थापना की गई है? यदि हां, तो इसके क्षेत्राधिकार में कौन-कौन से पुलिस थाने आते हैं?

(2) क्या यह सही है कि सुमेरपुर में मुंसिफ एवं जुडिशियल न्यायालय के निकटस्थ क्षेत्राधिकार में एक और पुलिस थाना दिया जाना उच्च न्यायालय, जोधपुर के विचाराधीन है? यदि हां, तो कौन सा पुलिस थाना?

(3) क्या यह सही है कि सुमेरपुर मुंसिफ एवं जुडिशियल न्यायालय के निकटस्थ पुलिस थाना तख्तगढ़ है और इस पुलिस थाने को उक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाने से तख्तगढ़ क्षेत्र के ग्रामवासियों को शीघ्र व सस्ता न्याय मिल सकेगा?

विधि मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (1) जी हां। इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मात्र सुमेरपुर पुलिस स्टेशन ही है।

(2) जी हां। पुलिस थाना नाना, जो वर्तमान में मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बाली के क्षेत्राधिकार में है, सुमेरपुर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरित करना प्रस्तावित है। राजस्थान उच्च न्यायालय की यह सिफारिश राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(3) यह सही है कि तख्तगढ़ अपेक्षाकृत सुमेरपुर के नजदीक है किन्तु उच्च न्यायालय ने थाना तख्तगढ़ को बाली से सुमेरपुर न्यायालय के अन्तर्गत स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। क्योंकि इस प्रकार के परिवर्तन से बाली मुंसिफ न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की कमी आकर बाली एवं सुमेरपुर न्यायालय असन्तुलित हो जाएंगे।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पहले बाली कोर्ट था जहां नाना, बाली, तख्तगढ़ और सुमेरपुर थाना क्षेत्राधिकार में थे। सुमेरपुर नया न्यायालय स्थापित हुआ तब सुमेरपुर पुलिस थाना क्षेत्र में दिया गया, तख्तगढ़, नाना, बाली थाना क्षेत्र बाली न्यायालय में रहे। बाली, नाना थाना एक बाली पंचायत समिति के अंग हैं। सुमेरपुर तख्तगढ़ थाना पंचायत समिति सुमेरपुर के अंग हैं। अतः दोनों ही पंचायत समितियों के थाने अपने-अपने क्षेत्र के न्यायालय अधीन रखे जायें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। हाई कोर्ट से मंजूरी होती है। हाई कोर्ट ने एक थाना नाना कर दिया है। तख्तगढ़ के बारे में सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : मेरा प्रश्न यह है कि पंचायत समिति, सुमेरपुर में दो थाने पड़ते हैं। तो क्या राज्य सरकार उच्च न्यायालय को अपनी राय देकर तख्तगढ़ थाना क्षेत्र को सुमेरपुर न्यायालय के अन्तर्गत देने की कार्यवाही करेगी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

नाहरी का नाका आवासन मण्डल तथा रामनगर कॉलोनीज में सफाई की नियमित व्यवस्था कराना

488. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नाहरी का नाका स्थित आवासन मण्डल के मकानों के सामने जो सड़कें, नालियां बनी हुई हैं उनकी मिट्टी आदि की सफाई की जाती है ? यदि नहीं, तो भविष्य में सफाई की नियमित व्यवस्था के लिए कब तक, क्या कदम उठाने का विचार है ?

(2) क्या रामनगर, नाहरी का नाका कॉलोनी में भी किसी प्रकार का सफाई का कार्य नहीं होता ? यदि हां, तो क्यों ? भविष्य में नित्य सफाई हो इसके लिए विभाग क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) जी हां।

(2) यह सही नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है आपको नगरपालिका के जो अधिकारी जवाब देते हैं, वह आपने पढ़ दिया। वास्तव में हाउसिंग बोर्ड रामनगर कॉलोनी में सफाई की व्यवस्था बिलकुल नहीं है। नालियों में मिट्टी भरी पड़ी है। जो नालियां हैं, उनके कारण मच्छरों का प्रकोप हो रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय एक दिन उधर राउण्ड लेने का समय निकालेंगे जिससे कि वह अच्छी तरह से वहां की हालत अपनी आंखों से देख सकें ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जिस क्षेत्र की चर्चा की गई है. उसकी ऐसी हालत नहीं है। फिर भी मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, साधारणतया एक हजार रुपया खर्च करने का प्रावधान है। यह जो अम्बाबाड़ी, नाहरी का नाका, हाजी कालोनी, शास्त्री नगर, हाउसिंग कालोनी, चन्द्रशेखर की बगीची है ये 68 एकड़ के आसपास हैं। इसकी जो जनसंख्या है, उसके हिसाब से 300 सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं। इसके अलावा अगर कचरा डालने के लिए टैंक वगैरह की व्यवस्था नहीं है तो वह बना रहे हैं। यह सही है कि रेतीला इलाका है जो वर्षा के साथ रेत बहकर आती है वह नालियों में भर जाती है। वहां पर 300 कर्मचारी सफाई के लिए लगे हुए हैं। एक हजार की आबादी पर चार कर्मचारी लगे है। अगर इसके अलावा और कोई सवाल है तो उसके बारे में कहा गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय द्वारा सदन को गलत जानकारी दी गई है। वहां पर एक ही क्षेत्र में नालियां और सड़कें वगैरह हैं। अन्य स्थानों पर जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मन्त्री महोदय ने

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
कहा कि 300 सफाई कर्मचारी हैं। मुझे मालूम नहीं कि सफाई कर्मचारी कहां काम करते हैं। मैंने मन्त्री महोदय से निवेदन किया कि आप एक राउण्ड उधर का लगा कर मालूम कर लें, आपको पता लग जायेगा कि वहां पर इतनी गन्दगी है कि एक मिनट भी खड़ा नहीं रहा जा सकता।

श्री दिनेश डांगी (देसूरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि एक हजार की आबादी पर अभी आपने चार सफाई कर्मचारियों का प्रावधान रखा है, तो क्या आप चार की जगह पांच हरिजनों को लगा सकते हैं, जिससे उनको काम भी मिले और सफाई भी हो सके ?

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : क्या आप इसमें संशोधन करेंगे, जो अभी 4,000 पर एक-एक आदमी लगाते हैं ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : 4,000 पर एक नहीं, एक हजार पर चार आदमी लगा रखे हैं। अगर कहीं पर कोई विशेष समस्या है, वहां चलने के लिये माननीय सदस्य कहेंगे तो मैं अवश्य चलूंगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। समय निकाल कर अवश्य चलूंगा।

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय चार की जगह पांच हरिजन करने का विचार रखते हैं ? इसका जवाब आना चाहिए, ताकि यह मालूम हो सके कि सरकार अनुसूचित जाति के लिये क्या करना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष : चार की जगह पांच का उत्तर दे दीजिये।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में निवेदन किया था आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय है, ऐसी हालत में इसमें कोई परिवर्तन करना सम्भव नहीं लगता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

प्रश्न संख्या 489

अगला प्रश्न। श्री देवेन्द्रसिंह !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

श्री जीतमल जैन !

खाद्य वस्तुओं में मिलावट की जाँच करने हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना

490. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खाद्य वस्तुओं में मिलावट की जाँच करने हेतु किन-किन जिलों में प्रयोगशालायें हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) जिन जिलों में प्रयोगशालायें नहीं हैं उन जिलों में सरकार द्वारा कब तक प्रयोगशालायें स्थापित कर दी जायेंगी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) अन्य जिलों में नई प्रयोगशालायें खोलने का अभी बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री जीतमल जैन : क्या मन्त्री महोदय इस बात की जानकारी और देने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान में केवल 12 जिलों में ही प्रयोगशालायें हैं? क्या दूसरे स्थानों पर भी प्रयोगशालायें खोलने का विचार रखते हैं, या वे इस संख्या को ही पर्याप्त समझते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जितने स्थानों पर हैं, वहाँ पर वर्षों से खुली हुई है। मैं आपको बता देता हूं, भरतपुर सीकर, उदयपुर।

श्री अध्यक्ष : यह तो इनको मालूम है।

श्री जीतमल जैन : जिन जगहों पर प्रयोगशालायें नहीं हैं क्या आप उन स्थानों पर खोलने की आवश्यकता महसूस करते हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बजट में प्रावधान नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। ऑर्डर प्लीज, श्री नारायणसिंह !

ग्राम रानोली-दांतारामगढ़ व सीकर-दांतारामगढ़-जीनमाता बस सर्विस

491. श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रानोली से दांतारामगढ़ व सीकर से दांतारामगढ़ वाया जीनमाता जाने हेतु कितनी बसों को परमिट दिए गए हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस रूट पर बस पिछले तीन वर्षों से नहीं चल रही हैं ? क्या इस सम्बन्ध में वहां की जनता ने शिकायत की है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस रूट की बसें अन्य रूट्स पर चलती हैं ?

यातायात मन्त्री (श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर) : (1) रानोली-दांतारामगढ़ कोई मार्ग प्रचलित नहीं है। सीकर-दांतारामगढ़ वाया जीनमाता हेतु दो रिटर्न सर्विस उपलब्ध हैं। यह एकीकृत मार्गों का एक मार्ग है जिस पर तीस वर्षों के परमिट, जो कि 20 सेवायें भिन्न भिन्न मार्गों पर रोटेशन से चलाते हैं, दिये गये हैं। सूची संलग्न है।

(2) उक्त रूट पर बसें चल रही हैं। बसों के पूरे मार्ग पर न चलने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके लिये मोटर वाहन अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत नोटिस दिये गये हैं, जिन पर अगली

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
सुनवाई दिनांक 17-9-80 को प्राधिकार के समक्ष विचाराधीन है।

(3) एकीकृत मार्ग होने की वजह से ये बसें रोटेशन से इस मार्ग के साथ-साथ अन्य मार्गों पर भी चलती हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री नारायणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो आपने धारा 60 के अन्तर्गत नोटिस दिये थे, कब दिये ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : सबसे पहले बस ऑपरेटर्स को नोटिस 21-4-74 को दिये गये थे।

श्री नारायणसिंह : उसके बाद क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : उसके बाद पेशियां चल रही हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर से बोरियां तक जाने देते हैं। आगे आठ मील तक पानी भरा हुआ है, इसलिए निवेदन है कि आगे को भी पर्मीशन दी जावे जिससे जनता को परेशानी नहीं होवे।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पानी भर जाने से कई रास्ते चलने योग्य नहीं हैं। इस पर हम विचार करके कार्यवाही करेंगे।

श्री नारायणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों को रानोली जाने के लिये 30 मील का चक्कर लगाना पड़ता है। लोगों को कोर्ट में और कई जरूरी काम होते हैं। आपने 76 में नोटिस दिये उसके बाद क्या कार्यवाही हुई ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगर आप 5 मील की पर्मीशन और दे देते हैं तो 30 मील का चक्कर बच सकता है।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की हालत राजस्थान में सभी जगहों पर है। ऐसा नियम है कि 10 मील से ज्यादा नेशनलाइज्ड रूट्स पर ओवरलेपिंग नहीं किया जा सकता। पिछले वर्ष भी टेम्प्रेरी परमिट दिये गये थे जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो। क्या मन्त्री महोदय अब भी टेम्प्रेरी परमिट देने का विचार रखते हैं जिससे रास्ते नहीं रुकें और पब्लिक को भी असुविधा नहीं हो ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रश्न मेरे सामने आये हैं कि नेशनेलाइज्ड रूट्स पर 10 किलोमीटर से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो सकता। मैंने भी यह महसूस किया है कि ऐसे स्थानों पर 10 किलोमीटर से काम नहीं चल सकता, जहां पर सीमेन्ट फैक्ट्री हों या और कोई उद्योग हों। मैंने इस सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारियों से बात की थी, उनका कहना है कि ओवरलैपिंग में उसी रास्ते की सवारियां नहीं ले सकते, आगे की ले सकते हैं। यह प्रश्न विचाराधीन चल रहा है। निश्चित रूप से 10 किलोमीटर से आगे बढ़ना चाहिये। आबादी की बढ़ोत्तरी

(श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर)
को देखते हुए यह काफी नहीं है। कई जगह इण्डस्ट्रीज लग गई हैं। खाली नेशनेलाइज्ड बसों से काम चलने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री मोहन लाल मोदी।

माध्यमिक शाला नीम-का-थाना को क्रमोन्नत करना

492. श्री मोहनलाल मोदी (नीमका-थाना) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नीम-का-थाना स्थित माध्यमिक पाठशाला कितने समय से चल रही है तथा इस समय इस पाठशाला की छात्र संख्या कितनी है ?

(2) इस माध्यमिक पाठशाला को अब तक उच्च माध्यमिक पाठशाला में क्रमोन्नत नहीं करने का क्या कारण है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर) : (1) यह विद्यालय 1949-50 से चल रहा है। इस समय पाठशाला में 996 विद्यार्थी हैं।

(2) अभी किसी विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से एक जानकारी चाहता हूं। क्या सरकार ऐसा विचार रखती है कि जहां कॉलेज हैं वहां पी. यू. सी. क्लासेज हटाकर हायर सैकण्डरी स्कूल चालू कर दें जिससे पी. यू. सी. के छात्रों की संख्या कम हो जाए और उधर आपको दिक्कत न हो ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : बजट पारित होने के बाद सभी प्रश्नों पर विचार किया जाएगा।

श्री मोहनलाल मोदी : इससे बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहां कॉलेजों में आपके लेक्चरर्स कम हो जायेंगे।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : आपने क्रमोन्नत की बात कही है। मेरा ख्याल है कि बजट का प्रश्न है, 10वीं से करना है।

श्री मोहनलाल मोदी : पी. यू. सी. के छात्रों की संख्या वहां कम हो जाएगी जिससे बजट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उधर पी. यू. सी. क्लासेज हटने से बजट में कुछ फायदा हो जाएगा। अगर क्रमोन्नत करेंगे तो ••

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 10+2+3 की नीति अपनायेंगे या हायर सैकण्डरी की नीति अपनायेंगे, यह इस पर निर्भर करेगा। शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार का क्या विचार है ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : इस प्रश्न का इससे संबंध नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : कॉलेजों में इतने छात्रों की संख्या है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

Page No. 19

प्रश्न संख्या 178

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

श्री कुन्जीलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री राजबहादुर !

नलों, खादरों को समतल कर कृषि अथवा अन्य उपयोग-योग्य बनाना

425. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा से लेकर धौलपुर तक चम्बल, बनास, सामा और बाण गंगा नदियों के दूर दूर तक फैले हुए किनारों पर जो नल अथवा खादर (रेविन्स) हैं, उनको समतल करा कर कृषि योग्य अथवा अन्य प्रकार से उपयोग में लाये जाने की क्या कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है ? इस पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ? इसमें क्या प्रगति हुई है ?

(3) मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य की सरकारों ने अपने प्रदेश में इन नलों अथवा खादरों को रिक्लेम करने की दिशा में क्या प्रगति की है अथवा इस संबंध में उन सरकारों की क्या योजना है ? क्या सरकार को इसकी जानकारी है ? यदि हां, तो क्या ?

वन मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) वर्तमान में नले एवं खादर का स्थिरीकरण कार्यक्रम अवश्य चालू है किन्तु इस भूमि को कृषि योग्य समतल कराने का कोई कार्यक्रम अभी विचाराधीन नहीं है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) इसकी जानकारी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है ।

श्री राजबहादुर : यह खादरों के नीचे दबी हुई भूमि हमारी सम्पदा है जिसको उपयोग में ला सकते हैं, राजस्थान की बेकारी दूर करने और प्रदेश के विकसित होने की समस्या है । मैं जानना चाहता हूं कि इसको कृषि योग्य बनाने में क्या बाधा है ? दूसरे खादरों में दबी वह कितनी भूमि है जो कोटा से भरतपुर तक फैली हुई है ? कितनी भूमि पर स्थरीकरण कार्यक्रम चालू है और क्या इसमें रोजगार बढ़ाने की संभावना है ?

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ एवं पंचम् पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इस प्रकार का कार्यक्रम हाथ में लिया गया था और उसमें काफी जमीन पर समतलीकरण का कार्यक्रम भी किया गया । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लगभग 1368 एकड़ जमीन पर यह समतलीकरण कार्यक्रम 27,21,574 रुपए के खर्चे से किया गया । उसके बाद में पंचम् पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह कार्यक्रम 21,77,432 रुपये खर्च करके 1014 एकड़ जमीन पर किया गया और इसमें 60 प्रतिशत अनुदान और 60 प्रतिशत लोन देकर काश्तकारों से इसको

(श्रीमती कमला)

व्यवस्था कराई गई लेकिन इसका अनुभव यह हुआ कि जिस जमीन पर इतना खर्चा किया, लगभग दो हजार रुपये प्रति एकड़ का खर्चा जिसमें आया, उसका समतलीकरण करने के उपरांत जब उसको नीलामी में दिया गया तो उसमें बड़ी दिक्कत हुई और जो कर्जा दिया गया वापस लेने में बहुत दिक्कत आई। इसलिए 1979 के बाद इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया।

श्री राजबहादुर : यही प्रश्न, मरुभूमि को रिक्लेम करने के लिए उठा था लेकिन खर्चा बहुत पड़ता है। यह सवाल सीकर व झुंझुनूं के लिए भी उठा था। जो चीज आपके पास में है उसको उपयोग में लेना चाहें या नहीं, खर्चा बढ़ेगा लेकिन जो वेस्ट है उसको यदि आप उपयोगी बनाते हैं तो दो हजार रुपये प्रति एकड़ खर्चा भी ज्यादा नहीं है। यह तो निगेटिव नकारात्मक उत्तर है कि रिक्लेम की हाई कॉस्ट है। चीज आपकी है, आप उसको उपयोगी बना सकते हैं, क्या इस पर विचार करेंगे? आपने कहा कि इसमें लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं आयी है। मैं जानना चाहता हूं कि कोई अच्छी रियायती शर्तें देकर इस भूमि को लोगों को छोड़ना चाहते है? काश्तकारों के लिए जो कर्जा लेकर करें या आप उनकी सहायता करें बैंकों के द्वारा, कोई ऐसी स्कीम आपने बनाई है?

श्रीमती कमला : काश्तकार अपनी खुद की जमीन पर लोन लेकर समतलीकरण करना चाहें तो कोई मनाही नहीं है। उसके लिए लोन का प्रावधान भी है और सरकार नीलाम कर फिर खर्चा वसूल करे, उसकी संभावना बिल्कुल नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इन चार जिलों, जहां ये खादर आते हैं, में प्राइवेट किसानों से एप्लीकेशन्स इन्वाइट की और 100 एकड़ जमीन बिना किसी प्रकार की कीमत दिए समतल करने के लिए कहा? यह डवलपमेंट का सवाल है, इसमें न आपके 37 लाख खर्च होते हैं न 21 लाख और आप का जो उपजाऊ इलाका है, उसका डवलपमेंट होने की बात है।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य ने जो अभी मुझे जानकारी दी है, उसकी जानकारी करके मैं इसका जवाब दूंगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज!

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : भयंकर बाढ़ से जो कृषि भूमि ...

श्री अध्यक्ष : इससे संबंधित नहीं है।

श्री अमराराम चौधरी : कृषि भूमि खराब हो गई है। क्या सरकार ...

श्री अध्यक्ष : यह चम्बल रेविन्स का सवाल है।

श्री राजबहादुर : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, कितनी भूमि है रेविन्स के नीचे और कितनी पर प्रयास हुआ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : सैंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलता है। क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार की स्कीम सैंट्रल गवर्नमेंट को भेजी है जिससे इनको मदद दी जाए?

श्री अध्यक्ष : योजना लाभप्रद नहीं है यह मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है। आगे पूरक प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री भूराराम !

ग्राम सियावा (आबू) को क्लोजर्स तथा प्लान्टेशन्स से उत्पन्न समस्या

493. **श्री भूराराम** (पिण्डवाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि आबूरोड तहसील के ग्राम सियावा को चारों ओर से क्लोजर्स तथा प्लान्टेशन्स से घेर रखा है ? यदि हां, तो क्या इससे पूर्व संबंधित पंचायतों से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ली गई है ?

(2) क्या यह सत्य है कि अक्टूबर, 1979 से सियावा ग्राम में वाघियागढ़ कम्पार्टमेंट में कार्य चालू है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र को मवेशी चरने के लिए कितनी गोचर भूमि उपलब्ध है और क्या यह पर्याप्त है ?

वन मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी नहीं। इस क्षेत्र में वनारोपण का कार्य दो वन क्षेत्रों में लिया गया है जिसमें से एक में सम्पूर्ण हो गया है तथा दूसरे में चालू है। वैसे तो वन भूमि में वृक्षारोपण के कार्य हेतु निकटवर्ती ग्राम पंचायतों से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, परन्तु फिर भी जिस क्षेत्र में वनारोपण का कार्य प्रारम्भ करना है, ग्राम पंचायत सुरपगला व ग्राम पंचायत सियावा से सहमति प्राप्त कर ली गई है।

(2) वर्ष 1979-80 से बान्दीयागढ़ कम्पार्टमेंट नं 17 व मेंसासिंग कम्पार्टमेंट नं. 11 के 250 हैक्टेयर वन क्षेत्र में प्लान्टेशन कार्य चालू है। इस क्षेत्र के मवेशी के लिए निकटवर्ती वन खण्डों का लगभग 2415 हैक्टेयर रकबा चराई हेतु खुला हुआ है।

श्री भूराराम : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम सियावा व ग्राम सुरपगला पूरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है। यहां के निवासियों का मुख्य धंधा चराई का है। इन पंचायतों के क्षेत्र को सभी ओर से क्लोजर्स तथा प्लान्टेशन्स ने घेर रखा है। मवेशियों के चरने के लिए एक बीघा भी गोचर भूमि नहीं रखी है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगी कि ग्राम मेंसासिंह में कुल 1645 हैक्टेयर जमीन है जिसमें से वनों की चराई के लिए 1 हजार 485 हैक्टेयर जमीन रखी है और 160 हैक्टेयर जमीन क्लोजर एवं प्लान्टेशन के लिये रखी गयी है। दूसरा ग्राम सांतपुर में कुल 427 हैक्टेयर जमीन है जो कि वनों की चराई के लिये है इसमें प्लान्टेशन की बिलकुल नहीं है इसके अलावा ग्राम बान्दीयागढ में कुल 693 हैक्टेयर जमीन है उसमें से 503 हैक्टेयर जमीन चराई के लिए रखी गयी है और 190 हैक्टेयर जमीन में प्लान्टेशन किया गया है।

श्री भूराराम : अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट मन्त्री महोदय को दी गयी है वह बिलकुल गलत दी गयी है। यह सब झूठ है हमारे वहां पर गोचर भूमि बिलकुल नहीं है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, अगर यह रिपोर्ट विभाग के अधिकारी द्वारा

(श्रीमती कमला)
गलत दी गयी है जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं तो मैं इस मामले की जांच करवाऊंगी। उसमें अगर कोई गड़बड़ी पाई गयी तो संबन्धित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या 505 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप एक मिनट के लिये मन्त्री महोदय को कह दें तो वह उसका उत्तर दे दें। वह उत्तर देने को तैयार हैं। केवल एक मिनट।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर देने को तैयार हैं क्या ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा उससे पहला प्रश्न है 504 उसका भी जवाब दिला दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर मन्त्री महोदय के पास तैयार है प्रश्न संख्या 505 है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य के तारांकित प्रश्नोतर

भंग महुआ खुर्द पंचायत के ग्रामों का विकास

489. **श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति बनेड़ा के अन्तर्गत महुआ खुर्द पंचायत भंग कर दी गई है। यदि हां, तो कब ?

(2) इसके अधीन कितने गांव थे ?

(3) पंचायत के भंग करने के बाद इसके गांवों के विकास के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, बनेड़ा के अन्तर्गत महुआ खुर्द ग्राम को जिलाधीश, भीलवाड़ा की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 12-3 (63) आर ए/74, दिनांक 12-11-74 के द्वारा राजस्थान ग्रामदान अधिनियम संख्या 12, सन् 1971 की धारा 11 (1) के अन्तर्गत ग्रामदान ग्राम घोषित किया गया है।

(2) इसके अधीनस्थ निम्न ग्राम थे:—

1. महुआ खुर्द, 2. मजरा बांस का खेड़ा, 3. जालिया (ग्रामदानी ग्राम अधीनस्थ हैं।) 4. चमनपुरा, 5. छतरी खेड़ा 6 रनिंग पुरा (पंचायत महुआ खुर्द के ग्रामदानी ग्राम घोषित होने के बाद बचे ग्राम हैं)

Page No. 23

23

(पंचायत राज मन्त्री)

ग्रामदानी ग्राम के अध्यक्ष राजस्व वसूली स्वयं कराते हैं व पंचायत की तरह ही कार्य करते हैं। महुवा खुर्द ग्राम के ग्रामदानी ग्राम घोषित हो जाने के बाद शेष ग्रामों को चमनपुरा पंचायत के नाम से गठित करने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं जिन पर शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

(3) गांवों के विकास की निम्न योजनाएं हैं:—

1. धर्मतालाब-महुवाखुर्द
   14062/- 16-12-1979

2. महुवा खुर्द से कमालपुरा सड़क
   17640/- 18-1-1980

3. नाडी धर्म (तालाब) महुवा खुर्द
   5,000/- 4-3-1980

4. जलदाय योजना महुवा खुर्द
   20,000/- 1-4-1980

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29 जुलाई, 1980)

ग्राम पंचायत बैराड़ा का विभाजन किया जाना

178. **श्री कुन्जीलाल** (वामनवास): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार का ग्राम पंचायत बैराड़ा, पंचायत समिति, वामनवास, जिला सवाई माधोपुर को वहां की जनसंख्या व जनता की सुविधाओं को देखते हुए दो भागों 1) ग्राम पंचायत बैराड़ा व 2) ग्राम पंचायत सुन्दरी में विभाजित करने का विचार है? यदि हां, तो विभाजन कब कर दिया जायेगा? और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

ग्राम पंचायत बैराड़ा व ग्राम सुन्दरी पृथक्-पृथक् ग्राम पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से कोई प्रस्ताव पंचायत समिति में प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जाना सम्भव होगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उचित दर की दुकानों से उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक वस्तुयें

396. **श्री अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील झालरापाटन में उचित दर की कितनी दुकानें हैं?

(2) उपरोक्त दुकानों पर क्या क्या आवश्यक वस्तुयें बेची जाती हैं?

(3) क्या यह सही है कि झालरापाटन नगर व अन्य देहातों में छः माह से कन्ट्रोल का कपड़ा नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि अन्य जगहों की तरह इन दुकानों पर डालडा, चावल सोडागर्ण, खाने लायक गेहूं, केरोसीन आदि

(श्री अनंगकुमार जैन)
अन्य आवश्यक वस्तुयें नहीं मिलती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील झालरापाटन (जिला झालावाड़) में कुल 48 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं।

(2) उपरोक्त दुकानों पर नियन्त्रित चीनी, गेहूं, केरोसीन तेल, नियन्त्रित कपड़ा, पाम आइल बेचा जाता है।

(3) माह जनवरी से अब तक झालरापाटन नगर को चार गांठें तथा झालरापाटन तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में 27 गांठें कण्ट्रोल के कपड़े की वितरित की गई हैं।

(4) झालरापाटन तहसील के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर गेहूं, चीनी, केरोसीन तेल, उपलब्ध है। सोडा एश 100 बैग्स प्राप्त हुआ था जिसे मार्केटिंग सोसाइटी की ब्रांच झालरापाटन, सुनेल, पिड़ावा, भवानी मण्डी, गंगरार, अकलेरा, व झालावाड़ की उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 2 किलो प्रति राशनकार्ड के हिसाब से वितरण कराया गया है। डालडा व चिवड़ा का कोई आवन्टन प्राप्त नहीं होता अत: कहीं भी वितरण नहीं कराया जाता है।

डीडवाना पंचायत समिति में अकाल राहत कार्य

397. श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) नागौर जिले की डीडवाना पंचायत समिति में चालू वर्ष में अकाल राहत के तहत कितने स्थानों पर व क्या क्या कार्य प्रारम्भ किये गये ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र की पीड़वा पंचायत क्षेत्रान्तर्गत भी अकाल राहत कार्य प्रारम्भ हुआ है ? यदि हां, तो कितने कार्य प्रारम्भ हुये ? नहीं, तो किस कारण ?

उत्तर

(1) नागौर जिले की डीडवाना पंचायत समिति में चालू वर्ष में अकाल राहत के तहत किये गये कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। पीडवा पंचायत में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने या कराने बाबत सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किये और न ही कोई अभिरुचि इनके द्वारा प्रदर्शित की गई जब कि इस सम्बन्ध में विकास अधिकारी डीडवाना द्वारा भी सम्पर्क स्थापित किया गया था।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

लाल कोठी की मुख्य कच्ची बस्ती

398. श्री रामकंवार बैरवा (फागी): क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लाल कोठी में कौन-कौन सी कच्ची बस्ती हैं और वे कितनी पुरानी हैं ? अब तक इन्हें सुव्यवस्थित रूप से क्यों नहीं बसाया गया ? अब कितने समय में इन्हें सुव्यवस्थित रूप से बसा दिया जावेगा ?

(2) लाल कोठी मुख्य कच्ची बस्ती वालों को कितना अवार्ड कब से देना तय हुआ है ? इन्हें अब तक अवार्ड का मुआवजा देने की क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कब तक कर दी जावेगी ?

Page No. 25

25

(श्री रामकंवार बैरवा)

(3) लाल कोठी मुख्य कच्ची बस्ती को वर्तमान स्थान पर ही सुव्यवस्थित रूप से बसाया जावेगा या अन्य स्थान पर ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ने दिनांक 20-9-76 एवं 20-4-78 की बैठक में कच्ची बस्ती वासियों को भू- आवन्टित करने का निर्णय ले लिया था ? यदि हां, तो अब तक इसे क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया ?

(5) अवार्डीज सर्वेधारी एवं बिना सर्वेधारी परिवार जनों को किस प्रकार एवं कितने समय में भू-आवंटित कर सुव्यवस्थित रूप से बसा दिया जावेगा और कहां बसाया जावेगा ?

उत्तर

(1) लालकोठी योजना क्षेत्र में निम्न-लिखित चार कच्ची बस्तियां हैं :

1. लालकोठी मुख्य कच्ची बस्ती।

2. लाखाजी की ढाणी कच्ची बस्ती।

3. मालियों की ढाणी कच्ची बस्ती।

4. ब्रह्मा गैल के निकट मोटर गैराज को दी जाने वाली भूमि पर स्थित कच्ची बस्ती।

बस्ती के निवासियों की सुनवाई के निष्कर्ष से प्रतीत होता है कि उपरोक्त बस्तियां 21-8-71 के पूर्व की हैं। राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार इन बस्तियों के निवासियों के दावों की जांच आदि का कार्य किया जा रहा है।

(2) लालकोठी मुख्य कच्ची बस्ती वालों को क्षतिपूर्ति की राशि दिनांक 9-1-64 को देना तय हुआ था। अवार्ड का मुआवजा कब्जे की भूमि न्यास को सौंपने पर दिया जाता है। जब कि सम्बन्धित अवार्डीज इस भूमि पर ज्यों के त्यों काबिज हैं। ऐसी अवस्था में मुआवजा देना संभव नहीं है। इन अवार्डीज द्वारा भूमि खाली करने एवं कब्जा न्यास को संभालने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

(3) लाल कोठी मुख्य कच्ची बस्ती में स्वीकृत दावेदारों को यथासम्भव योजना मानचित्र के अनुसार बसाया जावेगा।

(4 व 5) लालकोठी योजना की क्रिया-न्विति का मामला राज्य सरकार के विचारा-धीन है।

भवानी मंडी-सोयत रूट पर चालित बसें

399. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग): श्री शोबान सिंह (पिड़ावा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भवानी मंडी सोयत रूट पर राज्य परिवहन निगम की कितनी बसें चल रही हैं व उनका भवानी मंडी से चलने का क्या-क्या समय है ?

(2) राष्ट्रीयकरण से पहले कितनी निजी बसें इस रूट पर चल रही थीं और क्या उस समय पर निगम की बसें भी चल रही थीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस रूट पर अब कितनी प्राइवेट बसें चल रही हैं ?

उत्तर

(1) भवानी - मण्डी सोयत वाया पिड़ावा मार्ग पर वर्तमान में निगम द्वारा 6 सेवायें सचालित की जा रही हैं जिनका समय निम्न प्रकार है—

क्र.सं.	भवानी मंडी	पिड़ावा	सोयत
1.	8.15	10.15	12.15
2.	11.00	13.00	14.00
3.	12.00	14.00	15.00
4	14.30	16.30	18.30
5.	17.14	19.00	19.45
6.	19. 0	21.00	22.00

उपरोक्त के अतिरिक्त भवानी मण्डी से पिड़ावा तथा पिड़ावा से सोयत के बीच निम्न समयानुसार शटल सेवायें भी संचालित की जा रही हैं:-

क्र.सं.	भवानी मंडी	पिड़ावा	पिड़ावा	सोयत
1.	9.15	11.15	5.00	5.30
2.	15.30	17.30	9.00	9.30
			13.00	1330
			16.00	16 45

(2) राष्ट्रीयकरण से पूर्व इस मार्ग पर तीन प्राइवेट बसें चलती थीं। राष्ट्रीयकरण की योजना में इस मार्ग हेतु 14 एकल सेवाओं का प्रावधान था जिनके विरुद्ध वर्तमान में निगम द्वारा 16 एकल सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

(3) उक्त मार्ग पर मानपुरा-सोयत मार्ग पर चलने वाला एक निजी वाहन उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से चल रहा है। यदि कभी कोई निजी वाहन अनधिकृत रूप से चलता हुआ पाया जाता है तो नियमानुसार निगम उसके विरुद्ध कार्यवाही करता है।

विद्यालयों में उर्दू विषय का अध्ययन

400 श्री बालचन्द्र आर्यवीर (इग): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने स्कूलों में उर्दू विषय पढ़ाया जाता है ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) विभिन्न स्कूलों में कितने कितने विद्यार्थी उर्दू विषय पढ़ते हैं ?

(3) क्या सरकार प्रत्येक स्कूल में उर्दू विषय अनिवार्य कर वहां अध्यापक नियुक्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में 36 उच्च माध्यमिक विद्यालयों, 41 माध्यमिक विद्यालयों, 114 उच्च प्राथमिक विद्यालयों और 58 प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू पढ़ाई जा रही है। जिलेवार सूची एकत्रित की जा रही है।

(2) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1952, माध्यमिक विद्यालयों में 2818, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6834 एवं प्राथमिक विद्यालयों में 4943 विद्यार्थी उर्दू पढ़ते हैं। जिलेवार सूची एकत्रित की जा रही है।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा आयोजित शिविर

401. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य खेल कूद परिषद् द्वारा गत दो वर्षों में किस-किस खेल के लिए कितने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गये ? उनमें किस-किस प्रशिक्षण शिविर में कितने कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया ?

(2) खिलाड़ियों को अनुदान देने पर कितनी राशि व्यय हुई और परिषद् की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर वर्षवार कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) किस-किस खेलकूद संस्था को इन दो वर्षों में कितनी-कितनी राशि अनुदान स्वरूप दी गई ?

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) खिलाड़ियों को राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु जो यात्रा व्यय आदि का भुगतान किया जाता है, वह संबन्धित खेल के राज्य संघों को अनुदान माना जाता है। परिशिष्ट "ख" पर दी गई सूचना में राज्य संघों को अंकित अनुदान राशि में इनका यह व्यय सम्मिलित है। खिलाड़ियों के अनुदान का लेखा-जोखा अलग से नहीं रखा जाता है। महिला खेल-कूद, ग्रामीण खेल-कूद व प्रशिक्षण शिविरों के व्यय में भी खिलाड़ियों हेतु व्यय की गई यात्रा आदि की राशि सम्मिलित की जाती है। इनके अतिरिक्त खिलाड़ियों को सीधे दी जाने वाली राशि (छात्रवृत्ति, खुराक भत्ता, अवार्ड्स आदि) पर वर्ष 1978-79, 1979-80 में क्रमशः 49,006/- व 71,348/- रुपये का व्यय किया गया।

परिषद् की प्रशासनिक व्यवस्था पर किये गये खर्च में कुछ ऐसे मद हैं, जिनका लेखा-जोखा अलग से नहीं बतलाया गया है। इस संबन्ध में इन लेखों-जोखों को अलग से छांटकर सूचना तैयार की जा रही है। इस तरह कुल वास्तविक प्रशासनिक व्यय कितना हुआ इसकी विस्तृत सूचना तैयार कर शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

(3) सूचना परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचना के लिए परिशिष्ट 5 देखें)

पिड़ावा पंचायत समिति क्षेत्रान्तर्गत नये विद्यालय खोलना

402. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : श्री श्योदान सिंह (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पिड़ावा पंचायत समिति में कितनी प्राथमिक व माध्यमिक शालायें हैं और चालू वर्ष में कितनी प्राथमिक व माध्यमिक शालायें खोलने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

पिड़ावा पंचायत समिति में 21 लड़कों के उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तथा 95

(शिक्षा मंत्री)
लड़कों व 2 लड़कियों के कुल 97 प्राथमिक विद्यालय हैं। नई शालाएं खोलने के प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंडावरा (सुल्तानपुर) के उप-स्वास्थ्य केन्द्र

403. श्री बाऊदयाल जोशी (बीगोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंडावरा, पंचायत समिति सुल्तानपुर में कितने उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा वहां किस पद के कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उप-स्वास्थ्य केन्द्र, भाडाहेडा पर गत चार माह से कोई कर्मचारी नहीं है ? यदि हां, तो कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि हैल्थ वर्कर के पद सरकार ने समाप्त कर दिये ? यदि हां, तो उसके स्थान पर क्या नई व्यवस्था की जा रही है और वह कब तक हो जायेगी ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंडावरा पंचायत समिति सुल्तानपुर में निम्न सब-सेन्टर कार्यरत है:—

1. निमोदा
2. बनेठिया
3. कल्याणपुरा
4. बुढादीपा
5. हुगराज
6. सिमलिया
7. गोरधा

इन सभी उप-केन्द्रों पर स्वीकृत स्टाफ (एक ए. एन. एम.) कार्यरत है एवं पार्ट टाइम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद स्वीकृत है।

(2) जी नहीं।

भाडाहेडा में अब कोई उप-केन्द्र स्वीकृत नहीं है।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) जी हां।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22-2-80 के अनुसार हैल्थ वर्कर के पद अनुपयुक्त समझते हुए दिनांक 1-3-80 से समाप्त किये गये हैं। इन पदों की नई नीति के अनुसार आवश्यकता नहीं है, अतः प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

बीकानेर में कृषि उपज मंडी के लिए स्थल का चयन

404. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बीकानेर में कृषि उपज मंडी के लिये सुरक्षित क्षेत्र का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितना क्षेत्रफल ?

(2) क्या कृषि उपज मंडी पूगल रोड के पास प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कौन से स्थान पर ? कृषि उपज मंडी क्षेत्र के

Page No. 29

(श्री देवीसिंह भाटी)
लिए किन नियमों व सुविधाओं को ध्यान में रखकर स्थान का चयन किया जाता है ?

उत्तर

(1) बीकानेर में दो मण्डी यार्ड बनाये जाने प्रस्तावित हैं। एक अनाज मण्डी के लिए 82.81 एकड़ भूखण्ड सूरतगढ़ रोड पर उमूंल डेयरी के पास सुरक्षित किया गया है तथा दूसरा लगभग 100 एकड़ भूखण्ड पूगल रोड पर 8 कि. मी. के रेलवे क्रासिंग के पास स्थित है, जिसे ऊन, फल, सब्जी तथा टिम्बर मण्डी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

(2) जी हां। बीकानेर पूगल रोड पर रेलवे क्रासिंग के पास कृषि उपज मण्डी यार्ड के लिये भूखण्ड चयन करते समय निम्नांकित सुविधाओं की उपलब्धि पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है :--

1. माल के आवक की दिशा जिधर से अधिकतर कृषि उपज आती है।

2. पानी व बिजली की सुविधा।

3. यातायात के साधन।

4. निर्माण सामग्री के स्रोतों के पास में होना

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10-7-80)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पी. ओ. पी. बैन्डेज की आवश्यकता

26. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पी. ओ. पी. बैन्डेज 15 से. मी. × 5 मी., ऑर्डिनरी बैन्डेज 10 सेन्टीमीटर 4 मी. एवं गाजक्लाथ 60 सेंटीमीटर × 18 मी. की कितनी आवश्यकता रहती है ?

(2) सन् 1978-79 व 79-80 में उपरोक्त वस्तुओं की खरीद यूनिटवाइज एवं जिलेवार कितनी-कितनी मात्रा में की गई ?

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संलग्न सूची के अनुसार बैन्डेज व गाज की आवश्यकता रहती है।

(2) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में संलग्न सूची में आवश्यक सूचना दे दी गई है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4-8-80)

प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने के प्रयोजनार्थ भवन निर्माण

286. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या गत सरकार ने पंचायतों को प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने हेतु भवन निर्माण के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो कृपया नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र

(श्री सी. पी. जोशी)
की ऐसी पंचायतों के नामों की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जी हां। नाथद्वारा पंचायत समिति के अधीन पंचायतों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए छाया परिशिष्ट 7 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्व श्री चन्द्रवीरसिंह, महावीर प्रसाद व रघुवीरसिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ट्रक यूनियन के नाम पर कस्बा सरदार शहर के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ट्रक मालिकों व ड्राइवरों के साथ मारपीट करने के विषय में।

(2) श्री मोहनलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 7 अगस्त को चूरू के बस स्टेन्ड पर सरदार शहर के एक व्यापारी श्री विश्वनाथ सिंहानिया के अपहरण के विषय में।

(3) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा नगर में इत्तहादे बाहमी नामक संस्था द्वारा साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने के प्रयत्न के विषय में।

(4) श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम आसीन तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर की हरिजन महिला की गिरफ्तारी व पुलिस थाने में किये गये बलात्कार के विषय में।

(5) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से इस माह परबतसर में लगने वाले वार्षिक पशु मेले के लिये तैयारियां न होने और उचित व्यवस्था न होने के विषय में।

(6) श्रीमती उजला अरोड़ा व श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में हरिजनों की हड़ताल समाप्त होने के बावजूद समुचित सफाई व्यवस्था न होने के विषय में।

(7) सर्व श्री गोपाल पचेरवाल व रामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम चीपलाटा जिला सीकर के हरिजनों द्वारा काम में लिये जा रहे कुए के मार्ग को वहां के जागीरदारों द्वारा अवरुद्ध कर दिये जाने के विषय में।

(8) सर्व श्री राम रघुनाथ चौधरी, भंवरलाल शर्मा, जीतमल जैन सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान एक अनशनकारी श्री बहादुरसिंह के देहान्त के विषय में।

(9) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 9 अगस्त को आकोड़ा निवासी कस्तूर मेघवाल की बीस वर्षीय पत्नी के साथ बाड़मेर जा रही बस के ड्राइवर श्री मेघराज शर्मा और उसके

(श्री अध्यक्ष)

साथियों द्वारा बलात्कार किये जाने के विषय में।

(10) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के पांचों मैडिकल कालिजों के रेजीडेन्ट डॉक्टरों की हड़ताल के विषय में।

(11) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से नागौर जिला के लाडनूं पुलिस थाने के हीरावत गांव में मेघवाल जाति की हरिजन युवती के साथ किये गये बलात्कार के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(12) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा क्षेत्र में 50 गांवों में पेयजल के अभाव के विषय में।

यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है और मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाइराइट्स पर आधारित खाद कारखाना सलादीपुरा (सीकर) में न लगाये जाने की आशंका के विषय में।

राज्य सरकार द्वारा अभी इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम नयाबास तहसील नीम का थाना में पुलिस द्वारा गांव पर की गई रेड के विषय में।

प्राप्त तथ्यों के आधार पर मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

वे स्थगन प्रस्ताव जिन पर कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है :

(1) श्री छीतरमल आर्य, ग्राम चड़ाना तहसील अटरू में मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत करने के विषय में।

(2) श्री नन्दलाल मीणा : तहसील प्रतापगढ़ के कनाड़ निवासी श्री भगवान मीणा की मारपीट के बाद हुई मृत्यु।

(3) श्री बालचन्द आर्यवीर और श्री अनंगकुमार जैन, इस विधान सभा क्षेत्र में बिजली की कमी के विषय में।

(4) श्री रामकिशोर मीणा ग्राम पदमपुरा की ढाणी में एक बकरी के झगड़े को लेकर पुलिस द्वारा मीणों को परेशान करने के विषय में।

अब मैं माननीय सदस्यों, जिनके कि स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये हैं, को दो-दो, तीन-तीन मिनट का समय देता हूं। वे यहां पर अपनी बात संक्षेप में कह दें।

श्री हीरालाल आर्य, पीपल्दा क्षेत्र में 50 गांवों में पेयजल के अभाव के विषय में जो कहना है वह कह सकते हैं।

व्यवस्था का प्रश्न
स्थगन प्रस्तावों पर जानकारी प्राप्त होने में विलम्ब

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो एड-जोर्नमेन्ट मोशन आये हैं उनमें आपने देखा होगा कि 3 एडजोर्नमेन्ट मोशन हरिजन युवतियों के साथ बलात्कार करने के बारे में आये हैं। आपने उनके ऊपर जानकारी चाही है। वह जानकारी या जवाब 4 दिन में आयेगा उसके बाद में आप अपनी व्यवस्था देंगे। आप उस एडजोर्नमेन्ट मोशन पर स्टेटमेन्ट देने को सरकार को कह सकते हैं या नहीं – मैंने आपसे इस सम्बन्ध में पहले भी निवेदन किया था और आपने कहा था कि एडजोर्नमेन्ट मोशन की इत्तिला आपके पास 24 घन्टे में आ जानी चाहिये। होना तो यह चाहिये, अध्यक्ष महोदय, ऐसे जब मामले हों तब सरकार को स्वत: ही स्टेटमेन्ट उन मामलों में दे देना चाहिये क्योंकि यह तो अखबारों में आता रहता है। आज भी सुबह मैंने मुख्य सचेतक महोदय को टेलीफोन किया था कि आप सरकार को इसके बारे में यह कहें कि ऐसे मामलों की सूचना 24 घन्टे में आनी चाहिये। अब मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, कोई भी एडजोर्नमेन्ट मोशन माननीय सदस्यों द्वारा जब सदन में उठाया जाता है तो यह सदन की परम्परा रही है कि आप पहले उसको देखते हैं उसके बाद में कुछ को तो आप रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ को आप राज्य सरकार के पास जानकारी चाहने के लिए भेज देते हैं। इन मसलों पर अभी आपने यह आदेश दिया कि सरकार से जानकारी चाही है। मेरा अनुरोध उधर के नेता महोदय से यही है कि तुरन्त सरकार से जानकारी मांग ली जाये और फिर अध्यक्ष महोदय जो भी व्यवस्था दें—

श्री अध्यक्ष : कोशिश करेंगे कि जल्दी जानकारी आये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोशिश किस बात की ? अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार विजिलेन्ट क्यों नहीं है ? हमारी बातों का सरकार विश्वास करें या नहीं करें, यह तो समझ में आता है लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि समाचार पत्रों में समाचार छप जाये और सरकार एक धारणा लेकर बैठ जाये कि समाचार पत्र गैर जिम्मेदार तरीके से समाचार छापते हैं इसलिए कोई कागनीजेन्स नहीं लिया जाये। गरीब महिलाओं के साथ इस प्रकार के अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं, क्या सरकार का उससे ताल्लुक नहीं है ? आज जो एडजोर्नमेन्ट मोशन्स दिये गये हैं तीन चार उनमें से कौनसा एडजोर्नमेन्ट मोशन है जिसमें सरकार वायरलैस से सूचना प्राप्त नहीं कर सकती। मैंने स्वयं ने टेलीफोन करके जानकारी प्राप्त की है। मुझे जानकारी प्राप्त करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। मेरे साधन सीमित हैं। मैं न थानेदार को टेलीफोन कर करता हूं और न एस. पी. को, और करता हूं तो वह मुझे जानकारी भी नहीं देते। मैं प्राईवेट सिटीजन्स से इनफॉर्मेशन कन्फर्म करके जानकारी दे सकता हूं। उसका उत्तर सरकार 24 घंटों में भी नहीं दे सकती है। इनके 24 घंटे का मतलब है 7 दिन...

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन है कि मैं इसकी जानकारी आज ही कर लूंगा लेकिन दो चार घंटे का समय तो लगेगा ही ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप समय तय कर लीजिए दो घंटे या एक घंटे के बाद सरकार कम से कम बलात्कार के मामलों में वक्तव्य दे दे ।

श्री अध्यक्ष : आज ही सूचित कर दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार सूचित नहीं करे तो हम घर चले जावें ।

श्री खेतसिंह राठौड : जल्दी से जल्दी इसकी सूचना मंगाई जा रही है। आपने कहा कि आप मंगा सकते हैं तो सरकार को क्यों देरी हो रही है। अभी पुरानी व्यवस्था आपकी छोड़ी हुई है उसमें हम काफी चेन्जेज ला रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी घटनाओं से खुश कोई नहीं है। ऐसी घटनाओं के लिए सरकार बहुत सतर्क है।

श्री अध्यक्ष : 4 बजे तक सूचना मंगा सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जल्दी से जल्दी मंगा लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 4 बजे का मतलब यह है कि सरकार सूचना देगी कि सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सूचना क्यों होगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सरकार को जानता हूं। आप तो सरकार में रहे हुए हैं। आपको मुख्य सचेतक बनाया गया है और अभी उम्मीद में हैं सरकार में आने की। आप सरकार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी तो सरकार की तरफ से उत्तर दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार की तरफ से इन्हें बोलने का हक ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपने सरकार से कहा तो वह उत्तर दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिर आपने मुझे सवेरे क्यों सूचना दी जब कि मैं बोल नहीं सकता, हक नहीं रखता सरकार में ? यह क्या बात करते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने सूचना इसलिए दी थी कि श्री रामपाल जी उपाध्याय को टेलीफोन करने की बहुत कोशिश की। टेलीफोन एंगेज था। कई बार कोशिश करने के बाद मेरा सम्पर्क नहीं हुआ तो मैंने अपना कर्तव्य समझा कि मुख्य सचेतक महोदय को इस बात की इत्तला दे दूं। मैंने इत्तला दे दी कि इन बलात्कारों की घटनाओं को लेकर हम चुप रहने वाले नहीं हैं। अगर आप 24 घंटे का समय देते हैं ...

श्री अध्यक्ष : 3 बजे तक मंगा लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 3 बजे के लिए आप व्यवस्था देंगे तो हम 3 बजे तक इन्तजार करेंगे।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, बार-बार ...—

श्री मोहनलाल शर्मा (सरदारशहर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है, 7 अगस्त को चूरू के बस स्टेन्ड पर सरदार शहर के एक व्यापारी श्री सिहानिया के अपहरण के संबंध में····

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है। सदन में सूचना नहीं आ सकती, 15-20 विषय हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की अपहरण की घटनाएं हैं जिनकी एफ. आई. आर. मुलजिमों के नाम से है, मुलजिम जयपुर में घूम रहे हैं, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त करने के लिए घूम रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। बाजार के बीच में से सेठ को उठा ले जाने पर भी आज तक मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होना किस बात का संकेत है ? क्या सरकार उत्तर नहीं दे सकती ? मैं सरकार से चाहता हूं कि बलात्कार और अपहरण की घटनाओं को प्रोमिनेन्स देकर तुरन्त सदन में जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष: जितने भी विषय हैं वह मैं देख लेता हूं। आपने एक और जोड़ा है तो इसमें 3 बजे तक सरकार से जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

श्री राजबहादुर (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जब आपके द्वारा कई बार किसी सदस्य का नाम बोला जाता है तो फिर कोई भी सदस्य चाहे वह कितना ही इम्पाटेन्ट हो बीच में क्यों आये···

श्री खेतसिंह राठौड़: इनकी आदत है।

श्री राजबहादुर: दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी एक साधारण विधायक हूं यहां का। मैं बार बार यह सुनता हूं कि जो ढंग है वह आपका यानि भैरोंसिंह जी का बनाया हुआ है। तो ढंग इनका हो चाहे आपका हो सरकार कितना समय लेगी ढंग बदलने में, यह तो बताया जावे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनका ढंग तो आ गया टाइम्स ऑफ इण्डिया में। इनका ढंग आया है नान-गवर्नमेंट में। दो महीने के अन्दर नान-गवर्नमेन्ट है।

श्री राजबहादुर: सरकार ढंग बदलने में कितना समय लेगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनका तो ढंग नहीं बदलेगा सरकार ही बदलेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। श्री पचेरवाल।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री गोपाल पचेरवाल(पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैंने तारीख 5 को एक विशेषाधिकार का मसला आपके सामने पेश किया है। तारीख 5 से आपने अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : उस पर विचार चल रहा है।

श्री गोपाल पचेरवाल : 5 तारीख को मैंने दिया ··

Page No. 35

(35)

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार का प्रश्न है, महत्वपूर्ण मसला है । सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ।

श्री नाथूसिंह !

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, कल यहां सदन में एक एडजोर्नमेन्ट मोशन आया था उस पर काफी चर्चा हुई थी । शिक्षकों के तबादलों को लेकर शिक्षक विधान सभा के बाहर धरना दिये हुये हैं । उस पर आपने सरकार से कहा था कि कल वक्तव्य देंगे ··

श्री अध्यक्ष : मैंने यह नहीं कहा ।

श्री नाथूसिंह: आपने नहीं कहा तो सरकार ने कहा होगा ।

श्री अध्यक्ष : मैं वक्तव्य दिलाने की सोच रहा हूं । तारीख एडजस्ट करनी है । आपके उप-नेता और व्हिप महोदय से बात कर ली है । उसके बारे में सोचेंगे ।

श्री नाथूसिंह : शिक्षक धरने पर हैं और 5 दिन तक विधान सभा का सत्र नहीं होगा । लगातार ट्रान्सफर किये जा रहे हैं टीचर्स के ।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री नाथूसिंह: 5 दिन के बाद आप जवाब दिलायेंगे तो कैसे होगा । मैं चाहूंगा कि आज ही वक्तव्य दें ।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री नाथूसिंह: 5 दिन तक सत्र नहीं चलेगा । 5 दिन तक छुट्टी है ।

श्री अध्यक्ष: आपके चीफ व्हिप महोदय से मैंने चर्चा कर ली थी इस सम्बन्ध में । कृपया बाद में मुझसे मिल लें । अभी सम्भव नहीं है ।

श्री महावीर प्रसाद !

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर नहीं होगा मेरे साथ में । आधे घन्टे की चर्चा है इसके सम्बन्ध में आपको निर्णय दे दिया है । आपको सूचित कर दिया जायेगा । यह सब प्रश्न यहां नहीं उठाये जावेंगे ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा ।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक): अध्यक्ष महोदय, ट्रक यूनियन के नाम पर कस्बा सरदारशहर के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ···

श्री अध्यक्ष: आॅर्डर, आॅर्डर, माननीय सदस्य । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा !

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव सफाई के संबंध में इसलिए रखा कि कल 13 तारीख को ईद है । मैं पिछली 28 तारीख से बराबर कह रही हूं ··

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने व्यवस्था दी है कि सरकार से सूचना मंगायेंगे । कल सुबह ईद है । यह मुसलमानों का त्योहार ऐसा ही है जैसे अपने दीवाली होती है । मैं 28 तारीख से लगातार कोशिश करती करती परेशान हो गयी हूं । मैं यहां के जो प्रशासक महोदय हैं...

श्री अध्यक्ष : आप चाहेंगी तो आपको अपनी बात कहने का अवसर दे दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, अवसर दे देना।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि राजस्थान सरकार से जानकारी दिलाऊंगा ...

श्री अध्यक्ष : जानकारी आने पर मैं आपको सूचित कर दूंगा।

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर आसन के साथ यहां नहीं होगा। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री नन्दलाल !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, ऑर्डर ऑर्डर।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : ....दाई का काम भी उसी ने किया। गांव वाले आये तो......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री भगवानदास शास्त्री : ....गर्भवती 7 महीने की महिला का जापा हो जायेगा...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हीरालाल आर्य !

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : ....उस महिला को दूसरी गाड़ी में बैठाया। गरीब बनजारिन, अनाथ महिला......7 महीने....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय आने पर आपको अवसर दे दूंगा।

श्री हीरालाल आर्य। पेयजल के बारे में।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : आन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, लोक महत्व का प्रश्न है। रोज बलात्कार की बात आती है। सबसे महत्वपूर्ण मसला है। लोक महत्व का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, इस पर विचार करें और फिर निर्णय करें। आधा घंटा रोज व्यर्थ जाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने एक भूख हड़ताली की मौत हुई है। राज्य सरकार से वक्तव्य देने के लिए कहें।

श्री अध्यक्ष : जानकारी ली है, माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : लोक महत्व के प्रश्न के बारे में ...

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य !

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पेय जल की समस्या जिस तरह राजस्थान की सबसे प्रमुख समस्याओं में से है इसी तरह मेरे क्षेत्र में भी पेय जल की भारी समस्या है। यह एक मानवीय समस्या है इसे प्राथमिकता के

(श्री हीरालाल आर्य)

आधार पर हल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में 50 गांव ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस के 30 साल के शासन में इस समस्या के निदान के लिये कुछ नहीं किया गया लेकिन जनता शासन के दौरान प्रत्येक गांव में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये काम के बदले अनाज योजना लागू की गई थी।

(12.22 म. प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति पदासीन)

जिन गांवों में कुएं नहीं थे उनमें काम के बदले अनाज योजना में कुएं खोदे लेकिन जो काम के बदले अनाज योजना में कुओं का काम चल रहा था उन कामों को कांग्रेस सरकार ने बन्द कर दिया है जिससे कुएं अधूरे पड़े हैं और गांव वालों की जो पीने के पानी की समस्या थी वह ज्यों की त्यों है। इसलिये आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो काम के बदले अनाज योजना में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए कुओं का काम चल रहा था, जिसको बन्द कर दिया गया है, उसको पुनः चालू करने के आदेश प्रदान करें।

सभापति महोदय, जिन गांवों में कुएं नहीं हैं उन गांव वालों को नदियों एवं नाली का गन्दा पानी पीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। गन्दा पानी पीने की वजह से गांव वालों को नारू आदि बीमारियां होती हैं। इसके अतिरिक्त नदियों के रास्ते खास तौर से बारिश के दिनों में बड़े टेढ़े होते हैं। गांव की महिलाओं को पानी लाने की बड़ी असुविधा रहती है। सभापति महोदय, अनुमान कीजिये, ऐसे रास्ते हों जो आड़े टेढ़े हों, जिन पर कीचड़ हो, गांव की महिलाएं सर पर मटकियां रख कर उन रास्तों से आयें तो कितनी भयंकर समस्या उनके सामने होती है। दुर्गम कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पेयजल के अभाव में गांव के नागरिकों को नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। सभापति महोदय, आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि फूड फार वर्क योजना में कुएं खोदे थे जो कि कांग्रेस सरकार ने बन्द कर दिये हैं। वे काम वापस शुरू करने के आदेश प्रदान करें ताकि पेयजल उपलब्ध हो सके। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में कुछ बड़े कस्बे हैं जहां पीने के पानी की समस्या है। वहां पर नल योजना की स्वीकृति हुई है। कांग्रेस के तीस साल के शासन में पूरी पंचायत समिति में एक भी योजना नहीं थी लेकिन जनता सरकार के आने के बाद जो बड़े बड़े कस्बे थे उनमें नल योजना स्वीकृत हुई। इटावा, खातौली, गैंता आदि।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, लेकिन अब जो काम चल रहा है वह बड़ी धीमी गति से चल रहा है। गांव वालों के सामने पीने के पानी की समस्या फिर खड़ी हो गई है। इसलिये, सभापति महोदय, आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन तीन कस्बों में नल योजनाओं का काम चालू किया है उसको जल्दी पूरा कराया जाये ताकि इन कस्बे वालों की दिक्कत दूर की जा सके। सभापति महोदय, दो नगर

(श्री हीरालाल आर्य)
पालिकायें हैं, इन्द्रगढ़ और मांगरोल। इनमें नल योजना पहले से है लेकिन टंकियां बहुत छोटी हैं जिनसे यहां के लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

टंकिया छोटी है, पानी कम मिलता है। गांव वालों के सामने पानी की समस्या रहती है। इसलिये, सभापति महोदय, आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो टंकियां हैं वह बड़ी क्षमता वाली बनाई जायें, ताकि गांव वालों को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इसी प्रकार पीपल्दा, अयाना, लुहावद तथा करवाड़ में नई योजना लागू की जानी चाहिए।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : मेरे इलाके की पीने के पानी की समस्या बहुत गम्भीर समस्या है। समय बहुत कम है इसलिये मैं यह सूची सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : आप मंत्री महोदय को दे दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाडी (सीकर) : सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव पाइराइट्स पर आधारित कारखाने के बारे में था। सभापति महोदय, पाइराइट्स का विश्व का सबसे बड़ा भण्डार सलादीपुरा (सीकर) में मिला है। 1979 में केन्द्रीय सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आई है कि 110 साल तक यहां कारखाना पूर्ण उत्पादन क्षमता से चल सकता है। केन्द्रीय सरकार ने 1980 में एक पायलट योजना स्वीकार की थी कि दो करोड़ रुपये की पायलट योजना प्रारम्भ की जाये। मेरे स्थगन प्रस्ताव के ऊपर सरकार से जानकारी मिली है कि सरकार अभी विचार नहीं कर रही है। सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि सरकार विचार नहीं कर रही है, यह शेखावाटी के साथ सौतेला व्यवहार है। पश्चिमी राजस्थान और शेखावाटी को राजस्थान से अलग मानते हैं, आज यह भावना काम कर रही है। माननीय सुखाड़िया जी ने कहा है कि खाद का कारखाना उदयपुर में लगना चाहिये। दूसरी ओर माननीय पहाड़िया जी पैट्रोलियम का कारखाना भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर में लगाना चाहते हैं। सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार ने जो कमेटी नियुक्त की है उसकी रिपोर्ट है कि सलादीपुरा में पाइराइट्स का विश्व में सबसे बड़ा भण्डार है, वहां पर खाद का कारखाना लगाया जाना चाहिये। यह केन्द्र सरकार की योजना है, केन्द्र सरकार ने कमेटी नियुक्त की है। उसकी रिपोर्ट आई है कि कारखाना वहां लगाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने दो करोड़ की पायलट योजना के रूप में स्वीकृति दी। उस स्वीकृति को भी यहां की सरकार ने रोक दिया है। सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के साथ राजनैतिक भेदभाव किया जा रहा है। यह कारखाना सीकर के अन्दर लगने वाला था। यहां विश्व का सबसे बड़ा भण्डार है। सीकर के अन्दर ऊन का कारखाना लगने वाला था, भीलवाड़ा में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चेन्ज कर दिया। झुंझुनूं में कारखाना लगने वाला था उसको चेन्ज कर दिया। पेपर इण्डस्ट्री सीकर में लगने वाली थी, उसको चेन्ज कर दिया। लाइम स्टोन का सौ दो सौ स्क्वायर मील का भण्डार है जिस के आधार पर नीम का थाना में सीमेंट फैक्ट्री लगने वाली थी। उसको भी हटा दिया गया। इसके अलावा, नमक का बहुत बड़ा उद्योग लगने वाला था। सिंचाई विभाग ने रिपोर्ट भेजी है लेकिन आज राजस्थान सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की जो नीति है शेखावाटी क्षेत्र को उपेक्षित रखने की, अगर यही नीति रही और शेखावाटी के साथ राजनैतिक भेदभाव किया गया तो मैं सरकार को सदन के मार्फत चेतावनी देना चाहता हूं कि हम नहीं चाहते कि उत्तेजना बढ़े लेकिन जैसे विदेह का आन्दोलन हुआ, आसाम में आन्दोलन हुआ उसी प्रकार एक जबरदस्त आन्दोलन होगा और उस आन्दोलन में राजस्थान की सरकार टूट जायेगी। सभापति महोदय, अगर भेद-भाव किया गया और राजनैतिक आधार पर काम किया गया, शेखावाटी क्षेत्र की उपेक्षा की गई तो वहां के मजदूर, वहां के विद्यार्थी, वहां के किसान आन्दोलन करने पर उतर आयेंगे फिर उस आन्दोलन को सहन करने की शक्ति इस राज्य में नहीं होगी। आज हम हरियाणा में जिधर भी जाते हैं हरा भरा नजर आता है, उद्योग धन्धे जगह जगह नजर आते हैं। उदयपुर और भीलवाड़ा में उद्योगों को लगाया जा रहा है, भरतपुर में सिमको और जिन्क के कारखाने हैं। जिधर भी राजस्थान के दूसरे हिस्सों में जाते हैं कुछ न कुछ वहां देखने को मिलता है तो सभापति महोदय, हमने कौन सा गुनाह किया है? शेखावाटी का जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा वीरों की भूमि है। 80 लाख लोग, जो आज भारत के बोर्डरों पर लड़ते हैं, में सबसे ज्यादा शेखा-वाटी के हैं, सबसे ज्यादा उद्योगपति हैं। वीरों की भूमि है, उद्योगों की भूमि है, खनिजों की भूमि है इसके उपरान्त भी यदि शेखावाटी के साथ भेदभाव किया गया और अगर राज-स्थान सरकार ने पाइराइट का कारखाना नहीं लगाया तो मैं सदन के मार्फत निवेदन करना चाहता हूं इस अधिवेशन के समाप्त होने पर एक जबरदस्त आन्दोलन शुरू किया जायगा। उस आन्दोलन से जो लपटें उठेंगी उनसे पहाड़िया जी की सरकार नहीं बचेगी। शेखावाटी के साथ भेदभाव का व्यवहार अब किसी प्रकार सहन नहीं किया जायगा चाहे पहाड़िया जी हों और चाहे सुखाड़िया जी हों। हम राजस्थान की धरती पर इस भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आन्दोलन से सरकार जल उठेगी और हम इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल): हमने पायलट योजना स्वीकार की थी ...

(व्यवधान)

... आपके जगदीश प्रसाद जी ने ही कहा था ...

(व्यवधान)

पूरी नहीं हुई तो मैं इस्तीफा देकर आ जाऊंगा। 200 करोड़ की पाइराइट की योजना थी, सल्फर से खाद बनाने की

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
योजना थी जो 200 करोड़ पर नहीं 400 करोड़ पर जाकर ठहरती…

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गोटेवाला जी, आपको कोई जानकारी तो है नहीं

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : पाइराइट के लिये सर्वे कराया गया था, मुझे सारी जानकारी है, मैंने देखा है। आप तो यहां केवल आन्दोलनों की धमकी देते हो…

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य । ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री गोपाल पचेरवाल !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने विरोध किया, अच्छी बात है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने विरोध नहीं किया है, मैं तो आपसे भी कहता रहता था, भैरोंसिंह जी, आपके हाथ में सत्ता आई है आप ही उस खाद के कारखाने को लगवा दें लेकिन जगदीश प्रसाद जी माथुर और आपके अन्तरविरोध ने शेखावाटी के डवलपमेंट को रोका था ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चाहे पहाड़िया जी की सरकार हो और चाहे सुखाड़ियाजी की हो कोई की भी हो… (व्यवधान) अब इस भेदभाव को नहीं चलने दिया जायगा…

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप तो अपने घर को सम्भालो…

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें ।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, जिला सीकर में नयाबास एक गांव है । 2-3 अगस्त की रात्रि में पुलिस के 700 जवान पहुंचे । वह जब वहां पहुंचे…

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : नामी चोरों का गांव है…

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : मैंने सुना नहीं क्या कहा आपने ? अगर गांव वाले चोर है तो…

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने यह नहीं कहा कि गांव वाले चोर हैं। रेल लूटने वाले रहते हैं। भैरोंसिंह जी अच्छी तरह जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो जानता नहीं और मुझे खेद है पूरे गांव को चोरों का बता रहे हैं

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य ।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय; माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने कहा चोरों का गांव है या चोर अधिक रहते हैं। मैं मानता हूं चोर वहां रहते होंगे, आपसे यह जानकारी मिली···

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बात न करें आपस में।

श्री गोपाल पचेरवाल : तो मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसे लोग हो सकते हैं, यह मैं मानता हूं लेकिन श्रीमन्, पुलिस के 700 जवानों ने उनको जाकर खदेड़ा और इस तरह लाठी चार्ज किया कि कइयों के बुरी तरह से चोटें आ गईं। मजदूरों को बुरी तरह से पीटा गया। उसके बाद 120 आदमियों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। 24 घंटे तक पुलिस ने उनको हिरासत में रखा। बाद में बिना किसी प्रक्रिया के···

(व्यवधान)

श्री सभापति : No interruption please.

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, ढाई लाख की चोरी हुई है और एक भी चोर नहीं पकड़ा गया···

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है चोरों को बचाने की कोशिश नहीं की जाय। मुझे जानकारी है, मैं सीकर जाकर आया हूं ढाई लाख की चोरी हुई है। उस परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हुई और थाने में ही जला दिया। चोर खाने के लिये बर्तन तक नहीं छोड़ते हैं। ढाई लाख की संगीन चोरी हुई है। माननीय सदस्य यह आरोप लगाते हैं कि सारे गांव वालों को पकड़ते हैं। मैं कहता हूं। हिन्दुस्तान में उस चोर का नाम मशहूर है। इस प्रकार····

(व्यवधान)

श्री सभापति: आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा निवेदन है अगर वह चोर है और वास्तव में उसने चोरी की है तो उसको सजा मिलनी चाहिये। अगर सजा नहीं देते हैं तो सरकार कमजोर है जो चोरों को सज़ा नहीं दे रही है···

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय, सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं मानता हूं कि वहां के लोग चोर हो सकते हैं लेकिन कांग्रेस वालों को वोट नहीं दिये इसलिये राजनैतिक विद्वेष से परेशान करना चाहते हैं। चोर हैं तो निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए और उन्हें पकड़ना चाहिये। इस तरह मां-बहिनों के साथ बलात्कार सहन नहीं किया जायेगा चाहे कोई भी आदमी हो। सभापति महोदय, उस गांव में सारे मीणा जाति के लोग रहते हैं। उन्होंने इनको वोट नहीं दिया इसलिये उनको चोर बताना चाहते हैं··

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला :··· जे लोग चोरी करने में होशियार है

(व्यवधान

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, वहां के लोग चोर है तो फिर एक ही आदमी को क्यों गिरफ्तार किया गया, बाकी के लोगों को क्यों छोड़ दिया गया ··

(व्यवधान)

गोटेवाला जी, आपको सही जानकारी तो है नहीं, बीच बीच में बोलते है ···

श्री धीराम गोटेवाला : मैं गया हूं, सारी जानकारी भी मेरे पास है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सदन के पुराने सदस्य हैं, इस तरह व्यवधान न डालें।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं निवेदन कर रहा था ऐसे चोरों को निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिये। अगर आप में दम है, सरकार में दम है तो उन्हें पकड़ें लेकिन आप सक्षम नहीं हैं, आप उन्हें पकड़ नहीं सकते है। चोरों को पकड़ने के बजाय पुलिस गरीबों को फंसा रही है। पुलिस के अधिकारी केवल मात्र गरीबों को फसा कर जो सही चोर है उसको बचाना चाहती है। आप होश में हैं या नहीं, मुझे पता नहीं लेकिन

(व्यवधान

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे होश-हवास की आवश्यकता नहीं है। मैं तो हास्पिटल में जाकर बात करके आया हूं ···

(व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है पुलिस वाले जो सही चोर हैं उसको बचा रही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरी जानकारी में है, एस. पी. ने उन्हें पकड़ने का भरसक प्रयत्न किया है और कार्यवाही भी हुई है ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। समाप्त करें, माननीय सदस्य। **अब आपने अपनी बात विस्तार से कह दी है** ~

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं निवेदन करूं ···

श्री सभापति : अब आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

सरकार की जानकारी में अपनी बात ला दी। आपको वाद-विवाद में जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपने अपनी बात कह दी। माननीय सदस्य बीच में कुछ कहना चाहते हैं, इनको भी कहने दें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने अपनी बात कह दी। उनके साथ, गांव के साथ कुछ ज्यादती की, उसको सरकार की जानकारी में ला दिया, उसको आगे बढ़ाने से लाभ क्या होगा। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं कुछ लम्बा नहीं कह रहा हूं। मैं जो कह रहा था, उसका कहने का तात्पर्य यह था कि 43 लोगों को मारपीट के बाद बिना उनकी मैडिकल जांच करवाये, बिना किसी क्रिया के गिरफ्तार नहीं दिखाया गया और उनको अकारण छोड़ दिया गया। दूसरी बात, जो गांव में जाकर गिरफ्तार करना था किसी मुल्जिमान को तो यह कोई तरीका नहीं था कि गांव वालों को चारों तरफ से घेरकर रात में पुलिस का नंगा नाच चलता रहा।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर): माननीय सदस्य, कोई नंगा नाच नहीं हुआ है

(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज। Please sit down। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया व्यवधान न डालें, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह कहने दीजिये। पुलिस की जो जांच प्रक्रिया है वह करे। कोई लाभ नहीं है इस तरह इन्टरप्शन करने से•••

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का मसला है। इस प्रकार से चोरियों हो रही हैं। उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसकी जानकारी भी····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मन्त्री महोदय की जानकारी में, सक्षम अधिकारियों की जानकारी में अपनी बात ला सकते हैं। कई सदस्य बोल रहे हैं, तो इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकेगी अतः मैं निवेदन करूंगा कि अपनी बात समाप्त कर लें

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं मौके पर जाकर जांच करके आया हूं ··

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में व्यवस्था दी गई है पहले कि कोई भी एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया जायेगा उस पर सरकार से जानकारी मांगी जायेगी तब सरकार वक्तव्य देगी। दूसरे इस तरह के एडजोर्नमेन्ट मोशन हैं, जिन पर सदन में सरकार वक्तव्य तो नहीं देगी लेकिन बोलने की अनुमति दी जायेगी। तीसरे इस तरह के हैं जो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिये जाते हैं और जिन पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसी व्यवस्था पहले दी जा चुकी है। अभी शासन की तरफ से श्री गोपाल पचेरवाल को, माननीय अध्यक्ष महोदय, इजाजत दी गई कि वे इस विषय पर विचार व्यक्त करें। इस विषय पर ही नहीं कोई भी माननीय सदस्य, चाहे इधर के हो, चाहे उधर के हों स्थगन प्रस्ताव चाहे इधर के सदस्यों ने रखे हों चाहे उधर वालों ने रखे हों के अगर बोलने में बाधा पैदा की जाती है तो मैं समझता हूं कि यह

(श्री नाथूसिंह)

केवल कार्य में बाधा डालना ही नहीं है; हमारी इन्सल्ट है और मैं कहना नहीं चाहूंगा यह आसन की इन्सेल्ट है। इसलिए मैं चाहूंगा......

श्री सभापति : मैं आपका सहयोग चाहूंगा। आपने सदन की नालिज में यह बात ला दी है, माननीय पचेरवाल, समाप्त करें। कृपया शीघ्र समाप्त करें अपनी बात।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं तो बहुत जल्दी कर रहा हूं, श्रीमान्। बार बार व्यवधान वे कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो कहा, मैं उनकी भावना से सहमत हूं कि उनके गांव में चोरी हुई है। वह उसे अपना क्षेत्र बता रहे हैं। उनका क्षेत्र तो श्रीमाधोपुर है, श्री माधोपुर में चोरी हुई होगी मैं तो नीम का थाना की बात कह रहा हूं। अगर माननीय सदस्यों की, सत्तापक्ष के लोगों की धारणा-बन गई है कि उस गांव में जितने भी मीणा समाज के लोग रहते है वह सारे चोर हैं इसलिए उस सारे गांव को चोर बता रहे हैं, तो यह कहां तक सही है, श्रीमान् ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : वहां भारत के लोग रहते हैं, वहां अल्पसंख्यक जाति के लोग रहते हैं, वहां अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। वे इस तरह की बात कहते हैं कि वे सारे लोग चोर हैं, सारा गांव चोर है तो यह बरदाश्त करने योग्य बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : माननीय सभापति महोदय, जब वहां की पुलिस को इस बात का पता चला तो पुलिस को मजबूर होकर कार्यवाही करनी पड़ी। वहां चोरी खुलने की पूरी सम्भावना है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदय, मुझे वह दिन भी याद है जब माननीय कमला जी राज्य मन्त्री गृह थीं तब सैन्टर सांचौर में एक मीणा व्यक्ति को मरवा दिया गया था। इसी सरकार के जमाने में वह नंगा नाच हुआ। वही उस गांव के साथ करना चाहते हैं, वह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा चाहे यह सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। कमला जी जब राज्य मन्त्री गृह थीं तब भी एक व्यक्ति को मरवाया गया था, इसी तरह से मारा गया था। वहां जो मीणा जाति के लोग रहते हैं, उनको चोर बताकर गांव को बर्बाद करना चाहते हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

यह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि उन गरीब लोगों के साथ, मीणा जाति के लोगों के साथ अत्याचार किया जायेगा तो मैं चुप बैठा रहने वाला नहीं हूं, श्रीमन्। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा सरकार को कि जो दोषी लोग हैं, उनको सजा दी जानी चाहिये। अगर इस तरह गरीब लोगों के साथ पुलिस का नंगा नाच चले, वहां की मां बहिनों के साथ मारपीट की जाय, मासूम बच्चों पर लाठीचार्ज किया जाय और गरीब लोगों को मारा जाय तो इसकी

Page No. 45

(श्री गोपाल पचेरवाल)
न्यायिक जांच की जानी चाहिये। वहां के एस. पी. जो हैं, पुलिस अधीक्षक हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए उनको निलम्बित किया जाना चाहिए। वहां के लोगों के साथ निर्मम मारपीट की गई, जान बूझकर पिटाई की गई है। पुलिस ने बिना प्रक्रिया के जिन लोगों को गिरफ्तार करके छोड़ दिया है, यह गलत है, उनकी जांच की जानी चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री मोहनलाल जाट (कपासन): माननीय सभापति महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं•••

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। स्थगन प्रस्तावों के बारे में व्यवस्था यह है कि जिन्हें माननीय अध्यक्ष महोदय रिजेक्ट करते हैं उन पर बोल सकते हैं। आपके क्षेत्र में चोरी हुई है, आपके क्षेत्र का मामला है यह भी कहा होगा। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा•••

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सभापति महोदय, नजदीकी मामला है।

श्री सभापति : इनके क्षेत्र की चोरी का क्या नतीजा निकलेगा ?

(व्यवधान)

नहीं, माननीय सदस्य, मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्य, मैं अंकित नहीं होने दूंगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री सुखलाल संगचा, श्री हरेन्द्र मिर्धा, सदस्य विधान सभा कुचामन

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जब स्थगन प्रस्तावों के ऊपर व्यवस्था दी तो मेरा भी स्थगन प्रस्ताव भीलवाड़ा में बिजली की समस्या के बारे में था जब कि उन्होंने बताया कि बिजली की कमी है। कापियां दी हैं, एक कापी मेरे पास थी, वह आपके सम्मुख रखी थी। उसमें लिखा है स्पष्ट रूप से बिजली की समस्या के विषय में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डग में आये दिन बिजली जाती रहती है। माननीय सभापति महोदय,••••

(व्यवधान)

3-3, 4-4 दिन बिजली नहीं आती। बिजली से ही पेयजल का सम्बन्ध है, इससे वहां के लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चक्कियां नहीं चलने से वहां के लोग••

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इससे कोई लाभ नहीं निकलने वाला है। रिजेक्ट कर दिया ••

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज !

श्री बालचन्द आर्य वीर: एक सदस्य को पेयजल की समस्या के ऊपर बोलने का अवसर दे दिया••••

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। आप इस तरह से आसन के आदेशों का

(श्री सभापति)
उल्लंघन करें, यह कहां तक उचित है? अध्यक्ष जी ने रिजेक्ट नहीं किया है। अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है, इन स्थगन प्रस्तावों पर कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। आसन की ओर से क्या व्यवस्था होगी मैं इस बारे में कहने में असमर्थ हूं। आसन से कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, इसलिए मैं माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत देने में असमर्थ हूं। कोई लाभ नहीं होगा, माननीय सदस्य। इस बारे में कोई व्यवस्था करेंगे अध्यक्ष जी। उन्होंने इसे पेंडिंग रखा हुआ है। आप उनसे चेम्बर में मिल लीजिए और जो बात है उसको...

(व्यवधान)

माननीय उजला जी!

श्रीमती उजला अरोड़ा: माननीय सभापति महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव रखा था। वह इस सम्बन्ध में था कि जयपुर में पिछली 11 तारीख से जब से हड़ताल टूटी है तब से सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया था।

श्री सभापति: अध्यक्ष जी ने कोई व्यवस्था नहीं दी, मुझे मालूम है। फिर भी आप कह लीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा: मैं आपके माध्यम से सम्बन्धित विभाग के मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाह रही थी, यद्यपि वे यहां हैं नहीं। मैं यह कहना चाह रही हूं कि कल ईद है। ईद का समारोह हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही तबकों के लोगों का त्यौहार है। ईद ऐसे महत्व का त्यौहार है जिस तरह दीवाली और अन्य त्यौहार होते हैं। इस प्रकार के त्यौहारों को सब लोग सामुहिक रूप से मनाया करते हैं। मैं पिछली 28 तारीख से चिन्तित थी। शहर में जहां जहां गयी हूं, वहां वहां गंदगी का ढेर हर जगह दिखायी देता है। एक सड़क पर एक ही नहीं, थोड़ी थोड़ी दूर पर कचरे के ढेर नजर आते हैं। मिट्टी बह कर आयी है। कीचड़ वहां बहता दिखायी देता है। वहां कचरे का पानी उबलता हुआ नजर आता है। 29 तारीख को मैंने सम्बन्धित अधिकारी, कमिश्नर और जो प्रशासक हैं, उनका ध्यान आकर्षित किया कि जयपुर में सफाई की सुचारु व्यवस्था शीघ्र करें। ईद आने वाली है इसलिये आप सफाई की व्यवस्था करें। 15 दिन बचते हैं तो 15 दिन में आप सफाई करवा लेंगे तो एकदम दिक्कत नहीं आयेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैंने 5 तारीख को दोनों ही अधिकारियों से फिर निवेदन किया कि जगह जगह जो मलबे के ढेर पड़े हैं उन में मरे हुए जानवर पड़े हुए हैं, उसको समुचित व्यवस्था करके शीघ्र उठवाये। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि हम शीघ्र उठवा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, फिर 8 तारीख को जो प्रशासक महोदय हैं...

(व्यवधान)

श्री सभापति: आप आरम्भ रखें, माननीय सदस्या। आसन तो कोई कंसल्ट कर रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा:... मैंने आग्रह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

किया और उनके घर पर जाकर कहा कि यह व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने मुझे कहा कि मैं सब व्यवस्था करा दूंगा। लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं हुई है। मैंने कल भी निवेदन किया था, परसों वे मेरे साथ जाने वाले थे लेकिन नहीं गए। मेरा यह आरोप है कि नगर परिषद जयपुर इस बात पर कोई तवज्जह नहीं दे रहा है। मेरे क्षेत्र में ईदगाह बहुत बड़ा क्षेत्र है वहां पर जयपुर के मुसलमान रहते हैं। कल वहां पर ईद की बहुत बड़ी नमाज पढ़ी जायेगी। मैं कहना चाहती हूं कि कल इतने बड़े त्यौहार के अवसर पर लोग नए कपड़े पहनकर जायेंगे तो उन पर गन्दे छींटे पड़ेंगे। गन्दगी रास्ते में होगी तो वे बाहर नहीं निकल सकेंगे। कल ईद भी है और तीज का त्योहार भी है। इस अवसर पर अगर जयपुर नगर परिषद द्वारा सफाई नहीं कराई गई तो उसके बारे में...

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, हम अपने घर का कूड़ा कचरा साफ करते हैं, अधिकारी वर्ग भी अपने घर का कचरा साफ करते हैं लेकिन शहर भी तो अपना ही है, अपना घर है इसकी सफाई पर तवज्जह क्यों नहीं दी जाती है ? अधिकारी लोग सो रहे हैं। अखबारों में आ गया है। घर पर जाकर हम उनसे प्रार्थना करते हैं। क्या बार बार हमें उनकी चाकरी बजानी पड़ेगी ? क्या उनका कुछ भी कर्तव्य नहीं है ? वे तनख्वाह किस बात की उठाते हैं ? उनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। उनको ताड़ना दें आप कि इतने दिनों में सफाई क्यों नहीं कराई गई जयपुर में ? शहर में कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। हैजा और आंत्रशोथ की बीमारी हो सकती है

श्री सभापति : अब समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं, सभापति महोदय, निवेदन करती हूं कि यह बहुत गलत तरीका है सरकार का। वे कहते हैं कि 45 ट्रक सुबह उठाते हैं, 15 ट्रक शाम को उठाते हैं और 10 ट्रक रात के वक्त उठाते हैं। तो आखिर वे जाते कहां है। क्या उन पर कोई निगरानी नहीं है

श्री सभापति : अब समाप्त करें, माननीय सदस्या। बहुत हो गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ट्रकों की संख्या का कौन हिसाब रखता है ? कहां से कचरा उठाते हैं

श्री सभापति : माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा: माननीय सभापति महोदय, मेरे दिल में बहुत आक्रोश है इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं...

श्री सभापति : अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मुझे इतना आश्वासन दिला दें कि आज रात तक सफाई की व्यवस्था हो जाएगी। जयपुर में कल बहुत बड़ा त्यौहार है। अगर सफाई नहीं होगी तो जयपुर के नागरिकों

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
में बहुत उत्तेजना होगी इसलिए मेहरबानी करके इतनी ताड़ना तो अफसरों को दिलायें और आप उ से पूछें तो सही कि अभी तक सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

श्री सभापति : आप स्थान तो ग्रहण करें, माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो स्थान ग्रहण करती हूं ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था...

श्री राजबहादुर : सभापति महोदय, इस प्रश्न का उत्तर तो आना चाहिये। बहुत अर्जेन्ट मैटर है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने इसको सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा है। लेकिन आसन ने माननीय सदस्या के आग्रह पर दो मिनट कहने की इजाजत दी है। आपके प्रस्ताव को सरकार के पास जानकारी के लिये भेजा गया है ।

श्री राजबहादुर : जांच काफी नहीं है, काम ही काफी हो सकेगा ।

श्री सभापति : माननीय सदस्या ने एक बात उठाई है। सरकार से जानकारी चाही गई है कि क्या स्थिति है ?

श्री राजबहादुर : उन्होंने बड़ा अच्छा कर्तव्य निभाया है इस बीच । पहिले से स्थिति बहुत खराब है और खराब हो जावेगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आॅर्डर आॅर्डर !

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : माननीय सभापति महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था "

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज। No no माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि आपके स्थगन प्रस्ताव पर कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। क्योंकि आपका स्थगन प्रस्ताव आॅर्डर में नहीं था। आप आॅर्डर में जब देंगे तब उस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी जा सकेगी। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकिशोर मीणा : सभापति महोदय, ग्राम पदमपुरा की ढाणी में पुलिस द्वारा मीणों को परेशान किया जा रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के रिश्तेदारों के इशारों पर लोगों को परेशान किया जा रहा है...

श्री सभापति : अंकित नहीं हो ।

श्री रामकिशोर मीणा : × × ×

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपको अवसर नहीं दूंगा। आप स्थान ग्रहण करें...

श्री रामकिशोर मीणा : × × ×

श्री सभापति : आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, आसन को कठोर रुख अपनाना होगा । मैं आपको चेतावनी देता हूं...

× × × माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री रामकिशोर मीणा : × × ×

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

माननीय जोशी जी !

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): माननीय सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव कोटा की इतिहादे वाहमी संस्था की गतिविधियों के बारे में था । कोटा नगर में पिछले तीन महीनों से इतिहादे वाहमी संस्था द्वारा''''

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें । यह सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा गया है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि''''

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : राज्य सरकार से मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि कल कोटा में ईद का सबसे बड़ा त्यौहार है। वहां पर इतिहादे वाहमी वाले साम्प्रदायिक सौहार्द के वातावरण को समाप्त करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार अगर इस प्रश्न को महत्व नहीं देगी तो उस स्थिति में'''

श्री सभापति : मैं आपकी भावना से सरकार को अवगत करा दूंगा । आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : इतिहादे वाहमी की गतिविधियों के कारण से कल की तारीख में कोटा में किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इसको गम्भीरता से ले । कल दो बहुत बड़े त्यौहार हैं । एक तो ईद का त्यौहार और दूसरा तीज का त्यौहार है

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब स्थान ग्रहण करें, । ऑर्डर प्लीज ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कुचामन सिटी के किसानों पर विद्युत् अधिकारियों के कहने पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री सुखलाल सैंणचा और हरेन्द्र मिर्धा, कुचामन सिटी के किसानों पर विद्युत् अधिकारियों के कहने पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज एवं गलत मुकदमे लगाये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने जो बात रखी थी और आपने मुझे यह आश्वासन दिया था''

श्री सभापति : मैं आपकी बात को सरकार तक पहुंचा दूंगा, माननीय सदस्या ।

श्री सुखलाल सैंणचा !

श्री सुखलाल सैंणचा (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछली 30-12-79 को

(श्री सुखलाल सैणचा)

और 14-1-80 को कुचामन के अन्दर किसानों और पुलिस के बीच जो मुठभेड़ हुई उसके अन्तर्गत काफी किसानों पर मुकदमे बनाए हुए हैं। उस सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, दिनांक 30-12-79 को वहां पर कृषकों की एक मीटिंग बुलाई गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली रबी की फसल के समय बिजली की सारे राजस्थान में अव्यवस्था थी इससे किसान काफी उग्र रूप धारण किए हुए थे। वह समस्या बनी हुई थी क्योंकि बिजली की अव्यवस्था के कारण किसानों की रबी की फसल की सिंचाई नहीं हो रही थी। इसलिए किसान एक जगह इकट्ठे हो करके यह बात करना चाहते थे कि इस समस्या से किस प्रकार से निपटा जाय। सभापति महोदय, उन्होंने 14-1-80 को पुनः मीटिंग बुलाई उसकी सूचना पुलिस को भी दी थी परन्तु, सभापति महोदय, जब वह मीटिंग हो रही थी तब उस मीटिंग के अन्दर एक पुलिस के अधिकारी श्री भूरसिंह ने एक किसान को

(1.00 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, अध्यक्ष, पीठासीन)

धक्का मार दिया इस कारण वहां का वातावरण काफी उग्र हो गया। इस बीच के अन्दर पुलिस और बिजली के कर्मचारी जो थे वे बिजली घर की दूसरी मंजिल पर पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर अपना बचाव किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि यह झगड़ा जो हुआ था यह प्रकृति की देन था। इस प्रकार की बिजली की अव्यवस्था होना और किसानों का उग्र रूप धारण करना और पुलिस के बचाव के लिए जो भी कार्यवाही की गई वह सब हुई है। इसलिए इस सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह छोटी सी घटना थी जिसमे 307 और 395 आई. पी सी. के अन्तर्गत केस बना कर काफी किसानों के ऊपर कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। किसान काफी परेशान हैं। काफी व्यक्तियों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए हैं। वहां पर अश्रु गैस का प्रयोग भी किया गया था। तीन तीन, चार चार मील के एरिया में जो किसान काम करते थे उनको बुला कर मुकदमे दर्ज किए गए थे तो मैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के राज के पहिले की यह घटना है। किसानों ने इस राज के अन्दर इस बात को महसूस किया है कि इंदिरा कांग्रेस की सरकार आई है, इस सरकार द्वारा इस प्रकार की समस्या खतम होगी। हम भी इस बात को करना चाहते हैं कि इस प्रकार के छोटे मुकदमें पहले की अव्यवस्था के कारण, अधिकारियों की अव्यवस्था के कारण गांवों के अन्दर लगाये हैं। मैं राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में अपील करता हूं और मांग करता हूं कि उन मुकदमों को धारा 321 के अन्तर्गत विथड्रा करने हेतु कार्यवाही करवायें। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां): अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं इस सम्बन्ध में सही जानकारी आप तक

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)
पहुंचा दूं। पहले रबी की फसल के समय बिजली की कमी थी, कमी के साथ-साथ अधिकारियों द्वारा जो अव्यवस्था इलाके के अन्दर फैलाई हुई थी, उससे किसान लोग ज्यादा प्रभावित थे, न कि बिजली की कमी से। 30-12-79 को हमारे यहां किसानों ने एक मीटिंग का आयोजन करने का नोटिस निकाला। पार्लियामेंट के चुनाव थे, इस वजह से वह मीटिंग उस दिन नहीं रख कर उन्होंने 14-1-80 को कॉल की। मीटिंग के अन्दर करीब पांच-छः सौ किसान आये थे। पावर हाउस आकर बिजली अधिकारियों से बातचीत की। बिजली अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा के लिये 5-6 पुलिस अधिकारियों को बुला लिया। बातचीत शांतिपूर्ण वातावरण में चल रही थी, ए. एस. आई. भूरसिंह, जो वहां पहले हैड कान्सटेबल था, का शिकायतों के कारण ट्रांसफर हो गया था, जनता शासन में, वह वापस प्रमोट होकर उस थाने में आ गया। उसने एक किसान के डन्डे की मारी। डन्डे के मारने के उपरान्त किसान लोग भड़क उठे। मारो मारो, यह तो मार रहे हैं, इस तरह से उन्होंने हल्ला किया। पुलिस वाले और बिजली वाले कर्मचारी दूसरी मंजिल पर चले गये बाद में झूठे सच्चे मुकदमें बनाये। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मेडिकल रिपोर्ट पुलिस वालों ने बिजली वालों की ओर से ली और उन्होंने जो सेक्शन लगाये 307 और 395 वह 307 और 395 संगीन जुर्म के बनते हैं। इस हिसाब से पुलिस वालों को सर्वोपरि पावर्स दे रखी हैं। अगर ऐसी बात नहीं तो दूसरी बात है। यह तो आदमियों की जो रिपोर्ट है उसमें पहले आदमी के लिये लिखा है, डॉ. की रिपोर्ट है, पहले इसमें :— "Patient complains of pain over right foot," यानि उसमें कोई मार्क नहीं है। "Patient complaint of pain in neck." बस यह तीन सर्टिफिकेट हैं। दूसरा सर्टिफिकेट है उसमें सिम्पल ब्लन्ट, तीसरा है उसमें सिम्पल ब्लन्ट, चौथे में सिम्पल ब्लन्ट, पाँचवे में सिम्पल ब्लन्ट और छठे में सिम्पल ब्लन्ट, सातवां सिम्पल ब्लन्ट, आठवे में सिम्पल ब्लन्ट और नवें में सिम्पल ब्लन्ट है। यह 14 तारीख का किस्सा है। 307 और 395 जैसी मोटी-मोटी धारायें लगाकर के करीब 15-20 आदमियों पर केस कर दिया। जिस की इत्तिला किसानों ने मुझे तार द्वारा दी। उसमें उन्होंने लिखा, सब डिवीजन कुचामन, सब डिवीजन के कृषकों को एक मार्च से विद्युत नहीं। और 14 व्यक्तियों की कृषकों के साथ मारपीट, आवश्यक कार्यवाही हेतु। सूचना समस्त किसान।

यह तार मुझे 15 तारीख को मिला। 15 तारीख को मैं और मेरे पड़ोस के श्री अब्दुल अजीज, जो कि मकराना के एम. एल. ए. थे, दोनों शाम को वहां पर पहुंचे। मेरे वहां पर पहुंचने पर एस. पी., कलेक्टर, चीफ इंजीनियर, बिजली बोर्ड और पुलिस के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी, ये सारे वहां पहुंच गये थे। जिला प्रशासन पहले से ही किसान से असन्तुष्ट था क्योंकि पार्लियामेंट के चुनावों के अन्दर हम सब लोगों ने वोट नाथूराम मिर्धा को दिये थे। जिला प्रशासन यह चाहता था कि जो जनता पार्टी का केन्डीडेट था उसको जिताने के हिसाब से देवें।

Page No. 52

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)
इसी का नमूना था, उन्होंने डांगावास के अन्दर 307 के सैक्शन का प्रयोग करके 100-50 किसानों को उल्टा फंसाया था और फिर वहां जयपुर आने पर 307 के सैक्शन को हटा दिया। मगर हमारा दुर्भाग्य है कि जो 307 और 395 को हटाना था वह नहीं हटा सके।

श्रीमान्, इस हिसाब से उन्होंने क्या किया, अजमेर, सीकर और नागौर के जितने भी बिजली बोर्ड के कर्मचारी, छोटे लाइनमैन थे, वे 15 तारीख की शाम को वहां इकट्ठे हो गये थे बिजली बोर्ड के ट्रकों से। उन्होंने सारी बिजली बन्द कर दी। बिजली बन्द करने से किसानों ने सोचा, गांव में चलने से क्या फायदा है। वह किसान लोग बिजली बोर्ड के सामने बैठे रहे। पूरी रात उन्होंने वहीं निकाली। दूसरे दिन सुबह उनको चीफ इन्जनीयर और दूसरे चीफ ने बुलाया। उन्होंने कहा कि इनमें से 5-7-10 आदमी आ जायें और हमारे से बात करें। क्या बात हुई, क्या नहीं ? दूसरे दिन, श्रीमान्, वह बात करने गये। जैसा कि एफ. आई. आर. में दर्ज है कि श्यामसुन्दर व्यास ने एकत्रित भीड़ के नुमाइन्दे से(व्यवधान)तो इन 5-7-10 आदमियों को बुलाया और उनसे बातचीत की। उन्होंने यह कहा, साहब हल ठीक है, जो बिजली है उसको आप चालू करें। उसके बाद जो भी हो, जैसा करना हो करें और यह जो झूठा केस बनाया है, वह विथड्रा करें। उस दिन के उन्होंने 15 आदमियों के मैडिकल्स लिये हैं। जिसके अन्दर भी सिम्पल ब्लन्ट,सिम्पल ब्लन्ट, सिम्पल ब्लन्ट है करीब 15 आदमियों के आर.ए.सी. के और पुलिस के जवानों के उन्होंने जो मैडिकल कराये सबके सिम्पल ब्लन्ट हैं। उस दिन 307 का मुकदमा एड करके करीब 67 आदमियों को तीन तीन,चार चार मील दूर से गिरफ्तार करके वहां लाये हैं। श्रीमान्, फिर शाम को करीब नौ बजे मैं और अजीज वहां पहुंचे, एस. पी. कलेक्टर, चीफ इन्जीनियर सब बैठे हुए थे उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा, हम क्या करें, यह सारी हालत है। हमने कहा, बिजली तो चालू करो, यह फसल का सीजन है। उन्होंने कहा हम किस हिसाब से चालू करें।

श्रीमान्, मैंने उनकी यूनियन वालों को विश्वास दिया था कि कोई किसी तरह का खतरा होगा तो हम जिम्मेवार होंगे तो दूसरे दिन बिजली चालू की। उसके उपरान्त हमने उन लोगों से कहा कि हमें लोगों से मिलने दो ताकि मालूम हो कि क्या बात है, क्या नहीं है। न तो किसी को मिलने दिया न रात को काश्तकारों को पानी दिया। थाने ले जाकर बुरी तरह से पीटा। कोई पानी मांगता था तो पुलिस वाले कहते थे, पेशाब पिओ। इस प्रकार उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। बेचारे काश्तकार, जो पेशियों में आये थे, गिरफ्तार कर लिये गये। चार चार मील दूर से लोगों को गिरफ्तार किया और 307 और 395 का संगीन केस लगाया। मेडिकल रिपोर्ट से 307 का केस बनता तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लगाना चाहिये था। मगर 307 लगाया क्यों ? क्योंकि उनके लिये तो एस. आर. केस हो जाता है और उसके हिसाब से मेड़ता और सैशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पीछे फिरा करते। फिर, श्रीमान, जनता शासन के अन्दर मिनी मुख्य मंत्री कालवी

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

साहब थे, मैंने उनसे बात की कि किसानों के साथ ऐसा मामला हुआ है। उन्होंने कहा, ठीक है। मैं आई. जी. से मिला, मैंने सारा केस बताया, मेडिकल की रिपोर्ट बतायी और कहा अगर 307 का केस बनता है तो कोई एतराज नहीं है। हम आप से यह नहीं कहते हैं कि हमको माफ करो। हम गये थे बिजली मांगने। बिजली तो नहीं दी उल्टे डण्डे बरसाये गये, हमारे साथ मारपीट की गई और फंसाया जा रहा है। इस तरह से अन्याय मत करो श्रीमान्, हमारी किसी ने नहीं सुनी। आई. जी. ने जरूर यह कहा, 307 और 395 का केस बनता नहीं है, मैं उनको वायरलैस मैसेज कर दूंगा कि इस हिसाब से 307 और 395 हटा लें। हमने कोशिश की कि इसकी जांच सी. आई. डी. से करवायी जाये। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और उसी थाने में जांच के लिये भेज दिया। हम इस उम्मीद में थे कि जो केस 307 और 395 का है, उसे हटाने के लिये बड़ी ऑथोरिटी ने आश्वासन दे दिया, वह हट जायेगी। पार्लियामेन्ट के चुनाव के बाद हम हमारे हिसाब किताब में लग गये। अब, श्रीमान्, जब विधान सभा के चुनाव आये, उसके बाद में यहां आये थे; हमें मालूम हुआ 307 और 395 जैसे के जैसे हैं। उसी सैक्शन में चालान करने की कार्यवाही हो रही है। मैंने यहां आकर आई. जी. और एडीशनल आई. जी. से बात की। कहा मैंने, ऐसी बात है, आपने पहले फर्माया था यह सारे सैक्शन हटा देंगे, मगर नहीं हटाये गये और इन्हीं सैक्शन में हमारा चालान हो रहा है।

श्रीमन्, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, यह मैं नहीं कहना चाहता। मगर यह नहीं हुआ, एक मुकदमे का यह कहकर कि 15 आदमी मफरूर हैं, कोर्ट के अन्दर चालान कर दिया, जब कि सारे आदमी मुअजिज हैं, सबके कुएं हैं, सबके मकान हैं, सारी सम्पत्ति है। वे सारे के सारे एमिनेन्ट हैं वहां मिले, 25 तारीख को मैं भी मिला था, 30 तारीख के पहले पहले यह चालान 299 में कर दिया कि यह सारे मफरूर हैं और इनका चालान पेश कर रहे हैं। 68 आदमी पहले गिरफ्तार हुए थे, सारी बात की थी लेकिन अब उन्होंने सोचा, कांग्रेस की गवर्नमेन्ट आई है, हो सकता है किसी हिसाब से मानवीय रुख अपना करके केस को विथड्रा करने की कोशिश करें। इस तरह से यह मामला इस हिसाब से पुलिस में दे दिया। दूसरा मामला पहले से ही चल रहा है जिसमें 70 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था वह अभी तक चल रहा है।

श्रीमान, आज यह हालत हमारी है और हम पर अन्याय हो रहा है। न तो बिजली की हालत सुधरी है और न ही पुलिस का स्टाफ हटा है। मैंने पिछली बार भी यह सवाल रखा था कि हमारी ये पैंडिंग एप्लीकेशन्स हैं तो जवाब में 199 एल. फार्म दिए हुए हैं जिनको आज दस महीने हो गये। उनमें से जनवरी के बाद 19 कनेक्शन हुए। 180 कनेक्शन आज भी पैंडिंग पड़े हुये हैं और दो महीने बाद फिर वही हालत होने वाली है। किसानों ने 10-15 हजार की कीमत का सामान घर पर डाल रखा है लेकिन बिजली वालों को कोई परवाह नहीं है कि उनको बिजली दी जाय। मैं चीफ इन्जीनियर से, मन्त्री

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

जी से, गृह मन्त्री जी से और चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिला और कहा कि इसमें आप करना क्या चाहते हैं ?

तो मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन है कि तत्काल बिजली का स्टाफ हटाया जाय, पुलिस वालों ने अपनी मर्जी से 307 के केस बनाए हैं। अगर मैडिकल रिपोर्ट से 307 का केस बनता है तो मैं कभी नहीं कहता। अगर मैडिकल रिपोर्ट से 307 बनता हो तो बनाइये लेकिन यह तो एफ. आई. आर. में भी नहीं है। अपने आप बिना हिसाब से अपनी बपौती समझ कर गरीब किसानों को मारने की कोशिश की है वे मुकदमें कितने झूंठे हैं, कितने सच्चे हैं। आखिर हम भी इलेक्शन लड़कर आये हैं। एक तो मैं कहता हूं कि पुलिस और बिजली कर्मचारियों द्वारा बनाये गये ये मुकदमे हटाये जायं और दूसरे हमारे जो बिजली के कनेक्शन बाकी हैं आज तक के, उनको देने की जल्दी व्यवस्था करें और तीसरे जो किसान वहां गये थे, बिजली मांग रहे थे उन पर डण्डे दरसाये गये और जिनके साथ लाठियों से मार पीट की गई बिना हिसाब, वे यह अपेक्षा करते हैं कि मानवीय दृष्टिकोण अपना कर काम लें तो आपकी वाह वाही होगी। जनता सरकार ने तो दिखा दिया अब आपको दिखाना बाकी है कि किसानों के साथ आपकी कैसी सहानुभूति है। अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री रामपाल उपाध्याय : (उप मन्त्री गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जिस बिन्दु पर ध्यान आकर्षित किया है। इस बारे में मेरा निम्न निवेदन है।

दिनांक 14-1-80 को कुचामन जिला नागौर में बिजली उपभोक्तागण द्वारा एक रैली निकाले जाने के सम्बन्ध में दिन के 12 बजे कुचामन पावर हाउस पर व्यक्तियों की एक भीड़ एकत्रित होने लगी। 12॥ बजे तक वहां पर करीब 600-700 व्यक्ति इकट्ठे हो गये। उन लोगों के पास लाठियां थीं। वे लोग बिजली कटौती के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद भीड़ उग्र हो गई जिनको सहायक अभियन्ता बिजली विभाग ने समझाने का प्रयास किया परन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उग्र प्रदर्शनकारी सहायक अभियन्ता के गले में मफलर का फन्दा डालकर भीड़ के बीच में ले गये और उनके साथ मारपीट की। सहायक अभियन्ता कार्यालय पर शांति व्यवस्था हेतु नियुक्त पुलिस कर्मचारियों ने उग्र प्रदर्शनकारियों को समझाया परन्तु वे इस पर नहीं माने और पुलिस वालों पर भी हमला किया। इस पर बिजली विभाग व पुलिस के कर्मचारियों ने बिजली विभाग के कार्यालय में शरण ली और किवाड़ बन्द कर दिये। उग्र प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के कार्यालय के किवाड़ खोलकर कार्यालय के अन्दर प्रवेश किया और वहां पर भी सहायक अभियन्ता के साथ मारपीट की तथा पुलिस के सहायक उप निरीक्षक के कन्धे पर लगे बैज व पुलिस के दो सिपाहियों के डन्डे, सहायक अभियन्ता के हाथ की घड़ी व अन्य सामान छीन लिया। भीड़ ने सहायक अभियन्ता को

(श्री रामपाल उपाध्याय)
मरा हुआ जान कर उसका पीछा छोड़ा जिससे बिजली विभाग व पुलिस के कर्मचारियों ने कार्यालय के ऊपर की मंजिल में जाकर प्राण रक्षा की ।

इस घटना के सम्बन्ध से सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 1180 धारा 307, 395, 147, 148, 149, 353, 332, 336, 342, 427 ता. हि. के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर अन्वेषण किया गया। अन्वेषण के बाद में 17 व्यक्तियों के विरुद्ध जुर्म सिद्ध पाये जाने पर अपराधियों के विरुद्ध धारा 295 जा. फौ. के न्यायालय में दि. 30-6-80 को चालान पेश कर दिया है जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

दिनांक 15-1-80 को पुनः बिजली विभाग, कुचामन के कार्यालय के बाहर करीब 2 हजार व्यक्तियों ने प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को बिजली सप्लाई हेतु आश्वासन दिया परन्तु प्रदर्शनकारी नहीं माने और कुछ लोगों ने लाउडस्पीकर से उत्तेजनात्मक भाषण देकर भीड़ को उग्र कर दिया। इन प्रदर्शनकारियों ने उग्र व हिंसक होकर भारी पथराव किया जिसके कारण घटनास्थल पर नियुक्त पुलिस के कई कर्मचारियों के चोटें आई। सी. सी. नरपतसिंह, रामसिंह एवं कास्टेबल यासीन खां की हालत ज्यादा खराब हो गई। भीड़ को नाजायज मजमा करार दिया जाकर तितर बितर होने की चेतावनी दी गई परन्तु भीड़ नहीं बिखरने के कारण अश्रु गैस का प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया गया।

प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर पथराव करने व पुलिसकर्मियों के चोटें पहुंचा कर घायल करने के सम्बन्ध में अभियोग सं. 2 दिनांक 15-1-80 धारा 147, 148, 149, 207, 353, 332, 336, 342, 120 (बी) ताजी राते हिन्द के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण किया गया। 68 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिन्हें बाद में अदालत द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया।

इस घटना से सम्बन्धित अभियोग का अन्वेषण उप महा निरीक्षक जोधपुर के निदेशानुसार विशेष अन्वेषण इकाई जोधपुर द्वारा किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें एक प्रश्न है मंत्री जी, जो चोटें बताई हैं माननीय सदस्यों ने क्या आप यह समझते हैं कि उनसे 307 का केस बनता है ?

एक माननीय सदस्य : अटेम्पट टू मर्डर। ,

श्री सुखलाल सेणचा : कोई ऐसी धारा नहीं बची है जो नहीं लगाई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अपने प्रदेश के कृषक अकारण ही कोई इस प्रकार का मजमा बनायें, इकट्ठे हों, आन्दोलन में उनका इतना विश्वास नहीं है, समय भी नहीं है। तो आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, तथ्य क्या है, क्या नहीं है ?

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपका उत्तर आ जाय फिर दो प्रश्न पूछने का मुझे मौका दें।

श्री अध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ चौधरी।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य, जो कुचामन से आये हैं, ने सारा विवरण प्रस्तुत किया और मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया। इस सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस पुलिस ने यह मामला बनाया क्या उसी पुलिस ने यह रिपोर्ट भेजी है? वह रिपोर्ट आप किसी दूसरे अधिकारी या सी. आई. डी. पुलिस के दूसरे अधिकारियों को भेज कर मंगवाते तो वास्तविकता के आधार पर कुछ और होती लेकिन आपकी रिपोर्ट उन्हीं पर आधारित है और उन्हीं से बनवाई गई है। इसी पर यह स्थगन प्रस्ताव है कि जो कुछ रिपोर्ट बनवाई गई है वह निराधार है, गलत है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिपोर्ट में बताया गया है कि सहायक अभियंता को इतना पीटा गया कि यह बेहोश हो गया और उसको मरा हुआ समझ कर ग्रामीण लोग उसको छोड़ कर चले गये। तो क्या सहायक अभियन्ता को इतनी चोटें आई हैं कि वह मरा हुआ जाना जाय? मेरे पास जो सर्टिफिकेट है उसमें लिखा हुआ है कि उनके 8 चोटें आई और 8 में से 3 तो स्कार हैं जिनसे पता ही नहीं चलता कि चोटें किस प्रकार से आई हैं बाकी 3 एब्रीशन और एक स्वेलिंग है। ये कोई ऐसी चोटें नहीं हैं कि आदमी बेहोश हो जाय। यह पुलिस ने किस आधार पर लिखा, आप इसका उत्तर दें?

दूसरे मैं जानना चाहता हूं, जैसा अध्यक्ष महोदय ने पूछा था, क्या इस माहौल में इस तरह की चोटें पहुँचाने का उनका उद्देश्य था जिससे 307 का केस बनता हो? दूसरे, जितने किसान एकत्रित हुए उन्होंने पर्चे बांटे और पर्चे बांट कर सूचना दी कि ये कृषकों की समस्यायें हैं।

इस दिक्कत को, इस समस्या को सुलझाने के लिए एकत्रित होकर निवेदन करेंगे। इसका मतलब केवल यही था कि अमुक दिन किसान एकत्रित होकर यह निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारी यह दिक्कत है। उस स्थिति में यह कभी नहीं सोचा गया था कि 600 किसान लकड़ियां लेकर झगड़े पर उतारू हो जाएंगे। मंत्री महोदय, आपने जो यह जवाब दिया है वह आपके अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया उत्तर है। हम आपके इस बात के लिए आभारी हैं कि आपने अब तक जितने भी उत्तर दिये हैं वे सारे के सारे तथ्यात्मक हैं परन्तु आज जो उत्तर आपने दिया है वह इर्रेलेवेन्ट है। नागौर जिले से मैं आता हूं। और इसकी वास्तविकता को जानता हूं जो तत्कालीन मंत्री महोदय थे, वे मुख्य मंत्री तो नहीं थे किन्तु मुख्य मंत्री से वे कम नहीं थे, उनसे हम मिले थे उन्होंने यह कहा था कि मेरी पार्टी के लोग मुझे दबा रहे हैं इसलिए मैं क्या कर सकता हूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन पर तो पार्टी का दबाव था परन्तु आप पर तो किसी प्रकार का दबाव नहीं है। यह तथ्यों के विपरीत जवाब आपको मजबूर होकर देना पड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि आप इसकी जांच करावें, पुलिस से हटाकर यह मामला सी. आई. डी. को दे दें या किसी उच्च अधिकारी को भेज कर इसकी जांच करवाये। वहां के पुलिस अधिकारियों ने जानबूझ कर किसानों को फंसाया है। उनकी यह सारी रिपोर्ट झूठी है। 600 आदमियों की रिपोर्ट झूठी है। अगर ऐसा

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

होता तो वहां पर 6,000 आदमी एकत्रित हो जाते। इसलिए आप इस पर पुनः विचार करें। अगर इसकी जांच सी. आई. डी. से कराने को तैयार नहीं हैं तो आप इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दें। माननीय सदस्यों की कमेटी वहां जाकर इसकी जांच कर ले। उसकी जो जांच रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हो वह सरकार को मन्जूर हो।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह जो पत्थर फेंकने की बात कही गयी है यह बिल्कुल ही झूंठी बात है। वहां पर कोई पत्थर नहीं फेंके गये थे। वहां पर केवल पी. डब्ल्यू डी. के मार्किंग वाले पत्थर हैं उनके अलावा आपको छोटा पत्थर भी नहीं मिल सकता है। इसकी आप जांच करवा लें। यह मेरा चेलेन्ज है कि आपको वहां पर छोटा सा पत्थर भी मिल जाए। आपने जो जवाब यहां पर पढ़ा है वह सरासर गलत है। झूंठा है। आप इसकी जांच करा लें। अगर यह सही निकला तो मैं यह पद छोड़ कर चला जाऊंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा या जो रिपोर्ट आपने पढ़ी है जिन अधिकारियों ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, अगर यह झूंठी निकले, गलत निकले तो आप उनको सस्पेण्ड करें या आप स्वयं इस्तीफा दे दें। यह कितनी गलत बात है कि पत्थर फेंके गये। वहां पर छोटा पत्थर भी मिल जाए तो वह मुझे बता दें। यह बिल्कुल झूंठी रिपोर्ट दी है पुलिस ने। हम वहां पर बिजली के लिए रोने गए थे और उल्टे हमारे पर डंडे बरसाये गये, 307 का जुर्म लगाया गया। यह मैडिकल रिपोर्ट से भी साबित होता है कि सारा केस झूंठा है। अभी अभी मकराना के एक सरपंच को पुलिस द्वारा पीटा गया है। उसके माथे पर चोट आई परन्तु पुलिस ने 307 का मुकदमा दर्ज नहीं किया। दूसरी जगह उसका एक्स-रे करवाया गया। यह तो आपकी पुलिस है। यह आपकी रिपोर्ट झूंठी है जिसको आप इस सदन में पढ़ रहे हैं। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए या आपको इन अधिकारियों को निकालना चाहिए। शर्म आनी चाहिए।

श्री फुलसाल संगणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। 14-1-80 को किसान बिजली की समस्या को लेकर वहां पर इकट्ठे हुए जिसकी पूर्व सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी। अगर किसानों का कोई बुरा इरादा होता तो वे कभी भी पुलिस को इत्तला नहीं करते। 307 का जो मुकदमा चलाया जा रहा है इसमें इन्टेंशनली किसी का मर्डर करने का होता है। वहां पर बिजली की ऐसी कमी हो गई जिसके कारण अव्यवस्था हो गई थी। इस बिजली की व्यवस्था को ठीक कराने के लिए वे लोग वहां पर गये थे। यह जो रिपोर्ट पुलिस ने आपको दी है वह सही है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की घटना की आप तत्काल जांच करावें। राजस्थान का किसान हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है। हमारे प्रदेश में कभी भी किसान ने ऐसी कार्यवाही नहीं की है। इसलिए इस प्रश्न पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और इस समस्या को हल करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से इस पर विचार करें, किसी प्रकार से इस मुकदमे को हटा लें तो उचित होगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने स्थगन प्रस्ताव के बारे में जो उत्तर दिया है और जो मैडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें सारी चोटें ऐसी बतायी गयी हैं कि उस इन्जरी को आई. पी. सी. एक्ट के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं कहा जा सकता। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो तब बनता है जब बॉडी के किसी नाजुक पार्ट पर चोट आ जावे, घाव हो जाए या उसको गंभीर चोट माना जाय ऐसी हालत के अन्दर अटेम्प्ट टू मर्डर बनता है। इसके बिना नहीं बन सकता है। यह स्पष्ट है। जो रिपोर्ट माननीय सदस्य ने यहां पर बतायी है और जो जवाब माननीय मन्त्री महोदय ने दिया है, वह बिना तथ्यों के आधार पर है। जो तथ्य उनको पुलिस ने दिये हैं उन्हीं तथ्यों के आधार पर यह रिपोर्ट है। यह मैं कोई उन पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। परन्तु यह केस अटेम्प्ट टू मर्डर का कैसे बन गया ? आज तक पुलिस इसी तरह का कार्य करती आई है। मेरा निवेदन है कि यह अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं बनता है क्योंकि किसी नाजुक पार्ट पर कोई चोट नहीं आयी है। ऐसी स्थिति के लिऐ मन्त्री महोदय द्वारा कोई इस तरह की व्यवस्था की जाय जिसके आधार पर पुलिस इस तरह के मनगढंत तथ्य बना कर केस नहीं बना सकेतो उचित होगा। उनके आधार पर इन तथ्यों को प्रकाश में लाया जाय और लोगों को न्याय दिलाया जाय। इस प्रकार की कोई व्यवस्था, तरीका, दिशा आप तय कर लें तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात होगी और भविष्य में पुलिस को मनगढन्त तथ्यों पर केस बनाने की रोक-थाम हो सकेगी।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पुलिस ने इस घटना में कितने मुजरिम पकड़े हैं; अध्यक्ष महोदय, जो गंगाजी जा रहे थे, जिनके पास गंगाजी की झारी थी पुलिस ने उन लोगों को पकड़ कर गिरफ्तार किया है। ऐसे मुजरिम कितने हैं ? यह सारी घटना जनता सरकार के शासन काल में हुई है। आप इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि कितने अत्याचार पुलिस द्वारा किसानों पर किये गए हैं। आज वह सरकार नहीं है। आज वह सरकार है जिससे हम न्याय पाने की आशा लगाये बैठे हैं। कृपया यह बता दें कि कितने लोग गंगाजी से लौटे थे और कितने लोग गंगाजी की झारी लेकर अपने घर जा रहे थे और पुलिस ने उनको पकड़ कर बंद किया ?

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, 68 व्यक्तियों को इसमें फंसाया गया है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या इनमें ऐसे लोग हैं जिनके कोई खेत नहीं हैं ? ये परबतसर के लोग हैं जो कुचामन सामान खरीदने को जा रहे थे। ऐसे गरीब लोगों को भी इसमें फंसाया गया है।

श्री रामपाल उपाध्याय (उप मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, कृषि प्रधान इस देश में जिस प्रकार की यह बात हुई है मैं समझता हूं कि सरकार इसको गंभीरता से लेगी। मैंने जो तथ्य पढ़े हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह दो प्रकार के हैं और इसमें दो

(श्री रामपाल उपाध्याय)
घटनाएं निहित हैं। पहली घटना 14-1-80 की है जिसके तहत 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके चालान किया गया है।

एक माननीय सदस्य : यह गलत है।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सदस्य, पहले मेरी बात सुन लें।

चालान किया गया। 30-6-80 को चालान हुआ। आज यह केस न्यायालय के विचाराधीन है इसलिए इस पर कोई वाद-विवाद नहीं करना चाहता।

जहां तक दिनांक 15-1-80 की घटना का प्रश्न है उसमें निश्चित तौर पर 68 आदमियों पर एक तरह का अभियोग दर्ज किया गया है। इसके बाद 21 आदमी ऐसे हैं जो पकड़ लिये गये थे, जमानत पर छोड़ दिये गये हैं। 22 आदमी ऐसे हैं जो पकड़ में नहीं आये हैं या यह कहा गया है कि फरार हो गये हैं......

(व्यवधान)

बोलने तो दो माननीय सदस्य।

इसके अलावा लिस्ट में जो थे 11 लोगों को छोड़ दिया गया है। 3 के नाम मेरे पास हैं जिनको अभी छोड़ा गया है।

जहां तक माननीय सदस्यों का प्रश्न है, यह बड़ा संवेदनशील प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। इसमें मैं कोई दो राय नहीं रखता हूं।

जहां तक सम्माननीय सदस्यों ने मेरे वक्तव्य के बारे में कहा है। मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि पहली घटना जो 14-1-80 को हुयी थी उसका मामला तो न्यायालय के अधीन विचाराधीन है उस पर कुछ कहने में मैं अपने आपको सक्षम नहीं मानता हूं। जहां तक दूसरी घटना, 15-1-80 के ऊपर से केसों को उठाने का प्रश्न है। उनमें जो लोग इनवाल्व हैं उनके बारे में 3-4-5 माह तक जैसा कि नावां से आने वाले माननीय सदस्य रामेश्वर जी ने बताया है, यह सही है, उसकी कार्यवाही की चार फाइलें यहां उच्च अधिकारियों के पास पड़ी रहीं और किसी तथ्यपूर्ण निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। उसके बाद अब डी. आई. जी. जोधपुर के नेतृत्व में किसी विशेष अनुसंधान टोली द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें अभी चालान करने की स्थिति नहीं आयी है जिन पर केसेज लगे हुये हैं। उनको जैसा माननीय सदस्य महानुभावों ने बताया ब्लीडिंग हुआ है, ब्लड इन्जुरियस लगे हुये उसके आधार पर ए. ई. एन. कैसे हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। वास्तविकता क्या है यह अनुसंधान का विषय है। जो मामला न्यायालय के विचाराधीन है उसका तो विद्वान न्यायाधीश ही फैसला करेंगे। अब दो प्रश्न रह जाते हैं।

एक केवल विद्युत् के अभाव में किसानों का प्रदर्शन करना स्वाभाविक हो जाता है। यह उनकी जिन्दगी का सवाल है, उनकी फसल जलती है, नष्ट होती है और फिर जिस प्रकार का वातारण विद्यमान हो जाता है उसमें कुछ ऊंच-नीच की बात होना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर किसानों के प्रति माननीय सदस्यों का जो दर्द है, उसको मैं भी गम्भीरता से अनुभव करता

(श्री रामपाल उपाध्याय)

हूं, महसूस करता हूं । मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। नम्बर एक, जहां तक किसानों पर जो केस अभी चल रहे हैं, न्यायालय में विचाराधीन हैं विशेषतः उस पर, सरकार क्या मुकदमें वापस उठा ले ? इसके बारे में सरकार इसके औचित्य को देखते हुये विचार करेगी। नम्बर दो, करीब 100 किसानों के ऊपर जो अनुसंधान हो रहा है उस पर जैसा माननीय सदस्यों ने बताया मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार जो घटना हुयी है यह ठीक समझती है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने केस लगाया है और जो कि उससे संबंधित हों, वे ही जांच करें तो मैं नहीं समझता हूं कि यह न्याय के अनुकूल कोई बात है। अगर वह सी. आई. डी. या और किसी दूसरी पुलिस की शाखा से जांच कराना चाहते हैं तो सरकार उसके लिए विरोधी नहीं। सरकार समझती है कि यह बिलकुल साधारण बात है।

एक माननीय सदस्य : आप घोषणा कर दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सी. आई. डी. से जांच कराने की सदन में घोषणा कर दें। जयपुर में सी. आई. डी. से जांच कराने की घोषणा करें। उससे लोगों को राहत मिल जायेगी।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो विचार रखें हैं मैं उनका बहुत आदर करता हूं और इस सारी बात को जांच कर''

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अलग से मिल सकते हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : इस बात को जैसा पूर्व में मैंने निवेदन किया है हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लोगों को, किसानों को किसी प्रकार प्रताड़ित नहीं होने देंगे। चाहे उसके लिए सी. आई. डी. से या अन्य किसी जरिये से जांच करानी हो। इस प्रकार की जांच करने में हमको किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होगी। हम किसानों के प्रति काफी सम्मान रखते हैं। मैं समझता हूं कि इस संवेदनशील विषय को देखते हुये सारा सदन इस पक्ष में है कि उनके साथ न्याय हो और सरकार भी यही चाहती है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : केवल दो प्रश्न, एक तो आपने जो प्रश्न पूछा था कि क्या इन तथ्यों को देखते हुये 307 की धारा बनती है ?...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी हो चुका है।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मैं नहीं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर दें...

श्री अध्यक्ष : इसको इतना टैक्निकली नहीं ले जायें। मंत्री महोदय ने कह दिया है कि वे सद्भावनापूर्वक विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। मंत्री महोदय भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा किसान शान्तिपूर्ण है। यह तो परिस्थितियां उनको बाध्य करती हैं। जो यह दुर्घटना हुई है उस पर विचार करके मंत्री महोदय निर्णय लेंगे और अगर फिर भी आपकी कुछ आशंकायें हैं, कुछ

(श्री अध्यक्ष)
बातें हैं तो मैंने भी आसन के माध्यम से कहा है कि आप उनसे बात कर सकते हैं।

चर्चा समाप्त हुयी।

शासकीय वक्तव्य

सवाई माधोपुर के जंगल में अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा अमानवीय तरीकों से बंदरों पर अनुसंधान

श्री दाऊदयाल जोशी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर मुख्य मंत्री महोदय सवाई माधोपुर के जंगल में अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा अमानवीय तरीकों से बंदरों पर अनुसंधान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्रीमती कमला (वन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, संबंधित मामले में इस प्रकार से विवरण प्रस्तुत है।

दो अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर डेनियल हर्डी व डॉ. सराह् बी. हर्डी, हरवर्ड मेडिकल स्कूल ने भारत सरकार के शिक्षा एवं कृषि मंत्रालय से रणथम्भौर वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र तथा कुछ अन्य स्थानों पर हनुमान लंगूर पर अनुसंधान किये जाने हेतु अनुमति चाही। यह अनुसंधान कार्य जोधपुर विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान (ज्योलोजी) विभाग के सहयोग से किया जाना था। भारत सरकार के शिक्षा एवं कृषि मंत्रालयों द्वारा इस अनुसंधान कार्य को करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई एवं कृषि मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को इस कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु सिफारिश की गई।

इसके पश्चात् इन वैज्ञानिकों को चाहिये था वे नियमानुसार मुख्य वन जीव प्रतिपालक राजस्थान से इस अनुसंधान कार्य को रणथम्भौर अभ्यारण्य क्षेत्र में चालू करने हेतु स्वीकृति प्राप्त करते। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं करते हुए सीधे रणथम्भौर अभ्यारण्य के लिए प्रस्थान कर लिया और संप्रेषणीय अध्ययन (ऑब्जर्वेशन स्टडी) करना प्रारम्भ कर दिया अपितु लंगूरों एवं अन्य वन्य जीवों का किसी प्रकार का स्पर्शात्मक अध्ययन कार्य नहीं किया गया और न ही उन्हें किसी प्रकार से आतंकित किया गया।

जब यह तथ्य राज्य प्रशासन के ध्यान में आया तो मुख्य वन जीव प्रतिपालक को यह निर्देश प्रदान किये गये कि उक्त मामले में तत्काल जांच प्रारम्भ कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को आगे के अनुसंधान कार्य को तत्काल बंद किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। फील्ड डाइरेक्टर, रणथम्भौर अभ्यारण्य को दूरभाष से भी हिदायत भेजी गई तथा अनुसंधान कार्य तत्काल बंद करा दिया गया। साथ ही दोनों अमेरीकी वैज्ञानिकों को यह सलाह दी गई कि वे किये जाने वाले अनुसंधान कार्य की प्रकृति एवं कार्य करने की पद्धति तथा उक्त अनुसंधान कार्य की अवधि से अवगत कराते हुए मुख्य वन जीव प्रतिपालक से संपर्क स्थापित करें। उनको यह भी सलाह दी गई कि इस परियोजना के अन्तर्गत आगे कोई कार्य किये जाने से पूर्व औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जावे। तदनुसार

(श्रीमती कमला)

उक्त वैज्ञानिकों द्वारा मुख्य जीव प्रतिपालक से सम्पर्क किया गया एवं परियोजना प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि भी उनके द्वारा मुख्य जीव प्रतिपालक को दी गई।

यद्यपि इस परियोजना के सम्बन्ध में उपरोक्त वैज्ञानिकों द्वारा भारत सरकार के शिक्षा एवं कृषि मन्त्रालयों से अनुमति प्राप्त कर ली गई थी। तथापि वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के अन्तर्गत किसी प्रकार के शोध कार्य को अभ्यारण्य क्षेत्र में प्रारम्भ किये जाने के पूर्व मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था। फील्ड डायरेक्टर, रणथम्भौर अभ्यारण्य द्वारा यह स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि उक्त वैज्ञानिकों को एवं उनके साथ आये शोधकर्त्ताओं को केवल पर्यटक माना गया और उस रूप में उनके द्वारा लंगूरों एवं वन्य जीवों का सम्प्रेषणीय अध्ययन (ऑब्जर्वेशनल स्टडी) ही किया गया और उक्त कार्य भी बन्द कराया जा चुका है।

अतः रणथम्भौर अभ्यारण्य क्षेत्र में लंगूरों पर उक्त वैज्ञानिकों अथवा उनके साथ आये शोधकर्त्ताओं द्वारा किसी प्रकार का अत्याचार या अमानवीय तरीके से अनुसंधान किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

हनुमान लंगूर का जाहिरा तौर पर विश्व के किसी भी स्थान पर बहुत ही सीमित मात्रा में अनुसंधान कार्य किया गया है। कृषि मन्त्रालय, जोधपुर विश्वविद्यालय तथा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने यह प्रकट किया है कि हनुमान लंगूर पर अनुसन्धान कार्य वैज्ञानिक ज्ञान में काफी अभिवृद्धि करेगा और उनको इस शर्त पर कि वे अभ्यारण्य क्षेत्र में लंगूरों तथा अन्य वन्य जीवों को किसी भी प्रकार से आतंकित किये बिना तथा स्पर्श किये बिना वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 व उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए उक्त शोध कार्य करेंगे। उन्हें उक्त कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी जानी चाहिए। उपरोक्त वैज्ञानिकों ने यह लिखित रूप में स्वीकार किया है कि वे दृष्टि द्वारा (आब्जर्वेशनल स्टडीज) हनुमान लंगूरों के आचरण तथा व्यवहार का अध्ययन करेंगे और किसी प्रकार से उन्हें स्पर्श नहीं करेंगे और न ही उन्हें तथा अन्य वन्य जीवों को आतंकित करेंगे। तथा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों का पूर्णरूपेण पालन करेंगे।

भारत सरकार के शिक्षा एवं कृषि मन्त्रालयों की इस परियोजना की स्वीकृति को तथा जोधपुर विश्वविद्यालय एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए उक्त अमेरिकी वैज्ञानिकों एवं उनके साथ आये शोधकर्त्ताओं को उनके द्वारा सुझाये गये स्थानों पर रणथम्भौर अभ्यारण्य क्षेत्र में तथा माउण्ट आबू, जोधपुर, सरिस्का, कुम्भलगढ़ एवं रणकपुर में हनुमान लंगूर पर केवल सम्प्रेषणीय अध्ययन (दृष्टि द्वारा निरीक्षण) एवं उनके आचरण व व्यवहार सम्बन्धी अध्ययन हेतु ही स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा

Page No. 63

(63)

(श्रीमती कमला)

रहा है और इस प्रकार की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में निम्न शर्तें भी रखी जायेंगी :—

(1) लंगूर के व्यवहार की दैनिक गतिविधियों का ही अध्ययन किया जाय और इसके दौरान उनमें या अन्य वन्य जीवों में किसी भी प्रकार का आतंक अथवा संशय उत्पन्न नहीं किया जाय एवं लंगूरों को पकड़ने तथा रक्त के नमूने लेना पूर्णतया वर्जित रहेगा।

(2) इस शोध में जोधपुर विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से भागीदार बनाया जाकर उनसे निकटतम सम्पर्क एवं सहयोग रहेगा।

(3) वन विभाग के अनुसंधान अधिकारी भी इस परियोजना से सम्बद्ध रहेंगे।

(4) इस अनुसंधान एवं शोधकार्य के लिए प्रथमतः छः माह की अवधि के लिए ही स्वीकृति प्रदत्त होगी।

(5) शोधकर्ता शोधकार्य के अतिरिक्त किसी अन्य प्रवृति में सम्मिलित नहीं होंगे तथा वन्य जीव प्रबन्ध में दखल नहीं देंगे।

(6) शोधकर्ता वन्य जीव सम्बन्धी सारे प्रावधान, जो वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में हैं, का पूर्णतया पालन करेंगे।

(7) शोध प्रणाली जो वे अपनायेंगे उसकी पूरी जानकारी हमारे अधिकारियों को देंगे।

(8) वे समय-समय पर शोध कार्य की प्रगति का प्रतिवेदन विभाग को देते रहेंगे। वे शोध की पूरी हस्तलिपि विभाग को देंगे तथा हमारे सहयोग का उल्लेख करेंगे।

(9) शोधकर्ता 10,500/- रु. फीस आदि के रूप में एक साल के लिए देंगे।

(10) शोधकर्ता यदि कोई अनुचित कार्य करेंगे तो उन्हें तत्काल शोध कार्य बन्द कर अभ्यारण्य छोड़ना होगा।

(1.43 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

उक्त वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रकार की शर्तों एवं तत्सम्बन्धी कानून की प्रतिबद्धता एवं पूर्ण निष्ठा से पालन किये जाने का आश्वासन भी कुछ अंशों में दिया गया है और शेष उनसे प्राप्त किया जावेगा तथा इस सम्बन्ध में विभाग के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पर्याप्त निगरानी भी रखी जावेगी। समय-समय पर किये गये अनुसंधान कार्य का सिंहावलोकन भी बराबर किया जाता रहेगा।

इस प्रकार की उनको इजाजत दी जाएगी तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदया, मैंने प्रस्ताव रखा था, वह इस भाव से रखा था कि जोधपुर विश्व विद्यालय द्वारा बन्दरों पर शोध कार्य

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जीव विज्ञान के तहत किया जाता रहा है। इस प्रकार के शोध-कार्य किये जाते रहे हैं। आपने जो शर्तें इस शोध पर लगाई हैं, इसके बावजूद वैज्ञानिक लोग जो अत्याचार बन्दरों पर करते हैं, उससे यह सारा सदन अवगत है। हनुमान बन्दरों की बात कही गई है कि हम इसमें शोध कर रहे हैं। इसमें यह है कि बन्दरों का रक्त इकट्ठा कर शोध किया जाएगा। मैं निवेदन करूं कि हम शर्तों की कितनी ही गारण्टी लगाकर चलें, इसके बावजूद अमानवीय तरीके से शोध होता रहा है। रणथम्भौर में इस बारे में काफी तनाव हुआ है। अमेरिका शोधकर्त्ताओं के शोध में योगदान करता रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि अभी डेढ़ महीना पहले लोक सभा के माध्यम से इस प्रश्न को उठाया गया था। वहां पर यह कहा गया था कि राजस्थान सरकार ने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। मैं उसकी माननीय सदस्यों को जानकारी कराना चाहता हूं।

"नई दिल्ली, 7 जुलाई। राजस्थान के जंगलों में अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा 'लंगूरों' पर किये जाने वाले परीक्षण पर सरकार ने अपनी अनुमति वापस ले ली है।

ये निर्णय शोधकों द्वारा कथित वन्य-जीव कानूनों के उल्लंघन प्रतीक्षित जांच की स्थिति में लिया गया है। सरकार को शिकायत प्राप्त हुई थी कि अमेरीकी शोधक राजस्थान रणथम्भौर टाइगर के लिए आरक्षित क्षेत्र में वन्य जीव कानून का अपने परीक्षण के लिए उल्लंघन कर रहे हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय के प्राणी जीव विभाग से सम्बन्धित दो शोध योजनाओं हेतु 1979 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। इनमें से एक में लंगूरों से व्यवहार व डेमोग्राफी पर अध्ययन हेतु माउण्ट आबू में लंगूरों का निरीक्षण अध्ययन किया जाता था।"

मेरा निवेदन यह है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जिससे कि एक माह पूर्व जिस अनुमति को वापस ले लिया था, वही अनुमति फिर से उनको दी गई है? मेरा निवेदन है कि आज्ञा लेकर वह अवैधानिक तरीके अपनाते हैं। 10,500/- रु. फीस के देते हैं। भिन्न-भिन्न प्राणियों पर अपने शोध की बात करते हैं। अमानुषिक तौर से वह शोध करते हैं। क्या इन सारी चीजों से निबटने के लिए राजस्थान सरकार तैयार है। जब लोक सभा में यह प्रश्न उठा तो दूसरी बात कही।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, यही बात कही है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने पार्लियामेण्ट का मैटर आपको पढ़कर सुनाया, 17 तारीख की बात पढ़ी है। मैं आसन के माध्यम से निवेदन करूंगा, चाहे शोध की बात कही जाये, राजस्थान के अलावा भी वानर कई जगह मिलते हैं। अमानुषिक व्यवहार करने के बारे में अनेक बार समय-समय पर सुनते रहे हैं। वह आते हैं, शोध के नाम पर। मैं यही निवेदन करूंगा कि शोध के नाम पर इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार बन्दरों के साथ किया जा रहा है, वह समाप्त किया जाये।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने जिन

(श्रीमती कमला)

जीवों पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है, दरअसल जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जिस प्रकार का शोध कार्य उन्होंने करना चाहा था उसमें काफी आपत्तिजनक बात थी। इसका जो मूल सब्जेक्ट या Observational study and field study and behaviour इस शोध-कार्य के अन्तर्गत उनका ब्लड टैस्ट करना, उनको छेड़ना, उनको पकड़ना, उनकी बीमारियों का अध्ययन करना अर्थात् इस वन्य जीव को पकड़ना, छेड़ना या उसको किसी भी तरह से परेशान करने वाला कार्य उसके अन्तर्गत आता था और इसी कारण से राजस्थान सरकार को जब यह जोधपुर यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलोब्रेशन से किये जाने वाले अनुसंधान प्रोजेक्ट की मन्जूरी भारत सरकार ने दे दी और जब यह सूचना यहां पर आई उस सूचना के उपरान्त राजस्थान सरकार के फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट ने सरकार से बातचीत की और बातचीत करने के उपरान्त जिस प्रकार से टूरिस्ट यहां आते हैं और जाते हैं उसी प्रकार से पर्यटक के बतौर वे वहां रहे, बिना अनुमति के, लेकिन जब उसके बाद में पता चला कि ये टूरिस्ट नहीं हैं बल्कि शोधकर्त्ता हैं तो उनका आना-जाना बन्द कर दिया गया और वहां से उनको हटा दिया गया और यह कहा गया कि जब तक राजस्थान सरकार वन्य जीव संरक्षण एक्ट, 1972 के तहत आपके सामने शर्तें नहीं रखे और वे शर्तें आपको मन्जूर होने के बाद मन्जूरी नहीं दे तब तक आपको यहां नहीं रहने दिया जायगा और न किसी प्रकार का अध्ययन ही करने दिया जायगा। बाद में उन्होंने दुबारा अर्जी दी कि आपकी तमाम शर्तें हमको मन्जूर हैं, आपके तमाम कायदों और कानूनों का हम पूरी पाबन्दी और निष्ठा से पालन करने को तैयार हैं। आप यह बतायें कि आपकी शर्तें क्या हैं? माननीय सभापति महोदया, जैसा मैंने स्पष्ट किया पूर्व में जो अध्ययन करने का या शोध करने का मुद्दा था उसको बिलकुल हटा दिया गया, उनको न छेड़ेंगे, न पकड़ेंगे न तंग करेंगे, न ब्लड टैस्ट लेंगे, न बीमारी का अध्ययन करेंगे, न उनकी जांच करेंगे और न उनके बिहेवियर की स्टडी करेंगे। उनके आने-जाने से वन्य जीव परेशान या सशंकित होते हैं तो वे कुछ भी नहीं करेंगे, यह सारी शर्तें मैंने पढ़ कर सुनाई हैं। उन शर्तों के अन्दर यदि वह अपना कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं तो ही हम इजाजत देंगे। आखिरी शर्त हमने यह और लगा दी कि वन अधिकारियों को ऐसा लगे कि किसी भी प्रकार से वन्य जीवों को सशंकित किया जा रहा है या उनके नॉर्मल बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है, या उनके रहन-सहन में दखल दिया जा रहा है तो प्रोजेक्ट को बन्द भी किया जा सकता है यह हमने आखिरी शर्त लगा दी है। यह शर्तें मन्जूर करने के बाद ही शोधकर्त्ताओं को इजाजत दी जायेगी। वे सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्टडी करेंगे तो ही इजाजत दी जायेगी। सिर्फ आंख से देखने की इजाजत दी जायेगी, उनके साथ वे किसी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं करेंगे, वन्य जीव आवेंगे या जावेंगे और उनको डिस्टर्बेंस होगा तो भी हम सोचेंगे कि इनको इजाजत देनी चाहिये या नहीं देनी चाहिये। यदि उनके रहन-सहन का तरीका और काम करने का ढंग सही नहीं है तो हम उसको बन्द कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय

(श्रीमती कमला)

और शिक्षा मन्त्रालय ने जोधपुर यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलोब्रेशन से जो स्कीम चलने वाली है उसकी स्वीकृति यह सब तय हो जाने के बाद ही दी जायेगी और उसी के अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने नियम, उपनियम और शर्तें उनके पालन करने के तरीके तैयार किये हैं जो उनके सामने रखी जायेंगी । यदि वे इनको मानने के लिए तैयार होंगे तो ही उनको स्वीकृति दी जायेगी।

श्री माथूसिंह (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदया, इस बात में कोई आपत्ति नहीं कि हमारे वैज्ञानिक आगे बढ़ें, लेकिन जो घटना हुई इसमें आपत्ति हुई है। आपत्ति यह हुई है कि रणथम्भोर और दूसरी जगहों पर जो जंगल हैं, वहां पर अधिकारी हैं, जो लोग वहां पर हैं वे जो लोग आये उनसे मिले होंगे। समय-समय पर जैसे पत्रकार गये, प्रोफेसर गये, उनको वहां पर चित्र लेने और फोटो खींचने की इजाजत दी जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह देखने में आया है कि वे लोग पर्यटक बन कर वहां पर ठहरे और अपना काम करते रहे तब तक वन अधिकारियों को पता नहीं लगा। उन्होंने जब वहां के कुछ चित्र भी लिए, सारा काम कर लिया तब जाकर उनको इस बात का पता लगा। और फिर पता लगा या नहीं लगा, मालूम नहीं, लोगों ने ऑब्जेक्ट किया तब मालूम पड़ा। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि इस तरह की घटना हो गई, वहां पर फोटो खींचे जाते हैं, विदेशों में इनकी स्मगलिंग की जाती है, यह सब अधिकारियों की सांठ-गांठ से होता है । वे लोग स्लाइड बनाकर विदेशों में बेचते हैं और भारी पैसा कमाते हैं। उनको फोटो लेने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये । तो, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि यह सारी घटना जो अब तक होती रही, अधिकारी लोग क्या करते रहे ? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पर्यटक बन कर वहां बैठे रहे और वे लोग अपनी एक्टीविटीज करते रहे। उसके बाद उनको पता चला। मैं केवल यह जानना चाहूंगा कि आपने पत्र कब लिखा, क्या पत्र लिखा ? उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ? ये जो अधिकारी थे उनसे कब सम्पर्क स्थापित किया, कब पता लगा, कितने दिन बाद ? उसके पश्चात् आपने क्या कार्यवाही की ? मेरा यह सीधा आरोप है उनको आपने घूमने दिया। शिक्षा मन्त्रालय और कृषि मन्त्रालय इजाजत दे देती । जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वहां पर उनके साथ थे । तो मैं यह जानना चाहता हूं वे वहां पर ऑपरेशन करते रहे और आपने उनको रोका नहीं जब सरकार को पता लगा तो उन्होंने दुबारा एप्लाई किया। मेरा यह सीधा आरोप है कि वहां के अधिकारी जो रोज इनके साथ रहते थे, फोटो खींचते और अपनी कार्यवाही करते थे, इनकी सारी एक्टीविटीज चालू थीं। यह सब उन्होंने जान-बूझकर उनको करने दिया। मुझे यह शक है वे लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं। आप इसकी अच्छी तरह से जांच करें। पर्यटक बनकर बैठे रहे, उनको सारी कार्यवाही करने दी, इसके पीछे किसका हाथ है, कितने पैसों का घोटाला है ? मैं मन्त्री महोदया से कहूंगा कि इसकी जांच करायें। यह किसी पार्टीबाजी का सवाल नहीं है। वैज्ञानिक जांच करें इसमें कोई

(श्री नाथूसिंह)

आपत्ति नहीं है, यह सब वन अधिकारियों के मेल-जोल से होता है। मैं यह आश्वासन चाहूंगा मन्त्री महोदया से, सरकार से, क्या आप इस पूरे घोटाले की जांच करवायेंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती कमला : जो माननीय सदस्य ने अपनी आशंका प्रकट की है, मैं समझती हूं कि उनकी आशंका से अधिक राज्य सरकार को भी उसकी काफी चिंता थी। इसलिए जैसे ही उन लोगों के वहां पर टूरिस्ट्स के नाते दो शिष्य आए एक मिस सेलिवया जो 13-2-80 को आई और मिस्टर मूर जो थोड़े दिन बाद आए और वे टूरिस्ट्स के नाते वहां पर रहे लेकिन जैसे ही ...

श्री नाथूसिंह : कितने दिन रहे ?

श्रीमती कमला : मैं अभी बता रही हूं सुनने की कोशिश करें। जैसे ही वे लोग टूरिस्ट्स के नाम पर रहने लगे उस समय तो लोगों ने आपत्ति नहीं की लेकिन जब पता लगा कि ये किसी विशिष्ट उद्देश्य से आए हैं, तो उसी समय उनको नोटिस देकर रणथम्भोर वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट से हटा दिया गया और उनसे कह दिया कि पहले आप एप्लीकेशन दीजिए, फिर हम शर्तें आपके सामने रखेंगे। जब शर्तें आप मन्जूर करेंगे तब वापस प्रवेश की इजाजत आपको दी जाएगी।

श्री नाथूसिंह : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। कितने दिन वहां रहे ? जब अधिकारियों को इस बात का पता लग गया तो कब उनको हटाया गया, किसने उनको परमिशन दी ? क्या अधिकारियों को संदेह नहीं हुआ या सन्देह हुआ तो कितने दिनों बाद संदेह हुआ ? इस बीच में क्या स्थिति रही ?

श्रीमती कमला : उन्होंने जितने दिन वहां स्टे किया उस समय सिर्फ टूरिस्ट्स के तौर पर उनकी एक्टिविटीज रहीं, न उन्होंने अनडिजायरेबल या अनवान्टेड एक्टिविटीज की। 13-2-80 को वे आए उसके बाद उनको 18-2-80 को वहां से विदा कर दिया गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : जो केदार सांखला है उसकी एक्टिविटीज संदेहास्पद हैं। वह रणथम्भोर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वह हमेशा इस प्रकार के लोगों को आश्रय देते रहे हैं। केदार सांखला की सांठ-गांठ के कारण बन्दर मर गए हैं या मारे गए हैं ...

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, अगर इस प्रकार के कोई मामले प्रस्तुत करेंगे तो उनकी जरूर जांच कराई जाएगी और उसके खिलाफ कदम भी उठाये जायेंगे लेकिन बिना किसी स्पेसिफिक मामले को दिए हुए जो जनरल स्टेटमेंट आप दे रहे हैं वह इससे ताल्लुक भी नहीं रखता और उससे नतीजा भी नहीं निकलने वाला।

श्री नाथूसिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही बात है कि वे पर्यटक बनकर रहे और केवल पर्यटक बनने के लिए ही यहां नहीं आए ? सन्देह हुआ, बाद में पता लगा। लेकिन सन्देह कैसे हुआ ? सरकारी अधिकारियों को सन्देह कैसे हुआ ? सन्देह कब हुआ ? जब इस तरह

(श्री नाथूसिंह)

की एक्टिविटीज शुरू कीं तो सन्देह हो गया कि वहां के अधिकारियों की सांठ-गांठ थी जब कि कृषि मन्त्रालय ने उनको इजाजत दी, शिक्षा मन्त्रालय ने इजाजत दी। इसके पश्चात् दिक्कत नहीं थी, वे एप्लाई कर सकते थे लेकिन वे तो पर्यटक बनकर रहे। अधिकारियों को सन्देह हुआ बिना किसी एक्टिविटी के, यह समझ में नहीं आता। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सन्देह किन परिस्थितियों में हुआ जब कोई एक्टिविटीज ही नहीं थी ? और यदि सन्देह हुआ तो इसका मतलब कोई न कोई एक्टिविटीज थीं। इसलिए पूरी घटना की आर जांच करवायें और यदि वे दोषी पाए गए तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें ?

श्रीमती कमला : मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पूरी जांच करने के बाद, सारे तथ्यों की जानकारी हासिल करने के बाद आपके सामने यह बयान दे रही हूं। उनकी कार्यवाही सिर्फ इस बात से नोटिस हुई कि उन्होंने बन्दरों के हाव-भाव को देखने के लिए एक्टिविटीज शुरू कीं जब शंका पैदा हुई जब अधिकारियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्री मिश्रा, जिनकी कॉलोब्रेशन में यह प्रोजेक्ट चलाया जाना है, तहत हम काम करने के लिए आये हैं। तो फिर अधिकारियों ने तुरन्त कहा कि आप पहले परमीशन और शर्तें हासिल कीजिए उसके बाद आप कार्यवाही कीजिए। उससे पहले कोई अनवान्टेड या अनडिजायरेबल एक्टिविटीज उनकी तरफ से नहीं हुई। सिर्फ उन्होंने देखना चाहा, उनको परस्यू करना चाहा था, कुछ बन्दर भागे, दौड़े और उन्होंने अनईजी फील किया, उस समय नोटिस में आ गया, उससे पहले एक्टिविटीज नहीं हुई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जब वे आए तो दो रेलवे के डिब्बों में उनका सामान था, उनमें 6 बड़े-बड़े लोहे के पिंजरे थे, वे लोहे के पिंजरे वापस लाए गए थे और ले जाने के पश्चात् उन बन्दरों को उन्होंने लोहे के पिंजरों में इकट्ठा किया था और यह अध्ययन किया था कि कोड़े मारने से वे कितना उछलते हैं, कितनी देर उनकी चमड़ी पर दाग रहते हैं ...

श्रीमती कमला : ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वे पिंजरे कहां गये ? सरकार ने जब्त कर लिए ?

श्री सभापति : आप सवाल कीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या बंदरों को पकड़ कर ले गये ? अधिकारियों की सांठ-गांठ थी जिसके कारण बन्दरों को पकड़ कर ले गये क्या पिंजरे सरकार ने जब्त किए ? वे पिंजरे कहां गए ?

श्रीमती कमला : सारी मनगढ़न्त कहानी है, न किसी बन्दर को बन्द किया न मारा, बल्कि छुआ तक नहीं। सिर्फ देखने के लिए पीछे-पीछे उनके जाते थे। जब वे डिस्टर्ब हुए तभी नोटिस में आ गया इसलिए यह सारी कहानी गलत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह गलत नहीं है, बन्दर पकड़े गये थे। लोगों ने देखा और विरोध किया था। उसके बाद इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। बाद में सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया।

श्रीमती कमला : किसी और स्थान की बात हो सकती है।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से जानकारी लेना चाहता हूं कि केदार सांखला का कर्त्तव्य क्या है ? इनका कर्त्तव्य केवल यही है कि वन्य जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की जानकारी करें ..

श्री सभापति : आपको कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछना हो तो पूछें।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमने अपने खर्चे से, राज्य सरकार के पैसे से, एक अन्य अधिकारी वन्य जीवों के विषय में जानकारी करने के लिए नियुक्त किया हुआ है। वे अधिकारी तो किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, उन्होने दुनियां भर में घूम कर वन्य जीवों पर अपनी किताब लिखी। मैं स्पेसिफिक आरोप लगा रहा हूं कि उस व्यक्ति के कारण दो बघेरे माउण्ट आबू में, दो बघेरे जयपुर में, दो उदयपुर में, दो जोधपुर चिड़ियाघर में, एक बघेरा रामगढ़ में...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विषय से अलग जा रहे हैं। आप केवल...

श्री दाऊदयाल जोशी : हम दूसरे देशों के लोगों को बुला कर वन्य जीवों के परीक्षण की बात कर रहे हैं। मुझे आश्वासन मिल जाएगा, इसकी मुझे शंका है। मंत्री महोदया आश्वस्त करेंगी, आपने एक बात कही है कि...

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : विरोधी पक्ष के सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें...

श्री ईश्वरलाल सैनी : इनको बोलने की इजाजत न दी जाए। ये अपना पूरा समय ले चुके हैं। मंत्री महोदया अपना पूरा जवाब दे चुकी हैं।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। बार बार मैं कह रही हूं कि स्थान ग्रहण करें, ठीक ढंग से कार्यवाही चल रही है।

(व्यवधान)

आप व्यवधान डाल रहे हैं। आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मंत्री महोदया इस बात के लिए आश्वस्त करेंगी कि बंदरों को छुआ नहीं जाएगा। अगर छुआ गया तो उन पर पैनल्टी कितनी लगाई जायेगी ?

श्री सभापति : मंत्री महोदय स्पष्ट कर चुकी हैं, उन पर पाबंदी लगा दी गई है।

श्रीमती कमला : छूने का सवाल नहीं है। छुएंगे तो तत्काल उनको निकाल दिया जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ठीक है।

श्री सभापति : मैं जानना चाहूंगी कि क्या जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी उनके साथ थे ? इसकी भी आप जांच करा लें।

श्रीमती कमला : जब दो शिष्य पहुंचे थे मिस्टर हार्डी और मिसेज हार्डी के, वह हार्डी भी नहीं थे और मिश्रा भी नहीं थे।

श्री सभापति : विदेशियों के अलावा राजस्थान के भी थे, यूनिवर्सिटी के कोलोब्रेशन से था तो।

श्रीमती कमला : वाइल्ड लाइफ के अधिकारी जरूर थे लेकिन प्रोफेसर मिश्रा जो उनके साथ में कोलोब्रेशन में काम करने वाले थे, वे नहीं थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। स्वास्थ्य मन्त्रीजी का वक्तव्य होगा।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदया, यह मेरे क्षेत्र का प्रश्न है। मैं सवाई माधोपुर का रहने वाला हूं मैं इसके बारे में ज्यादा जानता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं। यह मेरे क्षेत्र का मामला है, मैं इसके बारे में ज्यादा जानता हूं। यहां पर मन्त्री महोदया ने जो फर्माया है कि किसी भी पशु को नहीं मारा जायेगा। पर मैं आपसे यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे यहां पर सवाई माधोपुर में वन्य पशुओं का शिकार खेलने के लिए रोजाना लोग आते रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हंसराज शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, वन्य पशुओं की रक्षा की जाय। वाइल्ड लाइफ के बारे में निवेदन करना....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। जब सदन में वाइल्ड लाइफ की मांग पर बहस हो तब आप अपना पक्ष रखना। कृपया स्थान ग्रहण करें।

राजस्थान राजकीय आयुर्वेद धात्री उप-वैद्य संघ द्वारा किया जा रहा आन्दोलन

माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी का वक्तव्य।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : सभापति महोदया, इस बारे में स्टेटमेंट देने के पहले मैं सदन के अन्दर यह निवेदन करना चाहता हूं कि संघ की जो 28 मांगें थीं उनमें से 17 मांगें तो राज्य सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और बाकी मांगों के संबंध में मैंने आज चार बजे अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। जो बाकी 11 मांगें बची हैं उनके बारे में जो भी होना उससे मैं जब सदन स्थगित होगा उससे पहले माननीय सदस्यों को अवगत करा दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : आन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। इन्होंने चार बजे बाद का कहा है। अगर आज इस पर फैसला नहीं हुआ तो फिर आगे पांच दिन तक सदन नहीं चलेगा। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि जिन 17 मांगों पर जो फैसला हुआ है वह तो सदन को बता दें और बाकी 11 मांगें कौनसी हैं जिन पर अभी तक फैसला नहीं हुआ वह भी बता दें। इसके लिये सदन में एक स्टेटमेंट दे दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, जब स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने यह कह दिया है कि चार बजे बाद जो

(श्री खेतसिंह राठौड़)
बैठक में निर्णय होगा उसको वह सदन में बता देंगे फिर क्या बात रह जाती है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदया, आज हाउस पांच दिन के लिए स्थगित होने जा रहा है। और मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो एक व्यक्ति आत्मदाह कर लेगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो जाय इसके लिए मेरा निवेदन है कि चार बजे बाद जो भी निर्णय हो वह हाउस में बता दिया जाय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदया, मैंने इसके लिए पांच तारीख को ही सूचना दे दी थी पर इतने दिन तक सरकार पता नहीं क्या करती रही आज 12 तारीख हो गई है तो क्या राज्य सरकार इतने दिन तक सो रही थी ? आज यह पूरे राजस्थान में आग की तरह भड़क उठी है। सभी अस्पतालों में हड़ताल है और सभी जगहों पर अव्यवस्था हो रही है---

श्री खेतसिंह राठौड़ : नींद नहीं ले रहे थे, बातचीत चल रही है आप लोग अव्यवस्था फैला रहे हो।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपके समय में भी हड़ताल चली थी।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदया, आप इनको ताड़ना दीजिये। वह चाहे जब बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। आपको कुछ पता है नहीं। पहले तैयार होकर --

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : तैयार होकर आये हैं।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अगर तैयार होकर आये हैं तो बताइये कि कल्पद किसको कहते हैं ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप बता दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप इस प्रकार बोल कर इनको दबा नहीं सकते हैं।

श्री सभापति : आपस में माननीय सदस्य बात नहीं करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया, मैं चाहूंगी इस बारे में मन्त्री महोदय कुछ सदन में कह दें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मन्त्री महोदय सदन में इसके लिए आश्वासन दे दें।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरा निवेदन है, सभापति महोदया, मन्त्री महोदय आज जिन मांगों पर फैसला अभी तक हो गया है वह सदन में बता दें और बाकी जो 11 मांगें बची हैं उनको भी बता दें।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : आप कोई फैसला करने वाले नहीं हैं। आप कभी भी इस हड़ताल को समाप्त कराना नहीं चाहते हैं। आप तो इसको और भड़काना चाहते हो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर रही हूं कि आप स्थान ग्रहण करें।

Page No. 72

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदया, ऐसा हाउस में कई बार हुआ पिछले तीन सालों में हमने सदन में देखा है कि मन्त्री महोदय स्टेटमेंट देने के पहले यह कह देते थे कि अभी वार्ता चल रही है और दो घन्टे बाद जब निर्णय हो जावेगा तब सदन में सूचना दे दी जावेगी। अब आज यह लोग यहाँ इस प्रकार का व्यवधान डाल रहे हैं। सभापति महोदया, यह फैसला होने देना नहीं चाहते हैं। इनकी नीयत खराब है।

(व्यवधान)

श्री बाऊ दयाल जोशी : सभापति महोदया, मुझे एक पत्र मिला है जिसमें यह लिखा है कि मेरे नाम दिनांक 13 अगस्त को मेरे नाम, स्थान की घोषणा के पश्चात् भी मेरी राज्य सरकार को चुनौती है कि वे मुझे पकड़ने की भरपूर कोशिश करें। मेरी बुद्धि का परिचय तब मिलेगा जब मैं अन्तिम क्षण तक सरकार की पकड़ में नहीं आऊंगा।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : सभापति महोदया, यह क्या बोल रहे हैं ?

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य पहले ही मन्त्री महोदय कह चुके हैं कि वह चार बजे बाद सदन में स्टेटमेंट देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदया, यह व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री बाऊदयाल जोशी : सभापति महोदया, इसमें लिखा है कि मैं क्रान्तिवीर सुभाष चन्द्र की तरह अज्ञात क्षण तक रहकर निर्धारित क्षण में प्रदेश के औषधालयों में सुलगती चिंगारियों द्वारा जलाई जाने वाली धधकती ज्वाला में कूद कर जन्म जन्मान्तर के लिए अमर हो जाऊंगा। राजस्थान सरकार के माथे पर लगेगा एक काला टीका।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप, क्या पढ़ रहे हैं ? मन्त्री महोदय ने कह दिया कि चार बजे बाद स्टेटमेंट देंगे। सिर्फ दो घन्टे की ही बात है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदया, पांच बजे बाद देंगे या कब देंगे कोई समय तो निर्धारित कर दें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आज विधान सभा समाप्त होने के पहले, उन्होंने कह तो दिया है।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह क्या मंत्री जी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदया, इनका काम है हाउस को नहीं चलने दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदया, यह पांच दिन तक क्या कर रहे थे ?

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चार बजे मीटिंग होगी।

श्री सभापति : आप जरा जोर से बोलिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आज चार बजे सरकारी अधिकारियों को मैंने बुलाया है। वार्ता करने के बाद आज हाउस समाप्त होगा उसके पहले माननीय सदस्यों को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया जायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदया, सदन समाप्त होने के पहले या मांगों के समाप्त होने के बाद में ? आप यह स्थिति स्पष्ट करें। चार बजे आप वार्ता करेंगे और उसके बाद में आप चाहें तो पांच बजे भी सदन को उसके निर्णय से अवगत करा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदया, इसमें उन्होंने लिखा है कि स्वतन्त्रता दिवस का राजस्थान में इतिहास लिखा जावेगा काले तार कोल से। संगठन जन्मान्तर तक प्रचण्ड शक्ति के साथ अपनी मांगों के लिये सतत् संघर्ष करता रहे। यही मेरा आत्मदाह से पूर्व आत्म निवेदन है।

श्री सूरजपाल सिंह : सभापति महोदया, यह सदन में वक्तव्य दे रहे हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी: सभापति महोदया, यह आत्मदाह के लिये जो लिखा है वह मैंने पढ़ा है।

श्री सूरजपाल सिंह : सभी को मालूम है यह हमने पहले ही पढ़ लिया है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदया, वह सुभाष चन्द्र बोस की तरह...

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह तो आपके हाथ-लोग बनाये हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठोड़ : सभापति महोदया, यह सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : ...लगेगा एक काला टीका... माननीय सभापति महोदया, मुझे यह डर है कि जिस व्यक्ति ने आत्मदाह की घोषणा की है उसने यह कहा है कि जिस प्रकार से सुभाषचन्द्र बोस को सरकार नहीं पकड़ सकी, जिस प्रकार से चन्द्रशेखर आजाद को सरकार नहीं पकड़ सकी उसी तरह से मुझे भी नहीं पकड़ा जा सकेगा। मैं जल मरूंगा...

श्री सूरजपाल सिंह : " आप कृपया बैठ जाइये...

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : ... मैं आयुर्वेद पढ़ा हुआ हूं। आयुर्वेद के व्यक्तियों के साथ अत्याचार कभी दाऊदयाल जोशी सहन नहीं करेगा ...

(व्यवधान)

आयुर्वेद मंत्री जी कल्पद किसको कहते हैं ...

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

श्री जयकृष्ण शर्मा : उनका काम तो होने नहीं देते। उलझा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : 15 अगस्त को व्यक्ति जल गया तो इससे बड़ा अन्याय नहीं होगा। यह सरकार भी उसके साथ ही समाप्त हो जायेगी।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : आप चिन्तित नहीं हों।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। कार्यवाही चलने दीजिए। इधर से और उधर से कृपया एक-एक माननीय सदस्य करके बोले :

(व्यवधान)

मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं। जरा इनकी सुन लीजिए पहले।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सभापति महोदया, यह तो पेड कर्मचारी हैं। माननीय सदस्यों ने जो संवेदना प्रकट की है उससे ज्यादा सरकार को है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इनके साथ जहां तक सरकार का बस चलेगा जरूर न्याय किया जायेगा मैं आज सदन की कार्यवाही समाप्त होने से पहले ही अपना वक्तव्य दे दूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 4 बजे मीटिंग हो रही है वह साढ़े चार बजे तक चल सकती है, पांच बजे तक चल सकती है।

(व्यवधान)

श्री सभापती : आप बीच में मत बोलिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ...मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि समय निर्धारित कीजिए 5 बजे या साढ़े 5 बजे।

श्री सभापति : आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदया, स्टेटमेन्ट का कोई टाइम थोड़े ही है ? कभी ऐसा होता है क्या ? 4 बजे के बाद में मीटिंग में बात कर लूंगा मीटिंग में चाहे एक घन्टा लगे, 2 घंटा लगे लेकिन सदन की समाप्ति के पहले ही बता दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री जी आश्वासन दे तो रहे हैं।

(व्यवधान)

(श्री सभापति)

अब आप स्थान ग्रहण करें। श्री खेतसिंह जी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदया, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि इतने दिनों से वातचीत चल रही है। क्या आज मंत्री महोदय कहने की स्थिति में नहीं हैं कि घंटे, दो घंटे या तीन घंटे लगेंगे ? हम यही कह रहे हैं कि पांच बजे दे दें, साढ़े पांच बजे दे दें। आज का मतलब तो यह हुआ कि मांगें पारित होने के बाद दिया जायेगा''

श्री खेतसिंह राठोड़ : अगर आप सुनना चाहते है तो बैठे रहना।

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह :''''सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'''

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दीजिए। आपत्ति इधर की तरफ से आई है। मंत्री जी आज इस पर वक्तव्य दे देंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आज की बैठक की समाप्ति का क्या मतलब है ? मांगें पारित होने के बाद देंगे ?

श्री सभापती : आज ही दे देंगे।

श्री खेतसिंह जी !

प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में संशोधन

श्री खेतसिंह राठोड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में निम्नलिखित संशोधन किये जायें :

(1) नियम 227 में शब्द "तेरह से अधिक सदस्यों" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह से अधिक सदस्य"।

(2) नियम 234 में शब्द "बारह से अधिक सदस्य" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह से अधिक सदस्य"।

(3) नियम 239 (1) में "शब्द बारह से अधिक सदस्य" के स्थान पर "शब्द पन्द्रह से अधिक सदस्य"।

(4) नियम 245 (1) में शब्द "तेरह से अधिक सदस्य" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह से अधिक सदस्य"।

(5) नियम 247 में शब्द "सभापति को मिलाकर चौदह से अधिक सदस्य" के स्थान पर शब्द "सभापति को मिलाकर पन्द्रह से अधिक सदस्य"।

(6) नियम 249 (1) में शब्द "नौ से अधिक सदस्य" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह से अधिक सदस्य"।

(7) नियम 253 का (1) में शब्द "पांच से अधिक सदस्य" के स्थान पर शब्द "सात से अधिक सदस्य"।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 5 के बजाय 9 कर दीजिए। औरों में भी 5 से 7 किया है, 13 किया है'''

श्री सभापति : आप प्रस्ताव के बीच में न बोलें। आपको बोलना है तो बाद में बोलें।

Page No. 76

(76)

श्री खेतसिंह राठौड़ :(8)नियम 253 का (2) में शब्द 'तेरह से अधिक सदस्य' के स्थान पर शब्द 'पन्द्रह से अधिक सदस्य' तथा

(9) नियम 253 डा (2) में शब्द 'तेरह से अधिक सदस्य' के स्थान पर शब्द 'पन्द्रह से अधिक सदस्य'

मैं यह संशोधन प्रस्तावित करता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया, जो मुख्य सचेतक महोदय ने यहां संशोधन प्रस्तुत किये हैं यह जो कमेटीज हैं उनके सदस्य बढ़ाये जाने के बारे में हैं। हमारी कमेटीज में वाकई में बहुत कम सदस्य हैं और उनमें माना जा सकता था कि सदस्य बढ़ाये जायें। इस तरह के प्रस्ताव भी आये थे लेकिन यहां तो करीब करीब सभी कमेटीज में जिनमें 9 सदस्य थे उनमें 15 की बात कही गयी है और दूसरी कमेटीज में 9 थे 13 करने की बात कही गयी है। मैं समझती हूं कि इस सबसे सरकार पर खर्चा बहुत बढ़ जायेगा। तो मैं इस बारे में आपत्ति करती हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यहां आपके नेता महोदय तो उपस्थित नहीं हैं। आपके उपनेता के क्या विचार हैं ?

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): समझा दिया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आसन पैरों पर है। बैठ जाइये। आप तो काफी सीनियर हैं। कुछ ख्याल रखा कीजिए तो अच्छा है।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मुख्य सचेतक महोदय ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 37 कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा 39 की प्रस्तुति

मंत्री महोदया।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 37, कृषि के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19 करोड़, 53 लाख, 63 हजार रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 39, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8 करोड़, 22 लाख 43 हजार रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

मांग संख्या 37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये :

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : 1. किसानों को सुधरा बीज व खाद समय पर न मिलने पर चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : श्री माधवसिंह दीवान (मोजत) : 2. किसानों को अन्य राज्यों के मुकाबले अनाज मूल्यों में प्रोत्साहन राशि देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण); श्री जीतमल जैन (अलवर) : 3. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों को विभाग द्वारा आधुनिक जानकारी प्रदान नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिए।

4. कृषि विभाग द्वारा जयपुर जिले की कई तहसीलों में कातरे से नष्ट होने वाली खेती को बचाने के उपाय नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई), श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा), श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन), श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर), श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाडा) 5. फसल बीमा योजना लागू किये जाने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : 6. फसल बीमा योजना लागू कराने में विभाग द्वारा उचित कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : 7. कृषि के माध्यम से कृषकों की माली हालत सुधारने हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल): 8. भीनमाल कृषि उपज मण्डी के निर्माण कार्य में बरती जा रही शिथिलता के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए।

9. किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य न मिलने के कारण किसानों में फैल रहे असन्तोष एवं निराशा पर चर्चा के लिए।

10. राज्य सरकार द्वारा सुदूर ग्रामीण अंचलों के किसानों को उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक औषधियां समय पर उपलब्ध न कराये जाने से किसानों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री शिवदानसिंह (जैतारण): 11. पाली जिले में उन्नत बीज वितरण में ढिलाई के कारण किसानों को समय पर बीज उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : 12. पीपल्दा क्षेत्र में ओ. एफ. डी. कार्यक्रम में बरती जा रही अनियमिततायें एवं इसे सस्ता बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : 13. सरकार द्वारा किसानों को बीज निगम, राजस्थान के माध्यम से सस्ती दर पर बीज उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हाऊदयाल जोशी (दीगोद) : 14. बीज निगम, राजस्थान द्वारा किसानों को कोटा जिले में खराब बीज वितरण करने के कारण फसल पैदा न होने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : 15. किसानों को सस्ते मूल्य पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): 16. कृषि विभाग द्वारा कृषि को उन्नत बनाने की व्यापक योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. कृषकों के प्रशिक्षण हेतु केशवराय पाटन में कृषि प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): 18. अन्ता में सब्जी प्रसार योजना के अन्तर्गत प्रसार अधिकारी का पद सृजन न करने से हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) 19. कृषि प्रयोगशालाओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर), श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार) : 20. खाद एवं बीज वितरण में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : 21. कृषि उपज मण्डी समिति सोजत रोड द्वारा राणावास में मण्डी यार्ड की योजना को विभाग द्वारा स्वीकृत न किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : 22. कृषि में सुधार करने के लिये आधुनिक तकनीकी ज्ञान एवं अच्छे बीज उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : 23. कृषि विस्तार कार्यक्रम को विकास विभाग को स्थानान्तरित कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ामालानी) : 24. झुंझुनूं जिले में कृषि के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : 25. कृषि उपजों का काश्तकारों को सही मूल्य प्राप्त न होने से काश्तकारों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

26. कृषि उपकरणों व उर्वरकों के बढ़ते हुए मूल्यों से व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : 27. कृषि प्रयोजन हेतु दिये जाने वाले कर्ज देने में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : 28. बीज निगम द्वारा अशुद्ध बीज देने से कोटा जिले की कृषि को हुई हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. अन्ता जिला कोटा में सब्जी की योजना की सही ढंग से क्रियान्विति कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30. कृषि विशेषज्ञों की नियुक्ति उनकी योग्यतानुसार ही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सम्पतराम (मण्डावा) : 31. अलसीसर पंचायत समिति क्षेत्र में बीज व खाद वितरण में हुए भेदभाव पर चर्चा के लिये।

श्री बाऊदयाल जोशी (खण्डार) : 32. राजस्थान राज्य बीज निगम कृषि विभाग के माध्यम से राजस्थान में बीज की समुचित व्यवस्था करने में असमर्थ रहा, इस पर चर्चा के लिये।

33. लघु एवं सीमांत कृषकों को विभाग द्वारा अधिक से अधिक सहायता देने के बारे में चर्चा के लिये।

34. राज्य में सस्ती दर पर खाद वितरित कराने बाबत चर्चा के लिये।

35. कोटा में कृषि प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने बाबत विभाग द्वारा कोई रुचि नहीं लिये जाने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री नरपतराय बरबड़ (सूरसागर) : 36. सूरसागर क्षेत्र में कृषि सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 37. राजस्थान में कृषि पैदावार बढ़ाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : 38. चौमूं में कृषि उपज मंडी बनाये जाने में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल (राजसमंद) : 39. कृषि पैदावार बढ़ाने हेतु आधुनिक तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : 40. राज्य सरकार संकर कपास का बीज दिलाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

41. राज्य सरकार काश्तकारों को कीटनाशक दवाइयां दिलाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये,

42. राज्य सरकार कृषि औजार काश्तकारों को दिलाने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : 43. राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को लाभ पहुंचाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : 44. वाणिज्यिक फसलों के अधिक उत्पादन हेतु अनुसंधान तेज किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. नीम का थाना में कृषि प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने हेतु विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री छोगाराम बाकोलिया (रेवदर) : 46. सिरोही जिले में कृषि उत्पादकों को उन्नत औजार, उन्नत बीज एवं साधन उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : 47. कृषकों को उन्नत बीज व रासायनिक खाद उचित मूल्य पर नहीं दिलाये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : 48. कृषि विभाग की उदासीनता से करौली निर्वाचन क्षेत्र में कृषकों को कृषि की आधुनिकतम जानकारी उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) 49. कृषि के उन्नत बीजों का समय पर

(श्री हंसराज शर्मा)
वितरण मांग के अनुपात में नहीं होने से कृषकों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : 50. प्रतापगढ़ तहसील में खाद तथा बीज की अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़): 51. किसानों को उपयुक्त समय पर पर्याप्त कृषि सुविधायें उपलब्ध कराने एवं कृषि साधनों पर बढ़ती हुई कीमतें कम करने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री सूर्यकुमार (नंनवा) : 52. कृषि उत्पादकों को उत्साहित करने में सरकार असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

53. वर्तमान आधारहीन कृषि-नीति के स्थान पर कृषि-उत्पादन को नियन्त्रित करने तथा फसल बीमा योजना को लागू करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : 54. कृषि विभाग द्वारा कृषकों को आधुनिकतम खेती के लिए उन्नत किस्म का बीज एवं रासायनिक खाद समय पर उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (प्रतापगढ़) : 55. समय पर बीज एवं खाद न मिलने के कारण किसानों को होने वाली परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भेरूलाल (मनोहरथाना): 56. खाद और बीज के भावों की निरन्तर वृद्धि से कृषकों की माली हालत पर पड़ने वाले कुप्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. कृषि विभाग द्वारा ज्वार, मक्का, गेहूं और चना के बीज ऊंचे भावों से बेचे जाने से कृषकों पर पड़ने वाले असर पर चर्चा के लिये।

58. फसल को नुकसान पहुंचाने वाले किटाणुओं को नष्ट करने वाली दवाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. कृषकों को कृषि कार्य हेतु दिये जाने वाले ऋणों को प्राप्त करने में कृषकों को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री पृथ्वीसिंह (खानपुर) : 60. विभाग द्वारा खानपुर क्षेत्र में कृषि विकास हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : 61. जैसलमेर से कृषि उपज मण्डी हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : 62. आमेर निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को उन्नत किस्म के बीज व रासायनिक खाद समय पर उचित मात्रा में तथा निर्धारित मूल्य में नहीं मिल पाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : 63. कृषि विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि विकास केन्द्रों की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापना तथा पुनः पंचायत समितियों के अन्तर्गत कृषि प्रसार कार्यक्रम चलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : 64. राजस्थान में कृषि के व्यापक प्रसार हेतु एक और कृषि प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु विभाग द्वारा उदासीनता बरते जाने पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : 65. कृषि कीटाणुओं की रोकथाम में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

66. विभाग द्वारा सुधरे बीजों के वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना) : 67. अकलेरा तहसील के गांवों की अधिकांश कृषि भूमि ढलान के रूप में है उसे समतल कराये जाने हेतु कृषकों को अनुदान दिलाने में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र मिर्धा (मूण्डवा) : 68. कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु कृषकों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रेवत राम (डूंगरगढ़) 69. कृषि उपज मण्डी समितियों के शीघ्र चुनाव कराये जाने बाबत चर्चा के लिये।

70. श्री डूंगरगढ क्षेत्र के कृषि उपज मण्डी के लिए भूमि आवंटन न किये जाने से निर्माण में होने वाली देरी पर चर्चा के लिए।

71. श्री डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में मोठ व गवार की फसलों में लगने वाले कीड़ों को रोक पाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री देवदत्त (बाड़मेर) : 72. जिला बाड़मेर में कृषि के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई (सूरतगढ़): 73. खरीफ एवं रबी की फसलों में लगने वाली बीमारियों की रोकथाम के बारे में अन्वेषण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी): 74. जिला डूंगरपुर में कृषि की उपज बढ़ाने हेतु कृषकों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर) : 75. जिला डूंगरपुर मे कृषि प्रशिक्षण केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर): 76. जिला डूंगरपुर में कृषकों को उचित समय पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू) : 77. कृषि विभाग में व्याप्त अव्यवस्था के कारण कृषि उपजों में होने वाले ह्रास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): 78. कृषि विभाग में हुई पदोन्नतियों में घोर अनियमितता तथा सिविल सेवा अपील अधिकरण के निर्णयों को दो वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी विभाग द्वारा लागू न करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): 79. कृषि पर आधारित किसानों के लिये मण्डी यार्ड बनाये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामधन (लाडनूं) : 80. कृषकों को समय पर अल्प मात्रा में अधिक मूल्यों पर खाद व बीज दिये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : 81. कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने में विभाग की असफलता से कृषकों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई),

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : 82. राज्य सरकार कृषकों को उसकी उपज का समता मूल्य दिलाने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई),

श्री लच्छूराम (मण्डावा),

श्री भरोसी (हिण्डौन) : 83. सरकार फसल पर बीमा लागू कराने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): 84. विभाग द्वारा कृषि रिसर्च कार्यों में शिथिलता बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : 85. फसलों के लिये बीमा योजना लागू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. फसलों को बीमारियों व कीटाणुओं से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. सुधरे बीज समय पर न मिलने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : 88 कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये कृषकों को कृषि से संबंधित आधुनिक तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 39 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक पशु पालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :—

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : 1. नागौर जिले के पशुपालकों को नागौरी नस्ल के सांड उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी), **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): 2. जोधपुर डेयरी में व्याप्त भ्रष्टाचार, नौकरशाही व पशुपालकों की परेशानियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : 3. रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में अधिक पशु होते हुए भी पर्याप्त मात्रा में पशु चिकित्सालय नहीं हैं, इस पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल), **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा): 4. भीनमाल निर्वाचन क्षेत्र में पशु विकास के क्षेत्र में बरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिये।

5. जालोर जिले में डेयरी विकास हेतु कोई प्रावधान न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

डॉ. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण), श्री जीतमल जैन (अलवर) : 6 जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के गांवों में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा), श्री नाथूसिंह (बांगीकुई), श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन), श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर), श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : 7. प्रत्येक तीन पंचायतों में एक पशु चिकित्सालय की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : 8. बीकानेर में डेयरी विकास की व्यापक योजनाओं के अभाव से दुग्ध उत्पादन में हो रही कमी पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : 9. सीकर जिले के कोलीड़ा एवं राजपुरा ग्राम में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : 10. पशुपालन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को पूर्ण ज्ञान न होने के कारण पशुपालन में व्यवधान तथा अपव्यय हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

11. मत्स्य उद्योग में हुए घोटालों का मुख्य कारण अधिकारियों की लापरवाही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 12. राजस्थान में पशुओं की देखरेख एवं चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें अपर्याप्त हैं, इस पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : 13. भीनमाल तहसील में कुम्बड़िया ग्राम में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

14. जिला जालोर में पशुपालन योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

श्री शिवदान सिंह (जैतारण) : 15. जैतारण तहसील में बिलाड़ा में पशु चिकित्सालय खोलने बावत चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : 16. चित्तौड़गढ़ जिले में दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने बावत चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : 17. पीपल्दा, अयाना तथा गैंता एवं इटावा में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : 18. डग विधान सभा क्षेत्र के दुधालिया ग्राम में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

19. झालावाड़ जिले के रायपुर कस्बे में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां), श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : 20. पशुपालन विभाग द्वारा उपेक्षित कोटा जिले में पशुओं के उपचार की व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये।

Page No. 84

(८५)

(श्री रघुवीरसिंह,कौशल श्री दाऊदयाल जोशी)

21. पशु पालन प्रशिक्षणालय, कोटा में प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश में घोर अनियमितातायें किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : 22. पिडावा विधान सभा क्षेत्र के रायपुर कस्बे में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (टाटन) : 23. पंचायत समितियों में कार्यरत पशुधन सहायकों को सरकार द्वारा पंचायत समितियों से हटा दिये जाने पर चर्चा के लिये।

24. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पशु चिकित्सालय खुलाने हेतु चर्चा के लिये।

25. पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध नहीं होने से होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची): 26. एक ऐसी यूनिट की व्यवस्था की जावे जो गांवों में पशुपालकों से भेंट कर, पशुओं की सामान्य बीमारियों का पता लगाकर उनका निदान कर सके तथा पशुपालकों को इस सम्बन्ध में सामान्य जानकारी उपलब्ध करा सके इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. राजस्थान में बन्द पड़े चिलिंग सेन्टर पुनः चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर), **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल): 28. ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : 29. राजस्थान के किसानों की माली हालत अच्छी करने हेतु पशुपालन की सभी सुविधायें तुरन्त एवं प्रचुर मात्रा में प्रदान की जायं, इस हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : 30. अजमेर डेयरी का प्रबन्ध निर्वाचित संचालक मंडल को सौंपने बाबत चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढा) : 31. झुंझुनूं जिले में डेयरी विकास एवं पशु चिकित्सालय की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिये।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़) : 32. किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरवड (परबतसर) : 33. परबतसर पशु मेले की मास्टर प्लान के अनुसार समुचित व्यवस्था करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार), **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : 34. विधान सभा क्षेत्र खण्डार-1. शिवाड़ा 2. वहेरावडा कलां, 3. फलौदी, 4. रोडावत गांवों में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : 35. सिकराय क्षेत्र में पशुओं के रोगों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : 36. पशु चिकित्सालयों की कमी एवं पशु

(श्री मेघराज तावड़)
चिकित्सालयों में दवाइयों के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : 37. कोटा जिले में पशुपालन विभाग की निष्क्रियता से संकर नस्ल के पशुओं की प्रगति न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : 38. माण्डल निर्वाचन क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री नानू राम (आसीन्द) : 39. "की-विलेज" स्कीम को आसींद में पुनः लागू कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : 40. विभिन्न पशु रोगों से पशुओं की रक्षा करने में विभाग असमर्थ रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

41. पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में प्रवेश में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. अमूल डेयरी में लगाये गये संयंत्र का उचित उपयोग नहीं होने पर चर्चा के लिये।

43. पंचायत सुल्तानपुर में व पंचायत समिति सांगोद क्षेत्र के ग्रामों में पशु चिकित्सालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

44. कोटा जिले के ग्राम दरा में एक बड़ी डेयरी शुरू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) : 45. सूरसागर क्षेत्र में पशु चिकित्सालय के अभाव के बारे में चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं): 46. चौमूं क्षेत्र में चीथवाड़ी, खेजरोली, किशन-मानपुरा व खेजरोली में पशु चिकित्सालय न खोले जाने पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल (राजसमन्द) : 47. रेलमगरा तहसील (उदयपुर) के कुरज कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की अव्यवस्था तथा चल पशु चिकित्सालय की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : 48. राज्य सरकार पशुओं के लिये चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : 49. राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन सुविधा उपलब्ध कराने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : 50. रायपुर जागीर व अन्य बड़े गांवों (नीम का थाना) में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : 51. विभाग द्वारा सिरोही जिले में पशु-पालकों को औषधियां न दिलाने एवं अच्छी नस्ल के पशुओं की समुचित देखरेख न करने पर चर्चा के लिये।

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : 52. फुलेरा निर्वाचन क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : 53. करौली निर्वाचन क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) : 54. पशुओं में भयंकर बीमारियों की रोकथाम हेतु समय पर टीके उपलब्ध कराने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

55. सवाई माधोपुर क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : 56. टोंक शहर में एक और पशु चिकित्सालय एवं सीरड़ा ग्राम (निवाई) में पशु चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

57. टोंक और निवाई में सुअर पालन विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. टोंक शहर में डेयरी विकास के अन्तर्गत अवशीतन केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : 59. अच्छे नस्ल के पशुओं की व्यवस्था करने और उनकी बीमारियों की रोकथाम करने हेतु चिकित्सालयों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा): 60. पंचायत समिति नैनवा, जिला बूंदी की पंचायत करवर में पशु चिकित्सालय खोलने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (पचपदरा) : 61. पचपदरा निर्वाचन क्षेत्र में भेड़ों की चिकित्सा के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (मनोहर थाना) : 62. अकलेरा तहसील में पशु चिकित्सालयों के अभाव एवं पंचायतों में सांड उपलब्ध कराने की प्रथा को हटा दिये जाने से पड़ने वाले कुप्रभाव पर चर्चा के लिये।

63. झालावाड़ जिले में ऊंटों की बीमारी को रोकने हेतु इंजेक्शनों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पृथ्वीसिंह (खानपुर) : 64. झालावाड़ जिले में डेयरी स्कीम चालू करने एवं पशु नस्ल सुधारने बाबत समुचित व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास (चौहटन): 65. जिला बाड़मेर में पशु चिकित्सालय के लिये कम बजट प्रावधान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार), श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : 66. सवाई माधोपुर क्षेत्र में पशु चिकित्सा की समुचित व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : 67. जैसलमेर में चिलिंग प्लान्ट स्थापित कराने बाबत चर्चा के लिये।

68. जैसलमेर में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : 69. आमेर निर्वाचन क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : 70. पशुपालन कार्यक्रम एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था एवं राजस्थान में डेयरी कार्यक्रम में अव्यवस्था तथा अनियमितता एवं घोटालों बावत चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : 71. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में बीमार पशुओं के लिये दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : 72. नागौर जिले में नस्ल सुधार हेतु ग्रामों में मुफ्त सांड उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

73. पशु मेलों में होने वाली अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

74. पशुओं की चिकित्सा हेतु चिकित्सालयों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (मनोहर थाना) : 75. अकलेरा तहसील के घाटोली-भालता-चन्दीपुर और कोलूखेड़ी में पशु चिकित्सालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) : 76. चूरू जिले में पशु चिकित्सालयों के अभाव से पशुधन की हानि होने पर चर्चा के लिये।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : 77. जिला बाड़मेर में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : 78. सूरतगढ़ क्षेत्र में पशु पालन विकास योजनायें लागू करने एवं पशु चिकित्सालय के लिए विशेष बजट प्रावधान कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : 79. टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द अमलिया (चौरासी) : 80. जिला डूंगरपुर में पशु चिकित्सालयों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर) : 81. डूंगरपुर जिले में पशु चिकित्सालयों की कमी के बारे में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्रकुमार (आसपुर) : 82. जिला डूंगरपुर में पशु चिकित्सालयों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू) : 83. आमेर से खेजरोली-किशनमानपुरा, बांसा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) : 84. लाडनूं निर्वाचन क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री लच्छूराम (मण्डावा): 85. राजकीय पशु चिकित्सालय, मण्डावा जिला झुंझुनूं में अव्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदाय की जाने वाली दवाइयों का डॉक्टर एवं कम्पाउण्डरों द्वारा निजी स्तर पर उपयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : 86. मछलियों के ठेके देने में की गई धांधली पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई), श्री सच्चूराम (मण्डावा) : 87. पशु नस्ल सुधारने हेतु आधुनिक तकनीकी ज्ञान अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) : 88. सीमावर्ती क्षेत्रों के पशुपालकों को पशुपालन हेतु सहायता उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : 89. पशुओं की सुरक्षा हेतु विभागीय स्तर पर बीमा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. नागौर जिले के पशु मेलों का प्रबन्ध ठीक नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

91. सरकार की ओर से नागौर जिले में नागौरी नस्ल के सांडों के मुफ्त वितरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री सभापति : कटौती प्रस्तावों पर बोलेंगे।

श्री हरेन्द्र मिर्धा !

श्री हरेन्द्र मिर्धा (मूण्डवा) : मैं अभी नहीं बोलना चाहता।

श्री सभापति : रतनाराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापति महोदया, मैंने कृषि, पशुपालन और डेयरी के विषय में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं सबसे पहले कृषि के ऊपर अपने सुझाव देना चाहूंगा।

सभापति महोदया, भारत कृषि प्रधान देश है जहां 80, 85 प्रतिशत लोग खेती करते हैं और उस पर निर्भर रहते हैं। राजस्थान में भी उसी आधार और अनुपात के अन्दर यहां का किसान करीब 80 प्रतिशत खेती के ऊपर निर्भर रहता है। एक विशेषज्ञ ने संज्ञा दी थी कि भारत का किसान गरीबी में पैदा होता है, कर्ज में पलता है और कर्ज के अन्दर ही वह मर जाता है। जिस देश में किसान की यह हालत हो जहां पर किसान इतने ज्यादा आधार पर खेती पर निर्भर रहता हो जब तक उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक देश समृद्ध नहीं हो सकता। यह किसान के लिये, सरकार के लिये और देश के लिये अच्छी बात नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, मैं कुछ सुझाव कृषि के बारे में देना चाहूंगा। आज राजस्थान के अन्दर जब वर्षा होती है उस समय हम, हमारी सरकार और कृषि विभाग अलग-अलग प्रांतों से गेहूं, बाजरा, मूंग, मोठ आदि के बीज निर्यात करते हैं। आज राजस्थान का जो क्लाइमेट है, यहां की जो हालत है, यहां की जो जमीन है, यहां की खेती, यहां के पानी की जो हालत है, सब मिलाकर एक तो जो बीज यहां पैदा किया जाये और एक बाहर से आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, मैसूर से मद्रास आदि प्रांतों से यहां लाकर किसानों को सप्लाई करें और वह भी इतनी ज्यादा कीमत पर जिसका गरीब किसान उपयोग

(श्री रामसिंह विश्नोई)

नहीं कर सकता, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सभापति महोदया, मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर सूरतगढ़ कृषि फार्म है जो बहुत ही बड़ा कृषि फार्म है हिन्दुस्तान के अन्दर। यहां पर नाना प्रकार के विशेषज्ञ और औजार उपलब्ध है। करीब 50-60 हजार बीघा जमीन उपलब्ध है। अगर सब तरह के बीज, एक ही स्थान पर, राजस्थान बीज निगम की ओर से, सरकार की ओर से पैदा करते हैं और किसानों को सप्लाई करते हैं तो इससे बड़ी राहत राजस्थान के किसानों के लिए नहीं हो सकती। दूसरी सरकारों से अधिक पैसा देकर बीज मंगाते हैं वह बीज इतना खराब निकलता है की सभी तरफ से किसानों को घाटा होता है। माननीय सभापति महोदया, बीज बोने के बाद जब बरसात होती है, एक बार बरसात होने के बाद यह लाजमी नहीं है कि बरसात और हो, अगर हो भी जाये तो बीज खराब हो जाता है। एक महीना लेट बरसात होती है तो बीज खराब हो जाता है। खेत खाली रह जाते हैं। एक तो इतना महंगा बीज, दूसरे दो-तीन दिन में खराब हो जाता है, किसानों की बड़ी दयनीय स्थिति है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सूरतगढ़ कृषि फार्म बहुत बड़ा फार्म है, सुन्दर ढंग से बनाया गया है, मेरा सुझाव है, करोड़ों और लाखों की सम्पत्ति राजस्थान के अन्दर है, बहुत अच्छी स्थिति के अन्दर है उसे आप ले सकते हैं। पूरे बीज का एक जगह उत्पादन करें। यहां एक अच्छा फार्म बनेगा तो उन्नत किस्म के बीज पूरे हिन्दुस्तान में सप्लाई कर सकते हैं।

दूसरा, सभापति महोदया, मेरा निवेदन यह है कि जिला कृषि कार्यालय है। आज से दस साल पहले तो इसका महत्व था। नाना प्रकार की सेवायें जिला कृषि अधिकारी के अन्तर्गत थीं लेकिन आज केवल मटर-गश्ती करने और चाय पीने के अलावा कुछ भी काम करने को नहीं है। या तो आप इन अधिकारियों को काम दीजिये, सक्षम बनाइये, बजट दीजिये, अगर बजट नहीं है, तो मेरा निवेदन है कि उनको किसी और जगह एडजस्ट करें, यह नहीं कहता उनको निकाल दीजिये, इनकी सेवाओं और किसी कार्य के लिये उपयोग करें। क्या लाखों रुपयों का बजट केवल इनकी तनख्वाहों के ऊपर खर्च करना चाहते हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदया, अभी तो मैं डेयरी पर बोलूंगा।

श्री सभापति : बहुत लम्बी लिस्ट है। दो दो वक्तव्य होने वाले हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : या तो इन जिला कृषि अधिकारियों को सक्षम बनाइये अथवा इनको दूसरी जगह एडजस्ट करें।

सभापति महोदय, अब मैं पशुपालन के बारे में बोलना चाहूंगा। हिन्दुस्तान के अन्दर, राजस्थान के अन्दर, और वह भी पश्चिमी राजस्थान के अन्दर पशुपालन दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिये आपका फर्ज और कर्तव्य हो जाता है कि इसको जिन्दा रखने के लिये इसकी नस्ल बढ़ाने के लिये, इसकी देख-रेख, खान-पीन व्यवस्था के लिये, किस तरह से सुन्दर नस्ल बना सकें और उन्नत बना सकें, इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिये..

(श्री रामसिंह विश्नोई)

वरना अकाल पड़ता है और जबरदस्त अकाल पड़ने के बाद लाखों रुपयों के पशु मर जाते है केवल देख-रेख के कारण और मजबूरी के कारण। आपका फर्ज है जो अच्छी नस्ल के पशु हैं चाहे ऊंट हो, घोड़ा हो, गाय हो, भैंस हो उनकी देख-रेख अच्छे ढंग से करें।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं डेयरी के बारे में, जो पहले यहां 6 7 साल पहले लगाई गई थी। यहां के किसान हैं जो दूध का धन्धा करते हैं, उनको सही कीमत नहीं मिलती है इसलिए दस साल पहले जो डेयरी जोधपुर में लगी थी, उस वक्त जोधपुर डेयरी में 80 हजार लीटर प्रति दिन दूध इकट्ठा होता था अब उस डेयरी की हालत इतनी बिगड़ गई है, मेरा मतलब है जनता पार्टी की सरकार ने 2 3 साल ही अवधि में इसकी ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं की और अब केवल जोधपुर डेयरी में 20 हजार लीटर दूध रह गया है। पहले पाउडर बनता था वह बन्द हो गया, घी बनता था वह बन्द हो गया। किसानों के हित के जो प्लान थे वे सब बन्द हो गये। मेरा निवेदन है जिस चीज को बढ़ाना चाहते थे और केन्द्रीय सरकार ने करोड़ों रुपया देकर जो प्लान्ट लगवाये थे, उसको चला नहीं सके यह बहुत बुरी बात है। मेरा निवेदन है उसको गौर से देखा जाना चाहिये चाहे वह बीकानेर की डेयरी हो, चाहे जोधपुर की डेयरी हो, चाहे अजमेर की डेयरी हो और चाहे जयपुर की डेयरी हो। वहां पर दूध की मात्रा कम कैसे हुई, इसको देखा जाना चाहिये। पहले किसानों को आप दूध का जो भाव देते थे आज भी वही भाव है। आज 10 साल बाद बाजार में गेहूं के, बाजरे के, बांटे के सब के भाव बढ़ गये हैं लेकिन घी और दूध के भाव वही हैं जो दस साल पहले थे। आपने उनके भाव नहीं बढ़ाये तो किसानों को दूध बन्द करना पड़ा और मजबूर होकर दूसरे कदम उनको उठाने पड़े।

आज आपके चिकित्सा विभाग में अमूल डेयरी का पाउडर दूसरी जगह से आता है जब कि पहले यहां से आता था। चिकित्सा के लिए आप को पाउडर मंगवाना पड़ता है वह आज यहां पर नहीं बनता है, इसके क्या कारण हैं ? मेरा निवेदन है यह यहां बनना चाहिये, घी बनना चाहिये और नाना प्रकार की मिठाइयां बनाकर दूसरी जगहों पर भेजनी चाहिये ताकि हमारे यहां के किसान को प्रोत्साहन मिले। इससे किसान की माली हालत ठीक होगी। तो मेरा निवेदन है वे अपने भैंसों की, गायों की, ऊंट की, घोड़ों की, बकरियों की देखरेख अच्छी तरह से कर सकेंगे और जो अच्छी नस्ल के जानवर हैं उनकी देख-रेख अच्छी हो सकेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदया, मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि जोधपुर डेयरी के लिये एक बहुत भव्य भवन बना हुआ है। अब वहां तीन चार जगह और कार्यालय बना दिये हैं। वहां के जनरल मैनेजर से सारे किसान इकट्ठे होकर कोई मांग न कर सकें इसलिये तीन-चार प्लान्ट्स को अलग अलग जगह कर दिया है, घी का प्लान्ट अलग कर दिया, दूध का प्लान्ट कर दिया, इससे जब एक

(श्री रामसिंह विश्नोई)

किसान अपनी तकलीफ को लेकर आता है तो वह तीनों, चारों जगह रोता फिरता है और पचासों रुपया खर्च करता है किराये-भाड़े में और जब वह बड़ी मुश्किल से उन कार्यालयों में पहुंचता है तो कभी लन्च टाइम हो जाता है, कभी कर्मचारी नहीं मिलता है। तो मेरा मतलब है गरीब किसान 5-6 जगह रोता फिरता है, घूमता फिरता है उसके बावजूद उसका काम नहीं बनता है इसलिये मेरा निवेदन है डेयरी एक ही जगह होनी चाहिये, जिस प्रकार पहले थी। इससे किसान का समय और पैसा दोनों बरबाद होते हैं इसलिए जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए-किसानों के दूध के भाव बढ़ाने चाहिये ··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लास्ट में इतना ही निवेदन है जो पशु चिकित्सालय हैं, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा वे किसी काम के नहीं हैं। एक एक पशु चिकित्सालय में 4-4, 5-5 आदमी हैं और वहां पर पांच आदमी भी नहीं आते हैं क्योंकि जो आपके 4-4, 5-5 आदमी हैं वे कुछ जानते नहीं हैं, गाय-भैंस के बारे में उनको कोई जानकारी ही नहीं होती है इसलिये इसके लिये कोई नई व्यवस्था करें। मेरा सुझाव है कम पढ़े लिखे लोगों को लगावें, ग्राम सेवकों को ट्रेण्ड करके लगावें, उनको इस प्रकार का ज्ञान दें ताकि वे किसानों के हितों की ओर उनके जानवरों की अच्छी प्रकार देख-रेख कर सकें। आपने जो चार-पांच आदमियों का इतना स्टाफ लगा रखा है और जो उनके लिये आप बजट में प्रावधान करते हैं, यह न्यायोचित नहीं है। किसानों को उनसे कोई फायदा नहीं हुआ है और किसी को भी फायदा नहीं हुआ है। यही कहते हुए जो मैंने सुझाव दिये हैं इन पर सरकार गौर करे, अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री ईश्वरलाल सैनी ! टाइम का ध्यान रखें। कोशिश कीजिये, दो मंत्री महोदय के वक्तव्य भी आयेंगे, लम्बी लिस्ट है। सभी को बोलने का मौका मिल जाय।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : सभापति जी, मैं मांग संख्या 37 और 39 के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जनता सरकार के शासन में कृषि उपज मण्डी, कृषि विपणन बोर्ड और कृषि में कोई विकास नहीं हुआ। आपने देखा होगा जनता शासन के दौरान इनके भ्रष्ट कारनामे आपके सामने आए हैं।

एक माननीय सदस्य : पहले 30 वर्षों में क्या हुआ ?

श्री सभापति : आप बीच में बोल रहे हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : दूध की डेयरी से घोटाला हुआ है ··

(व्यवधान)

30 साल में बहुत कुछ हुआ है लेकिन 28 महीनों में क्या हुआ ? आप बता सकते हैं 28 महीनों में ही आपकी सरकार क्यों चली गई ? इसका जवाब तो जनता ने दे दिया जिसके फलस्वरूप आप सदन में सिकुड़ कर बैठे हैं ......

(व्यवधान)

श्री भगवनदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : आपने दो लाख का घोटाला किया है अलवर में उसकी एन्क्वायरी रिपोर्ट आ गई है...

(व्यवधान)

श्री सभापति : राजनैतिक बहस नहीं, आप अपने विषय पर ही बोलें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदया, मेरा समय जाया कर रहे हैं।

श्री सभापति : मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। माननीय सदस्य इस तरह करेंगे तो आपका समय काट लिया जावेगा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : जो विधायक समय लेते हैं, वह नोट कर लिया जाय।

श्री सभापति : क्या नोट कर लिया जाय ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : समय/जिस समय जनता सरकार लड़खड़ा रही थी भंग होने जा रही थी, उस वक्त के कृषि मंत्री केवल सफरी के लिए विदेश चले गये।

(व्यवधान)

फोरेन में गए और जिसका उन पर 40 हजार रुपये का खर्चा आया वह भी प्लेन से फर्स्ट क्लास में गये जब कि इकोनॉमी क्लास में जा सकते थे। यही नहीं जो डेयरी डवलपमेंट के मैनेजिंग डाइरेक्टर थे, वे भी उनके साथ गये और वहां से लाये क्या केवल एक बन्दूक...

एक माननीय सदस्य : क्या लाये ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : केवल एक बन्दूक और कुछ नहीं लाये वहां से डेयरी के विकास के लिये जो रिपोर्ट दी है उसमें देख सकते हैं। केवल एक बन्दूक लाये, पता नहीं बन्दूक से डेयरी चलानी थी या पशुओं को मारना था या फिर कोई उससे खेती करनी थी ? सभापति महोदया, कृषि उपज मण्डी गंगापुर बामनवास में बनाने के लिए 30 बीघा जमीन पंचायत ने निःशुल्क कृषि उपज मंडी को दी और जिसकी रजिस्ट्री भी करा दी गई, कम्पाउण्ड वाल बना दी गई लेकिन हुआ क्या ? हुआ यह कि जब पोर्ट फोलियो में फेर बदल हुई और दूसरे कृषि मन्त्री बने तो उन्होंने वहां से एक किलोमीटर दूर 7 बीघा जमीन किसानों से खरीद ली और जमीन का मुआवजा 50 हजार रुपया प्रति बीघा का दे दिया गया। पहले जो जमीन मुफ्त में दी गई थी कृषि उपज मण्डी को उसको कैंसिल कर दिया गया। उस जमीन को छोड़ दिया गया। इस प्रकार 50 हजार रु. मुआवजा देकर जमीन कृषि उपजमण्डी के लिए खरीद कर दे दी। इसके लिए जिला कांग्रेस पार्टी के जो नुमाइन्दे थे उन्होंने शिकायत भी की लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय जनता पार्टी के विधायक और लोक सभा के सदस्य की इसमें सांठ-गांठ थी। अब इस काम को रोक कर हमारे मुख्य मन्त्री जी या कृषि मंत्री जी जांच करवायेंगे। इसके अलावा इसी प्रकार के दूसरे घोटालों के लिये आपकी मार्फत सूचित करूं कि झोटवाड़े में कृषि उपज मंडी के लिये 70 बीघा जमीन दस हजार प्रति बीघा जमीन खरीदने के लिए आदेश दिये लेकिन जनता पार्टी के कृषि मंत्री ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें तत्कालीन कृषि उपज मण्डी के अध्यक्ष व सचिव नाम नहीं

(श्री ईश्वरलाल सैनी)
लूंगा लेकिन कहेंगे तो नाम भी बता दूंगा ...

श्री सभापति : नाम की आवश्यकता नहीं है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : जो कृषि उपज मण्डी के प्रशासक हैं, इस भूमि को दस हजार के बजाय, जब कि दस हजार में तय हुई थी लेकिन तत्कालीन कृषि मंत्री ने अपना प्रेशर डालकर इस जमीन को साढ़े तेरह हजार रुपया प्रति बीघा में खरीदने का निर्णय करवा दिया। बीच का डिफरेन्स मंत्री महोदय का जमीन के मालिक से तय हुआ था जो वह खुद हजम करना चाहते थे। इस प्रकार 2 लाख और 45 हजार रुपयों का सरकार को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की लेकिन भगवान का शुक्र है कि इसी बीच जनता सरकार भंग हो गयी और यह डील निरस्त हो गयी। अगर आप चाहें तो आज भी देख सकते हैं उस समय जो प्रशासक थे, गोस्वामी जी, उन्होंने इसमें ऑब्जेक्शन भी किया था लेकिन उनको डांट फटकार पड़ी। अब मैं समझता हूं कि इसकी भी जांच करानी आवश्यक है। राजस्थान में राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया। कृषि विपणन बोर्ड जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे, उस बोर्ड के लिये इतना मैं बता दूं, भाई-भतीजावाद और जातिवाद का गठन में बोलबाला था। उन्होंने उसमें राजपूत सदस्य लगाये, अध्यक्ष भी राजपूत, सचिव भी राजपूत और 3 सदस्य भी राजपूत लगाये। उनके नाम भी अगर चाहो तो बता सकता हूं। नाम बता दूं ....

श्री सभापति : कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : नाम बता दूं, उम्मेदसिंह, राठौड़ और सिसोदिया, ये तीन तो ही सदस्य थे।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, मैं यह समझती हूं कि . .

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष ने...

(व्यवधान)

श्री सभापति : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर आया है।

सुश्री पुष्पा जैन : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पायी कि कटौती प्रस्ताव पेश कर रहे हैं या

)व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या। मैं उनका उत्तर दूंगी। आप न बोलें, आसन उत्तर देगा।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, ये बार-बार कहते हैं कि आप अगर कहें तो नाम बता दूं ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, यह नहीं है पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। स्थान ग्रहण

(३५)

(श्री सभापति)
करें। पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। आप शुरू करें बोलना।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने काम नहीं किया, घोटाले किये हैं। आपने क्या किया 28 महीने में, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते तो विकास कर सकते थे। आप बड़ी डेयरी विकास योजना ला सकते थे, कृषि उपज मण्डी का आधुनिक विकास कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया इसके विपरीत आपने घोटाले किये। जातिवाद पनपाया, रिश्वत को प्रोत्साहन दिया।

(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : यह क्या समझते हैं। सभापति महोदय, आसन द्वारा यह व्यवस्था दी जानी चाहिए किसी का नाम नहीं पुकारें।

श्री सभापति : मैं व्यवस्था दे चुकी हूं। यह कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। आप बोलिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष ने सरकारी वाहनों का दुरुपयोग किया, आप लॉग बुक उठा कर देख सकते हैं। कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष का जयपुर में या सुमेरपुर, पाली में जहां उनका घर है जाना होता था लॉग बुक में लिखा हुआ मिलेगा। इस तरह सरकारी गाड़ी को घरेलू कार्य में ही जोता जाता था ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : पाइंट ऑफ ऑर्डर, आ रहा है।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय सभापति महोदय, एक सूची में जो कटौती प्रस्ताव का विवरण आया है उसमें माननीय सदस्य का कहीं भी कटौती प्रस्ताव नहीं है। मैं समझता हूं कि इस सूची से अलग कैसे बोलने की आप आज्ञा दे रही हैं ? आप अपनी व्यवस्था दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपने कटौती प्रस्ताव दिया था ?

(व्यवधान)

श्री जीतमल जैन : यह जो सूची दी गयी है, इसमें इनका नाम नहीं है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप देख लीजिए, कटौती प्रस्ताव है या नहीं।

श्री सभापति : नियमानुसार उन्होंने कटौती प्रस्ताव नहीं दिया है। आप बोल सकते हैं और जिन्होंने नहीं दिया है वे भी बोल सकते हैं। आप बोलिये, जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यही नहीं लोक सभा के चुनाव में भी इस जीप का दुरुपयोग किया गया था। सभापति महोदय, उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय में गत वर्ष प्रवेश देने के लिए 15 विद्यार्थियों के नाम जनता सरकार के कृषि मन्त्री ने दिए, जो मैरिट में नहीं थे और उनके नम्बर कम थे लेकिन 15 विद्यार्थियों में से 14 विद्यार्थी उसमें राजपूत थे। ये आप मालूम कर सकते हैं। इससे बड़ा

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

घोर अन्याय व जातिवाद का उदाहरण और क्या हो सकता है ?

(व्यवधान)

(2.56 म. प.)

(श्री पूनमचन्द जैन, अध्यक्ष, पदासीन)

कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष व जनता कृषि मन्त्री ने कृषि विपणन बोर्ड में नई भर्ती की उसमें अधिकतर राजपूत लिए। यहां तक कि क्लास फोर भी राजपूत लगाये गये थे। कृषि विपणन बोर्ड में कृषि मन्त्री व अध्यक्ष ने नियमों के विरुद्ध ए. ई एन. भर्ती किये जिसका राज्य शासन सचिव ने आॅब्जेक्शन भी किया। राज्य सरकार ने आब्जेक्शन करने के बावजूद 2 ए. ई एन. को एक्स. ई एन. पदोन्नत किया जिसमें इनसे 2000/- रिश्वत ली। आपने जब सरकार बदली तो ...

एक माननीय सदस्य : राजपूत का अपाइंटमेन्ट क्या प्रोहिबिटेड है ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : दोनों एक्स. ई. एन. को राष्ट्रपति शासन में तुरन्त रिवर्ट किया गया। आप देख सकते हैं, आप फाइल देख सकते हैं। समय कम है, मैं आपको आंकड़े पेश नहीं कर रहा हूं। जनता कृषि मन्त्री ही नहीं, कृषि विपणन बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष ने भी थाइलैण्ड और साउथ ईस्ट एशिया का दौरा किया जिसमें 40 हजार रुपये खर्च आये यह दौरा भी फर्स्ट क्लास में किया जबकि इकॉनोमिक क्लास में जा सकते थे लेकिन उन्होंने भी फर्स्ट क्लास में दौरा किया। मैं इस सदन को इसलिये बताना चाहता हूं कि आते ही उनको रिपोर्ट देनी चाहिए थी कि वहां से क्या लाये हैं, क्या विकास की बात लाये हैं। आज तक देख लीजिए, कोई इस प्रकार की उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। राज्य सरकार को ऐसे स्टडी टूर की रिपोर्ट देने को वह बाध्य थे, मगर नियमों को ताक में रख दिया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! आपस में बातें नहीं।

श्री ईश्वर लाल सैनी : कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष तो हटा दिये हैं लेकिन सरकारी सामान सैकडों आज भी उनके पास हैं। अभी तक जमा नहीं कराया है आप इसकी भी जांच करवा सकते हैं। यही नहीं कृषि उपज मण्डी के पदों पर अनट्रेण्ड व्यक्ति लगाये गये और पशुपालन अधिकारियों के तबादलों में धांधली की। थोड़ा मैं यह भी निवेदन करदूं, अध्यक्ष महोदय; यहां पर ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डेयरी डवलपमेंट के, ये केवल डंगर डॉक्टर थे, किस्मत से आई. ए. एस. बना दिये गये हैं। इन्होंने डेयरी में पूरा भ्रष्टाचार पनपाया है आपने देखा होगा, विशेषकर जनता शासन में, इस डेयरी डवलपमेंट में पूरा भ्रष्टाचार ही नहीं रिश्वतखोरी का बोलबाला पनपता रहा है। अभी अभी कृषि मन्त्री श्रीमती कमला जी ने एक प्रोजेक्ट ऑफिसर श्री एम. एल. गुप्ता का तबादला किया है और वह तबादला मैनेजिंग डायरेक्टर भसीन को बहुत बड़ा अखरा है। मैनेजिंग डायरेक्टर ने 15 दिन तक उनके तबादले की परवाह न कर आदेशों को दबा कर रखा है और ये एम. एल. गुप्ता थे, मालूम कर लीजिए आप। भसीन के अत्यन्त कृपापात्र

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

और घोटालों में शामिल थे। इनको 15-20 हजार रुपये महीने में आमदनी होती थी। ऐसे भ्रष्ट का हमारी सरकार ने तबादला किया है। इसी वजह से तबादला किया है कि दूध डेयरी में भ्रष्टाचार फैलाया।

अब मैं अन्त में थोड़ा कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में बता दूं भूतपूर्व मुख्य मन्त्री व भूतपूर्व कृषि मन्त्री को दिल्ली जाना था लेकिन चूंकि उस समय इनके पास मुफ्त का वाहन नहीं था, सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं हो सकता था क्योंकि जनता ने इनको निकाल फैंका था, जनता सरकार भंग हो चुकी थी, इनको कार द्वारा दिल्ली तफरी करने की मुख्य मंत्री काल में आदत पड़ गयी थी, तो इस तरह से ...

सूचना

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : Sorry for interruption.

एक सूचना देना चाहता हूं। मैंने यहां पर व्यवस्था दी थी कुछ समय पूर्व कि मैं कुछ स्थगन प्रस्तावों के बारे में तीन बजे सदन को सूचित करूंगा। मैंने विपक्ष के नेता महोदय से भी बात कर ली है, अब तीन बजे के बजाय साढ़े तीन बजे सूचना दूंगा।

प्रारम्भ कीजिये।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री ईश्वरलाल सैनी : उनको दिल्ली जाना था। कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष को कहा गया कि वह दिल्ली का दौरा बना लें दिल्ली के अन्दर भूतपूर्व मुख्य मंत्री और कृषि मन्त्री चूंकि अध्यक्ष के साथ रहे थे, तो रियायती दर पर जो खाना मिलता है और रहने की सुविधा भी होती है, उसका इन्होंने अनुचित फायदा उठाया कार का पैट्रोल फूंका, तफरियां की गई। दो रोज तक अध्यक्ष वहां रह कर वापस आ गये लेकिन उन्हीं के नाम से ये दोनों वहां ठहरे रहे। आप इसकी जांच करा सकते हैं। उन्होंने विपणन बोर्ड की आड़ में धोखा-धड़ी की। अनुचित सुविधायें प्राप्त की हैं।

अन्त में इतना निवेदन कर दूं कि जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज उदयपुर, राजस्थान में है ऐसे भारतवर्ष में दो-तीन कॉलेज हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बन कर आते हैं उनको एग्रीकल्चर विभाग में रखा जाता है, कृषि डायरेक्टर के तहत इनको रखा जाता है जबकि होना तो यह चाहिये कि उनका अलग से चीफ इंजीनियर हो क्योंकि यह टैक्निकल काम है। जो डायरेक्टर हैं वे एग्रीकल्चर अभियन्ताओं के लिए नॉन टैक्निकल हैं। डायरेक्टर आम तौर पर एम. एस सी. एग्रीकल्चर या बी. एस सी. एग्रीकल्चर होते हैं। इसलिए जब तक इनकी सर्विसेज पूरी तरह से टैक्निकल सर्विस है, इन एग्रो इंजीनियर्स का सदुपयोग पूरी तरह से तभी हो सकता है जब कि इनका चीफ इंजीनियर, एग्रो-इंजीनियर अलग से बनाया जावे। मैं यह भी मुख्य मन्त्री से आग्रह करता हूं, इरिगेशन विभाग ए. ईएन. एक्स. ई एन. एवं एस. ई. के पदों पर भी आधुनिक कृषि विकास के लिए इन्हीं एग्रो-इंजीनियरों को लगाया जावे क्योंकि जो ट्रेनिंग इनको दी जाती है वह भी इस प्रकार की दी जाती है। पांच वर्ष का इनका उसी प्रकार का डिग्री कोर्स होता है। इरिगेशन इंजीनियर लगाते हैं वे सिविल के होते हैं जिनका कोर्स भी इन्हीं जैसा पांच वर्ष का होता है। इसलिए इरिगेशन में भी इन एग्रीकल्चर के इंजीनियर्स को प्राथमिकता

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

दी जावे और इनका अलग से विभाग खोलना आवश्यक है जिससे कृषि क्षेत्र में ज्यादा प्रगति होगी यह आवश्यक मसला है, हमारे मुख्य मन्त्री जी भी गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

अन्त में इन निवेदनों के साथ कि हमारे कृषि मन्त्री जी जो जहां भ्रष्टाचार हो रहे हैं, चाहे वह दूध डेयरी डवलपमेंट में हों, चाहे कृषि विपणन बोर्ड में हों, चाहे कृषि विश्वविद्यालय में हों, इनकी तरफ ध्यान दें और जनता शासन में पनपा व्यापक भ्रष्टाचार एवं भाई-भतीजा वाद को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ें। इन्हीं निवेदनों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल !

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अधिक से अधिक दस मिनट से ज्यादा समय न लें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि राजस्थान में एक भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। उदयपुर में एग्रीकल्चर में रिसर्च करने का काम होता है। किन्तु मल्टी-फैकल्टी यूनिवर्सिटी होने के कारण जो अनुदान कृषि विश्वविद्यालय को मिलते हैं उनमें से कई अनुदानों से वे महरूम रह जाते हैं। आज हमारा यह विद्यालय कृषि के क्षेत्र में वह काम नहीं कर रहा है जो अन्य प्रदेशों में कृषि विश्वविद्यालय कर रहे हैं। भारतवर्ष में लगभग प्रत्येक प्रदेश में कृषि विद्यालय हैं लेकिन राजस्थान इस दृष्टि से अभागा है और ऐसा फ्रस्ट्रेशन यहां के वैज्ञानिकों में है कि जिसके कारण कृषि के क्षेत्र में समुचित उन्नति नहीं हो पा रही है। स्टेट रिसर्च उदयपुर विश्वविद्यालय में ट्रांसफर कर दिया गया है। केवल तीन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इमरजेंसी में जबरदस्ती यह आदेश देते हुए कि आप नहीं जायेंगे तो आपकी सर्विसेज टर्मिनेट कर देंगे उनको वहां पर धकेल दिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि जो टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स गवर्नमेंट ने तय की थीं उनका यूनिवर्सिटी पालन नहीं कर रही है। उनमें फ्रस्ट्रेशन आ गया है और उसके कारण काम नहीं हो रहा है। एक मिस्टर भण्डारी थे, उनकी 25 वर्ष की सर्विस थी, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जाते ही उनकी डेथ हो गई। उनके परिवार को आज फेमिली पेन्शन नहीं मिल रही है। एक मिस्टर शर्मा थे तीस साल के नौजवान, जबरदस्ती उनका ट्रांसफर कर दिया जब कि उनकी गवर्नमेंट की सर्विस थी। गवर्नमेंट सर्विस के नाते उनको फेमिली पेन्शन मिलनी चाहिये थी। उनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार को भी फेमिली पेन्शन नहीं मिल रही है और उधर उनको जो लाभ होना चाहिये था उससे भी महरूम रहे। उनको यू.जी.सी. के आधार पर वेतनमान नहीं मिल रहा था। नियम यह है कोई नया भर्ती हो तो यूनिवर्सिटी में यू. जी. सी. स्केल मिलेगा लेकिन जो स्टेट सर्विस के लोग ट्रांसफर होंगे उनको वह लाभ नहीं मिलेगा। यह लाभ भी उनको नहीं मिला। इसके कारण फ्रस्ट्रेशन हो गया है और रिसर्च वर्क कृषि पर नहीं हो पा रहा है इस फ्रस्ट्रेशन के कारण उनकी शिकायतें दूर हों।

(3.5 म. प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

तभी इस दृष्टि से प्रगति हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, इसका नतीजा किसान पर पड़ रहा है। आज राजस्थान में धान पैदा होता है। मैं अभी उत्तर प्रदेश गया था। मैंने वहां एक बीज का नाम सुना, ब्ल्यू ग्रीन एलगी। मैंने पूछा कि यह क्या होता है। उन्होंने बताया कि यह काई होती है। यदि धान के खेत में डाल दी जाय तो तीस किलो नाइट्रोजन पर हैक्टेयर का यह काम करती है। यानि इसका मतलब यह हुआ कि किसान को 25 रुपया प्रति बीघा का इससे लाभ होगा और उधर नाइट्रोजन की खपत कम होगी। किसान का पैसा बचेगा और रासायनिक खादों से जो खेतों को हानि होती है उससे बच जायेंगे। पिछले दिनों इतवारी पत्रिका में एक लेख आया था। उसमें लिखा हुआ था कि रासायनिक खादों से खेत खराब हो रहे हैं। उधर अमेरिका में विशेष रूप से कार्य हो रहा है कि रासायनिक खादों का कम उपयोग कैसे हो। एक तरफ अमेरिका में यह प्रयोग किया जा रहा है और उधर हमारे यहां आज उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार सभी जगह इस काई का प्रयोग धान के खेत में हो रहा है। मद्रास में, तमिलनाडू में तो एक एक घर में किसान अपने खड्डे खोद कर काई को पैदा करने लग गया है जिसमें एक पैसा नहीं लगता। लेकिन राजस्थान में हमारे जैसे किसान उसका नाम नहीं जानते जो कि सो-काल्ड प्रोग्रेसिव कहलाते हैं। इसका कारण क्या है विभाग इस दृष्टि से उपेक्षा बरत रहा है कि जहां घर-घर पर जो चीज पहुंच जानी चाहिए थी राजस्थान में वह आई ही नहीं। तीस किलोग्राम नाइट्रोजन हैक्टेयर में जिससे बचत होती है, ऐसे ज्ञान की बात किसान के घर नहीं पहुंचे इसका कारण केवल फ्रस्ट्रेशन है। खेतों का सुधार होगा और एक विशेष बात और है कि तीन साल तक ब्ल्यू ग्रीन एलगी का प्रयोग खेत में कर दिया जावे तो चौथे साल देने की आवश्यकता नहीं है। देश में कितनी रासायनिक खाद की बचत होगी और किसान को उससे कितना फायदा होगा, उसका खेत खराब होने से बचेगा। ऐसी उपयोगी वस्तु भी किसान को आज मालूम नहीं है। यह विभाग की अकर्मण्यता का एक नमूना है। माननीय सभापति महोदय, इन सब बातों का किसान पर क्या प्रभाव पड़ता है ? किसान की आज राजस्थान में क्या स्थिति हो गई है, उसकी माली हालत कैसी है ? फर्टीलाइजर का भाव दुगुना, लोहे का भाव चौगुना और उसकी फसल का भाव...

श्री सभापति : माननीय जोशीजी, कृपया आसन और वक्ता के बीच में नहीं आया करें। माननीय जोशीजी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : तो किसान को आज यह सब चीजें किस भाव पर लेनी पड़ रही हैं किन्तु उसकी फसल के भावों में बढ़ोतरी नहीं होगी। यदि आज राजस्थान में गेहूं के भावों में बढ़ोतरी दिख रही है तो यह कृत्रिम है। राजस्थान में अकाल हुआ उसके कारण। आज भी उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसान फूड कार्पोरेशन को गेहूं तुला रहा है 117 के भावों में। आज किसान की स्थिति कैसी हो रही है ? किसान की स्थिति दयनीय हो रही है। उसको विभाग की तरफ से ठीक प्रकार से बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, सीड कार्पोरेशन बना

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

हुआ है और सीड कार्पोरेशन की क्या परफोर्मेंस है ? आज किसान को संकर बीज चाहिए तो उपलब्ध नहीं हो पाता। मेरे क्षेत्र में संकर ज्वार उपलब्ध नहीं हो पाई। जब जो उपलब्ध हुई तो उसमें 0001 का एक लोट ऐसा था जिनका बीज खेतों में जाने के बाद उगा नहीं। सीड कार्पोरेशन बीज देता है, किस भाव से सीड कारपोरेशन बीज देता है। दो गुना, तीन गुना, चार गुना भाव पर देता है। किसान इस आधार पर खरीदता है कि यह बीज प्रमाणिक है और उसके बाद वह खेत में डालता है। खेत में डालने के बाद भी कुछ नहीं होता तो सीड कार्पोरेशन रिप्लेस कर देता है। इसलिए बीज खरीदा गया कि प्रामाणिक है, सारी जिम्मेदारी सीड कारपोरेशन की होनी चाहिये। यह सारी हालत किसान की हो रही है। आये दिन किसान पर ओलावृष्टि और कभी अकाल का प्रकोप होता है और इसका नतीजा यह होता है कि उसकी फसल चौपट हो जाती है। पिछले साल अकाल पड़ा। किसानों को उम्मीद थी कि तकावी मिले। उसे लोन नहीं मिल रहा है। यह चारों तरफ की मुसीबत केवल किसानों पर आ रही है। उसकी खेती में बीमारी लग गई और यही नहीं कातरे के प्रकोप का क्या प्रभाव रहा। मंत्री महोदया जवाब देते हैं कि किसानों ने कहा है बी. एच. सी. का असर कातरे पर नहीं हुआ। डिपार्टमेंट के लोगों ने नहीं कहा है। उसका आल्टरनेटिव क्या हो सकता है ? इस किसान की ओर, उसकी फसल की ओर, विभाग के अधिकारियों व मंत्री जी का ध्यान है, उसका एक नमूना मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

आज उसकी फसल का नुकसान होता है, उसके लिये सभापति महोदय, यह आवश्यक है कि किसान की फसल का बीमा हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसे तकावी मिले, उसको प्रोत्साहन, सहायता मिले, जैसा कि अन्य प्रदेशों में मिल रहा है। किन्तु राजस्थान का कृषि विभाग इस दृष्टि से सो रहा है। उसे किसान की चिन्ता नहीं है। तकनीकी ज्ञान उस तक पहुंचाना चाहिये, उसकी चिन्ता नहीं है। और अकाल से और ओले से उसकी खेती को नुकसान होता है, इसकी चिन्ता नहीं है। कातरे के रोग का प्रकोप कब होगा, इसका विभाग को ज्ञान नहीं है। किसान ने आकर कहा, उसके 15 दिन तक उसकी सुनवाई नहीं होगी। क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है ? इन दिनों कातरा राजस्थान में बढ़ रहा है, कातरे के अण्डे होते हैं, उसे मारने की कोशिश की जाये, इस दृष्टि से विभाग कुछ नहीं कर सकता है। सीड एक्ट बना है। सीड एक्ट में सीड इन्सपेक्टर ने अब तक कितने नमूने लिये ? सारे राजस्थान का अन्दाजा लगायें तो नमूनों की संख्या नगण्य होगी। इस कारण उनको अच्छे बीज नहीं मिल पा रहे हैं। मान्यवर सभापति जी, आज फूड कार्पोरेशन अनाज भरता है, उस पर कितना पैसा खर्च होता है, 100 करोड़ रुपये की जरूरत केवल इस बात की है कि जो किसानों से अनाज लिया गया उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की क्या इसमें किसान की कोई भागीदारी हो सकती है ? लेकिन किसान का कोई नाम नहीं है। सारा पैसा उसके रख-रखाव पर खर्च होता है। आज

Page No. 100

(100)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)
यह पैसा किसानों तक पहुंचाया जाये और इस पैसे से तकनीकी ज्ञान किसान तक पहुंचाया जाये तो किसानों की पैदावार कई गुना बढ़ेगी और उससे देश का कल्याण होगा और किसान का भी कल्याण होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, आप ना पक्ष पर उदारता बरतें।

एक माननीय सदस्य : हमारा समय इन्हें दे दें।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य को समय देने का इच्छुक हूं। इसमें आप, उपनेता महोदय, आग्रह नहीं करेंगे कि बाकी के सदस्य रह जायेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं माननीय सदस्य के सुझावों से खुद सहमत हूं। इसलिए मैं निवेदन करूं बाद में आप आग्रह नहीं करेंगे कि मेरे बाकी के सदस्य रह गये हैं। जारी रखें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, अभी माननीय सैनी जी बोल रहे थे। बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण दिया . लेकिन मुझे भाषण सुनने के बाद एक बात यह लगी कि कहीं न कहीं कुछ तो बुद्धि का परिचय कभी कभी अपने भाषण में दे ही दिया करते हैं। एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही और वह कही है कि एग्रीकल्चर के इन्जीनियर जो होते हैं, उनको कृषि विभाग के अन्तर्गत नहीं रखा जाये। उनको इरिगेशन के अन्तर्गत रख दिया जाये। क्योंकि वह टैक्निकल हैं, टैक्निकल विभाग से सम्पर्क वगैरह करेंगे तो ठीक काम करेंगे। यदि कृषि विभाग के अन्तर्गत रहेंगे तो कैसा काम करेंगे, इसका नमूना है कोटा सी. ए. डी. में जो भूमि सुधार कार्यक्रम चल रहा है, उसको देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिये इनको इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट में देना चाहिये। सिविल इंजीनियर्स की जगह एग्रीकल्चर इंजीनियर्स ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

माननीय सभापति जी, मैं थोड़ा सा पशुपालन विभाग का ध्यान मेरे अपने क्षेत्र में पशु चिकित्सा की ओर दिलाऊं, तो मुझे आप अनुमति देंगे, ऐसा मैं समझता हूं। कोटा जिला पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। हमारे जिले में पशुओं की क्या स्थिति है, उसका मैं एक आपको नमूना प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब मैं चार दिन पहले आ रहा था, तो एक-दो ग्वाले आपस में बात कर रहे थे। एक ग्वाले ने पूछा, तेरी भैंस कितना दूध देती है? उसने कहा मेरी भैंस दोनों समय मिलाकर एक किलो दूध देती है। और जब उसने पूछा तेरी भैंस कितना दूध देती है? तो वह बोला मेरी भैंस 6 साल की हो गई है किन्तु अभी दूध देने के लायक नहीं है, वह अभी भैंसे की तरफ देखती भी नहीं है। इसलिये दूध देने की तू बात करता है, यह देख करेक्टर कितना ऊंचा है, मेरी भैंस का। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि हमारे यहां का जानवर है वह इस प्रकार के करेक्टर वाला है, जिसके घर में दस भैंसे होंगी, उसके घर में दो किलो दूध निकलेगा। तो पशुपालन विभाग इस दृष्टि से ध्यान

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

नहीं देगा तो वहाँ के पशुओं की स्थिति कभी अच्छी नहीं होगी। उस कारण खेती के साथ-साथ पशुपालन साइड बिजनेस नहीं होता है तो उसकी आर्थिक स्थिति कभी अच्छी नहीं हो सकती है।

कोटा जिले में पशुपालन की स्थिति ठीक होगी, मारवाड़ के लोग हमारे यहां आते हैं तो वह कहते हैं कि आपके यहां गायों के बराबर हमारे यहां भेड़ें होती हैं और इतना दूध हमारे यहां की बकरियां दे देती हैं, जितना कि आपके यहां पर भैंस दूध देती है। पशुपालन विभाग हमारा इतना निष्क्रिय है जो संकर नस्ल के पशु हैं, उनके लिये फालो अप प्रोग्राम है। किन्तु डिपार्टमेन्ट वहां पर फालो अप प्रोग्राम नहीं करता है। उनके नाम पर जो दाना जाता है, वह कहां जाता है, पता नहीं। बीमारी फैल जाती है, तो सूचना ऐसी देते हैं, जैसा मंत्री महोदय ने बताया था 28 जानवर मरे। जब कि मरे हैं 2800 क्योंकि न वह जायेंगे और न पता लगेगा कि जानवर कितने मरे।

एक बच्चा रखवाली के लिये गया था, उसके पिता ने पूछा भाई चिड़िया आती हैं या नहीं आती हैं? उसने कहा जब मैं सो जाता हूं तो एक भी नहीं आती है और जब मैं जाग जाता हूं तो चिड़िया ही चिड़िया आती हैं। हमारा पशुपालन विभाग इसी प्रकार सोता रहता है। उनको पता नहीं है, कितने जानवर मरे। कौनसी बीमारी आयी, उसमें कौनसी औषधि चाहिये। कोई प्रोग्राम हमारा संकर नस्ल के पशुओं के लिये नहीं है।

पिछली बार डिप्टी डायरेक्टर वहां पर गये थे, उन्होंने एक मीटिंग ली, उसमें मैं भी उपस्थित हो गया। पता लगा कि जिला पशुपालन अधिकारी को यह पता नहीं है कि यहां के लिये कौनसी नस्ल विभाग की तरफ से पास या एप्रूव की गई है। जिला पशुपालन अधिकारी को यह पता नहीं है कि कोटा जिले के लिये कौनसी नस्ल एप्रूव की गई है। यह स्थिति विभाग की है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि के साथ-साथ पशुपालन बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से कोटा डिवीजन की ओर विशेष ध्यान दें क्योंकि सारे राजस्थान में पिछड़ा हुआ यदि कोई इलाका है तो वह कोटा डिवीजन है। जहां दूध नहीं होता है, जानवर वहां के इतने पुराने जमाने का है, करेक्टर वाला है कि दूध देने का नाम नहीं लेता। इसके लिये वहां पर नस्ल सुधार कार्यक्रम को अपनाया जाना चाहिये। कुछ पशुपालन विभाग को इम्प्रूवमेन्ट करना चाहिये।

इतना मैं निवेदन करता हुआ अपना कथन समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपको विशेष धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति : श्री गोविन्द सिंह !

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : आदरणीय सभापति महोदय, मेरे कृषि, पशुपालन व डेयरी के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निम्न विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां की आबादी का एक बहुत बड़ा

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

हिस्सा कृषि के ऊपर जीवन निर्वाह करता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम कृषि के ऊपर जितना ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, और उस पर जितना ज्यादा हम खर्चा कर सकते हैं, हम करें।

इस संबंध में मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि में जो पुरानी तकनीक, तरीके थे, जोतने वाले किसान या जिनके पास जमीन नहीं है और कुछ माहवार पर जो कृषि करते हैं उनको जो लाभ पहुंचना चाहिये वह नहीं पहुंच रहा है। हालांकि सरकार ने कई योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं लेकिन उनसे जो लाभान्वित होने वाला वर्ग है वह महरूम रह रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो योजनाएं लघु कृषकों के लिये चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक कहां तक पहुंचा है यह देखना है। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो एजेंसियां, बैंक, कृषि विकास बैंक बने हुए हैं उन बैंकों की व्यवस्था ही इतनी खराब होती जा रही है कि हर एक बैंक में अफसरशाही है, उनका वहां पर बोलबाला है और जो मामूली किसान हैं, जिनकी पहुंच वहां पर होनी चाहिये वह नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की तरक्की के लिये जो बैंक बने हुए हैं चाहे वे को-आपरेटिव बैंक हों, चाहे लैण्ड डवलपमेंट बैंक हों, उनकी व्यवस्था में तुरन्त सुधार किया जाय ताकि जो लाभ किसानों को मिलना चाहिये वह उनको मिल सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां किसान अधिकतर प्रकृति पर निर्भर रहते हैं और अक्सर यह देखा जाता है कि कभी अनावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है और उससे किसान को हर वर्ष संकट में रहना पड़ता है। इसलिये यह जो फसल की बीमा योजना है, सालों से विचाराधीन है, कुछ राज्यों में लागू करने की प्रगति हुई है। हमारे राज्य में भी लागू कर आगे तरक्की की जानी चाहिये।

सभापति महोदय, कृषि में तरक्की करने के साथ-साथ में कृषि विपणन बोर्ड, हमारे यहां काम कर रहा है उसके संबंध में भी आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान खेंचना चाहूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि इस बोर्ड के द्वारा जो काश्तकारों को लाभ मिलने वाला है वह अब तक नहीं हुआ है। बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की गई। खास तौर से अजमेर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि उपज मण्डी न तो अजमेर में हुई है, न पीसांगन में हुई है और न नसीराबाद में हुई है और वहां पर जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है वह जिस उद्योग के लिये किया हुआ है उस उद्योग में भी काम नहीं आ रहा है। बहुत बार सड़क बनवाने की कोशिश की गई लेकिन उस ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सभापति महोदय, कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जिनके लिये किसानों को पूरी परेशानी उठानी पड़ रही है। जो कच्चे रास्ते थे उनसे दूसरों के खेतों से आना-जाना पड़ता है जिससे उनको परेशानी हो रही है और आपस में झगड़ा होने का अन्देशा

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

रहता है। सभापति महोदय, नसीराबाद में मण्डी के लिये एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भी गया था और उन्होंने जमीन देने के लिये स्वीकार भी कर लिया था। वह प्रस्ताव स्वीकृत होकर जो कृषि विपणन बोर्ड है उसको भेजा गया था, आज तीन साल हो गये लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि नसीराबाद एक ऐसा कस्बा है जिसमें अलग से कृषि उपज मंडी की स्थापना की जा सकती है। एक लाख से ज्यादा की आमदनी है। मैं निवेदन करता हूं कि वहां पर कृपा करके कृषि उपज मंडी की स्थापना की जाय और उसको अजमेर से अलग कर पृथक कृषि उपज मंडी की स्थापना की जाय और मण्डी वहां से हटाई जाय।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं पशु पालन की ओर निवेदन करना चाहूंगा। नसीराबाद क्षेत्र में रामसर में पशु पालन फार्म है। बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों उसको वहां से हटा कर डग भेज दिया गया। डग में कोई व्यवस्था नहीं है। न कोई अच्छी तरह से काम कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह फार्म वापस रामसर कस्बे में, जो नसीराबाद क्षेत्र में है, कायम किया जाय।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान विशेष रूप से अजमेर डेयरी है, उसकी ओर दिलाना चाहूंगा। अजमेर की जो डेयरी है, बहुत घाटे में चल रही है और वहां की जो [illegible] है वह पूर्णतया चरमरा गई है। सभापति महोदय, आप शायद ताज्जुब करेंगे कि इस डेयरी में जिन सहकारी समितियों की निजी धनराशि थी, जो शेयर पूंजी थी वह 12 लाख रुपये खर्च कर दिये, कर्मचारियों का फण्ड था उसको भी खर्च कर दिया और 4-5 लाख बाजार का कर्ज हो गया। ऐसी स्थिति में जो वहां के दुग्ध विक्रेता हैं उनको ऐसी परिस्थिति में डाल दिया गया है उनका जो सामान है, जो दूध है उसको पूरा ले नहीं रहे हैं। आप शायद ताज्जुब करेंगे, सभापति महोदय, हमारे जो दूध बेचने वाले हैं उनसे 1.20 पैसे के हिसाब से दूध लिया जाता है जब कि वही दूध दिल्ली में जाता है 2.00 रु. किलो के भाव से। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस महंगाई के जमाने में पशुओं का चारा, दाना आदि सभी पशुओं के काम में आनी वाली वस्तुयें महंगी हैं, उनका रख-रखाव महंगा है ऐसी स्थिति में डेयरी द्वारा जो दूध की कीमत दी जा रही है वह एक तरह से बहुत ही कम है। वह बढ़ाई जावे और यह शोषण किया जा रहा है, एक तरह से दुर्व्यवस्था की जा रही है इसमें तुरन्त सुधार किया जाय वरना हम जो श्वेत क्रान्ति लाना चाहते हैं वह मात्र सपना बन कर रह जायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, वहां की डेयरी का जो संचालक मण्डल है, वह निर्वाचित मण्डल है लेकिन बहुत खेद है, सभापति महोदय, उस निर्वाचित सचालक मण्डल को करीब 9 महीने हो गये, बाकायदा चुनाव से जीत कर आये हैं, लेकिन आज तक डेयरी विभाग द्वारा न तो कोई मीटिंग की गई है और न उनको बुलाया गया है, न ही निर्वाचित

(104)

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

मण्डल के जो प्रतिनिधि बना रखे हैं उनको कहा गया है कि कोई बैठक करें। आय व्ययक का अनुमान हर साल पेश हो जाना चाहिये, वह भी पेश नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में कृषि मंत्री महोदया से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत विषम परिस्थिति वहां पर है, लघु उद्योग वाले परेशान हैं। अभी मैं गत इतवार को गया था, जो दूध बेचने वाले लोग हैं वे बड़े परेशान हैं उनको जो पूरा लाभ मिलना चाहिये वह डेयरी से नहीं मिलता है।

सभापति महोदय, डेयरी विभाग के अन्तर्गत जो वेटरनिटी विभाग लाया गया है उसकी भी कोई सुचारु व्यवस्था नहीं है। वहाँ न इन्तजाम किया गया है, न तो डॉक्टर रहता है। पशुओं के लिये जो योजना है पशुओं को देखेंगे, उनका सुधार वगैरह करने की व्यवस्था करेंगे, वह करना तो दूर रहा, सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। कोई आदमी वहाँ पहुंच भी गया गलती से तो उसको कोई उपचार नहीं मिलता है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्री महोदय को बड़े पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यह पशु पालन राजस्थान सरकार का है, उसके अधीन ही रखा जाय। इस तरह से इसे विकृत किया जा रहा है, इसको हटा कर अलग-अलग दो भागों में बांट कर जो स्थिति पैदा की जा रही है उसको रोकने की कृपा करें।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री महाराम चौधरी !

श्री नाथू सिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

आज सवेरे स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी गई थी...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : साढ़े तीन बजे के लिए कहा गया है।

श्री नाथूसिंह : पहले तीन बजे के लिए कहा गया था। फिर यह साढ़े तीन बजे कर दिया गया। अभी ठीक साढ़े तीन बजे हैं।

श्री सभापति : जो स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी गयी थी मैं निवेदन करूंगा, माननीय सदस्य थोड़ा धैर्य रखें। निश्चित रूप से यह व्यवस्था आसन से दी गई थी। परन्तु कुछ देर हो जाती है। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आसन की व्यवस्था है तो पालना होगी परन्तु इस बीच सदन के समय का सदुपयोग हो तो अच्छा हो।

श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय पशुपालन और कृषि की मांगों के सम्बन्ध में मैं बोलना चाहता हूं। राजस्थान में 80 प्रतिशत काश्तकार हैं और गांव में रहने वाले हैं। उनका मुख्य धन्धा पशुपालन और खेती का है। उनके विकास के लिए सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, वे कार्यक्रम तो ठीक हैं परन्तु उनको द्रुत गति से नहीं चलाया जा रहा है। उनमें कमियां महसूस हो रही हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए मेरा यह निवेदन है कि जो सबसे पहले एडमिशन किया जाता है उनमें विशेष ध्यान रखा जाए। जो किसान वर्ग के लोग हैं, जो

(श्री महाराम चौधरी)
गांव में रहने वाले हैं, जो पढ़ाई में कमजोर हो सकते हैं लेकिन उनमें प्रैक्टिकल कार्य करने की क्षमता होती है। यह सही है कि शहर में रहने वाले लड़के, ज्यादा नम्बर उनके कालेज में ला सकते हैं, परन्तु गांव वालों को प्राथमिकता न देकर शहर वालों को इन कालेजों में प्राथमिकता दी जाती है। जब शहर के ये लोग चयन होकर, पढ़ाई करके सर्विस में आ जाते हैं तो······

श्री सभापति : कृपया, माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

श्री महाराम चौधरी: वे गांव में जाते हैं या विभाग में कार्य करते हैं. वे प्रैक्टिकल रूप से किसानों को विशेष रूप से फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। सिर्फ वे गांवों के दौरे पर जाते हैं, काम करने के लिए नहीं जाते हैं. विजिट के रूप में जाकर के वापस शहर आ जाते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसमें पशुपालन, वेटेरिनरी कॉलेज में, एग्रीकल्चर कॉलेज में, स्कूल में, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लड़कों को अगर नम्बर कम हों तो भी एडमिशन देना चाहिए, उनका चयन करना चाहिए। इसी तरह से अपाइन्टमेण्ट के मामले में मेरा यह निवेदन है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लड़के हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए जिस तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स के लिए कोई सीमा बांध रखी है कि इतने प्रतिशत रिजर्वेशन होगा, उसी तरह से किसान वर्ग, पशुपालन का धन्धा करने वालों को इस विभाग में प्राथमिकता देनी चाहिए।

इसके आगे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि का विकास करने के लिए बीज और खाद की जो व्यवस्था है वह समुचित ढंग से नहीं है। काश्तकारों को जो बीज, खाद दिया जाता है वह समय पर नहीं मिलता है। इसी तरह से किसानों के लिए दवाइयों का प्रबन्ध है। राज्य की तरफ से प्रबन्ध किया जाता है, जो एजेन्सीज दवाइयां बेचती हैं, उन एजेन्सी वालों को दवाइयों का प्रयोग करने के मामले में कोई विशेष जानकारी नहीं होती है। वे काश्तकारों को दवाइयां देते समय यह नहीं बता सकते कि बी. एच. सी. पाउडर को किस तरह से काम में लेना है। दवाइयों को किस तरह से काम में लेना है, यह दुकानदार ठीक ढंग से नहीं बता सकते हैं। यह कमी रह जाती है। इसलिए आपकी मार्फत कृषि मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दवाइयों की एजेन्सी

(3.35 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

इनकी व्यावहारिक जानकारी रखने वाले को ही दें। उनको ही लाइसेन्स दिया जाय जो दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी रखते हों। पिछले महीने चपा वगैरह की बीमारी फैली। उसके लिए हवाई छिड़काव का प्रबन्ध किया गया। काश्तकारों को इससे फायदा हो सकता था लेकिन काश्तकारों ने इस बीमारी के फैलने के बाद सरकार के पास इत्तिला पहुंचाई। किन्तु इत्तिला पहुंचते पहुंचते, इन्तजाम होते होते इतना समय लग गया कि उनकी फसल ही चौपट हो गई और जब हवाई

(श्री महाराम चौधरी)

स्प्रे किया गया तो उसका कोई असर नहीं हुआ। या तो दवाइयों में अवगुण था या यह हवाई स्प्रे ठीक ढंग से नहीं किया गया। इसकी निगरानी करके, इसकी जांच करके कार्यवाही की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, काश्तकारों के लिए खेती का विकास करने के लिए प्रयोगशालाएं हैं। पानी परीक्षण, मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशालाएं है। इनका न तो काश्तकारों में प्रचार किया जाता है और न उनको समझाया जाता है कि तुम्हारे कुएं के पानी को टेस्ट करवा लो, मिट्टी का परीक्षण करवा लो। एक फसल बोने से तुम्हें यह फायदा हो सकता है।

कृषि विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दो साल से यह कार्यक्रम चलता आ रहा है। यह बताया गया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 लाख कृषि विस्तार सेवक, 500 कृषि विस्तार अधिकारी और 150 विशेषज्ञ काश्तकारों को लाभ पहुंचाने के लिए लगाये गये हैं। यह भी बताया गया है कि 28.6 लाख काश्तकारों को इन कार्यकर्ताओं को लगा कर लाभान्वित किया गया है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी गांव में रहते हैं हमने इनको गाव वालों के साथ बात करते हुए कभी नहीं देखा है। हमने किसी तरह से इन कार्यकर्ताओं को काश्तकारों से सम्पर्क करते हुए नहीं देखा है। इसलिए इस सम्बन्ध में आप विशेष तौर से पता लगावें कि क्या वास्तव मे 28.6 लाख काश्तकारों को लाभान्वित करने का यह जो आंकड़ा है, यह सच्चा है या फिर ये आंकड़े ही दिये गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डी के सम्बन्ध में भी मैं विशेष सुझाव देना चाहता हूं। कृषि उपज मंडी के अन्दर कृषि विश्राम-गृह, कृषि चाय गृह, कृषि जलपान गृह आदि की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था काश्तकारों के लिए जरूर की गई है लेकिन काश्तकारों को किसी तरह की यह सुविधा नहीं है। या तो इनमें ऑफिस लगा दिये जाते हैं या इन विश्राम गृहों में ऑफिसर लोग आकर ठहरते हैं, और पार्टी करते हैं।

अब मैं पशुपालन के सम्बन्ध में, जो कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हैं, उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे एरिया में ये चलते हैं। इनको वास्तव में ठीक ढंग से चलाया जाए, कार्यक्रम को चलाया जाए और इनका उपयोग किया जाये तो इससे काश्तकारों को फायदा हो सकता है लेकिन इस सम्बन्ध में जितने भी केन्द्र चल रहे हैं उनमें एक भी केन्द्र द्वारा कृत्रिम गर्भाधान द्वारा कोई बच्चा गाय, भैंस के हुआ हो, यह प्रदर्शित नहीं किया गया है। मेरे खुद के गांव में दस, बारह साल से यह कार्यक्रम चलता रहा है लेकिन एक भी बछड़ा कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गाय, भैंस के हुआ हो, मुझे नहीं मालूम है। लोकल सांड से बछड़े हुए हैं, गायें ब्याई हैं, उनको ये प्रदर्शित करते हैं। यह कार्य ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। जिन गांवों में जानवर रखने वाले हैं, उनमें ये पशु चिकित्सालय या उप-केन्द्र खोलने के लिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कम से कम एक ग्राम पंचायत में एक उप केन्द्र हो जिसमें एक कम्पाउण्डर

(श्री महाराम चौधरी)

हो। प्रत्येक पंचायत समिति में यह व्यवस्था की जाय तो गांव वालों को बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है।

अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि, पशुपालन विभाग की तरफ से पशु मेले आयोजित किये जाते हैं विशेष कर नागोर का पशु मेला, परबतसर का पशु मेला, पुष्कर का पशु मेला, ये मेले पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर प्रसिद्ध हैं जिनसे सरकार को लाखों रुपयों की आय होती है। इतनी आय होते हुए भी जो पशुओं को खरीदने वाले और बेचने वाले होते हैं, उनके लिए किसी तरह से कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया जाता है। इसमें जो छोटी-छोटी कमियां हैं, दिखने में तो वे छोटी-छोटी दिखती हैं लेकिन वे कमियां ही काश्तकार के लिए जबर्दस्त परेशानी और तकलीफ पैदा कर देती है। एक तो आपकी जो सुरक्षा चौकियां हैं, सुरक्षा चौकियां जो मेले के बाहर एन्टर होते ही पशुओं के लिए लगाई जाती हैं, यह सुरक्षा चौकियां रात भर चौबीसों घण्टे खुली रखी जायें ताकि जो पशुपालक रात को 11 बजे या 12 बजे आते हैं उनको चिट्ठी मिल जाय और वे एन्टर हो जायं।

एक परेशानी यह है कि जो चिट्ठी किसानों को मिलती है अगर वह बरसात में भीग जायं या फिर पसीने में गीली हो जाये तो उस चिट्ठी को दुबारा बनवाने के लिये पशुपालकों को अधिकारी काफी तकलीफ देते हैं। अगर देखा जाय तो यह कोई विशेष गलती नहीं है। चिट्ठी भीग जाये तो उसे दुबारा बनाया जायं।

तीसरा, इन पशु मेलों के अन्दर चिकित्सा का जो प्रबन्ध किया जाता है उसमें बहुत जबर्दस्त भ्रष्टाचार होता है। इन मेलों के अन्दर जो दवाइयां वगैरह अलॉट की जाती हैं वह दवाइयां इन मेलों के अन्दर लायी ही नहीं जाती हैं और ऊपर ही ऊपर बाहर बेच दी जाती हैं। इस मामले में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इन पशु मेलों के अन्दर ये दवाइयां पशुओं को बिल्कुल नहीं दी जाती हैं।

चौथा, विशेषकर नागोर पशु मेले के लिए मेरा यह निवेदन है कि यह मेला बहुत वर्षों से भर रहा है लेकिन इसमें पानी का इन्तजाम अभी तक किसी साल में भी पूरा नहीं किया गया है। पशुपालक को जबर्दस्त तकलीफ होती है और पानी के लिये काफी भागना पड़ता है। एक-एक घड़े के लिए 2–2 रुपये देने पड़ते हैं। ऐसी हालत हो जाती है कि एक जगह पानी का प्रबन्ध किया हुआ होता है वहां पानी लेने जाते हैं तो आपस में घड़े फूट जाते हैं, लड़ाई हो जाती है और कभी कभी तो यह लड़ाई बाद में उग्र रूप धारण कर लेती है।

इसी तरह से इन मेलों के अन्दर रोशनी का प्रबन्ध किया जाता है। वास्तव में एक गांव के घेरे में एक तो कम से कम गैस का प्रबन्ध होना चाहिये। ऐसा प्रबन्ध कागजातों में तो दिखला दिया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा प्रबन्ध नहीं किया जाता है और गैस बाजार में किराये पर देने वालों को दे दी जाती है और किसानों को बाजार से लेनी पड़ती है।

इसके अलावा इन सब मेलों के अन्दर सफाई के सम्बन्ध में जो मजदूरों की व्यवस्था

(श्री मन्नाराम चौधरी)

की जाती है वे मजदूर वास्तव में इस कार्य के लिए लगाए नहीं जाते हैं और उनकी फर्जी हाजरी भरी जाती है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस पशु और कृषि विकास में या विभाग में शुरू से ही एजूकेशन का ध्यान रखें। ये सारा काम ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं इसलिये नौकरी में इनको प्राथमिकता देनी चाहिये और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आदमी हैं उनको गांवों में किसी प्रकार के विकास में रुचि नहीं होती है इसलिये वे गांवों की प्रगति के लिये काम नहीं कर सकते हैं। बस।

व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि शून्य काल में मैंने कुछ स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी थी कि इन प्रस्तावों पर मैंने सरकार से जानकारी लेने के लिए सदन को आश्वासन दिया था। उस वक्त माननीय सदस्यों ने यह एतराज किया था कि आज से 5 दिन की छुट्टी आने वाली है और स्थगन प्रस्तावों में जिन घटनाओं का वर्णन हुआ है वे गम्भीर बलात्कार एवं अपहरण की घटनायें हैं इसलिये सरकार की आज ही इसमें जानकारी उपलब्ध करानी चाहिये। मैंने इसको ठीक माना और सरकार से यह निवेदन किया था कि जितना सम्भव हो शीघ्र इन पर जानकारी प्राप्त करके मुझे सूचित करें। 4 स्थगन प्रस्ताव थे जिनके बारे में माननीय सदस्यों ने जानकारी चाही थी, मोहनलाल शर्मा--चूरू के बस स्टेण्ड पर सरदार शहर के एक व्यापारी के अपहरण के विषय में, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी-ग्राम आसोप तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर की हरिजन महिला की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में, श्री नाथूसिंह आकोड़ा ग्राम की निवासी मसूर मेघवाल के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में और चौथा पुष्पा जैन का नागौर जिला के लाडनूं पुलिस थाने में हीरावत गांव की मेघवाल हरिजन जाति की युवती के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में।

इन चारों पर सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है। भोपालगढ़ की घटना के बारे में जानकारी मिली है वह मेरी दृष्टि में अपूर्ण है लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी भी जानकारी है माननीय मन्त्री महोदय सदन के सामने प्रस्तुत कर दें। मैं उन पर व्यवस्था यह देता हूं कि सरकार उनमें से प्रत्येक पर अपना वक्तव्य शीघ्र दे, याने तुरन्त दें।

शासकीय वक्तव्य

चूरू के बस स्टेण्ड पर सरदार शहर के एक व्यापारी श्री विश्वनाथ सिंहानिया का अपहरण

श्री रामपाल उपाध्याय (उप मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपका निर्देश है मैं थोड़े से समय में जिस प्रकार की जानकारी जुटा सका हूं, वह जानकारी आपके माध्यम से सदन को दे रहा हूं।

दिनांक 7-8-80 को सायंकाल साढ़े चार बजे श्री रामकिशन पुत्र मूलचन्द दर्जी निवासी सरदार शहर ने थाना चूरू पर इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि वह एवं श्री विश्वनाथ अग्रवाल निवासी सरदार-शहर अपने घरेलू कार्यवश चूरू आये थे। चूरू में यह कार्य पूर्ण करके एक मोटर-

(श्री रामपाल उपाध्याय)

साइकिल पर जब वे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो अकस्मात् श्री लाल मोहम्मद, चिरागदीन युनुस एव 3-4 अन्य व्यक्ति आये और उन्हें घेर लिया। यह लोग विश्वनाथ को पकड़कर जबरदस्ती जीप नं. आर. जे. के. 545, जो पास ही खड़ी थी, में डालकर भाग गये। मुस्तगीस ने यह भी बताया कि लाल-मोहम्मद एवं विश्वनाथ के मध्य ईंटों के भट्टे की साझेदारी की लेनदेन को लेकर झगड़ा था। धनराशि की वसूली के संबंध में वे उसे ले गये हैं।

उपरोक्त सूचना के आधार पर अपराध संख्या 125/80 धारा 365 ता. हि. के अन्तर्गत दर्ज कर पुलिस तत्काल लाल-मोहम्मद के घर पर पहुंची जहां विश्वनाथ को चिरागदीन सैयद एवं शरीफ ड्राइवर सहित लाल मोहम्मद के मकान में पाया। विश्वनाथ को मुक्त कराकर इन तीनों अभियुक्तों को उसी समय गिरफ्तार किया गया एवं जीप कब्जे पुलिस में ली गई। मकान मालिक अभियुक्त लाल मोहम्मद व अन्य दो मुल्जिम फरार हो गये।

दिनांक 8-8-80 को प्रातः 9 बजे एक विशेष पार्टी के कुछ लोग एवं चूरू के व्यापारीगण ने चूरू बन्द करवाने एवं दुकान बन्द रखने का आह्वान किया जिसके फलस्वरूप दुकानें बन्द रखी गई। दिन के 12 बजे करीब 125 व्यक्तियों की श्री गोबिन्दप्रसाद की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। तत्पश्चात् यह लोग जलूस बनाकर जिलाधीश कार्यालय पर गये। वहां इन्होंने जिलाधीश को एक ज्ञापन प्रस्तुत कर मुल्जिमान की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। जिला अधीक्षक ने अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आश्वासन दिया, जिसके पश्चात् ये लोग बिखर गये।

स्थिति नियन्त्रण में है। बकाया तीनों अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। अन्वेषण जारी है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): कितनों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैंने आपसे निवेदन किया कि एक गिरफ्तार नहीं किया है उनके 2-3 साथी भी ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनके नाम क्या हैं ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अभी उनके नाम मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

ग्राम आसोद, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर की हरिजन महिला की गिरफ्तारी व पुलिस थाना में किया गया बलात्कार

नम्बर 2, ग्राम आसोद, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर की सांसी जाति की महिला की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी एवं बलात्कार के आरोपों के सम्बन्ध में चर्चा।

अध्यक्ष महोदय, यह जो थोड़े बहुत तथ्य हमारे सामने आये हैं, उनसे मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन में यह वक्तव्य प्रस्तुत करने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष : यह एक तरफा है। इसमें कुछ है नहीं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्षी दल के नेता ....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मैरिट पर नहीं जाता हूं। लेकिन जो रिपोर्ट हुई है, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, वह तो बतायें। वह रिपोर्ट क्या हुई है ?

श्री अध्यक्ष : इस बारे में सूचना पूरी आई नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कलेक्टर को क्या रिपोर्ट हुई है ? एस. पी. को क्या रिपोर्ट हुई है ?

श्री अध्यक्ष : आज जितनी सूचना उपलब्ध हुई हो वह प्रस्तुत कर दें।

श्री रामपाल उपाध्याय : पढ़ दूं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह सारी जानकारी की गई है। थोड़ा तथ्य एक आधा पर्सेंट जो मालूम हुआ है, उससे मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह बाहर बैठे हैं आप कहिये, हम क्या कहें उनसे जाकर। उस महिला के साथ सारी घटना हुई है। वह बाहर बैठे हैं। उसके परिवार वाले बाहर बैठे हैं। उनके शरीर पर चोटें हैं। आपको तो जवाब नहीं मिलेगा। हमको जनता को जवाब देना है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने 4 मामले उठाये थे। उनमें तीन में पूर्ण जानकारी आ गई। एक के बारे में सरकार सन्तुष्ट नहीं है। उनको कह दिया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ऑफिसर्स को जो रिपोर्ट दी है वह तो बता दे। पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, वह तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : आज जो रिपोर्ट आई है, वह पढ़ दें।

श्री रामपाल उपाध्याय : यह रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं यह निवेदन कर रहा हूं, चूंकि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं इसलिए सी. आई. डी. के उच्चाधिकारियों द्वारा जांच करने के मैंने अभी आदेश दिये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कोई जयपुर का मामला नहीं है। जब माननीय मन्त्री महोदय यह बता चुके हैं कि यह भोपालगढ़ का मामला है। रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी। पूरे तथ्य उनके सामने नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें इसके इन्वेस्टीगेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 4 मामलों में से 3 मामलों पर सरकार के पास पूरे तथ्य आ गये हैं। चूरू वाले मामले में तीन मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। तीन बाकी रह गये हैं।

एक माननीय सदस्य : आपके पास रिपोर्ट आई होगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसके अन्दर दो और मामले हैं। उनकी पूरी जानकारी आ जाय। भोपालगढ़ कोई जयपुर के आसपास नहीं है। [illegible] अध्यक्ष महोदय, विरोधी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पक्ष के नेता महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि खाली राजनैतिक भावना से इसको उठाने की चेष्टा न करें। इसके लिए पूरा सदन चिंतित है। हम लोग चिंतित हैं। जो हो रहा है। लेकिन इसके अन्दर राजनैतिक भावना से सरकार को बदनाम करने के लिए यह प्रश्न उठाया जा रहा है। जिन मामलों में सरकार को जानकारी प्राप्त हो चुकी है वह रखे जा चुके हैं। इसके बावजूद विरोधी पक्ष के नेता महोदय इस बात पर जोर दे रहे हैं इसलिए कि अखबार के अन्दर छप जाय, ऐसी घटना हुई है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को मजबूर नहीं किया जाय। जो तीन मामले हैं, वह सरकारी कार्यवाही सदन के सामने रखी जानी चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि जो व्यवस्था आपने दी है आपकी व्यवस्था के अनुसार मैं यह मानकर चलता हूं। लेकिन माननीय मन्त्री महोदय ने जो कुछ इस सदन के सामने कहा है, वह इससे सन्तुष्ट नहीं है इसलिए सी. आई. डी. को इन्वेस्टीगेशन के लिए दिया है। तो मैं यह कारण पूछना चाहता हूं कि वह किस बात पर असंतुष्ट हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता खुद मुख्य मन्त्री रहे हैं। क्या पब्लिक इन्ट्रेस्ट में इस प्रकार की इन्फार्मेशन को जाहिर करना उचित है।

एक माननीय सदस्य : कोई जरूरी नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि यह कतई उचित नहीं है। क्योंकि एडवर्सली इफेक्ट ऑन द इन्वेस्टीगेशन ऑफ द पुलिस होगा। यह जरूरी नहीं है कि सरकार यह बताये कि वह किस लिए सन्तुष्ट नहीं है। सरकार के लिए यह बात कह देना ही काफी है कि वह सन्तुष्ट नहीं है। इससे बड़ा सरकार के लिए और क्या हो सकता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं है ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप जानना क्या चाहते हैं ? गवर्नमेंट अपने आप में सन्तुष्ट नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा, इस मामले में सरकार को विरोधी दल के नेता मजबूर नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है, मैं नहीं समझता कि वह सदन की गरिमा घटाकर क्यों चलते हैं ? आखिर हाउस सुप्रीम है। गवर्नमेंट से ज्यादा इस हाउस की गरिमा है। इस हाउस में सही तथ्य आते हैं। सरकार ने सही तथ्यों के आधार पर कह दिया है कि वह इस इन्वेस्टीगेशन से सन्तुष्ट नहीं है, इसलिए हम सी. आई. डी. को दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वेयर फैक्टस क्या हैं जो सरकार की अपनी नालेज में हैं ? आप इन्वेस्टीगेशन की बात छोड़ दीजिए। आप सन्तुष्ट नहीं हैं, इसलिए सी. आई. डी. को दे रहे हैं। लेकिन फैक्टस क्या हैं ? जो भी जानकारी दे रहे हैं हाउस की परम्परा है यह व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, सरकारी अधिकारियों की सूचना है। वेयर फैक्ट्स तो आप बता दें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या रिपोर्ट दी है ? उसके कार्य से आप सन्तुष्ट नहीं हैं। तो मैं यह बेयर फैक्ट्स जानना चाहता हूं इससे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
इन्वेस्टीगेशन में कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कैसे नहीं पड़ेगा।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : स्थगन प्रस्ताव देने वालों को फैक्ट्स मालूम होने चाहिए। आपको फैक्ट्स मालूम होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप जितने फैक्ट्स हैं, वह पढ़ दीजिए।

श्री दिनेश डांगी (देसूरी) : यह गलत परम्परा है।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, जो फैक्ट्स आये हैं, इन तथ्यों से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। जब मैं ही सन्तुष्ट नहीं हूं तो आपके माध्यम से सदन में रखना उचित नहीं होगा। जैसा कि मैंने निवेदन किया है सदन के सामने सम्पूर्ण जानकारी यथा समय रखेंगे। जैसा कि मैंने निवेदन किया है, सी. आई. डी. से जानकारी करा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है कि आप व्यवस्था दे चुके। उस व्यवस्था के बाद में यदि सरकार आपकी व्यवस्था का पालन नहीं करे····

श्री अध्यक्ष : तो उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं आयेगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह पढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दिनेश डांगी : यह दबाव की राजनीति है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : यह विरोधी दल के नेता सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : सरकार है कहां ?

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, एक नयी परम्परा डाली जा रही है। दबाव की राजनीति के आगे यह परम्परा ठीक नहीं रहेगी। आपके माध्यम से मैं विरोधी दल के नेता महोदय को निवेदन करूंगा कि आगे दबाव नहीं डालें। तथ्यों को तोड़-मोड़ कर और बिगाड़ने की कोशिश नहीं करें।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ रिपोर्ट आई है उससे उप मन्त्री गृह सन्तुष्ट नहीं हैं। उससे जब वह खुद सन्तुष्ट नहीं हैं, तो उन्होंने सी. आई. डी. के अधिकारी को जांच करने के आदेश अभी फिलहाल दिये हैं। इससे पहले जो तथ्य सरकार के सामने आये उन पर सरकार रिलायेंस प्लेस नहीं करती है तो उन तथ्यों को यहां रखने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है और न किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार जांच करने के मामले से सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार एक

Page No. 113

(श्री प्रसन्न महेश्वरी)
बार पुन इन तथ्यों की जांच करा लें। उसके बाद स्टेटमेंट दें। अभी मैं इन्हीं तथ्यों के आधार पर स्टेटमेंट देना ठीक नहीं समझता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इन्वेस्टीगेशन का पार्ट नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि इन्क्वायरी क्या हुई। मैं यह पूछ रहा हूं कि जिलाधीश को क्या रिपोर्ट हुई। जिला एस. पी. को क्या शिकायत हुई। वह पूछ रहा हूं। मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि इन्वेस्टीगेशन क्या हुआ। यह तो समझ में आ गया है कि इन्क्वायरी जो हुई है, उससे सन्तुष्ट नहीं हैं। लेकिन गवर्नमेण्ट की रिपोर्ट क्या है। कोई झूंठ भी कर दे। कोई सही भी कर दे। रिपोर्ट जो मिली है, वह बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : कलेक्टर की रिपोर्ट इनके पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पुलिस में क्या रिपोर्ट हुई ?

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : सुबह उठकर अखबार पढ़ा और यहां आकर स्थगन प्रस्ताव रख दिया। यह विपक्ष का कौनसा तरीका है।

श्री अध्यक्ष : जिस बात की जानकारी आप चाहते हैं उसी के ऊपर रिपोर्ट नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दिनेश जोशी : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइण्ट ऑफ ऑर्डर।

(व्यवधान)

ऑन ए पाइण्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

(व्यवधान)

प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

यह कई बार देखा गया है कि विपक्ष के नेता यह सीख देते हैं कि ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : यह कोई पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दिनेश जोशी : इसलिए इनको भी देखना चाहिए जब कानून पंगे पर हो। दूसरी बात यह है कि आपने जब एक बार व्यवस्था दे दी है तो विरोधी दल के नेता महोदय उसको चेलन्ज करते हैं, यह परम्परा ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपके सुझाव से मैं सहमत हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके उपदेश को ध्यान में रखता हूं मैं यह कह रहा था

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : अभी माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा था कि वे लोग बाहर बैठे हैं; उन्होंने उनसे बात

Page No. 114

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

की है, यह उनको मालूम होना चाहिये कि क्या शिकायत थी, या तो वे XXX बोल रहे हैं —

श्री अध्यक्ष : XXX शब्द को एक्सपन्ज किया जावे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कहना चाहता हूं कि शिकायत क्या हुई ? किसी भी स्तर पर हो, चाहे सब-इन्स्पेक्टर के स्तर पर हो, या एस.पी. के स्तर पर हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था चार में से तीन में जानकारी आ गई है. चौथे के अन्दर पूरी जानकारी नहीं आई है, जो जानकारी आप चाहते हैं उसके बारे में बताया गया है कि इसकी जानकारी की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सी. आई. डी. में क्या दिया ?

श्री सूरजपालसिंह : सी. आई. डी. में यह दिया कि विरोधी दल के माननीय नेता साहब आई

(व्यवधान)

इन्होंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा वह किस आधार पर रखा ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर,

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रातः काल एक स्थगन प्रस्ताव रखा गया और आपने उसके महत्व को देखते हुए बताया कि ठीक है सरकार को उत्तर देने के लिये कहेंगे अभी भी सदन में आपने मंत्री महोदय को वक्तव्य देने का निर्देश दिया और यह प्रतिबन्ध भी लगा दिया कि कोई प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे जो भी सूचना है उतनी ही जानकारी मंत्री महोदय दें एक तरफ तो आसन का यह आदेश व दूसरी ओर सरकार वक्तव्य देने से मना कर रही है। अब प्रश्न यह है कि आसन के निर्देश यदि सरकार नहीं माने तो क्या हो ? कृपया व्यवस्था दें। और अभी जब उत्तर देने का प्रश्न आया तो यह प्रश्न आया कि जो कुछ सूचना है, और यह कहा कि जानकारी करेंगे, प्रश्न यह है कि आसन से निर्देश दे दिये गये..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : Let me complete. सरकार को दो बार निर्देश दे दिया कि वक्तव्य दे सरकार, जब शासन कहे तो क्या सरकार अवहेलना करके चल सकती है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार यह तो कह सकती है कि अभी जानकारी नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है माननीय सदस्य। आप तथ्यों पर नहीं कहना चाहते सिर्फ टेक्निकल पाइन्ट पर बताना चाहते हैं। मन्त्री महोदय से जो जानकारी चाहते हैं वह इस समय नहीं है। इसलिए मैं भी सन्तुष्ट नहीं था. मैंने निवेदन कर दिया कि जानकारी कर लीजिये मामले में कुछ घोटाला दिखता है। इस पर इन्होंने आश्वासन दे दिया कि सी. आई. डी. से जांच करायेंगे।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार आलोपित किया गया।

श्री रामकुमार बैरवा : व्यवस्था का प्रश्न। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि सन्तुष्ट नहीं हैं। थोड़ी सी चन्द बातें बताई गई और मन्त्री महोदय ने हमको भ्रम में डाल दिया कि उस वक्त जिस वक्त घटना घटी, वहां पर लोग आये और आने के पश्चात् जो बात उत्पन्न हुई।...

श्री अध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य।

मन्त्री महोदय का स्टेटमेन्ट हो रहा है...

अकोड़ा निवासी कस्तूर मेघवाल की बीस वर्षीय पत्नी के साथ बाड़मेर जा रही बस के ड्राइवर श्री मेघराज शर्मा व उसके साथियों द्वारा बलात्कार

श्री रामपाल उपाध्याय (उप-मन्त्री गृह): दिनांक 8-8-80 को श्रीमती अन्नू पत्नी श्री कस्तूरा मेघवाल निवासी, अकोड़ा थाना चोहटन जिला बाड़मेर अपने सुसराल वालों द्वारा घर से निकाल दिये जाने के कारण अपने सुसराल ग्राम अकोड़ा से पीहर जाने हेतु अकेली बस द्वारा बाड़मेर की तरफ रवाना हुई। बाड़मेर में रात्रि 9 बजे करीब रोडवेज बस डिपो पर उतरने पर भूरा जटिया नामक व्यक्ति उसके साथ हो गया। रास्ते में मोहनलाल एवं मेघराज रोडवेज ड्राइवर उन्हें मिल गये जो श्रीमती अन्नू को रोडवेज के रेस्ट हाउस के पास एक मकान में ले गये वहां उन दोनों ने श्रीमती अन्नू के साथ बलात्कार किया। प्रातःकाल जब वह अपने गांव जाने के लिये बस स्टेण्ड पर आई तो वहां पर गश्त कर रहे पुलिस सिपाहियों को देखकर उसने अपने साथ बलात्कार की घटना की जानकारी दी।

इस पर थाना बाड़मेर पर एफ. आई. आर. नम्बर 213 दिनांक, 9-8-80 धारा 376, 366 ता. हि. दर्ज रजिस्टर कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। श्रीमती अन्नू का डॉक्टरी मुआयना कराया गया एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 सी. आर. पी. सी. में पंजीबद्ध कराये गये। श्री मोहनलाल एवं मेघराज रोडवेज ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर रोडवेज के जनरल मैनेजर ने इन्हें निलम्बित करने के आदेश जारी कर दिये हैं। भूराराम जटिया नाम का कोई व्यक्ति होना नहीं पाया गया है। श्रीमती अन्नू के द्वारा बताये गये हुलिये पर चोखाराम मेघवाल की तलाश जारी है। अनुसन्धान प्रगति पर है।

नागौर जिला के लाडनूं पुलिस थाने के होराजत गांव में मेघवाल जाति की हरिजन युवती के साथ बलात्कार

श्री रामपाल उपाध्याय : दिनांक 10-8-80 को श्रीमती सुन्दर पत्नि श्री अमृत मेघवाल उम्र 25 वर्ष ने थाना लाडनूं पर अपने पति के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उस रोज 4 बजे प्रातः गणपतराम एवं मंघाराम उसकी ढाणी में आये। गणपतराम ने उसके पति को दबोच लिया एवं मंघाराम ने उसके साथ बलात्कार किया। इस सूचना पर पुलिस थाना लाडनूं में अभियोग संख्या 49 दिनांक 10-8-80 धारा 376, 458 आई. पी. सी. पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, नागौर भी घटनास्थल पर पहुंचे। अनुसंधान में श्रीमती सुन्दर, जिसकी उम्र 25 वर्ष है और उसके पति की उम्र 55 वर्ष है, ने यह स्वीकार किया है कि उसका नाजायज ताल्लुक मंघाराम से कई वर्षों से चला आ रहा है मंघाराम एवं श्रीमती सुन्दर के पति के खेत पास पास हैं। यह भी तथ्य स्पष्ट हुए हैं कि करीब एक सप्ताह पूर्व मघाराम एव अमृत मेघवाल में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी। जिस पर अमृत ने अपने साथियों से सलाह मशिवरा कर बलात्कार की यह झूठी रिपोर्ट अपनी पत्नी के द्वारा पुलिस में दर्ज करवाई। श्रीमती सुन्दर ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष लिखित दरख्वास्त देकर इस बात को स्वीकार किया है कि उसने मंघाराम द्वारा उसके पति को धमकी देने के कारण बलात्कार की झूठी रिपोर्ट लिखाई है। इस प्रकार यह घटना झूंठी है।

श्रीमती सुन्दर के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष कराने के निर्देश दे दिए हैं।

श्री नाथूसिंह: मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब सरकार का वक्तव्य किसी एक स्थगन प्रस्ताव पर आता है तो आप थोड़ा समय बोलने के लिए देते हैं। मैं चाहूंगा कि यह जो स्थगन प्रस्ताव है इसमें थोड़ा सा समय हमको बोलने के लिए दें तो अच्छा रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: इस वक्तव्य के बाद आपने स्थगन प्रस्ताव अलॉउ किया या डिसअलॉउ किया ?

श्री अध्यक्ष: डिस अलॉउ किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर बोलने के अधिकार की परम्परा के आधार पर हमें बोलने दें।

श्री अध्यक्ष: दो दो मिनट बोल दीजिए।

(व्यवधान)

कौनसे स्थगन प्रस्ताव पर ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: मथुंडी वाला जो मैंने रखा है।

श्री अध्यक्ष: उसमें सरकार से सूचना मंगाई जा रही है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: आपने डिसअलॉऊ कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : इसमें व्यवस्था अलग दी है कि पूरी जानकारी नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 30 जुलाई की यह घटना है।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब बाद में आएगा।

श्री सी.पी. जोशी : जिस बात पर सदन में चर्चा नहीं हुई, मंत्री ने वक्तव्य नहीं दिया है —

श्री अध्यक्ष : यह परम्परा रही है कि स्पष्टीकरण के तौर पर दो तीन मिनट के लिए माननीय सदस्य को कहने का अधिकार है।

श्री सी.पी. जोशी : मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया है इसलिए माननीय सदस्य इस पर बोल नहीं सकते ।

श्री सूरजपालसिंह : ××× में दिया है ।

श्री शिवराम शर्मा: जब रिपोर्ट आएगी तब....

श्री अध्यक्ष: सदन में नहीं आएगी, यहीं समाप्त हो जाएगा ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, 30 जुलाई को आहौंद गांव में मंगूड़ी नाम की एक हरिजन महिला है जो रेवड़ से आ रही थी उसने देखा कि दो मामा लड़ रहे हैं, उसने बीच बचाव की कोशिश की; कुछ हुआ उन दोनों मामाओं को पकड़ कर पुलिस ले गई। रात्रि के 12 बजे 12-13 व्यक्ति पुलिस के वहां आए, उनसे कहा कि हमने तुम्हारे मामा को गिरफ्तार किया है, वह तुमसे मिलना चाहते हैं, मना किया तो उसको पीटना शुरू किया। उसके साथ ही सांसी जाति की तीन महिलाओं को लेकर पुलिस थाने में ले गई। भूपालगढ़ थाने में। दूसरे दिन 11 बजे दो सिपाहियों ने मंगूड़ी को इन तीन महिलाओं से अलग कर एक कमरे में बन्द कर दिया, दोनों सिपाहियों ने उसके साथ बलात्कार किया, एक घण्टे तक किया ।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद केन्द्रीय कारागाह जोधपुर में इसको स्थानान्तरण कर दिया गया। मैं आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय कारागाह जाने के बाद उसने एप्लीकेशन दी कलेक्टर महोदय को कि मैं अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहती हूं। 3 अगस्त को उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। मैं स्वयं गया हूं जोधपुर, मैं गया जेल में मंगूड़ी से मिलने के लिए, उसको एक दिन पहले जेल से रिहा कर दिया था। 9 तारीख को जब मैं पूछता हूं सुपरिटेन्डेंट से कि मेडिकल एग्जामिनेशन की कॉपी आपके पास आनी चाहिए, तीन अगस्त को जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है उसकी कॉपी वहां नहीं पहुंची। मैंने कोशिश की डॉ. कोठारी, डॉ. पी. दयाल से कि 4 दिन पहले मेडिकल एग्जामिनेशन किया है, वह अवेलेबल नहीं हुए। इतनी बात तो छोड़ दीजिए। 6 अगस्त को जागरण अखबार ने इसको छापा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सी. आई. आई. दानसिंह उनके यहां पहुंच गए। 12-13 पुलिस के लोगों को लेकर कहा कि कैसे तुमने अखबार में यह खबर छापी है ? तुम इसको वापस ले लो, खण्डन करो। खण्डन करने की बात कहने लगे। सुपरिटेन्डेंट ने उसको बुलाया और पूछते हैं कि तुम मंगूड़ी से मिले थे, उन पर दबाव डाला और कहा कि तुम खण्डन नहीं करते हो तो मैं डॉक्टर से मिलूंगा और उसकी मेडिकल रिपोर्ट को बदलवा दूंगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तीन तारीख को मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, 9 तारीख तक सुपरिटेन्डेंट तक नहीं पहुंची है, आज 12 तारीख तक सरकार के पास नहीं पहुंची, साजिश है मेडिकल रिपोर्ट को बदलने की। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है ? इस रिपोर्ट से लिखा है कि जिस समय

××× अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार असंसदीय निकाले गये ।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

यह भूपालगढ़ थाने के अन्दर थी उस समय उसके साथ संभोग किया गया, इस प्रकार के चार्ज हैं''

(व्यवधान)

एक मुद्दा तो यह है।

एक महाजन जाति की महिला सांसी, यह सच है कि सांसी जाति की महिला शायद चोरी करते हुए पकड़ी जाए किन्तु उसके साथ बलात्कार करना और इस प्रकार की रिपोर्ट आना और दूसरी तरफ पुलिस वाले जाकर अखबार वाले को डांटे, 8 तारीख की घटना हो, मेरी चुनौती है, अखबार वालों पर दबाव है, लगातार इस प्रकार की साजिश है, मेरा आरोप है कि यह सरकार आज इस प्रकार के सर्कूलर भेज रही है कि बलात्कार की खबरें छापी नहीं जायें''

(व्यवधान)

इस प्रकार की प्रक्रिया चल पड़ी है, केवल मात्र बलात्कार नहीं, कई बातें इसमें उलझी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह सरकार बलात्कार राज की सरकार है, पहाड़िया सरकार बलात्कार की सरकार है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह !

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस मामले पर मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया वह मामला बिल्कुल सही है, इस मामले की जब सरकार ने सूचना प्राप्त की, तो यह मामला सही पाया गया। अभी अभी मंत्री महोदय के वक्तव्य से पता चला, इस बात से साबित हो जाता है कि बार बार सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि केवल बलात्कार की घटनाओं को उछाला जा रहा है, यह बात झूठी साबित होती है। हम उछाल नहीं रहे हैं, हम सही घटनायें बता रहे हैं, यह इस बात से साबित होता है कि अकोड़ा निवासी मेघवाल जाति की महिला के साथ बलात्कार हुआ, दो आदमियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, इस बात को मंत्री महोदय ने स्वीकार किया, हम पर आरोप लगाते हैं कि बलात्कार की घटनायें उछालते हैं, यह सरासर गलत है''

श्री अध्यक्ष : कोई नए तथ्य बतायें, ऑर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : श्रीमती अन्नू जो कस्तूरा मेघवाल की पत्नी थी, जब बाड़मेर रोडवेज की बस से जा रही थी तो रास्ते में ड्राइवर और उसके साथियों ने इस तरह का षड़यंत्र रचा और उन्होंने ज्यों ही रोडवेज की बस रुकी उस महिला को दबोच लिया, यह जो ड्राइवर था, आप सुन लीजिए'''

श्री अध्यक्ष : सब तथ्य आ गए, कोई नई बात हो एतराज हो, इन्वेस्टीगेशन ठीक नहीं हो रहा हो तो बता दीजिए।

कई माननीय सदस्य : यह स्टेटमेंट हो गया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : बोलने ही नहीं देते।

उस महिला को घर पर ले गए, बलात्कार किया, उन्होंने बलात्कार किया। मेरा निवेदन

(श्री नाथूसिंह)

हैं कि बाकी साथी पकड़ में नहीं आये, 9 अगस्त की घटना है। उन्होंने कह दिया कि शक्ल सूरत से ऐसा पता लगा, वह पकड़ में नहीं आया, मैंने प्राइवेट जानकारी के आधार पर मामला रखा था जो सही पाया गया। मेरी जानकारी के अनुसार जो आदमी पकड़ में नहीं आया है, उसको न पकड़ा जाय, पुलिस पर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

आर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जब इस बात का पता लगाने के लिए जानकारी हासिल करने के लिये पत्रकार पुलिस में गये और उन्होंने पूछा कि यह घटना कब हुई, किस प्रकार हुई और कहां हुई ? डॉक्टर की जो रिपोर्ट थी उसमें भी यह सभी बातें सही पाई गयीं। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त पुलिस वालों ने पत्रकारों को धमकाया कि वह इस प्रकार की कोई खबर अखबार में नहीं छापें और अगर उन्होंने इस खबर को अखबार में छापा तो पत्रकारों के लिये उचित नहीं होगा। जब उन्होंने पूछा क्यों तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से इस प्रकार के आदेश हैं कि इनको नहीं छापा जाय। हमें निर्देश मिले हुए हैं, इसके लिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ऑर्डर ऑर्डर।

श्री नाथूसिंह: अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि पुलिस ने पत्रकारों को कहा कि इस प्रकार के सरकार के आदेश हैं कि बलात्कारों के काण्डों को नहीं छापा जाय।

श्री सूरजपालसिंह: कौन से पत्रकार थे और कौन से आदेश हैं यह बताइये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, ऑर्डर ऑर्डर।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य को मैं सूचित करना चाहता हूं कि मैंने तो जनहित की भावना को ध्यान में रखते हुए सदन में स्टेटमेंट राज्य सरकार से दिलवाया है उसको इस प्रकार से प्रचार के रूप में उछाला नहीं जाना चाहिये। इसको इस प्रकार से काम में नहीं लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि आपके द्वारा इस प्रकार के रिमार्क्स दिये जाय हैं।

(व्यवधान)

मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनको हमने उछालने की कोशिश की जो माननीय सदस्य ने एडजोर्नमेंट मोशन यहां पर रखा उसमें से ऐसा कोई तथ्य नहीं जिसको सरकार ने सही नहीं माना हो। मन्त्री महोदय ने स्वयं ने अपने स्टेटमेंट में स्वीकार किया है। उन्होंने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उस रूप में लिया है। आपने जो रिमार्क्स दिये है, उसके लिये मुझे घोर आपति है। इस प्रकार के फीचर्स आप पास करें इसके लिये मुझे घोर आपति है इसमें ऐसी कौनसी चीज आपको ऐसी लगी जिससे कि आपको लगे कि इसमें प्रचार के लिये सरकार को उछाला जा रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने कहा जो सही है पर आप तो उसको प्रचार के रूप में काम ले रहे हैं।

(व्यवधान)

श्रीराम गोटेवाला : आप इसकी गलत बयानी करते हैं।

श्री सूरजपाल सिंह : कौनसी सरकार के क्या आदेश हैं? वह कहा हैं आप बतावें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहिये। माननीय सदस्य आर्डर आर्डर माननीय सदस्य माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्यों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि मेरे कहने का जो मतलब है वह तो पार्लियामेन्ट्री लेंग्वेज में एक जानी मानी चीज है। मेरा इस प्रकार का कोई इरादा नहीं था, पर चूंकि यहां प्रेस गैलेरी वाले हैं। मैंने इस प्रकार का कोई आरोप या आक्षेप नहीं लगाया। मेरे कहने का तत्व तो यह नहीं था कि आपने जान-बूझ कर उछाला है। अब मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दें। इसके साथ-साथ मेरा तो आपसे यही कहना है कि अगर, आपको इसके अनुसंधान में कोई शिकायत हो तो आप उस सन्दर्भ में कहें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो मैंने एडजोर्नमेन्ट मोशन सदन में रखा है वह शत प्रतिशत सही था फिर भी...

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने सही नहीं माना है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो राजनैतिक दबाव डाला जा रहा है पत्रकारों पर पुलिस द्वारा कि इन खबरों को नहीं छापा जाय। जब अखबार वाले जानकारी के लिये जाये तो उन्हें जानकारी न दी जाय और जब यह तथ्य सही है, तो अध्यक्ष महोदय, आप यह कह रहे है कि हम इसको राजनैतिक लाभ लेने के लिये उछाल रहे हैं, यह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। मैंने माननीय सदस्यों को यह वक्तव्य दिया था चूंकि आगे पांच दिनों की छुट्टियां हैं इसलिये मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर यह जवाब दिलाया है लेकिन अब आप इसको लम्बा कर रहे हैं। इसके लिये मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। आप इसको एक मिनट में समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब भी मैं बोलने खड़ा होता हूं तो इधर से बार-बार मेरे बोलने में अवरोध पैदा

(श्री नाथूसिंह)

कर रहे हैं अगर यह मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं भी इनको बोलने नहीं दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो जिन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है अब उनको तुरन्त गिरफ्तार किया जाय। दूसरे इस घटना की जानकारी जगह जगह पर होना साबित होता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरे जो यह पत्रकारों को पुलिस द्वारा अखबारों में छापने से रोका जाता है वह उचित नहीं है। मेरा इसमें निवेदन यह है कि पत्रकारों को एफ. आई. आर. की कॉपी तुरन्त देनी चाहिये और सरकार जो इस प्रकार सूचना नहीं छापने के लिये पत्रकारों को बाध्य कर रही है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि यह इनडाईरेक्ट जो सेन्सरशिप प्रेस पर लगायी जा रही है उसको रोका जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। ऑर्डर ऑर्डर।

एक माननीय सदस्य : आपके जनता पार्टी के शासन काल में एक मन्त्री पर इस तरह के बलात्कार के चार्ज लगे थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर ऑर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, ×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मुझे माननीय सदस्यों को बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है और इस बात के लिये मुझे वाकई बहुत पश्चाताप हो रहा है कि जितना मैंने माननीय सदस्यों को लेटिट्यूड दिया है उतना ही माननीय सदस्य उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आगे से मुझको इस पर विचार करना पड़ेगा। मैं अब किसी को इजाजत नहीं दूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, हीरावत गांव में मेघवाल जाति की एक हरिजन युवती के साथ पुलिस थाने में उसके पति को उसकी औरत के सामने बान्ध कर उस औरत के साथ दो व्यक्तियों ने बलात्कार किया। मन्त्री महोदय ने जो सदन में स्टेटमेन्ट दिया उसको मैं सही मान लेती अगर उस औरत के बयान मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान द्वारा कलमबन्द कराये होते। पर अध्यक्ष महोदय, उस युवती के बयान मजिस्ट्रेट के सामने कलमबन्द नहीं कराये गये और उन्होंने 161 दफा सी. आर. पी. सी. पुलिस के तहत बयान कराये और उस पुलिस बयान के आधार पर सदन में बयान दे दिये। अध्यक्ष महोदय, उस युवती की उम्र का फायदा उठाते हुए यह कहना कि उसके ताल्लुकात उनमें एक व्यक्ति से था यह सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही नहीं हो सकती कि पुलिस द्वारा उस लड़की को मजबूर किया गया होगा

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(सुश्री पुष्पा जैन)

कि वह इस प्रकार के बयान दें। अध्यक्ष महोदय पुलिस ने मेनुपुलेशन करके ऐसे बयान दिलाये हैं। अध्यक्ष महोदय, उस औरत पर दबाव पुलिस द्वारा डाला गया होगा नहीं तो ये उसका बयान नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य होती तो निश्चित रूप से उस औरत के बयान मजिस्ट्रेट के सामने 164 के अनुसार करवाये जाते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या आपने सुना नहीं मजिस्ट्रेट के सामने ही दिलाये थे।

सुश्री पुष्पा जैन : नहीं कहा, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामपाल उपाध्याय (उप मन्त्री गृह) : मजिस्ट्रेट के सामने दिलाया था।

सुश्री पुष्पा जैन : यह तो आप अब कह रहे हैं। उस वक्त नहीं कहा था, अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का बहुत ही दुख है कि आप और सदन के कुछ माननीय सदस्य यह कहते हैं कि इस प्रकार की खबरों को जान बूझकर हम लोगों द्वारा उछाला जा रहा है। यहां पर आपने आरोप लगाया है इस प्रकार का। लेकिन मुझे इस बात को कहने के लिये अब सदन में मजबूर होना पड़ता है कि दिनांक 10-8-80 को हमारे मुख्य मन्त्री जी ने गवर्नमेंट होस्टल में यह कहा था कि बलात्कार के काण्ड तो आज से नहीं आदिकाल से होते चले आये हैं और आगे भी होते चले जायेंगे, इसको कोई भी सरकार नहीं रोक सकती।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आॅर्डर आॅर्डर।

श्री शिवराम शर्मा : आप उस वक्त कहां थी वहां पर ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। मांगों पर वाद विवाद।

(व्यवधान)

आॅर्डर आॅर्डर।

आॅर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई। मांगों पर वाद-विवाद।

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आॅफ आॅर्डर है··

श्री श्रीराम गोटेवाला : पाइन्ट आॅफ क्लेरिफिकेशन सर..

सुश्री पुष्पा जैन : मेरी बात को सुननी होगी—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।—

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज, इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पाइन्ट आॅफ क्लेरिफिकेशन सर····

Page No. 123

श्री अध्यक्ष : कोई पाइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन नहीं है।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर स्थान ग्रहण करें।

श्री दिनेश डांगी : मेरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है...

श्री अध्यक्ष : कृपया पहले स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री दिनेश डांगी : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर...

श्री अध्यक्ष : पहले स्थान ग्रहण कीजिए। सभी माननीय सदस्य शांत रहें उसके बाद इजाजत दूंगा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर की।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी एक बात सुनिये...

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्या। जब तक आसन पैरों पर है कभी नहीं सुनूंगा।

श्री दिनेश डांगी : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर मैंने छोटा सा इसलिए पेश किया है, माननीय सदस्या आमेर से आने वाली हैं उन्होंने हमारे मुख्य मन्त्री जी की अनुपस्थिति में जो सदन में आरोप लगाये...

सुश्री पुष्पा जैन : आरोप नहीं लगाये...

श्री दिनेश डांगी : ...आप वहां मौजूद भी नहीं थीं। तोड़ मरोड़ कर बोला जा रहा है। एक हरिजन चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बदनाम करने की साजिश है। एक योजना है। मुझे पूरी तरह से पता है कि जिस समय राजस्थान के श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया मुख्य मन्त्री बने यह पूरी कोशिश की जा रही है कि वह जल्दी से फेल हो जाय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर ही नहीं सुन रहे हैं। उनको कोई भी जानकारी नहीं है। यह ऐसा उन्होंने ठीक कहा है कि यह मानव प्रकृति है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहिये।

श्री दिनेश डांगी : आप इनको तो इजाजत दे रहे हैं आप पर तो बलात्कार नहीं हो रहा है...

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन है...

श्री अध्यक्ष . श्री राजबहादुर जी !

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : मेरा नाम पुकार लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ और बहुत ही दुख के साथ आपसे दरयाफ्त करना चाहता हूं कि क्या किसी भी मन्त्री को यह अधिकार है कि मात्र पुलिस की रिपोर्ट पर जबकि कोई न्यायालय की रिपोर्ट का फैसला नहीं है, पुलिस की रिपोर्ट पर ही क्या कोई मन्त्री महोदय कह सकें कि अमुक स्त्री का

(श्री राजबहादुर)
सम्बन्ध किसी से है ? क्या यह कहा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : अपने विभाग से जो सूचना मिली है उसके बारे में कहा है।

श्री राजबहादुर : क्या इस प्रकार से सदन में कहना उपयुक्त होगा ?

श्री अध्यक्ष : सदन के समक्ष जो तथ्य उनके सामने प्रशासनिक तरीके से आते हैं, वह रख सकते हैं।

श्री राजबहादुर : आप विचार कर लीजिए। इसके नतीजे बहुत भयंकर होंगे ...

(व्यवधान)

आपकी सरकार कहेगी, फिर आने वाली सरकार कुछ और कहेगी। तो फिर कोई व्यवस्था नहीं रहेगी कोई मर्यादा नहीं रहेगी ...

श्री अध्यक्ष : इसलिए ही तो माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि इस तरह के मामले नहीं उठाये जाय तथा उनमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि कोई मानहानिकारक या अन्य तरीके के मामले नहीं आयें लेकिन प्रशासन को बहुत से मामले जो नहीं कहे जाने चाहिए ...

श्री राजबहादुर : विचार कर लीजिए फिर।

श्री अध्यक्ष : सहन करना पड़ता है और कहना पड़ता है प्रशासन को।

श्री राजबहादुर : मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहूंगा कि उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सिर्फ प्रचार के तरीके से कहा जाय तो मैं समय नहीं दूंगा। यदि आप कुछ कहना चाहती हैं, चेलेन्ज करना चाहती हैं तो वह बात कहें। लेकिन यह कहें कि सरकार यह कर रही है, वह कर रही है इससे क्या लाभ ...

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर। जो घटना के सम्बन्ध में हो और यदि आप चेलेन्ज करते हैं फैक्ट्स को तो कहें।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पाइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन सर......

श्री बुलाराम (रायसिंह नगर) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर.......

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए। पहले पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री बुलाराम : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है। विपक्ष के नेता श्री भैरोंसिंह ने थोड़े दिन पहले यह कहा था और विपक्ष के माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं मुख्य मन्त्री जी पर आरोप लगा दिया कि अखबारों पर अंकुश लगा दिया और अखबारों में खबरें नहीं छपने दीं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन के अन्दर जब विपक्ष के नेता मुख्य मन्त्री थे ...

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

Page No. 125

125

श्री हुलाराम : ""इस सदन के अन्दर तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने राजस्थान में एक हरिजन की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ उसको दबाने के लिए"

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह × × × है। पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री हुला राम : माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद में"

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाइये। यह चर्चा अब समाप्त होती है। मैं यह मानकर चलता हूं कि माननीय सदस्य इसके बारे में सीरियस नहीं हैं इसलिये मुख्य विषय पर आ जाते हैं। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

सुश्री पुष्पा जैन : सवाल पूछने की इजाजत तो दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पाइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन सर" "

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बैठ जाइये।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, कुछ सवाल पूछना चाहती हूं" "

(व्यवधान)

ऐसा × × ×

श्री अध्यक्ष : एक्सपन्ज किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने एक माननीय सदस्या को बोलने के लिए कहा और माननीय सदस्य आपत्ति करते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं हो सकती तो आप कोई व्यवस्था कीजिए"

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह × × × कह रहे हैं" "…

श्री अध्यक्ष : × × × शब्द को कार्यवाही से निकाला जाता है।

(व्यवधान)

दो तीन प्रश्न यदि पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : इनकी समस्या बलात्कार नहीं है, अध्यक्ष महोदय। इनकी समस्या दूसरी है। इनका इलाज जनता ने कर दिया हम क्या करें।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने बयान में कहा कि 161 में उस औरत ने यह जाहिर किया यह स्वीकार किया कि उसका संबंध उनमें से किसी एक व्यक्ति

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

Page No. 126

(126)

(सुश्री पुष्पा जैन)
के साथ था .161 के बयान पर जो जानकारी मंत्री महोदय को मिली क्या सारे तथ्यों को समुचित मान लिया जैसा कि उन्होंने अपने जवाब में कहा···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या इस पर बहस नहीं होगी। आप प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर,

सुश्री पुष्पा जैन : ··161 के बयानों के आधार पर यह कहना कि यह ही सच्ची जानकारी है और यही तथ्य हैं···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, विवाद नहीं हो सकता कि किस का बयान सच है···

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, पुलिस द्वारा लिया गया 161 का बयान यहां पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहां कैसे इस्तेमाल किया गया ? वह कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकता सिवाय गवाह को कन्ट्रोडक्ट करने के लिए।

श्री अध्यक्ष : जब किस्सा दूसरा निकल गया तो उस पर आलोचना करने लगे हैं। मंत्री जी के पास सरकार के विभाग के द्वारा जो इत्तला आती है उसीको यहां प्रस्तुत करते हैं···

सुश्री पुष्पा जैन : स्वीकार तो करें···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज···

सुश्री पुष्पा जैन : यह स्वीकार तो कर लें, 164 में बयान नहीं हुआ···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर···

सुश्री पुष्पा जैन : ऐसे हालात पैदा करके राजस्थान में···

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई··· कृपया स्थान ग्रहण करें··

ऑर्डर ऑर्डर।

चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बोलना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर··· चर्चा समाप्त हुई। ऑर्डर प्लीज···

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे बोलने का अवसर दें···

सुश्री पुष्पा जैन : 164 के बयान के आधार पर··

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर ऑर्डर। चर्चा समाप्त हुई···

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कुछ बात कहना चाहूंगी···

एक माननीय सदस्य : अभी बैठिये···

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बात कहना चाहूंगी···अध्यक्ष महोदय,···

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय प्रभाकर जी ट्विस्ट कर रहे हैं…

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कुछ शब्द कहना चाहूंगी। क्या इन असामाजिकता को यहां मान्यता मिल गई है… स्त्रियों की रक्षा करने का आपका धर्म नहीं है''आप क्या करने जा रहे हैं, डूब मरना चाहिए, निकल जाना चाहिये…

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सुनिये…… इनको पकड़ो जरा…

श्री दिनेश डांगी : कहीं चाकू मत फेंक देना''

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : हम औरतें, हम महिलायें अपने आप…

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप चुप रहिये…

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : यह कैसी औरत है

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप चुप रहिये…

एक माननीय सदस्य : ऑन ए पाइंट ऑफ ऑर्डर''

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : इसमें चुप रहने की क्या बात है…

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसको रोको जरा। इसकी पहलवानी रोको…

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : वाह, वाह। यह ××× है। यह क्या बढ़िया काम है ? यह विधान सभा है मारो मारो' यह विधान सभा है''

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर…

एक माननीय सदस्य : यह सदन की मानहानि कर रही हैं…

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, सदन से इन्हें बाहर निकाला जाय। यह महिला ××× हो गई है। किसी पर चाकू नहीं फेंके। इस ××× को बाहर निकालो ×××

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है ? सार्जेंट की मार्फत इनको बाहर निकाला जाय''

(व्यवधान)

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा: इस महिला को बाहर निकालो। यह क्या समझती है ? यह विधान सभा है''

श्री दिनेश राय डांगी : अध्यक्ष महोदय यह कब तक चलेगा''

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : यह औरत की तमीज है, यह महिला की तमीज है'' यह महिला की इज्जत बचा रही हैं'' अध्यक्ष महोदय, … … यह महिला की इज्जत बचाने के लिये खड़ी हुई हैं। यह खुद अपनी इज्जत नहीं बचा

××× शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा)
सकतीं। हम लोगों की क्या इज्जत बचायेंगी ···

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह भारतीय परम्परा के विपरीत है ··

श्री विनेश डांगी : बड़ी आई परम्परा की ···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें···

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : यह क्या तमाशा बनाया है ··

सुश्री पुष्पा जैन : तमाशा नहीं है, हकीकत है, हकीकत है डूब मरो।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : डूब मरने की क्या बात है··· सच्ची झूठी बातों के लिये लड़ते हैं ···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप बैठ जाइये ···

श्रीमती उजला अरोड़ा : भारतीय परम्परा के विपरीत है···सरकार का दायित्व है सरकार की क्या व्यवस्था है, मैं जानना चाहूंगी ·

(व्यवधान)

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : यह विधान सभा है × × ×। बनाया हुआ है आपने। विधान सभा के बाहर जाइये··

सुश्री पुष्पा जैन : ··· रक्षा के लिये है···

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें··

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर आप ऐसा नहीं कर सकते जो व्यवस्था होगी हो जायगी ··

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : विधान सभा के बाहर हम कर रहे हैं···

एक माननीय सदस्य : डूब मरो··

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : यह क्या करेंगी ··

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ···

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह हंसी का प्रश्न नहीं है, यह टालने का प्रश्न नहीं है। असामाजिकता को सरकार मान्यता नहीं दे सकती, चाहे पहाड़िया सरकार हो चाहे और कोई ·· मैं रिक्वेस्ट करती हूं कोई न कोई ऐसा प्रयास करें ··आपसे निवेदन करना चाहूंगी यह स्त्रियों की रक्षा का मामला है ··

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये····

सुश्री पुष्पा जैन : यहां कोई सुनने वाला नहीं है···

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें, बैठ जायें···ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्यगण, हम राजस्थान की विधान सभा में बैठे हैं। हमारी गरिमा, प्रतिष्ठा, सब सवाल इसके

× × × शब्द/माननीय अध्यक्ष के अनुसार विलोपित किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

अन्दर हैं। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिये...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्होंने माइक को तोड़ दिया है...

श्री अध्यक्ष : हमारी चर्चा, हमारा यहां पर व्यवहार, सब कुछ दूसरों के लिये देखने योग्य होना चाहिये। ठीक है, बहुत से विषय ऐसे आ जाते हैं, जिनमें बहुत से माननीय सदस्यों को नाराजगी भी हो सकती है...

श्रीमती उजला अरोड़ा : दुःख है महाराज, नाराजगी नहीं, दुःख है।

(व्यवधान)

श्री विनेश डांगी : सारा दुख इन्हीं को है।

ऑर्डर प्लीज।

श्री अध्यक्ष : सदन के अन्दर बहुत से विषय आते हैं। सरकार बहुत सी सूचनायें देती है। हो सकता है जो सूचना हम चाहते हैं, वैसी सूचना न हो, जो तथ्य सामने आते हैं, वह प्रतिकूल हों, तो हमें धीरज के साथ, धैर्य के साथ उन तथ्यों को स्वीकार करना चाहिये और समय को ध्यान में रखते हुए हमेशा हमें सदन का कार्य चलाना चाहिये। बहुत समय ले लिया। माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये यद्यपि सुबह मैंने व्यवस्था दे दी थी, क्योंकि 5 दिन की छुट्टियां थीं, महत्वपूर्ण मामले थे, इसलिये इस सम्बन्ध में सरकार से जानकारी ली। अधिकतर में जानकारी आ गई। एक में अपूर्ण जानकारी आई। सरकार ने कहा कि हमें भी कुछ ठीक नहीं लगता उसका अनुसंधान किसी अन्य जिम्मेदार अधिकारी से करा रहे हैं। तो इसमें इतना नाराज होने की, आवेश में आने की कौन सी बात आती है? यह मेरी समझ में नहीं आता? माननीय सदस्यों से निवेदन है चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सदन के सम्माननीय सदस्य हैं, यह स्थान विधान सभा का प्रांगण है इसके अन्दर जो भी हम कहें, बहुत जिम्मेदारी से कहें, एक आदरपूर्वक तरीके से कहें, एक दूसरे के प्रति आदर का हम व्यवहार करें, तो हमारे लिये अच्छा होगा वरना जो कुछ भी यहां होता है, बाहर उसकी रिपोर्ट जाती है, अखबारों के अन्दर छपता है, चर्चा का विषय बनता है। हमें भी यदि कोई कमियां जनता में नजर आने लगें तो आखिर हमें मर्यादाओं को, मान्यताओं को हमारी परम्पराओं को, हमारी गरिमा को कौन कायम रखेगा? इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जब कभी हम चर्चा में हिस्सा लें तो उसको गम्भीरता से लें। इनमें जो आप ठीक समझते हों, जिनको उचित समझते हों, उसको जोरदार ढंग से भी कहें, किसी को नाराज नहीं होता लेकिन केवल प्रचार का तरीका अपनायें, विरोधियों पर छाने की कोशिश करें, चाहे इधर से, चाहे उधर से यह हम को किसी नतीजे पर नहीं ले जा सकते। अच्छे से अच्छा बहस का जवाब दें, अच्छे ढंग से डिबेट करें, अच्छा उत्तर दें। लोग दूसरे भी कोई देखें तो उनको लगे हमारे प्रतिनिधि हैं, बहुत ही काबिल, योग्य और चरित्रवान व्यक्ति हैं, इस तरह की चीज

(श्री अध्यक्ष)

सामने आनी चाहिये। जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूं, हम थोड़ी सी भूल कर गये। कुछ माननीय सदस्य बहुत अधिक आवेश में आ गये। इतना आवेश में आने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं इस बहस को यहीं समाप्त करके और आज का जो विचारणीय विषय है, उस पर विचार करें---

श्री मोहनलाल शर्मा : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : मेरा नम्र निवेदन यह है इसमें स्पष्टीकरण के तौर पर कुछ पूछ लें। एक प्रचार के तौर पर और गेलरी का ध्यान आकर्षित करें तो यह नहीं होना चाहिये। एक दो प्रश्न आप पूछ लीजिये, उसकी मैं इजाजत देता हूं।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

क्या सदन की सम्मति है कि साढ़े सात बजे तक के लिये, क्योंकि काफी समय इसमें चला गया है, सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

शासकीय वक्तव्यों पर चर्चा

श्री मोहनलाल शर्मा (सरदार शहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू जिले में जो एक जघन्य अपराध हुआ है और उसमें जिस प्रकार की कार्यवाही की गई है, उसमें एक-दो बातें कहनी हैं। पहला निवेदन तो यह है कि जिस जगह का यह वाकिया है वह 100 किलोमीटर है पुलिस का हैड क्वार्टर है और पुलिस को जोर देने पर भी दो घंटे तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां के कार्यकर्त्ताओं ने और व्यापारियों ने कुछ बीच-बचाव किया। मेरी समझ में नहीं आता आज की जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं वह सिर्फ पुलिस की अकर्मण्यता के कारण हो रही हैं। मैं समझता हूं अगर व्यापारियों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता तो हत्या हो जाती या उसको पार कर देते। तो मेरा निवेदन है यह पुलिस की अकर्मण्यता है उसके लिये सरकार को ध्यान देना चाहिये और प्रभावी कदम उठाने चाहिये।

दूसरी बात, यह निवेदन करना चाहूंगा पुलिस की जो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, उससे हमारे जिले में ऐसे लोगों में जो डाकू से भी ज्यादा झगड़ा करते हैं, पुलिस चौकी के सामने करते हैं, बस स्टैण्ड के सामने करते हैं काफी ज्यादा आंतक छा गया है··

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल शर्मा : मेरा निवेदन है, ऐसे लोगों के हौसलों को पुलिस ने किस प्रकार बढ़ाया है। पुलिस के सामने वे कुछ भी कार्य करने से नहीं डरते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं उन तीन आदमियों को जिनको मौके पर गिरफ्तार किया था और उनको बाद में छोड़ दिया गया जब कार्यकर्त्ताओं ने कहा तो दुबारा गिरफ्तार किया गया है। चूंकि एफ. आई. आर. में नाम दर्ज हैं लेकिन अपराधियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वे लोग जयपुर में बैठे हैं और

(श्री मोहनलाल शर्मा)
राजनैतिक शरण प्राप्त करने में लगे हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाय और इस प्रकार के जघन्य अपराध को बढ़ावा न दिया जाय जैसा आपकी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा जी भी कह रही हैं कि जो देश में ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं, वह न हों।

श्री अध्यक्ष : मांगों पर वाद-विवाद।
श्री नानू राम कांग्रेस की ओर से।

माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें, समय बहुत हो गया है...

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक मिनट में ही अपनी बात कह दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने झालावाड़ जिले में आये दिन जो बिजली की समस्या उत्पन्न होती है उसके विषय में जो स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

" बिजली की लाइन में खराबी होने से वहां का सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है और वहां पर पेय जल के सम्बन्ध में भी बिजली न होने से लोगों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि लाइन में क्या खराबी हो गई है, यह तो मुझे पता नहीं है लेकिन सरकार उस ओर ध्यान देवे या लाइन को बदले या किसी प्रकार की और कोई व्यवस्था करे ताकि जनता को जो इस समय परेशानी हो रही है वह नहीं हो। तीन तीन, चार-चार दिन लाइट नहीं आने से आटे की चक्कियां और पानी की भी किल्लत रहती है तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कोई पूर्ण व्यवस्था करें।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री नानू राम !

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि और पशुपालन में जो मेरे दो प्रस्ताव हैं, उनके लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब कृषि की फसलों में...

(व्यवधान)

...होने वाली बीमारी के कारण...

(4.56 म. प.)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य आपस में बातें नहीं करें...

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपस में नहीं कर रहे हैं। साहब...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अच्छा, चेयर पर सभापति साहब आ गये।

श्री नानूराम कुमावत: सभापति महोदय, कृषि में जो मिलने वाली दवाइयां हैं इनमें काफी मिक्स आने लग गई हैं। उदाहरण के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 78-79 में मेरे क्षेत्र आसीन्द तहसील में जो क्या

(श्री नानूराम कुमावत)

आई थी, कृषि के लिये जो पेस्टीसाइड की दवा है उसके बजाय लाल स्याही उन शीशीयों में निकली जिसकी शिकायत भी की गई लेकिन उसका आज दिन तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान किसानों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे किसानों की ओर तुरन्त ध्यान देकर किसानों को होने वाले नुकसान से बचायें। दूसरी ओर जो किसानों को दवा मिलती है उसमें अधिकांश में मिक्स आती है उसकी सही तरीके से जांच करवा करके किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करायें।

एक निवेदन और करना चाहता हूं खेती पर किसानों को जो लोन मिलता है वह सही रूप से नहीं मिलता है। जो किसानों को लोन दिया जाता है उसमें कई अड़चनें हैं। पहला तो यह किसानों को लोन को-आपरेटिव के माध्यम से नहीं मिलता है, भूमि विकास बैंक के माध्यम से मिलता है तो उन अड़चनों को दूर किया जाय और किसानों को सही लोन दिलाया जाय। सभापति महोदय, जब किसानों के खेत में माल पैदा होता है और उस माल को किसान जब मार्केट में बेचने जाता है तो माल सब जगह कृषि मण्डी की मार्फत बिक रहा है लेकिन उसमें किसान के सामने क्या अड़चनें हैं, मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जो माल किसान कृषि उपज मण्डी में बेचता है उसमें मण्डियों की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा कि माल मण्डी में जाने पर खुली बोली लगाकर बिकना चाहिए, उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात, जब माल बिकता है उस पर किसान से किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेना चाहिये लेकिन उनसे टैक्स के रूप में रुपये काटे जाते हैं। जैसा कि मैं निवेदन करूं कि हमारे यहां पर व्यापारी भाई गाड़ी जब किसान लेकर जाता है तो उसके ऊपर तुलाई लेता है, कांटा भी लिया जाता है, धर्मादा भी काटा जाता है और व्याज के पैसे भी काट लेते हैं। इसलिये किसानों से जो यह पैसा काटा जाता है, किसानों से यह पैसा नहीं काटना चाहिये। क्योंकि जो ये कृषि मण्डियाँ बनायी गयी हैं, इसलिए बनायी गयी हैं कि किसानों से कोई पैसा नहीं काटना चाहिए। तो, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नानू राम कुमावत: ठीक है, मैं पशुपालन पर चला जाता हूं। दूसरी चीज और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आसींद तहसील में गवर्नमेन्ट ने, जो हमारी काटन सी. सी. आई. के माध्यम से पर्चेज करते हैं, तो हमारी आसींद तहसील में कई बार ठीक काम नहीं हुआ और आज तक वहाँ पर सी. सी. आई. ने पर्चेज नहीं किया जिसके कारण जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वे मिल जाते हैं और सी. सी. आई. वालों को नहीं ले जाने देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सी. सी. आई. को लिखा जाय और हमारे वहाँ पर आसींद तहसील में सी. सी. आई. की खरीद चालू करवायी जाय ताकि जो किसानों को पूरा पैसा नहीं मिलता है उनको पूरा पैसा मिल सके। माननीय सभापति

(श्री नाथूराम कुमावत)

महोदय, दूसरी ओर मैं पशुपालन विभाग की तरफ भी आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर 75-76, 76-77 में कांग्रेस के शासन में आसीन्द तहसील की विलेज स्कीम लागू की गयी, क्योंकि वह स्कीम जो लागू की गयी तो यह 77 के बाद जो जनता पार्टी का शासन आया तो इनकी गलत नीतियों के कारण हमारे यहां कीविलेज स्कीम को आपने हटा लिया और कीविलेज स्कीम से किसानों को जो राहत मिलती थी, जो लाभ मिलता था, उससे किसानों को जनता पार्टी की सरकार ने वंचित कर दिया। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि हमारे यहां से जो कीविलेज स्कीम हटा दी गयी है, उसको वापस लागू किया जाय क्योंकि हमारे यहां, हमारी आसीन्द तहसील का बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, 90 प्रतिशत किसान हैं। हमारी तहसील में किसान रहते हैं उनका धन्धा खेती और पशु पालन का है। तो हमारे यहां के किसानों को जो लाभ मिलता था, इस जनता पार्टी के कुशासन में हमारे किसानों को 10 साल पीछे धकेल दिया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो कीविलेज स्कीम थी, उसको वापस लागू कराया जाय। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पशु पालन विभाग में पहले जो दवाइयां आती थीं, कीविलेज स्कीम के माध्यम से, वे दवाइयां भी जनता पार्टी के शासन में आनी बन्द हो गयीं। तो मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि पहले जो दवाइयां आती थीं, वे वापस मंगायी जायें ताकि हमारे यहां किसानों को फायदा पहुंचा सकें, किसानों का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। क्योंकि जनता पार्टी के कुशासन में सारा राज्य उनका था और नीचे से लेकर ऊपर तक यही लोग जम गये। इन लोगों ने क्या किया कि चपरासी से लेकर और चीफ मिनिस्टर तक, इन सब लोगों ने सामन्ती आकर बैठ गये और सामन्तों ने हमारी तहसील का बंटाधार कर दिया और सारे काम चौपट हो गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हमारे किसानों को इन्होंने 10 साल पीछे धकेल दिया। इसलिए सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो पशुपालन विभाग की तरफ से जो कठिनाइयां आ रही हैं इनको दूर कराने की कृपा करें। जैसा कि हमारे यहां पर आसीन्द तहसील में एक पशु औषधालय है लेकिन वहां पर आज से तीन साल पहले हमारे दौलतगढ में, हमारे सरेड़ी में, हमारे कालीवास में और हमारे पाटन में, हमारे चाकसू में पशु औषधालय खुल जाने चाहिए थे लेकिन आज दिन तक जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण नहीं खुल सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर जो चार सेन्टर हैं, जहां बड़े बड़े हजारों घरों की बस्तियां हैं, वहां पर पशु औषधालय खुलने चाहिए क्योंकि हमारे वहां पर 90 प्रतिशत किसान रहते हैं और किसानों की आमदनी का मेन धन्धा खेती और पशुपालन

(श्री नानूराम कुमावत)

का ही है। हमारे यहां 10-12 जो डेरियां खुली हुई हैं, उन डेरियों में भी जो लोन दिया गया है आज से 4-5 साल पहले जो भैंसे और गायें खरीदने के लिए, वह भी 3 साल के जनता पार्टी के कुशासन में बन्द कर दिया गया। केवल एक ही बात कही, इन्होंने यह कहा कि भाई इसकी तो अन्त्योदय योजना लागू की है और हमारे यहां पर मामूली आदमी आये। केवल इन्होंने भाई भतीजावाद फैलाया और कुछ लोगों को लोन दिया लेकिन इसके साथ आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि पहले हमारे किसानों को जो लोन मिलता था, 75-76, 76-77 और 77-78 में जिसमें जिस प्रकार से जो गायें और भैंसें खरीदने के लिए को-ऑपरेटिव के माध्यम से और लोन दिलाया जाय ताकि हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके और ज्यादा से ज्यादा वे अपनी तरक्की कर सकें। इसी से हमारा देश, कृषि प्रधान देश है, जिस प्रकार से हमारे हिन्दुस्तान में पहले भी दूध की नदियां बहती थी लेकिन जनता पार्टी के 3 साल के कुशासन में हमारा देश बहुत पीछे चला गया। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं फिर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि हमारी आसीन्द तहसील में, जो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां किसानों को ज्यादा से ज्यादा गायें और भैंसें खरीदने के लिए लोन दिया जाय ताकि हमारे यहां किसानों की हालत अच्छी हो सके और जो पशु औषधालय का आपके माध्यम से निवेदन किया, वहां पर हमारे 4 सेन्टर खोलने के लिए,

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नानूराम कुमावत : मैं समाप्त कर रहा हूं।

मैं आपका ध्यान सभापति महोदय के माध्यम से आकर्षित करूंगा कि हमारे यहां बहुत गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, उनके अलावा दूसरे लोग शायद 2-3 पर्सेन्ट ही हैं। इसलिए हमारे यहां 4 पशु औषधालय खोले जायं ताकि हमारे किसानों की माली हालत अच्छी हो सके।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समाप्त करें। मैं असमर्थ हूं। आपके दल के मुख्य सचेतक ने निवेदन किया है कि 7 मिनट से अधिक का समय नहीं दें। आपने 7 मिनट से अधिक का समय ले लिया। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री नानूराम कुमावत : एक मिनट। सभापति महोदय, वैसे तो मेरा बहुत बाकी है लेकिन मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय, मैं और दूसरी बातों पर नहीं जाना चाहता क्योंकि एग्रीकल्चर और पशुपालन के ऊपर ही मेरे दो प्रस्ताव थे इसलिए मैं दोनों के ऊपर ही अपनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसा कि हमारे किसानों की समस्या मैंने बतलायी, मुझे बताना तो बहुत लम्बा था, क्योंकि मैं खुद किसान हूं इसलिए किसानों की समस्यायें तो बहुत लम्बी थी और जो पशुपालन के बारे में मैं निवेदन कर रहा था कि पशुपालन विभाग में हमारे यहां पर कीविलेज स्कीम जो पहले से चल रही थी 75-76 व 76-77 में, इन्होंने 78 में

(श्री नानूराम कुमावत)

जनता पार्टी की सरकार ने उस कीविलेज स्कीम को हटा दिया और फिर दोबारा मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे यहां कीविलेज स्कीम को लागू किया जाय और यहां पर जो 4 पशु औषधालय, जो आज से 3 साल पहले खुल जाने चाहिए थे, लेकिन जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण नहीं खुल सके, वह इस साल खुलवाने की व्यवस्था के लिए मैं सरकार से मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति : श्री समर्थलाल !

श्री बालचन्द आर्य वीर : मैं उनकी जगह बोल लेता हूं।

श्री सभापति : श्री राम रघुनाथ चौधरी!

श्री सभापति : श्री राम रघुनाथ !

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है और इस तरह से राजस्थान भी। राजस्थान के 80 प्रतिशत लोग कृषि और पशुपालन पर आधारित हैं। मैं इस चिन्ता में कई दिनों से सोचता आ रहा था और इस आशा से आशान्वित हुआ था कि मुझे जब पुकारा जाएगा तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि पिछले कई वर्षों से और खास तौर पर पिछले दो सालों में राजस्थान का किसान खाद्यान्नों को नहीं बोकर और दूसरी फसलों की तरफ आकर्षित हो रहा है। निश्चय ही यह चिन्ता का विषय है और खास तौर से इसलिए भी है कि सन् 1975 के वर्ष के बाद हिन्दुस्तान की हालत खाद्यान्नों के मामलों में सुधरी थी। लेकिन किन्हीं कारणों से, चाहे वह खाद्यान्नों के भाव ठीक नहीं मिलने के कारण हो चाहे वह फसलों में बीमारी ज्यादा आती हो, इसके कारण हो या कुछ प्राकृतिक विपदाओं के कारण किसान को जो निरन्तर नुकसान होता चला जा रहा है, इससे वह तिलहनों की फसलों की ओर या दूसरी फसलों की ओर डाइवर्ट हो रहा है। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। इसमें मैं आपको विशेष कर यह बताना चाहता हूं कि 73 74 में बाजरा 57.5 लाख हैक्टेअर में बोया गया था और अब वही बाजरा 45 लाख हैक्टेअर में बोया गया है। इसका मतलब है कि 12 लाख हैक्टेअर भी बाजरे में कमी हो गई है। इसका आखिर कारण क्या है? बरसात के साथ बाजरे में अरगट का रोग फैल जाता है। मैंने आपका प्रतिवेदन भी पढ़ा है। उसके अन्दर कहीं पर भी इस अरगट रोग के बारे में यह नहीं बताया गया कि अरगट रोग फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों यह रोग फैलता है और इसके नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए गए हैं? लेकिन मुझे चिन्ता इस बात की है कि अरगट होता क्यों है? जब बरसात होती है तो उसके साथ होता है, ज्यादा बरसात होती है तो होता है और बरसात अधिक होने और उसके बाद नहीं होने से होता है, तो उसके बीच के पीरियड में होता है। चाहे जो भी कारण हो आज चिन्ता का मुख्य विषय यह है कि आज जो बाजरे में अरगट का रोग हो रहा है तो किसान बाजरा कब बोयें? बरसात से पहले, बरसात होने के बाद में बोयें और बोयें तो कौन से प्रकार का बाजरा बोयें? आज सबसे अधिक सोचने का विषय यह है

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कि वह खाद्यान्नों को बोयें और जो भी बोयें वह खाद्यान्नों से सम्बन्धित हो। आज बाजरे का रिप्लेसमेंट ग्वार है। ग्वार को बोने से फायदा तो हो सकता है लेकिन ग्वार खाने के काम में नहीं आ सकती है। किसान यह सोच कर चलता है कि जिस चीज के भाव बाजार में ठीक मिलें, जिस चीज से उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती हो, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती हो, उसी चीज को बोयें। लेकिन बाजरे का रिप्लेसमेंट ग्वार नहीं है। जो खाद्यान्नों की उपलब्धि देश में होती है, देश में प्राप्त होते हैं उनमें कमी आयेगी।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता था कि दुनियां भर की बीमारियां फसलों को होती हैं। पहली बात तो यह कि सूखा पड़ जाय तो फसलों को रोग लग जाय, अतिवृष्टि होती है तो फसलों को कातरा लग जाता है या दूसरी किस्म के रोग लग जाते हैं। खसरा है, कीड़े हैं, कातरा है, कई तरह के रोग लग जाते हैं। इसके बाद कई तरह के कीड़े और हैं जिनसे फसलों को नुकसान पहुंचना अवश्यम्भावी है। इसके लिए यह आवश्यक है कि फसलों की बीमा योजना लागू की जाये। बीमा योजना से किसान इस बात के लिए आश्वस्त हो सकता है कि किसान आज जिस फसल को बो रहा है, उसके प्रति बीमा कम्पनी एक निश्चित धन-राशि तो दे देगी और उसकी वजह से वह आश्वस्त हो सकता है। राजस्थान का किसान फसल ज्यादा से ज्यादा पैदा करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर किसी कारण से उसको फसल नहीं भी मिल पाये तो बीमा कम्पनी से उसके उत्पादन का इतना पैसा तो मिल जाएगा जिससे कि उसका जीवनयापन हो सके। जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति कहीं हिल नहीं जाय इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था कि सरकार इस ओर ध्यान दे और फसलों की बीमा योजना लागू करे।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं कि खाद और उर्वरकों के सम्बन्ध में हमारे यहां पर सारे हिन्दुस्तान में खाद्य का स्थान उर्वरक ले रहा है। आपने देखा होगा कि आज पंजाब और यू. पी. में ज्यादा से ज्यादा उर्वरकों को क्यों काम में लिया जा रहा है? राजस्थान में पहले खाद कम काम में लिया जाता था लेकिन अब उर्वरकों का स्थान खाद लेता जा रहा है। यह आज कैसे हो रहा है। आज यह कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमारा कृषि विभाग और हमारे राजस्थान के दूसरे विभाग कितना काम कर रहे हैं। किसान को कितनी सूचना देते हैं, कितना उर्वरक उसको उपलब्ध कराते हैं इन सब बातों को लेकर विभाग को खुशी हो सकती है और राज्य सरकार भी खुश हो सकती है कि हमारा विभाग इतना काम कर रहा है। किसान को हम कितनी सूचना देते है, कितना उर्वरक उपलब्ध कराते हैं। इस बात को कह कर खुश हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आज उर्वरकों को लेकर हो क्या रहा है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 62-63 में जब अमेरिका में उर्वरकों की शुरुआत हुई तो आंधी और तूफान की तरह लोग इसके पीछे पड़ गये थे। हर व्यक्ति यह चाहता था कि उसको यूरिया मिले, ज्यादा से ज्यादा वह उपयोग करें, उससे ज्यादा से ज्यादा उपज मिले। लेकिन हुआ क्या? आज वह जमीन, जहां पर उर्वरक ज्यादा यूज करते थे अन-उपजाऊ

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

हो गई है और बंजर होती जा रही है। आज वहां का किसान परेशान हो रहा है और उसने उर्वरकों का प्रयोग खत्म कर दिया है और यह सोच रहा है कि भूमि को बंजर होने से कैसे बचाया जाय? आपने पढ़ा होगा, सभापति महोदय, स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि जो प्रगतिशील किसान हैं उन्होंने उर्वरकों को प्रयोग में लेना बन्द कर दिया है क्योंकि उनकी जमीनें बंजर हो गई हैं और वहां पर पैदावार नहीं के बराबर हो रही है। वहां पर भी अब पूर्व पद्धति पर आ रहे हैं कि खाद को ज्यादा से ज्यादा काम में लिया जावे और खाद के बल पर यह हो रहा है। खाद किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा काम में लिया जाय और ज्यादा से ज्यादा कैसे इससे उपज मिल सकती है, इसके लिए कम्पोज्ड खाद की व्यवस्था कर रहे हैं। पहले कम्पोज्ड खाद पर काफी जोर था कृषि विभाग का लेकिन आपके इस प्रतिवेदन में कम्पोज की तरफ इशारा नहीं किया गया है। मैंने देखा है कि शायद कृषि विभाग इसको बिलकुल भूल गया है। कम्पोज्ड खाद से कितना पैदा होता है। दुगुना, चौगुना फायदा इससे हो सकता है, इस के लिए मैं चाहूंगा कि कृषि विभाग इसके बारे में चिंतित हो और उर्वरकों के साथ में खाद और खाद के जो उपयोग हों उसकी किसान को ज्यादा से ज्यादा सूचना देकर प्रोत्साहित करें और उसके साथ में कम्पोज की योजना लार्ज स्केल पर चलाई जावे। किसान को समझाया जावे कि किस तरह से खड्डे खोदे जावें और उसमें कितनी मात्रा में खाद डाला जाना चाहिए, कितनी मात्रा में घास-फूस डाल कर ज्यादा से ज्यादा उपयोग और ज्यादा से ज्यादा उसकी केपेसिटी बढ़ा कर ज्यादा से ज्यादा उपज लेने के लिए प्रोत्साहित किया जावे।

इसके साथ में एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात की तो खुशी है कि पिछले एक साल से गोबर गैस प्लान्ट के बारे में राज्य सरकार जोर लगा रही है। इसके दो फायदे होने वाले हैं। एक तो किसान को गैस मिलेगी और दूसरा उससे जो खाद होगा, जो मैन्योर होगा वह अधिक उपजाऊ होगा और इससे उपज बढ़ेगी।

एक माननीय सदस्य ने यहां पर निवेदन किया था, मैं पुनः उसको दोहराना चाहता हूं हमें सुधरे हुए बीज के लिए गुजरात और मद्रास पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारा अधिकतर बीज बाजरा वगैरह बाहर से आता है। राजस्थान इसको उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। सुधरे हुए बीज गेहूं वगैरह हमारे यहां पर नहीं हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर सूरतगढ़ फार्म जैसा विशाल फार्म है जिसका पूरी तरह से यंत्रीकरण किया हुआ है। उस फार्म से हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इस तरह की योजना बना कर बीजों को यहीं से उपलब्ध कराया जावे।

इसके साथ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि हम दवाओं के प्रयोग के बारे में कितने आधारित होते चले जा रहे हैं। क्योंकि कीटाणुओं को, कीड़ों को, बीमारियों को बिना दवाओं के अगर कब्जा कर सकें, कण्ट्रोल कर सकें तो उसकी तरफ हमारा ध्यान बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह से उर्वरकों के ज्यादा उपयोग से जमीन बंजर होती चली जा रही है, उसी तरह से दवाओं के उपयोग से भी उसका एडवर्स इफेक्ट होगा। उसका किसान की उपज पर किसी न किसी प्रकार

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

से आगे जाकर असर पड़ने वाला है। जैसे हमारे यहां पर श्वेत लट है, कसारी है, दीमक है, कातरा है, कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं, जैसे गेहूं में रोली लगती है तो हर एक चीज के लिए कोई न कोई दवा स्प्रे के तौर पर या डस्टिंग के तोर पर निकाल दी है। आप चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे से इतना नुकसान नहीं होता लेकिन फिर भी आगे जाकर उस जमीन पर दवाओं का प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ता ही है। इसलिए हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इन दवाओं का ज्यादा उपयोग नहीं करें। जैसे कातरा है, कातरे के लिए आपने इस रिपोर्ट में लिखा है कि:

"इस वर्ष पौध संरक्षण रसायनों द्वारा कातरा कीट का नियंत्रण 17,115 हैक्टेयर क्षेत्र में किया गया जब कि यांत्रिक विधि से 6,82,000 हैक्टेयर क्षेत्र में इस कीट का रोकथाम की गई।"

मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि यह यांत्रिक विधि क्या है ? यह बात तो समझ में आती है कि पौध संरक्षण के लिए उनके पास जो दवाइयाँ हैं, उनका यंत्रों से स्प्रे या डस्टिंग किया होगा। पर यह यांत्रिक विधि क्या है ? कौनसा यंत्र काम में आयेगा ? क्या उनके पास में ऐसी मशीन है जिसके द्वारा स्प्रे या डस्टिंग करके कातरे को कण्ट्रोल किया गया हो ? या तो उन्होंने हवाई जहाज से स्प्रे किया हो लेकिन हवाई जहाज से स्प्रे करते हुए देखा नहीं गया। लेकिन जो उन्होंने पौध संरक्षण के तहत दवाइयां स्प्रे की है, वह भी यंत्रों से की है। इसमें कोई इशारा इसकी ओर नहीं है कि यह यांत्रिक विधि कौनसी है ? या तो उन्होंने इस तरह की मशीन बना ली है तो बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान दुनियां में पहला स्टेट होगा जिसने ऐसा यंत्र बना लिया है जिसके द्वारा कातरे को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से अगर कर लिया तो सूचना देनी हो तो स्पष्ट करें। यही नहीं, आगे भी लिखा है कि आगे जो बन्दोबस्त करने जा रहे हैं उसमें यांत्रिक विधि से इतना कण्ट्रोल कर लेंगे ?

(समय-समाप्ति-सूचकघंटी)

पांच सात मिनट और लूंगा।

श्री समापति : माननीय सदस्य दस मिनट ले चुके हैं। कृपया शीघ्र ही समाप्त करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इसी तरह से मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूं कि जो सफेद लट होती है, इस बार उसका प्रकोप नहीं था जब इसका प्रकोप होता है तो फसल बिलकुल समाप्त हो जाती है। इसलिए राज्य सरकार और कृषि विभाग को चाहिए कि अभी से सतर्क रहे और हो सकता है कि आने वाले समय में ज्यादा प्रकोप हो जावे क्योंकि एक साल नहीं होता है तो दूसरे साल अधिक होता है। इसके सम्बन्ध में यह निवेदन है कि आपने जितनी दवाइयां निकाली हैं, जैसे कातरा है, कातरा के लिए डस्टिंग करते हैं तो उसमें भी ऐसा होता है कि उसके बहुत सारे बाल होते हैं, प्रकृति ने उसको सुविधा उपलब्ध कराई है कि आप जिन दवाओं का छिड़काव करते हैं वह उसमें दब जाती हैं। आपने फसल को बचाने के लिए डस्टिंग को रिप्लेसमेंट करके कोई स्प्रे के लिए मशीन

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

निकाली है। क्या आपने अनुसंधान किया कातरे का और सफेद लट को पकड़ कर उस पर डायरेक्ट कौनसी दवाई उपयोग में आ सकती है? कौनसी ज्यादा दवाइयां मिल सकती हैं और ज्यादा उपयोगी हो सकती हैं जो किसानों को सस्ती पड़े। इसके साथ ही मैं चूहों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। इसके लिए जोर देना पड़ेगा। चूहा हर स्टेज पर किसान को नुकसान पहुंचाता है। किसान के खेत में नुकसान पहुंचाता है। वह उसके घर में जो स्टोरेज होता है उसको नुकसान पहुंचाता है। आप स्टोरेज करते हैं, उसमें भी चूहा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए इस चूहे को इरेडिकेट करने के लिए बहुत बड़ी योजना बनायें और इसे समाप्त करें।

इसके साथ ही मैं मंडियों के संबंध में निवेदन करना चाह रहा था। आप सम्पर्क सड़के बना रहे हैं। मेरे इलाके में सम्पर्क सड़कें नहीं बनायी हैं। लेकिन सम्पर्क सड़कों के बारे में यह चाहता हूं कि सम्पर्क सड़कें जो बड़े गांव हैं, जिनको मंडियों से जोड़ना जरूरी है, उनमें अधिक से अधिक सड़कें बनाने का प्रयत्न करें।

इसके साथ ही मैं पशुपालन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाह रहा था। मैं बहुत थोड़े में अपने सजेशन दे रहा हूं; सभापति महोदय, पशुओं की बीमारी के सम्बन्ध में जो योजना रखी है; जो रोग है, ऊंट में जो रोग है, उनके बारे में आपने सुना होगा। इतना होने के बाद आज उस पर कोई चिन्ता नहीं है। मवेशी मरने लगते हैं, सैंकड़ों की तादाद में मवेशी मरते हैं। यह खेद का विषय है। पशुओं के लिये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती, किसानों को कुछ रिलीफ मिल सके? आज पशुओं की कीमत पहले से दुगुनी हो गई है। पहले जितने में गाय आती थी; आज कल ऊंट 5-6 हजार के हो गये हैं। इस तरह से रोगग्रस्त होकर उनके पशु मर जायें तो इससे उनकी स्थिति खराब होती है। पशुओं के लिए बीमा होना चाहिये। पशुओं के लिए बीमा योजना लागू की जाये। इसके लिये जो उपचार की विधि है, जो मेडिसन वगैरह उपलब्ध करा सकते हैं, वह पूरी नहीं है। इस तरह से जहां जहां बीमारी है, उनको इमीजियेट रिलीफ मिले।

पशु मेले के सम्बन्ध में निवेदन करना चाह रहा था। राजस्थान सरकार को बहुत बड़ी आमदनी पशु मेले से होती है, लेकिन मेले में आपका प्रबन्ध कुछ नहीं है। पुष्कर मेले को आपने टूरिस्ट पाइन्ट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव बना दिया है। हो सकता है कुछ टूरिज्म डिपार्टमेंट भी खर्च करता है। आधे से ज्यादा आप करते हैं। उस मेले की व्यवस्था ठीक है। नागौर जिले में तीन पशु मेले लगते हैं, मेड़ता, कपासन और परवतसर। तीनों मेलों की व्यवस्था बिलकुल ठीक नहीं है उसमें व्यापारी लोगों को पानी समय पर मिलता नहीं है न बिजली की व्यवस्था हुई है और विशेषकर परवतसर मेला लगता है, वहां कीचड़ भर जाता है। आपने एक साइड तैयार की है। इस परवतसर मेले में एक लाख पशु एकत्रित होते हैं और 25-30 हजार आदमी आते हैं। यह जो आपकी आमदनी हो रही है, उसको कुछ साल के लिए आप वहां पर खर्च कर दें। जो आय हो रही है, उससे उनको कुछ सुविधा दें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
कि उनको और अधिक सुविधा उपलब्ध करायी जाय।

नागौर जिले में नागौरी सांडों की उपलब्धता के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। आपके पास दो तरह की ब्रीड है। एक वह है जो बैल तैयार करती है और वह राजस्थान के सब इलाकों में जाते हैं। नागौर मुख्य स्टेट है, जहां से दूसरे स्टेट में बैल जाते हैं। जिस तरह की गाय से यह बैल उपलब्ध होते हैं, उनको 50 प्रतिशत सांड सब्सिडी उपलब्ध करायी जाय ताकि अच्छी नस्ल बनायी जाय। अब डेयरी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। नस्ल सुधार में नागौर नस्ल के सांड अधिक से अधिक उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे।

भेड़ व ऊन के सम्बन्ध में मैं यह निवे-करना चाहता हूं कि भेड़ चारागाह आप उपलब्ध करा रहे हैं। आपने सहकारी समितियों को उनके अन्तर्गत 106 फार्म उपलब्ध कराये हैं, जहां पर भेड़ें चरेंगी। जैसा पश्चिमी राजस्थान में योजना है? उसमें 36 लाख भेड़ें हैं और 106 फार्म बनाये हैं। एक-एक फार्म 100-100 हैक्टेयर का है उसमें भेड़ें चरेंगी। 6,000 आपने बताया। क्या आप इस योजना से लाभान्वित करने वाले हैं और आपने कितना पैसा खर्च किया है, आपका स्टाफ कितना है? आपकी 113 सहकारी समितियां हैं और उन समितियों में 3.877 सदस्य हैं 6,992 भेड़ें हैं। यानि एक सदस्य की दो भेड़ें हैं। आपने जो 106 फार्म बनाये, एक आदमी की दो भेड़ों के लिये बनाये। वह भेड़ें कौनसी हैं, कैसी हैं? जैसी थी वैसी हैं? उनकी कोई ब्रीड लेकर, उनकी नस्ल सुधारने के लिये क्रॉस ब्रीड कराकर उनको आस्ट्रेलियन बना देते। जिस भेड़ पालक के पास भेड़ें हैं वह खराब हैं। भेड़ें अपने आप चरेंगी, भेड़ों को चराने वाले समझते हैं, यह तो भेड़पालक की भेडे हैं, क्या लेना देना है। यह अव्यवस्था है। इस अव्यवस्था से अव्यवस्था होती चली जा रही है। आपके पास भेडों की कमी नहीं है। आस्ट्रेलियन मेंढों की कमी नही है लाखों रुपये खर्च हुए हैं, कम से कम उनकी नस्ल को सुधार दें।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 36 गर्भाधान केन्द्र चल रहे हैं और 9,300 भेड़ों का गर्भाधान हुआ। इसका मतलब यह है कि एक केन्द्र पर दो सौ भेड़ों का गर्भाधान हुआ है। 365 दिन एक साल में होते हैं। यदि एक भेड़ का एवरेज भी लगायें तो कम पड़ती है। आपका स्टाफ किसलिये है? आपके प्रशासक क्या करते हैं? क्या कोई नियंत्रण नहीं? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? बड़ी खेदजनक स्थिति है। यह आंकड़ें मैंने घर से प्रस्तुत नहीं किये। इसलिये यह बहुत दु:ख की बात है।

टीके लगाने के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाह रहा था। टीके जितने लगने चाहिये थे, उतने टीके नहीं लग रहे हैं। यह टीके लगाने का लक्ष्य करते हैं, 6 लाख और हमारी भेड़ें हैं, एक करोड़ और टीके लगे हैं 16,000 के। जिस बात पर आप गर्व करते हैं, हमें गर्व है कि हिन्दुस्तान की 20 प्रतिशत भेड़ें राजस्थान में हैं। हमें गर्व है कि आज राजस्थान भेड़ों में सबसे आगे है और मेडिसिन और इलाज में सबसे पीछे।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, भेड़ साल में दो बार बच्चों को जन्म देती है। तो उसका प्रतिशत कितना बढ़ना चाहिये ? बढ़ा है 15 प्रतिशत। इसका मतलब यह कि बहुत डेमेज होता है, बहुत नुकसान होता है। क्या वह भेड़पालक पाल नहीं सकता है ? भेड़ की कीमत 200-250 रुपये होती है। जो बच्चे होते हैं वह मर जाये, वह नहीं चाहेगा कि मर जायें। क्या इसके लिये जिम्मेदारी है ? बड़ी लम्बी योजना है। आप इसके लिये स्टाफ के आदमियों को दूर देशों में ट्रेनिंग के लिये, प्रशिक्षण के लिये भेजते हैं। वह प्रशिक्षण लें मेडिसन के लिये और भेज दें ऊन कटाई में। यह बड़ी हास्यास्पद बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अन्त में डेयरी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। जो नक्शा लेकर डेयरी योजना चालू हुई, इसके लिये खुशी किसको नहीं है। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके दिमाग में यह स्वप्न आया कि आर्थिक स्थिति सुधरेगी और निश्चित सुधरेगी। लेकिन आपने आर्थिक स्थिति सुधारते-सुधारते यह कर दिया कि उन गांवों में जिन बच्चों को दूध मिलता था, वह दूध नहीं मिलता है। लालच में आकर वह दूध डेयरी को देता है। उनकी स्थिति क्या होती है ? कई बार ट्रक वाले दूध लेने नहीं आते हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था; इसलिये रिपीट नहीं करना चाहता हूं। 6-7 दिन निकल जाते हैं, दूध वाले हैं उनका दूध खराब हो जाता है। पैसा नहीं मिलता है। कितनी बड़ी अव्यवस्था है। आपने दुग्ध अवशीतन केन्द्र बनाये ? उसके रूट्स कितने बनाये, वहां ट्रक कैसे जायेंगे। वह दूध नहीं लेते हैं सिर्फ इसलिये कि वहां जो ठेकेदार दूध लेते हैं उनका रास्ता छोटा है और उनका माइलेज नहीं बनता इसलिये वे आसपास के गांवों से दूध नहीं लेते और मैनेजर से मिलकर लम्बा-चौड़ा रूट निकालते हैं। तो यह मान कर चलें कि आपने जो अवशीतन केन्द्र इसलिए बनाये कि हैं उनके आसपास के लोग आसानी से दूध दे दें। नागौर में अवशीतन इसलिए केन्द्र बनाया और उससे आगे जाकर दूध लेते हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है। सभापति महोदय, अवशीतन केन्द्र का मतलब यह होता है कि इन्होंने जो सर्वे किया था अवशीतन केन्द्र स्थापित करने से पहले, वह यह था कि इसके आसपास के क्षेत्रों में दूध मिल जायेगा। अब उसी क्षेत्र को छोड़ दिया। वहां से दूध लेते नहीं। किसान बड़े दुखी हैं। इसलिये मैं चाहूंगा इस सुझाव के साथ, सभापति महोदय उन रूटों को आप वापस चेंज करें और उसके आसपास जितने गांव हैं उनकी सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध है आप खुद अपना रिकार्ड देख कर बुद्धि और चातुर्य से उन गांवों का रूट बदलें। अवशीतन केन्द्र के पास जो गांव हैं उनको लें।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : जिस तरह से नागौर में केन्द्र बना रखा है, अन्य जगहों पर भी बना दीजिये लेकिन यह नहीं हो कि जहां अवशीतन केन्द्र बना हुआ है वहां लोगों को फायदा ही नहीं हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचकघंटी)

बस, एक-दो मिनट और लूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, साढ़े सात बजे तक का टाइम है। मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। कृपया समाप्त करें।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : दो मिनट और। तो मैं निवेदन कर रहा था जिन दुग्ध उत्पादक केन्द्रों को आप मिला नहीं पाये हैं उनकी गड़बड़ियों को ठीक किया जाय। इसके साथ जहां आप दुग्ध बेचते हैं, दो-ढ़ाई लाख लीटर दूध रोज बेचते हैं उसका जो पैसा आपको मिलता है वेह पैसा, बिलकुल अन्याय है दुग्ध उत्पादकों के साथ, आप उनको चुकाते हैं। हमारे पास दूध का और चीजें, बेबी फूड आदि बनाने के लिये इतने यंत्र उपलब्ध नहीं हैं लेकिन एट दी कॉस्ट ऑफ फार्मर्स आप उनके साथ मजाक नहीं कर सकते। अगर 25 पैसे प्रति लीटर दिल्ली में भाव बढ़ते हैं तो उनके भी 25 पैसे बढ़ाने न्यायोचित हैं। आप अन्दाजा लगायें इससे 70 लाख रुपये रोज दुग्ध उत्पादकों को आमदनी ज्यादा होगी इसलिये मैं चाहता हूं कि 25 पैसे लीटर के हिसाब से पैसे बढ़ाये जायं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, समाप्त करें। सूरज देवी मल्होत्रा।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा (पुष्कर) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 39 पर बोल रही हूं और मैं सरकार का ध्यान पुष्कर मेले की ओर दिलाना चाहती हूं। पुष्कर मेला, यहां राजस्थान में पुष्कर क्षेत्र जो तीर्थ स्थान है वहां मेला लगता है। अब 19 नवम्बर को होगा। इस मेले में पुष्कर में 25 हजार के करीब जानवर आते हैं जिनमें से 10-12 हजार के करीब ऊंट और 12 से 14 हजार के के करीब बैल होते हैं और बाकी दूसरे जानवर होते हैं। इस पुष्कर पशु मेले को देखने के लिये करीब ढ़ाई लाख आदमी आते हैं जिनके साथ फॉरेन से टूरिस्ट भी ढ़ाई-तीन हजार तक आते हैं। इस पशु मेले के अवसर पर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि उनके स्वास्थय का ध्यान रखने लिये डॉक्टरों के रहने का इन्तजाम पशु मेले के समय होना चाहिये। जो वहां बीमार हो जाते हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

दूसरा, मैं आपका ध्यान पशुओं के लिये जो हर रोज चारा आता है उसकी ओर दिलाना चाहती हूं। उसकी जांच होनी चाहिये ताकि पशु बीमार न हो जायं। यह पशु मेला बहुत महत्वपूर्ण मेला है जो कि राजस्थान में बहुत बढ़िया माना जाता है और बाहर से टूरिस्ट खास तौर से इसको देखने के लिये आते हैं। उन पशुओं के चारे का जो इन्तजाम होता है वह इतना खराब होता है कि खा नहीं सकते और बीमार हो जाते हैं। उनके पीने के पानी का इन्तजाम नहीं होता। पिछली साल जितना इन्तजाम किया गया था उससे इस बार डबल भी किया जाय तो भी वहां कमी पड़ेगी। इसलिये पानी का इन्तजाम बहुत जरूरी है।

पशु मेले में जितनी आमदनी चुंगी, कर नगरपालिका आदि से होती है वह पुष्कर मेले के विकास के लिये लगाई जानी चाहिये जिससे टूरिस्ट दुबारा आयें तो उनको

(श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा)
यह लगे कि अबके यह मेला पिछले साल से ज्यादा अच्छा है।

टूरिस्ट लोगों के रहने के लिये जगह बहुत कम पड़ती है। उनके खाने के लिये इन्तजाम नहीं होता, उनके बाथरूम का इन्तजाम तो बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर इतनी गंदगी हो जाती है कि लोग आना बंद न कर दें। अगर खाने, रहने और बाथरूम का इन्तजाम नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में कहीं यह मेला बन्द नहीं हो जाय लोग जो इतना प्यार, मोहब्बत से मेला देखने जाते हैं, रहने के लिये, खाने के लिये लोग तरस जाते हैं जिसका इन्तजाम नहीं होता। खासकर लोगों के पीने के लिये पानी का इन्तजाम होना चाहिये जिसकी खास दिक्कत होती है।

पुष्कर मेले के बारे में जानकारी देने के लिये टूरिस्ट लोगों के लिये छोटीछोटी किताबें हर भाषा में छापनी चाहिये और बताना चाहिये कि पुष्कर पशु मेला कैसा होता है। पुष्कर पशु मेले में किसानों को छोटी-छोटी फिल्में दिखानी चाहियें और जो पशु मालिक होते हैं उनको बताया जाना चाहिये कि पशुओं की नस्ल कैसे अच्छी हो सकती है, कैसे उनका इन्तजाम किया जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पास इतना टाइम होता है और वे उनको देख सकते हैं, छोटी-छोटी फिल्मों से आप उनको समझा सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचकघंटी)

आपने इतनी जल्दी बजा दी।

श्री सभापति : आप बोलिये।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : पुलिस पर भी ध्यान नहीं है। पुलिस इतना भ्रष्टाचार करती है जो पशु मालिक आते हैं उनको चुंगी के लिये तंग करते हैं इस गड़बड़ी को रोकने के लिये मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान दिलाती हूं। इस पशु मेले का इन्तजाम विशेष पुलिस लगा कर किया जाना चाहिये। कभी-कभी इतनी दिक्कत हो जाती है ट्रैफिक के लिये कि आदमियों का चलना मुश्किल होता है मेले को देखने के लिये, ट्रैफिक रुक जाता है एक कार को आगे बढ़ने में 5–5 घंटे लग जाते हैं। जो आखिरी दिन का मेला होता है उसमें घोड़े ऊंट एवं और भी जानवरों के खेल-कूद को वहां बहुत महत्व दिया जाता है। वह झलकियां देखने लायक होती हैं। उनको देखने के लिये फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और उनको देख कर जाते हैं उसकी इतनी तारीफ करते हैं कि उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। सरकार का ध्यान इस ओर मैं दिलाना चाहती हूं कि इस क्षेत्र का विकास करके पुष्कर मेले में जो पशु आते हैं उनके आने-जाने में बसों की दिक्कत होती है और लोगों को भी आने में बड़ी परेशानी है इसलिए अधिक बसों का इन्तजाम होना चाहिये। आने-जाने के साधन अच्छी तरह से होने चाहिये। अजमेर से पुष्कर के बीच में घाटी का मोड़ है वहां पुलिस का खास इन्तजाम होना चाहिये, कभी-कभी बसें घाटी में गिर जाती हैं, लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। मैं सरकार को निवेदन करती हूं कि पुलिस का इन्तजाम होना चाहिये। टूरिस्ट फॉरेन से आते हैं, जो खर्चा करते हैं, पशु मेले में जिनसे आमदनी

(श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा)

होती है, आप उनके लिये खास ध्यान दें। आमदनी जो है वह इसी पशु मेले के विकास के लिए खर्च करनी चाहिये। इसके लिए मैं सरकार का ध्यान दिलाती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हंसराज शर्मा।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, मुझे जाना है, सचेतक महोदय ने निवेदन किया था मेरे लिये।

श्री सभापति : मैं सचेतक की राय मानने के लिये बाध्य नहीं हूं।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : दो सत्ता पक्ष के होंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें। श्री हंसराज शर्मा।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : मैं कटौती प्रस्ताव पर आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, सबसे प्रथम मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एक तो कृषकों को पर्याप्त, मंत्री महोदय, राजस्थान में बीज नहीं मिल पाता है। जबकि प्रतिवर्ष कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर एक योजना बनायी जाती है और हर गांव की डिमाण्ड मांगी जाती है। उसके आधार पर काश्तकार जमीन तैयार करता है और वह डिमाण्ड सरकार को भेजी जाती है लेकिन सरकार से पर्याप्त मात्रा में बीज और खाद नहीं मिलता है। मैं केवल जिला सवाई माधोपुर का उदाहरण देना चाहता हूं। इस वर्ष इस जिले को बहुत ही कम मात्रा में बीज मिला है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में काश्तकारों को बीज दिया जाय। यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइवेट तौर से या जो व्यापारिक दृष्टि से बीज खरीदते हैं वह बीज खरीदना बंद करवाया जाय और सहकारी समितियों के माध्यम से ही बीज खरीदा जाए उनके माध्यम से ही किसानों को बीज दिया जाए। इसका कारण यह है कि सहकारी समिति खरीद करेगी तो इसमें भ्रष्टाचार कम होगा। व्यापारी निगम से मिल कर कम से कम बीज खरीदवाने की कोशिश करता है इसलिये आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार प्राइवेट लोग बीज खरीदते हैं उनके माध्यम से खरीद न करवा कर केवल सहकारी समितियों को ही मौका दिया जाए।

दूसरा; मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों को ही ज्यादा से ज्यादा खाद की आवश्यकता पड़ती है। एक-दो महीने पहिले ही ग्राम सेवा सहकारी समितियां अपनी डिमाण्ड्स भेज देती हैं परन्तु उनको बैंक से समय पर लोन नहीं मिलता है जिसकी वजह से काश्तकारों को समय पर लोन नहीं मिलता है, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों का जब फसल का मौका आवे उसके पहले ही बैंक से सहकारी समिति को कर्जा मिल जाए ताकि सहकारी समिति बीज और खाद किसानों को समय पर दे सके। इसी संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि करोड़ों रुपयों का खाद पुराने रेट में राजस्थान में स्टॉक में है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं इस खाद को पुराने रेट पर ही इन स्टाकिस्टों से बिकवाया जाए। यह इनके पास पुरानी रेट पर ही है इसलिये पुरानी

(श्री हंसराज शर्मा)

रेट पर ही यह खाद किसानों को दिलाया जाए और बढ़ी हुई रेट पर बाद में कोई खरीद की हो तो ही दिलाया जाय अन्यथा नहीं दिया जाए।

सभापति महोदय, इसी संदर्भ में मेरा एक निवेदन और है। हमारे यहां पर कृषि उपज की कई प्रकार की फसलें तैयार की जाती हैं। राजस्थान में पहले कपास पैदा होती थी। एक उस समय सन् का वण होता था। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के अच्छे बढ़िया बीज बोने के लिये मंगवाय जायं तो ज्यादा से ज्यादा काश्तकार सन, वण को बोयेंगे। कपास होगी और कपास अधिक होगी तो हमें कपास को बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा और कपड़े में भी ज्यादा प्राफिट होगा। हमारे यहां पर जो फसलें बोई जाती हैं उनमें ज्यादातर मंहगी फसलें गन्ना, मिर्ची, जीरा, धनिया है। इस प्रकार जो विशेष कीमत रखने वाली फसलें हैं उनमें कभी कभी बीमारी हो जाती है उस बीमारी के कारण काश्तकारों को कभी कभी इन फसलों से एक-दो पर्सेन्ट की प्राप्ति नहीं होती है। जीरा, धनिया में इसी प्रकार से बीमारी लग जाती है। इसी प्रकार एक मोटा गन्ना काफी तादाद में हमारे यहां पर पैदा होता है परन्तु हमारे राजस्थान में इसमें एक प्रकार की बीमारी लग जाती है जब इसके पेरेन का समय आता है तो उसके एक महीने पहले ही इसमें बीमारी लग जाती है और काश्तकार इससे एक पर्सेन्ट भी प्राप्त नहीं कर पाता है। मेरा राज्य सरकार को निवेदन है कि इस प्रकार का सर्वे कराया जाए और गन्ने में जो बीमारी लगती है उसको मिटाया जाय। बाकी जो फसलें हैं मिर्च, धनिया, जीरा इन फसलों का बीमा करवाये जाने का प्रयास किया जाए।

दूसरा, मेरा निवेदन कृषि उपज मंडी के बारे में है। कृषि उपज मंडी में जो माल ले जाते हैं उस पर टैक्स लगाया जाता है। यह टैक्स बहुत ज्यादा है। यह गलत है। मेरा निवेदन है कि यह जो टैक्स लगाया गया है वह काश्तकार को ही देना पड़ता है। कुछ समय पहले मंत्री महोदय ने यह कहा था कि काश्तकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रत्येक कस्बे में कृषि उपज मंडी की व्यवस्था है। कृषि उपज मंडी में यार्ड बनाया जाए तो उससे काश्तकारों को फसलें सुचारू रूप से रखने में सुविधा होगी और उनका माल भी आसानी से बिक सकेगा। इसी प्रकार काश्तकार जो माल लाते हैं उसके छानने की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए मजबूर होकर किसानों को करदा व्यापारी को देना पड़ता है। इस प्रकार व्यापारी जो करदा लेता है उस करदे का कोई जमा खर्च नहीं होता है।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन और है। कृषि उपज का काश्तकारों को पर्याप्त मात्रा में जो पैसा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। हमारे राजस्थान में चना खरीदा गया है। व्यापारियों ने काश्तकारों से सस्ती रेट पर चना खरीद लिया और स्टॉक कर लिया और इतना स्टॉक कर लिया कि राजस्थान में आज चना काजू के भाव हो गया है। मेरा

(श्री हंसराज शर्मा)

निवेदन है कि इस प्रकार से जो स्टॉक किया जाता है उसका मंहगाई पर असर पड़ता है। इसकी रोक थाम की जानी चाहिये।

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं पशुओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। देखा जाता है कि छोटे छोटे गांवों में पशुओं के लिए चराई का प्रबन्ध नहीं है। चराई का कोई साधन नहीं है। इसी वजह से आज छोटे छोटे जानवर पैदा होने लगे हैं। मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान सरकार राजस्थान के किस-किस क्षेत्र में कहां का जानवर पल सकता है, कौनसे क्षेत्र की भैंस कहां पर पल सकती है, कहां की गाय किस क्षेत्र में आसानी से पल सकती है, इस प्रकार का सर्वेक्षण करवाये, जलवायु का निरीक्षण करवाया जाए और कौन-कौन से जानवर राजस्थान की जलवायु के अनुसार किस किस एरिया में पल सकते हैं, इसका सर्वेक्षण करके व्यवस्था करें तो हमारे पशुओं की नस्ल आसानी से सुधर सकती है, उसका विकास हो सकता है। कुछ समय तो लगेगा परन्तु हम विकास की ओर बढ़ सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : सबसे महत्वपूर्ण बात कह दी। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हंसराज शर्मा : पंचायत समितियों के अन्दर पशु चिकित्सालय बनाये गये हैं। पशुपालन केन्द्र भी उनके पास हैं। पशुपालन की दृष्टि से जो जानवर होते हैं उनके लिए किसी प्रकार के साधन नहीं हैं। अगर जानवर के कीड़े पड़ जाएं तो इन औषधालयों के पास टिंचर आइडिन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। या तो इन औषधालयों को बंद कर दो या फिर इनको सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की जाए।

इसी प्रकार से मेरा निवेदन यह है कि कम से कम ग्राम पंचायत और हर क्षेत्र में इस प्रकार का सर्वे कराया जाए कि कितने जानवर गलत हैं, कितने जानवरों में बीमारियां फैल रही हैं और कोई ऐसी बीमारी फैल रही हो तो एक क्षेत्र के जानवर को दूसरे क्षेत्र में नहीं जाने दिया जाए। हमारे क्षेत्र में आये दिन जानवरों में हर प्रकार की बीमारी होती है। समय पर वहां डॉक्टर नहीं जाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। मेरे पास अधिक समय नहीं है इसलिए इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हूं।

सभापति महोदय, एक कृषि का मामला रह गया है। हमारे काश्तकारों को जो बीज दिया जाता है मेरा निवेदन है कि उसमें भी परिवर्तन किया जाए। कल्याण सोना, आर. आर. 21 आदि कई प्रकार की यील्ड हैं। इनमें सबसे ज्यादा सोना कल्याण ने हमारे यहां पर प्रोडक्शन दिया है। दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार ने सोना कल्याण की कोई अच्छी नस्ल तैयार नहीं की जिसके लिए भरसक प्रयास करना बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि सोना कल्याण को पर्याप्त मात्रा में तैयार करवाया जाए। आपके पास कई बड़े बड़े फार्म्स हैं वहां पर इसके बीज को तैयार करवायें तो इससे काश्तकारों को बड़ा फायदा होगा।

(श्री हंसराज शर्मा)

सोना कल्याण से हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। बीज जो काम आता है वह सोना कल्याण काम में आता है। यह देखा जाता है कि सोना कल्याण को छनवा कर बीज के रूप में बेच देते हैं उससे काश्तकार को नुकसान होता है क्योंकि वह उचित ढंग का बीज नहीं होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि कल्याण सोना को बड़े फार्म्स में ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए, सील्ड करके अति सुन्दर ढंग से इसके बीज को उपलब्ध करवाया जाए तो यह ज्यादा उत्पादन में सहायक होगा। यही मेरा निवेदन है। जो आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कल्ला !

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, राजस्थान कृषि प्रधान प्रान्त है। यहां के अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं जिनका कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय है आषाढ़ के पहले बादल आसमान में मंडराने लगते हैं और बिजली की चमक-दमक शुरू हो जाती है तो उसके साथ किसान अपना हल, बैल और कृषि के अन्य साधनों के साथ कृषिगत कार्यों के लिये तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन अफसोस, इसके साथ किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज, खाद, उवर्रक और कीटनाशक दवाइयां समय पर उपलब्ध नहीं होती हैं जिसके कारण से वह परेशानियों के कुचक्र में फंस जाता है। दूसरी ओर, श्रीमान्, इस राजस्थान में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक प्रकोप, अकाल प्रभाव की स्थिति के कारण किसान हमेशा परेशान रहता है। कृषि को भी जैसे व्यवसाय माना जाता है उसमें बहुत बड़े साहस की जरूरत किसानों को होती है। उसके लिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सूखे के दण्ड से बचाने के लिये किसानों को राहत देने के लिये फसल बीमा योजना को सुचारू रूप से चालू किया जाना चाहिये।

इसके साथ ही किसानों को अधिक उपज देने वाली फसलों के बारे में प्रशिक्षण दें तथा वैज्ञानिक कृषि के बारे में समुचित जानकारी समय-समय पर दी जानी चाहिये।

मरुस्थल में लोग आशा बांधे बैठे हैं। उसके लिये मरु विकास आयोग हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बना था उस मरु विकास आयोग की रिपोर्ट और प्रतिवेदन आज तक सरकारी कार्यालय में पड़ा हुआ है उसको दीमक खा रही है लेकिन इस प्रतिवेदन का उपयोग नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मरु विकास आयोग को पुनः जीवित किया जाय और योजना बनाकर मरु क्षेत्र का विकास करें। इजराईल पद्धति के आधार पर इस क्षेत्र को हरा-भरा बनाने की योजना बनायी जाय।

कातरा जैसी महामारी हमारे रेगिस्तानी इलाके में ज्यादा फैलती है। हमारे यहां यह ज्यादा फैलता है इसलिये इस क्षेत्र को संक्रामक क्षेत्र घोषित किया जाय और इसके विकास के लिये ध्यान दिया जाना चाहिये। जो कीटनाशक दवाइयां कातरा के लिये प्रयोग में ली जाती हैं, जिनका प्रभाव कम हो गया है अगर उसके स्थान पर अन्य दवाई का उपयोग किया जाये, किसी कारण से दवाइयों में मिलावट की जाती है तो मिलावटियों को दण्ड दिया जाना चाहिये।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

प्रदेश में जो भूमि सीलिंग से प्राप्त होती है वह भूमि भूमिहीनों को आवंटित की जाती है लेकिन, श्रीमान, राजस्व विभाग द्वारा एक हजार रुपया ही इसके विकास के लिये दिया जाता है। उसके लिये मैं मांग करता हूं कि किसी को 25 बीघा और 15 बीघा किसी भूमिहीन को जमीन दी जाती है तो उसके विकास के लिये एक हजार रुपया बहुत कम है यह राशि 5 हजार होनी चाहिये। श्रीमान्, भारतीय योजना आयोग ने प्रदेश में भूमि एवं पानी के समुचित उपयोग न होने से उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में कहा है। जो ऑब्जेवशन है इस सम्बन्ध में सरकार को समुचित और पुरजोर कदम उठाने चाहिये।

श्रीमान, राजस्थान राज्य कृषि विकास निगम, राजस्थान राज्य बीज निगम और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ये जो संस्थायें हैं ये बिलकुल निष्क्रिय हैं। उनका लाभ ग्रामवासियों को समुचित रूप से नहीं मिल पाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनका लाभ गांवों में हो।

मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में अधिक उपज देने वाली फसलों का, जैसे गन्ने के विकास के लिये उन्नत बीज का विकास किया जाना चाहिये।

अब, श्रीमान्, मैं पशुपालन पर जो मेरे कटौती प्रस्ताव हैं उसकी ओर आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बीकानेर राजस्थान का डेनमार्क कहलाने की क्षमता रखता है। बीकानेर में बढ़िया नस्ल की दुधारू गायों की संख्या जो पांच वर्ष पहले 8 लाख की संख्या में हुआ करती थी दिनों दिन नस्ल सुधार का अभाव तथा पशुपालकों को मिलने वाली सुविधायें नहीं मिलने के कारण लगभग साढ़े तीन लाख ही रह गयी है। पशुपालकों को उचित मात्रा में आवास सुविधा का न मिलना, पूरी पशुओं की चिकित्सा सुविधा न मिलना एवं ऋण सम्बन्धी असुविधाओं के कारण से यहां दुधारू पशुओं की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है जिसके बारे में माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बीकानेर में जर्सी नस्ल और देशी नस्ल के सांडों की पर्याप्त मात्रा में कमी है। इजरायली पद्धति के द्वारा नस्ल सुधार की योजना है उसके क्रियान्वयन में देरी हो रही है उसके ऊपर पर्याप्त ध्यान देना चाहिये।

ऊंटों और घोड़ों की भी बड़ी संख्या में निरन्तर कमी होती जा रही है और इसकी संख्या कम होने के कारण राजस्थान के लिये आने वाले समय में गम्भीर समस्या पशुपालकों के लिए और राजस्थान के विकास के लिये होने वाली है। उनकी नस्ल को सुधारने के लिये विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

बीकानेर भेड़ पालन के लिये भी प्रसिद्ध है लेकिन उनके चरागाह की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत चरागाह का समुचित विकास किया जाना चाहिये ताकि अकाल अभाव के दिनों में जो भेड़ निष्क्रमण करके मालवा, मध्य प्रदेश और भीलवाड़ा की तरफ जाती हैं वह निष्क्रमण रुके और इस निष्क्रमण के कारण जो किसान और भेड़ पालकों में अनावश्यक रूप से झगड़े होते हैं उनको रोका जा सके।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पशुओं के लिये इस बजट में 30 नये पशु चिकित्सालय खोले गये हैं उसका तो मैं स्वागत करता हूं। बीकानेर की जो स्थिति है उसको देखते हुये मैं मांग करता हूं कि बीकानेर में कम से कम 2 पशु चिकित्सालय अवश्य खोले जायें।

बीकानेर डेयरी की हालत बहुत खराब है। डेयरी वाले केवल दूध ठंडा करके दिल्ली भेजते हैं इसके अलावा यह कोई काम नहीं करती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नाम मात्र का घी का उत्पादन, नाम मात्र का पनीर का उत्पादन करती है। अन्य जो चीजें हैं दुग्ध चूर्ण वगैरह का उत्पादन जो बड़ी मात्रा में होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर डेयरी में जो साधन मौजूद हैं जो, मशीनें बेकार पड़ी हैं उनका समुचित उपयोग किया जाकर दूध के बाई प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाना चाहिये।

पशुपालन विभाग का जो प्रशासनिक ढांचा है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पशुपालन विभाग में जिला स्तर पर जिला अधिकारी होता है और राज्य स्तर पर निदेशक होता है। इनके बीच में सीधा सम्पर्क है जिसके कारण कई बार कार्य की अधिकता के कारण समुचित मात्रा में पशुओं का विकास नहीं हो पाता है। राजस्थान में जो 5 डिवीजन हैं बीकानेर, कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। इन पांचों स्थानों पर एक अधिकारी की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि पशुपालन का विकास हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पशुपालन विभाग 4 वर्गों में बंटा है एक सामान्य, रीजन, कुक्कुट और एक विशेष विभाग। सामान्य विभाग में अधिकारी ज्यादा हैं और प्रमोशन के अवसर कम हैं। रीजन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, अधिकारी कम हैं और प्रमोशन के ज्यादा अवसर हैं जिसके कारण से डॉक्टर का प्रमोशन रुक जाता है और जूनियर डॉक्टर वेटरनरी वगैरह आगे पहुंच जाते हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में ऐसा वर्ग बनाना चाहिये कि जो सामान्य वर्ग का अधिकारी है, जिसमें प्रमोशन के अवसर ज्यादा हैं उसको समाप्त करके सबको समान रूप से अवसर प्राप्त हो ••••

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, वेटरनरी प्रैक्टिशनर्स में एक्ट, 1931 वेटरनरी डॉक्टरों के सम्बन्ध में आया था उसकी ओर मैं पुनः मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस एक्ट को पुनः लाया जाये तो किसानों का भला होगा। राजस्थान डेयरी फैडरेशन जिसमें पशुपालन विभाग के डॉक्टरों को खपाया गया था। उसमें उनको पर्याप्त विकास के अवसर नहीं मिलने के कारण वह डेयरी विभाग को छोड़ कर आ रहे हैं। इसके कारण पंजाब और हरियाणा से डॉक्टरों को भर्ती किया जा रहा है जिसके राजस्थान के डॉक्टरों में हीन भावना आ रही है। मैं निवेदन करूंगा कि डेयरी विभाग के कर्मचारियों को अच्छी सैलरी और पेंशन कण्डीशन दी जानी चाहिए। सभापति महोदय, बीकानेर में गायें बहुत हैं उदयपुर में गायों का अभाव है लेकिन उदयपुर में डेयरी प्लाण्ट की व्यवस्था की

(श्री बुलाकीदास कल्ला)
गई है। बीकानेर में डेयरी टेक्नालॉजी संस्थान अवश्य खुलना चाहिए। वेटरनरी कॉलेज वहां पर है।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, यू. एन. ओ. की एक रिपोर्ट के आधार पर और नेशनल जेनेटिक कमेटी के आधार पर, पशुओं को टीके लगाये जाने की सिफारिश की गई है उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है इसलिए मेरा निवेदन है कि पशुओं को टीके लगाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, बीकानेर में ग्राम प्रभारी के पद को समाप्त कर दिया गया है। इस पद को कायम रखना चाहिए और तुरन्त कायम करना चाहिए ताकि ग्रामों के विकास का कार्य आगे बढ़ सके। पशुओं के रोगों की रोकथाम के लिए सरकार को समुचित व्यवस्था रखनी चाहिए। अन्त में मैं ऊन के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक करोड़ की ऊन इकट्ठी हो गई है। केवल 7-8 लाख की बिकवाई है। ऊन सेण्टर में टेक्निकल लोगों को लगाया जाना चाहिए ताकि राज्य सरकार का ऊन विकास के लिए जो खर्चा किया जाता है, जो व्यय हो रहा है उस पर रोक लगाई जा सके।

सूचना

सर्व श्री महाराम चौधरी व यदुनाथ सिंह की नई दिल्ली में गिरफ्तारी व रिहायी

श्री सभापति : माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी व रिहाई की सूचना मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, नई दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट, नई देहली द्वारा भेजी गई सूचना दिनांक 9 अगस्त, 1980 के अनुसार दिनांक 9 अगस्त, 1980 को ही अपराह्न 3.00 बजे श्री महाराम चौधरी एवं श्रीयदुनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा, ने रफी मार्ग, नई दिल्ली पर धारा 144 जाब्ता फौजदारी के अधीन जारी की गई निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी और उन्हें श्री प्रेमकुमार, मैट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट, नई देहली के समक्ष सायं 7.45 बजे प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें अदालत उठने तक की सजा दी। सायं 7.50 बजे अदालत उठने पर उन्हें रिहा कर दिया गया।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों बागपत में एक महिला पर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपको बागपत पर बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको बागपत पर बोलने के लिए समय नहीं दूंगा। मैंने आपको डिमाण्ड पर बोलने के लिए समय दिया है।

श्री यदुनाथसिंह : आपने डिमाण्ड पर बोलने के लिए कहा है ?

श्री सभापति : हां, मैंने डिमाण्ड पर बोलने के लिए कहा है।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं एक मिनट बोल लूं।

श्री सभापति : एक मिनट बोल लें।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, बागपत में एक महिला के साथ—

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं इस बारे में बोलने के अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, बड़े खेद का विषय है, भारत की जनता गांवों में रहती है। जो भारत के लिए अनाज पैदा करती है, जो अन्नदाता है, वही भूखा मरता है। उसकी मजदूरी पर दूसरे लोग मौज करते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो लोग कृषि पर आधारित हैं, उन किसानों की हालत आज बहुत खराब है। उसके कुछ कारण हैं। आज जो कृषि की मार्डर्न टेक्नालॉजी है, उसके बारे में वह शहरों तक ही सीमित रहते हैं। गांवों तक उसका लाभ नहीं पहुंचता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जिन ग्राम सेवकों को गांवों में लगाया जाता है वह आज तक गांवों में गये नहीं। मैं मेरे गांव के ग्रामसेवक को अब तक नहीं जानता हूं। यही व्यवस्था सभी जगह है। मेरा निवेदन यह है कि किस चीज में, किस मात्रा में, कितनी खाद डालनी चाहिए, इसके बारे में जो आज नई उन्नति हो रही है, इसके बारे में गांवों में जानकारी नहीं पहुंच रही है। जिस तरह से हरियाणा में कैम्प लगाये जाते हैं उसी तरह से यहां भी ट्रेनिंग कैम्प लगाये जायं। जो नयी-नयी जानकारियां मिलती हैं उनसे किसानों को लाभ दिलाया जाय। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश में किसी चीज का नुकसान होता है तो उसके लिए क्लेम का प्रावधान है। रेलों का एक्सीडेण्ट हो जाय तो उसका मुआवजा मिलता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, किसानों का नुकसान हो जाता है तो उसके लिए बीमे की कोई योजना नहीं है। किसानों की फसल का बीमा हो इसके लिए मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा। सरकार को इसके बारे में विशेष रूप से सोचना चाहिए। हमारी फसल को बिजली नहीं मिलने से, डीजल नहीं मिलने से, खाद, बीज नहीं मिलने से जो नुकसान होता है, उस नुकसान का मुआवजा किसान को मिलना चाहिए। हमारे यहां भयंकर सूखा पड़ा है भरतपुर जिले में, उसका उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। उसके बावजूद भी वसूली के लिए उनके कुर्की वारण्ट निकाले जा रहे हैं, आज भी। कल ही मैंने देखा, वहां पर कुर्की हो रही है। क्या सरकारी अधिकारी सरकार के आदेश नहीं मानते हैं या सरकार की मंशा कुछ और है अभी पिछले दिनों, आपको मालूम होगा, हरियाणा की सरकार ने, देवीलालजी की सरकार ने 300/- प्रति किसान के हिसाब से प्राकृतिक विपदाओं के लिये प्रावधान रखा। मैं आशा करता हूं कि यह सरकार भी इसका अनुसरण करेगी। जो किसान पीड़ित और पिछड़े हुए हैं उन पर इन योजनाओं को लागू करना चाहिये। कृषि

(श्री यदुनाथ सिंह)

के कार्यों में आने वाली चीजें बहुत महंगी हो रही हैं, आप देख रहे हैं डीजल महंगा हो रहा है, खाद महंगी हो रही है और उसके मुकाबले में कृषि पैदावार की कीमत कुछ नहीं बढ़ती, केवल एक रुपया या दो रुपया बढ़ता है जबकि महंगाई पिछले दिनों 25 से 30 पर्सेन्ट तक बढ़ गई है। उसकी पैदावार को एक, दो, तीन करके लूट लिया जाता है। सरकार जो उनको सपोर्ट प्राइस देती है उसमें भी भ्रष्टाचार होता है उससे भी आप भलीभांति परिचित हैं। इसलिए सरकार को एक क्राइटेरिया बनाना चाहिये जिससे किसानों को प्रोत्साहन मिले। सरकारी फार्मों पर बिजली मिलती है, खाद मिलता है, और दूसरी सुविधायें मिलती हैं, वहां पर क्या प्रोडक्शन की कास्ट आती है, उसके हिसाब से करेंगे तो किसानों के साथ न्याय नहीं होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक पूंजीपति फाइव स्टार होटल खोलता है तो उसको फैसिलिटीज मिलती है, उसको चार परसेन्ट ब्याज पर लोन मिल जाता है लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिलता है, उसके आउट पुट पर उलटा उसको ब्याज देना पड़ता है। इसी प्रकार से उद्योगों में दो पैसे के हिसाब से बिजली मिलती है। मेरा निवेदन है कि किसानों को भी सस्ती बिजली दी जानी चाहिये और उसमें कभी किसी प्रकार की कटौती नहीं की जानी चाहिए नहीं तो उसकी फसल सूख जाती है। फैक्ट्री का प्रोडक्शन तो ओवर टाइम करके भी पूरा किया जा सकता है लेकिन खेती में ऐसा नहीं हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री यदुनाथ सिंह : जैसी आज्ञा, दो मिनट में समाप्त करता हूं, यदि आप आदेश दें तो मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री सभापति : हां।

श्री यदुनाथ सिंह : बीज के बारे में जैसा अभी माननीय रामसिंहजी विश्नोई ने कहा, बीज लोकल होने चाहिए, हैदराबाद से या बाहर से जो बीज मंगाया जाता है वह यहां के माफिक नहीं होता क्योंकि वहां की और यहां की क्लाइमेट में अन्तर होता है इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने राज्य में ही इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारे भरतपुर में भी छोटे-छोटे फार्म हैं, सूरतगढ़ में भी फार्म है। वहां पर बीज उगाने के लिए योजना बनायी जानी चाहिये। इन फार्मों के जरिये सरकार की योजना भी चलती है और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन देना चाहिये। सरकार की योजना के तहत 25-30 बीघा वाले खेत होते हैं उससे जो छोटे किसान हैं। उनका किसानों का कोई फायदा नहीं हो सकता।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर से खेतों को नुकसान हो रहा है, मुझे भी इस बात का तजुर्बा है, लगातार केमिकल फर्टिलाईजर का प्रयोग करने से खेत खराब हो जाते हैं जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है इसलिए कम्पोस्ट खाद का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए।

थोड़ा सा मैं पशु पालन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। कृषि के लिये जो

(श्री यदुनाथसिंह)

डीजल मिलता है वह बहुत महंगा है। ट्रैक्टर भी बहुत मंहगा आता है और दूसरी चीजें भी बहुत महंगी हैं, मैंने कुछ दिनों पहले अलीगढ़ में देखा बैलों से ट्यूब वैल्स चलाये जा रहे थे इसलिए हमको भी एनीमल पावर की तरफ ध्यान देना चाहिये और वहां से हमका जानकारी मंगानी चाहिये। धीरे-धीरे मशीनों और डीजल की जगह एनीमल पावर पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमको कदम बढ़ाने पड़ेंगे।

दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं की नस्ल को सुधारा जाना चाहिये। दूसरे देशों में एक-एक पशु 35-40 किलो दूध देता है। इसलिए पशुओं की नस्ल बढ़ाने के लिये उपाय किये जाने चाहिये जिससे दूध का उत्पादन अधिक से अधिक हो। मुझे अफसोस है कि बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

व्यवस्था का प्रश्न
माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी व रिहाई की सूचना

श्री भंवरलाल शर्मा : व्यवस्था का प्रश्न। माननीय सभापति जी अभी आपने सदन को सूचित किया कि दो माननीय सदस्यों को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया गया, सजा दी गई, यह 9 तारीख का मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय को इसकी सूचना कब दी गई, एक तो यह जानकारी है ?

श्री सभापति : मैं इसकी जानकारी प्राप्त करके बताऊंगा। 9 तारीख को तीन बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और अदालत उठने, पौने आठ बजे, तक की सजा दी गई। 7.50 पर रिलीज किया।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह गलत है, न्यायधीश महोदय ने अध्यक्ष महोदय को सूचना कब दी ?

श्री सभापति : मैं इसकी जानकारी करके सूचना दे दूंगा, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

माननीय श्री चुन्नीलाल।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। खण्डार का एरिया ब्राह्मणों का एरिया है, वहाँ पर पशुओं की चिकित्सा के लिये कोई साधन नहीं है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सवार, रोड़ावत और दूसरे गांवों के आस-पास में 10-15 गांव लगते हैं वहां के लोगों का मुख्य धन्धा खेती है और काश्तकारों के लिए पशु आवश्यक होते हैं लेकिन उनकी देख-रेख नहीं होती। पशु चिकित्सा के अभाव में मर जाते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर एक पशु चिकित्सालय की स्थापना की जावे।

दूसरा, मेरा एक प्रस्ताव यह है कि सवाई माधोपुर जिले में तीन छोटे-छोटे कृषि फार्म हैं लेकिन वे सब के सब घाटे में जाते हैं क्योंकि वहां के जो फार्म मैनेजर और जिला कृषि अधिकारी हैं, वे गड़बड़ियां करते हैं। पिछले दस-पन्द्रह साल के आंकड़े आप

Page No. 154

(154)

(श्री चुन्नीलाल)

उठाकर देख लीजिये तो आपको मालूम हो जायेगा कि कभी भी इन फार्मों में मुनाफा नहीं रहा। ऐसे फार्मों को रखने से सरकार को कोई फायदा नहीं होता है। अगर ये ही फार्म काश्तकार के पास हों तो इससे अच्छी आमदनी हो सकती है। इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहाता हूं कि जो सवाई माधोपुर के फार्म हैं, उसके लिये मेरा सुझाव है कि वह काश्तकारों को दे दिये जावें।

इसके अतिरिक्त वहाँ पर कोई ग्रेन मण्डी नहीं है। मेरा सुझाव है कि सवाई माधोपुर के फार्म को ग्रेन मण्डी के लिये दे दिया जावे तो अच्छा होगा।

दूसरे फार्मों को समाप्त करना चाहिये वरना वे घाटे में जायेंगे और कोई मतलब निकलने वाला नहीं है।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि कृषि मण्डी द्वारा जो रोड्स बनाई गई हैं उनमें से एक भी कामयाब नहीं हुई है, सारे रास्ते अटके हुए हैं, काई सलावाड़ा रोड का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। उस रोड के ठेके को करीब 5-7 साल पहले दिया और उसका कार्य बिलकुल ठप पड़ा हुआ है और जो मेन रास्ता आने जाने का है वह अवरुद्ध हो गया है, गड्डियां पड़ी हुई हैं, न काम चल रहा है, न रोजर मिल रहा है। कृषि मंडी के पास में कोई सड़क बनाने का साधन तो है नहीं और घोषणा कर रहे हैं कि हम काश्तकारों का माल लाने-ले जाने के लिए शहरों से जोड़ने के लिए सड़क बनायेंगे और उनको सुविधायें देने जा रहे हैं और काश्तकारों से उनका टैक्स भी लिया जा रहा है काश्तकार जब माल लेकर मंडी में आता है तो किसी प्रकार की मंडी में कोई सुविधा नहीं है, न पेशाब घर है, न लेट्रिन है, न वहां ठहरने की व्यवस्था है। यह सब्जी मंडी जिला सवाई माधोपुर का एक ही उदाहरण है।

दूसरा मेरा सुझाव है कि जो छोटे-छोटे काश्तकार एक-एक, दो-दो बीघा जमीन में सब्जी बोते हैं उन लोगों से भी मंडी टैक्स लिया जाता है जब कि एक-एक, दो-दो बीघा में अपना भरण पोषण करते हैं, मैं समझता हूं सब्जी पर से टैक्स को बिलकुल हटाया जाए।

तीसरा मेरा सुझाव है कि सवाई माधोपुर और खंडार दोनों सर्किल्स ऐसे हैं कि कुछ पानी की कमी के पीछे हमारी खेती का उत्पादन कम रह जाता है। पानी की कमी नहीं है, केवल योजना की कमी है जैसे कि बनास नदी से लिफ्ट करके पानी दिया जाए तो हजारों एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है, इसी तरह से सवाई माधोपुर में यदि लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम बनाई जाती है तो कम से कम 20 हजार बीघा जमीन उससे सिंचित हो सकती है उससे काश्तकारों को अच्छा लाभ मिल सकता है और कृषि उत्पादन अच्छा बन सकता है। तो मैं ज्यादा न कह कर निवेदन करना चाहता हूं कि जो पशु चिकित्सालय की बातें बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन कामों को करवाने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री भंवरलाल, आर्डर प्लीज। मैं उनको बोलने के लिए कह रहा हूं। उन्होंने एक प्रश्न उठाया था माननीय

(श्री सभापति)

यदुनाथ सिंहजी की गिरफ्तारी के विषय में।

माननीय श्री भंवर लालजी !

(अनुपस्थित)

श्री सी. पी. जोशी !

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, कटौती प्रस्तावों के माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान कृषि हायर एजूकेशन पर जो फंड दिया गया है उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में यह दुर्भाग्य की बात है कि 30 वर्ष में हम कोई अलग विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर सके। उदयपुर विश्वविद्यालय आज जिस स्थिति में है वह मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी है, रिसर्च, टीचिंग और एक्सटेन्शन। शायद राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों में उदयपुर विश्वविद्यालय ही ऐसा है जहां पर तीन फंक्शन्स होते हैं जबकि राजस्थान और जोधपुर विश्वविद्यालयों में केवल रिसर्च और टीचिंग वर्क होता है। उदयपुर विश्वविद्यालय की जो स्थिति है जो फंड्स जहां से आते हैं उस संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि 30 वर्ष में जो टेक्नालाजिकल डवलपमेंट भारत में हुआ है उसका सही लाभ एग्रीकल्चरल फील्ड में नहीं दे पाए हैं, उसका मुख्य कारण राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय नहीं होना है।

आज स्थिति यह है कि पिछले वर्ष आई. सी. ए. आर. ने उदयपुर विश्वविद्यालय की ढाई लाख की रकम इसलिए काट दी कि वहां जो बिल्डिंग बनानी थी उसमें अधिक खर्चा कर दिया और ढाई लाख की रकम पुस्तकालय के नाम से काट दी। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि विगत वर्षों में करोड़ों रुपए इस बात के लिए लेप्स हो गए कि विश्वविद्यालय उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाया। आज उदयपुर विश्वविद्यालय की स्थिति यह है कि एड के लिए एग्रीकल्चर विभाग पर डिपेण्ड होते हैं और एक्ट के लिए एजूकेशन विभाग पर डिपेण्ड करते हैं। जब एक्ट में चेंजेज होता है तो एजूकेशन मिनिस्टर से बात करते हैं कि विश्वविद्यालय में यह होना चाहिए और जब एड की बात होती तो कृषि विभाग रोल प्ले करता है इसलिये यह आवश्यक है कि कृषि विश्वविद्यालय की अलग स्थापना करें। ढाई वर्ष से जो हालात उदयपुर विश्वविद्यालय के हैं उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जब से रिसर्च उदयपुर विश्वविद्यालय को ट्रांसफर हुआ है उसका प्रोडक्शन कितना हुआ, कितनों को, जो काम कर रहे हैं, ग्रेड दी? आज एक मोटा कारण है कि रिसर्च असिस्टेंट्स के माध्यम से सारे राजस्थान में इज्जत उदयपुर विश्वविद्यालय के अंदर है और जो काम कर रहे हैं असिस्टेंस उनको पहले 300-600 की ग्रेड दी गई। बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट ने ग्रेड रिवाइज की है लेकिन वह ग्रेड नहीं है जो आई.सी.ए.आर. ने प्रेसक्राइब की है। एक तरफ हम ग्रेड नहीं देना चाहते दूसरी तरफ हम चाहें कि टेक्नालाजी का एक्सपेन्शन गांवों में हो, दोनों चीजें संभव नहीं हो सकती। जो किसान वर्ग से आए हैं उनकी बात मैंने सुनी और एक बहुत बड़ी बात मैंने पाई कि जो किसान फील्ड में काम करने वाले हैं या पशुपालक हैं उसमें और जो हम एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। जो हमारी स्टेट

(श्री डी. पी. जोशी)

की नीड्स हैं उनको बराबर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम एक नया कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में स्थापित करें और राजस्थान की कृषि की जो समस्यायें हैं, जो किसान वर्ग की समस्याएं हैं, जो पशुओं की समस्यायें हैं, उन पर मौलिक अनुसंधान करें। मौलिक अनुसंधान के नाम पर 30 वर्षों में कुछ नहीं किया गया, विगत 30 वर्ष में कम से कम सैंकड़ों आदमी अमेरिका गए कोलेबोरेशन के अंदर, जब वे वहां से वापस आए तो स्टेट सर्विस छोड़ दी।

श्रीमन्, आज हालत यह है कि कृषि विश्वविद्यालय के नाम पर जितना करोड़ों रुपया आ रहा है उसका उपयोग राजस्थान के कृषि विकास के लिए नहीं हो रहा है ना ही हम इस तरह की एजूकेशन इम्पार्ट कर पा रहे हैं। इसलिए इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि कृषि कॉलेज और उदयपुर विश्वविद्यालय में हालात यह है कि 200 पद सीनियर लेक्चरर्स, रीडर्स और प्रोफेसर्स के खाली हैं। आश्चर्य की बात है कि हम कृषि विकास की बात करते हैं, कृषि प्रधान देश की बात करें और विश्वविद्यालय में 200 सीनियर पदों पर परमानेन्ट आदमी एम्प्लाई नहीं कर सकें। राजस्थान एग्रीकल्चरल कालेज में डीन एडहॉक, जोबनेर कॉलेज में एडहॉक डाइरेक्टर, रिसर्च राजस्थान का एडहॉक सबसे दुर्भाग्य की बात है कि अभी कुलपति ने प्रमोशन्स किए हैं, वे बिना इन्टरव्यू किए हुए, लेक्चरार को रीडर, रीडर को प्रोफेसर बनाया गया है। एक तरफ करोड़ों रुपए भारत सरकार इस बात के देती है कि देश में कृषि का विकास हो, दूसरी तरफ हम कृषि के लिए जो सूटेबुल एक्सपर्ट्स अवेलबल हैं उनको परमानेन्ट जोब नहीं दे पाए और किन्हीं कारणों से ये एडहॉक डीन्स रहें, एडहॉक प्रोफेसर्स हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो साथी विपक्ष में बैठे हैं, ढाई साल शासन किया है, ढाई वर्ष के अंदर उदयपुर विश्वविद्यालय के अंदर, कृषि के अंदर जितनी ग्रांट आई, जितने एडहॉक अपांइटमेंट्स आज दिए गए हैं, हम कल खुशी से कह रहे थे कि उदयपुर विश्वविद्यालय बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कृषि कॉलेज का सेमेस्टर नहीं हुआ। जोबनेर और उदयपुर कॉलेज दोनों के कोर्सेज साथ-साथ नहीं चल रहे हैं और कागजी कार्यवाही को हम कहें कि सही चल रहा है, यह संभव नहीं है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। होम साइंस के डीन पद पर एक लेडी काम कर रही थी, छुट्टी लेकर गई; ढाई वर्ष के शासन काल की बहुत बड़ी उपलब्धि, हिंदुस्तान में होम साइंस की डीन फॉरेन स्टेडी के लिए जाए और जब वापस आए तो डीन हम उसको नहीं बना सकते, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट थी उसको एबालिश कर दिया गया। हालत यह कर दी कि कहा गया कि रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट पर जोइन करो। एक तरफ हम बात करें कि कृषि का विकास नहीं हुआ, दूसरी तरफ जो एक्सपर्ट्स अवेलबल हैं उनको प्रोत्साहित करें कि देश छोड़कर जायें राजस्थान में केवल एक मात्र होम साइंस कॉलेज उसमें लेडी डीन, उसको इसलिए हटाया गया, उसका कारण सरकार बता सकती है

(श्री सी. पी. जोशी)

कि क्यों हटाया गया, ? मैं नहीं कहना चाहता कि इसके राजनैतिक कारण हो सकते हैं लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वह डीन थी उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया उसके पीछे कुछ न कुछ मेलाफाइड इन्टेंशन था। जो सिंडीकेट था उसके तत्कालीन शिक्षा मंत्री सदस्य थे। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ शिक्षा मंत्री तीनों विश्वविद्यालयों की कोआॅडिनेशन कमेटी के चेयरमैन होता है, दूसरी तरफ सिंडीकेट के सदस्य बनकर वहां के डिसीजन्स को एफेक्ट किया जा सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एस. पी. सिंह कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का प्रयास किया गया कि शिक्षा को चेंज किस तरह से किया जाए। हमारी सरकार ने 14 आदमियों की लिस्ट भेजी नियुक्तियों की कि इन आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए जबकि उस कमेटी की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उदयपुर विश्वविद्यालय का स्ट्रक्चर बदला जाए, कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाए, इस बात के लिए तत्कालीन सरकार ने काम नहीं किया और सिंह कमेटी की रिपोर्ट को माना नहीं गया और विकग्रप किया कि 13 आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। कल वे माथुर कमेटी की बात करेंगे, परसों श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट के लिए कहेंगे, कोठारी कमेटी के लिए कहेंगे; इन कमेटियों की रिपोर्टों के आधार पर राजस्थान में कृषि का विकास नहीं हो सकता।

दूसरी बात जो 'सभापति महोदय' मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज उदयपुर यूनिवर्सिटी में जो एज्यूकेशन इम्पार्ट हो रही है उसके बारे में चिन्तन करने की हमें आवश्यकता है। आज उदयपुर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर एजूकेशन को जो इम्पार्ट किया जा रहा है उससे हमारे किसान यह महसूस करते हैं कि वह प्रेक्टिकल एप्रोचेबल नहीं है। वह डिफरेन्ट है। सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो एजूकेशन हो उसमें मौलिक रिसर्च हो ताकि उससे किसानों की समस्याओं का सही निदान हो सके।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान पशुपालन विभाग की ओर भी दिलाना चाहूंगा। पशुपालन के बारे में मेरा निवेदन है कि जितना हम पशुपालन के बारे में विकास करना चाहते थे उतना विकास हम आज तक नहीं कर पाये हैं। सभापति महोदय, जिस तरह के कार्यक्रम पशुपालन विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं उससे पशुपालन का विकास हमारे राजस्थान में नहीं हो सकेगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, मैं दो मिनट का समय और लूंगा उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं तो जनरल विषय पर बोल रहा हूं। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे यहां पर कृषि उपज मण्डी बनी हुई है और वहां पर लाखों रुपये जमा हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कृषि

(श्री सी. पी. जोशी)
मन्त्री महोदया से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जो लाखों रुपया वेस्ट पड़ा है उसको आप काम में लेकर एक-दो कृषि मण्डियां और बना दें गांवों में ताकि आज जो किसानों का कान्टेक्ट लिन्क नहीं है वह कान्टेक्ट लिन्क हो जाय जिससे कि किसानों को उसका लाभ पहुंच सके।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया का ध्यान उदयपुर यूनिवर्सिटी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, राजस्थान में उदयपुर यूनिवर्सिटी में पिछले ढाई साल में कृषि एजूकेशन का लाखों रुपये का बजट लैप्स होगया, वहां पर कई एडहॉक लेक्चरर्स, रीडर, प्रोफेसर्स का अपाइन्टमेन्ट हुआ, हजारों रुपये का अनड्यू बेनीफिट लोगों को दिलाया गया इसके लिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा इसकी गम्भीरता से जांच की जानी चाहिये सभापति महोदय, मैं इसके राजनैतिक कारण में तो नहीं जाना चाहता पर यह बात निश्चित है कि राजस्थान में कृषि विकास के लिये रिसर्च का जो काम होना चाहिये था वह नहीं हुआ इसके परिणामस्वरूप राजस्थान में कृषि का विकास नहीं हो सका। सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया, का ध्यान उदयपुर विश्वविद्यालय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय की हालत बहुत खराब है और मैं समझता हूं कि उसके माध्यम से तो प्रजेन्ट हालात में राजस्थान में कृषि का कोई विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां पर एजूकेशन स्ट्रक्चर में चेन्ज किया जाना चाहिये। आज जो उदयपुर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी की समानता कर रहे हैं वह नहीं किया जाना चाहिये। क्योंकि उदयपुर यूनिवर्सिटी में एक्सटेन्शन के प्रोग्राम चल रहे हैं। यह एक्सटेन्शन का जो प्रोग्राम है वह एक्सक्लूजिव प्रोग्राम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक्सटेन्शन के नाम पर आज यहां पर करोड़ों रुपये के धन का दुरुपयोग हुआ है। सभापति महोदय, यहां पर मैं यह भी कहना उचित समझूंगा कि आज उदयपुर यूनिवर्सिटी द्वारा किसान मेले का आयोजन किया जाता है वह गांवों में नहीं होकर उदयपुर शहर में किया जाता है। सभापति महोदय, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि किसान तो खेतों में काम करते हैं गांवों में रहते हैं और किसान मेला उदयपुर में लगता है। इसके अलावा सभापति महोदय, आज कई जगह पर एक्सटेन्शन प्रोग्राम केन्द्र खुले हुए हैं पर जो नॉलेज इम्पार्ट उसके द्वारा की जानी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। मैंने पहले भी यहां पर कहा था कि स्कूलिंग से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा कि किसानों का खेतों के लिए जो अनुभव होता है अगर उसका लाभ लिया जावे तो राजस्थान में कृषि का विकास होगा। कृषि और किसानों में सामन्जस्य होगा तो ही विकास हो सकेगा। इसके अलावा, सभापति, महोदय आज उदयपुर यूनिवर्सिटी में हायर एजूकेशन के नाम पर जो खर्चा उदयपुर यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है उसकी कोई पूछ ताछ नहीं हो रही है

(श्री सी. पी. जोशी)

उसके लिए यह कह कर कि ऑटोनॉम बॉडी है उसकी एकाउन्टेबिलिटी पब्लिक को नहीं होगी यह उचित नहीं है। कृषि विकास के लिये काम हुआ या नहीं इसकी एकाउन्टेबिलिटी होनी चाहिए तब तो प्रदेश में कृषि का विकास होगा अन्यथा कृषि का हमारे यहां विकास नहीं होगा। इसके अलावा मेरा यह; सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि उदयपुर यूनिवर्सिटी को सेपरेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया जाय।

व्यवस्था का प्रश्न
माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी व रिहाई की सूचना

श्री सभापति : भंवरलाल जी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय उन माननीय सदस्य की गिरफ्तारी कब हुई तथा सम्बन्धित न्यायालय ने माननीय अध्यक्ष को सूचना कब दी ?

श्री सभापति : उनकी गिरफ्तारी 9 तारीख को हुई थी। और अब आपको मैं आप बार-बार नहीं पूछें उसके लिये यह भी निवेदन कर दूं कि उनको 12 तारीख को रिलीज भी कर दिया गया। आप नियम 166 है, देख लें उसमें स्पष्ट दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमें रूल 166 और 165 को भी देखना पड़ेगा। 164 कहता है "When a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under an executive order, the committing judge, magistrate or executive authority, as the case may be shall immediately intimate such fact to the Speaker indicating the reasons for the arrest, detention or conviction, as the case may be, as also the place of detention or imprisonment of the member in the appropriate form sen out in the Third Schedule." यह 164 में हुआ। पहले जब गिरफ्तार किया गया उसकी सूचना अध्यक्ष महोदय के पास 9 तारीख को आनी चाहिये थी और यहां 12 तारीख तक कोई सूचना नहीं आई।

श्री सभापति : माननीय सदस्य मजिस्ट्रेट ने 9 तारीख को ही सूचना दे दी थी यहां पर बीच में कोई कम्यूनिकेशन की वजह से नई दिल्ली से यहां आने में समय लगा है। उन्होंने तो समय पर इन्टीमेट कर दिया। उसमें 9 तारीख को गिरफ्तार करने के बाद में रिलीज करने की भी सूचना दे दी थी अध्यक्ष महोदय को। यहां पर फिर अध्यक्ष महोदय ने सूचना दे दी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय ने कोई सूचना नहीं दी मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जिस मजिस्ट्रेट को सूचना देनी थी उसने सूचना समय पर नहीं दी।

श्री सभापति : जिस दिन गिरफ्तारी की गयी थी उसी दिन यहां माननीय अध्यक्ष को इत्तला दे दी थी। यह अध्यक्ष महोदय की डिस्क्रिशन है कि वह इसका इंटरप्रेटेशन क्या लें क्योंकि रूल्स में साइमलटेनियसली

(श्री सभापति)

प्रोविजन है अगर गिरफ्तारी होने के बाद डिस्चार्ज हो जाता है तो It is obligatory on part of the Speaker. Rules are very clear. आप स्थान ग्रहण करें।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री चन्द्रवीर सिंह।

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : सभापति महोदय, सर्व प्रथम तो मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह मांग करता हूं कि इस ...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मन्त्रीजी आप नोट तो करें।

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से सात बजे उत्तर आयेगा इसके पहले दो माननीय सदस्य इधर से और दो माननीय सदस्य उधर से बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : बहुत ही नीरस डिबेट हो रही है।

श्री चन्द्रवीरसिंह : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जैसलमेर में जो कृषि उपज मण्डी की पुनःस्थापना की जा रही उसको रद्द किया जाय। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर में कृषि उपज नगण्य के बराबर है। मैं वैसे कोई टैक्स एक्सपर्ट तो नहीं हूं लेकिन लॉजिक यह कहता है कि जिन वस्तुओं पर एक बार टैक्स लग जाता है तो दुबारा उसी वस्तु पर टैक्स नहीं लगता है। सभापति महोदय, जैसलमेर में जो वस्तु आती है वह जोधपुर से या बाहर से आती है और ज्यादातर सामग्री जो भी है वह जोधपुर से ही आती है। सभापति महोदय, जब जैसलमेर में कृषि उपज मण्डी समिति होगी तो वह वहां पर वस्तु पर टैक्स लगायेगी वह टैक्स दुबारा लगाया जायगा। जब उस वस्तु पर पहले ही जोधपुर कृषि उपज मण्डी समिति टैक्स लगा चुकी होगी। इस लिये जैसलमेर के संबंध में वहां परिस्थितियों को देखते हुए जैसलमेर की जनता पर यह अतिरिक्त भार न डाला जाय और जैसलमेर की जनता को इस अतिरिक्त कर भार से मुक्त रखा जाय। सभापति महोदय, आप सभी जानते हैं कि जैसलमेर की जनता की पर्चेजिंग केपेसिटी कितनी है? सभापति महोदय, आप और मंत्री महोदया भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसलमेर की और पश्चिमी राजस्थान की इकानामी कैटल बेस्ड इकानामी है। वहाँ के लोगों का सारा जीवन इन पर ही चलता है। सभापति महोदय, जब जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई तब हमारे यहां जैसलमेर में पशुओं के लिये चिकित्सालय खोले गये थे और वहाँ पर इस फील्ड में काफी तरक्की की गई थी। लेकिन सभापति महोदय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में खासतौर से बाड़मेर क्षेत्र और जैसलमेर क्षेत्र को लोग काला पानी कहते हैं जब वहां पर लोगों का पोस्टिंग होता है तो या तो लोग उसको केन्सिल कराने की कोशिश करते हैं या फिर छुट्टी ले लेते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा पशु चिकित्सालय खोलें ताकि वहां के पशुओं का विकास हो सके। सभापति महोदय, वहाँ चूंकि कैटल बेस्ड इकानामी है और इकानामी अच्छी रहे इसके लिये यह आवश्यक है कि

(श्री चन्द्रवीरसिंह)

पशु चिकित्सालयों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में खोले जायं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित कर यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां की जनता की इकानामी को सुदृढ़ करने के लिये चार नये वी. एच. सी. सेन्टर खोले जायं वहां पर पशु चिकित्सालय में डॉक्टरों व कम्पाउण्डरों की बहुत आवश्यकता है इसलिये वहां पर नये चार वी. एच. सी. सुलताना, हाबूर, बडोडा गांव व भिनभणयाली में खोले जायं। इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे वहां पर जैसलमेर में मोबाइल यूनिट था उसको अभी कुछ समय पहले ब्यावर में स्थानान्तरित कर दिया गया है। मेरा निवेदन है कि इसको ब्यावर से केन्सिल करके वापस जैसलमेर में ही स्थापित की जाय। इसके अलावा वहां पर मोबाइल क्लीनिकल डायग्नोसिस लेबोरेट्री स्थापित की जा रही है, पर, अगर उसमें कोई प्राब्लम आ रही है तो मेरा निवेदन है कि जो पहले मोबाईल यूनिट थी उसी को ही वापस वहीं बरकरार रखा जाय। जैसलमेर में पशुधन को ध्यान में रखते हुए मैं यह मांग करता हूं कि जैसलमेर में चिलिंग प्लान्ट की स्थापना बहुत जरूरी है। अगर आप वहां पर चिलिंग प्लान्ट की स्थापना करते हैं तो जैसलमेर को ही नहीं बल्कि आपकी सारी दुग्ध प्रणाली को इससे बहुत लाभ मिल सकता है। जैसलमेर में प्रस्तावित चिलिंग प्लान्ट है उसको क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया यह मैं नहीं जानता लेकिन मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि यह चिलिंग प्लान्ट तुरन्त जैसलमेर में स्थापित कर दिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, जैसलमेर में कोई आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन सेन्टर नहीं है और आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन सेन्टर जैसलमेर में अब खोलना ज्यादा आवश्यक हो गया है क्योंकि अब इस पिछड़े हुए संभाग में यह विश्वास होने लगा है कि राजस्थान कैनाल वहां आ जायगी और अगर यह राजस्थान कैनाल उस संभाग में आई तो गोचर भूमि कृषि भूमि में परिवर्तित होगी और जो चराने की भूमि है वह कम हो जायगी, वह भूमि एग्रीकल्चर लैण्ड में परिवर्तित हो जायगी। तो आप जैसलमेर में यह आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन सेन्टर खोलकर लोगों को इसके फायदों से अवगत करायें तो स्टेबल फीडिंग हो सकती है वरना यह स्टेबल फीडिंग होना असम्भव है। सभापति महोदय, आप यह जानते होंगे कि हम यह क्यों मांग कर रहे हैं। यह हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि थारपारकर की गायें हमारे संभाग में बहुत ही मशहूर हैं और हमारे यहां दस साल अकाल पड़ा जिसमें यह नस्ल सब खतम हो गयी और अब जो नस्ल की गायें हैं वह उतना दूध नहीं देती कि उनको स्टेबल फीडिंग कराया जा सके। अगर जैसलमेर में आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन सेन्टर की तुरन्त व्यवस्था की गयी तो लोगों को इसके कैच करने में कुछ समय लगेगा। लोग इससे घबराते भी हैं क्योंकि अभी जो इस नस्ल से बैल होते हैं जर्सी आदि वह नहीं बिकते हैं लेकिन जो गायें होती हैं वह ज्यादा दूध देती हैं और स्टेबल फीडिंग के लिए यह गायें आप पन-

(श्री चन्द्रवीरसिंह)

पायेंगे तो यह पॉसिबल हो सकेगा कि वहां स्टेबल फीडिंग कराया जा सके।

अंत में मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं कि जैसलमेर नगर व नजदीक के गांवों में पशुओं के चराने की बहुत भारी समस्या हो गयी है। उसका कारण यह है कि जैसलमेर के आस-पास आर्मी, एयर फोर्स और बी. एस. एफ. ने बहुत बड़ा एरिया ले रखा है और उसको तारों से बन्द कर रखा है। सभापति महोदय, जैसलमेर शहर के लिए पशुओं के चराने का एक मात्र स्थान कारां जोड़ है उसको भी वन विभाग ने ले रखा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को सूचित करना चाहता हूं कि जैसलमेर और उसके आस-पास के गांवों में कम से कम 25-30 हजार मवेशी हैं यह मवेशी कहां चराने जायं, कैसे चरायें? इसकी बहुत भारी समस्या उत्पन्न हो गयी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को निवेदन करना चाहूंगा कि जो फारेस्ट डिपार्टमेन्ट में इस कारांजोड़ को ले रखा है वह घास के लिए ले रखा है और फोडर इकट्ठा करने का उस संभाग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप स्वयं परिचित हैं कि हमारा और अकाल का जीवन ऐसा जुड़ा है जैसे समुद्र का और लहरों का जुड़ा हुआ होता है। जिस क्षेत्र में फोडर कलेक्शन किया जा रहा है उस क्षेत्र को आप मुक्त करा दें तो मैं सुझाव दूंगा कि जैसलमेर का बाली, मोहनगढ़ और सोन गांवों के बीच में है और इतना बड़ा सम्भाग है कि आप वहां पर फोडर कलेक्ट करेंगे तो कहीं अत्यधिक मात्रा में कर पायेंगे। क्योंकि विधि की विडम्बना है कि जहां घास है वहां पानी नहीं है और जहां पानी है वहां घास नहीं है। उस क्षेत्र में जितनी घास होती है उतनी किसी और क्षेत्र में नहीं है। जैसलमेर नगर में जो मवेशी हैं उसको सही रूप से चरा सकें और सही रूप से उसके लिए घास प्राप्त हो सके इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जो आपका वन विभाग का सेन्टर है उसको शिफ्ट कर दें और बाली क्षेत्र में ले जायं जहां कि घास अबन्डन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं, सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से थोड़ा डेवीयेट हो रहा हूं, मुझे क्षमा करें। मैं थोड़ा सा और निवेदन करना चाहूंगा आपकी परमिशन से जैसलमेर में पशुओं को चराने का साधन ट्यूब वैल है और जिस समय ट्यूब वैल खोदे गये उस समय पशुओं को ध्यान में रख कर नहीं खोदे गये। आज जो पानी निकलता है वह इतने ज्यादा पशुओं को पिलाने के लिए अपर्याप्त है। तो, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन ट्यूब वैल के साथ ही साथ और नये ट्यूब-वैल भी खुदा दिये जायं या इनकी क्षमता बढ़ा दी जाय ताकि पशु पानी पी सकें। अक्सर देखा गया है कि जब पशुओं को चराने की व्यवस्था होती है तो यह ट्यूब वैल खराब हो जाते हैं और एक ट्यूब वैल के खराब होने का मतलब यह होता है कि उस ट्यूब वैल की हजारों की तादाद में मवेशी पड़ी रहती है। अगर वह ट्यूब वैल पांच दिन भी खराब होता है तो जनमानस के लिए बहुत भारी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वह पशुओं को कहां पानी पिलायें। मेरा निवेदन है कि उन ट्यूब वैल्स को जितना जल्दी

(श्री चन्द्रवीरसिंह)
विद्युतीकरण करा सकें उतना ही उचित होगा।

इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देते हुए बैठता हूं।

श्री सभापति : श्री छोगाराम बकोलिया

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ऑफ आॅर्डर, सर माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय एक वक्तव्य देने वाले थे यहां पर। कहीं भूल तो नहीं गये।

श्रीमती कमला : अभी हाउस समाप्त नहीं हुआ है।

एक माननीय सदस्य : आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्री छोगाराम बकोलिया !

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 और 39 के बारे में सिरोही जिले के कृषि एवं पशुपालन के बारे में कुछ विचार रखना चाहता हूं। वैसे सिरोही जिला कृषि प्रधान जिला है। इसमें हर तरह की कृषि होती है और फल एवं कृषि के अन्दर बहुत ज्यादा किस्म की चीजें पैदा होती हैं। इसको देखते हुए और अच्छी कृषि को देखते हुए उन्नत बीज औजार एवं साधनों की कमी है। उन साधनों की कमी को देखते हुए इतना बेनीफिट कृषि के अन्दर नहीं हो पा रहा है। जिसके लिए मैं, सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर कृषि के लिए कुछ टेक्निकल तरीकों का प्रशिक्षण दिलाया जाय और इसके लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायं जिला स्तर पर और ग्राम पंचायतों के स्तर पर, ताकि कृषकों को पूरी नॉलेज दी जा सके। अच्छी नॉलेज दी जाकर ट्रैक्टर और स्प्रे आदि की मशीनें दिलाई जानी चाहिए ताकि उन्नत तरीके से कृषि की जा सके। वैसे हमारे जिले के अन्दर बारिश तो बहुत होती है लेकिन फिर भी इतनी यील्ड कृषि के अन्दर नहीं कर पाते हैं कारण यह है कि उनकी नॉलेज बहुत ही सीमित है और सीमित तरीके से उनके कार्य होते हैं और बीज आदि की कमी के कारण से अच्छी यील्ड प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके कारण से सरकार उनकी तरफ ध्यान दे और ज्यादा से ज्यादा सिरोही डिस्ट्रिक्ट की तरफ इसके लिए गौर करे क्योंकि यहां गरीब और बैकवर्ड क्लास के लोग होने के नाते उनका दिमाग विकसित नहीं है इसलिए वह कृषि के अन्दर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी तरफ मैक्जीमम ध्यान दे और उन्नत बीज और औजार आदि उपलब्ध कराये और मैक्जीमम प्रोत्साहन दें।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इमर्जेंसी के समय में जो जमीन सीलिंग के अन्दर आवंटित की गयी थी वह जमीन उन काश्तकारों को प्राप्त नहीं हो रही है। उस पर जमींदारों अथवा बड़े काश्तकारों ने कब्जा कर रखा है या उनको छोड़ा नहीं है। इसलिए चाहता हूं कि उनको मैक्जीमम फायदा देने के लिए तुरन्त शिड्यूल्ड कास्ट को जमीन आवंटित हो और उनको उसका कब्जा दिलाया जाय।

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

इसके अलावा वहां पर कातरे की मैक्जीमम शिकायत रहती है और सही तरीके के केमिकल्स नहीं दिये जाते हैं जिससे कातरे की बहुत महामारी फैल जाती है और यह फसलों को नष्ट कर देता है। मैं चाहूंगा कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में कातरे की बीमारी फैल रही है उससे फसल नष्ट हो रही है उसको तुरन्त रोका जाय ताकि गरीब किसानों को मैक्जीमम बेनीफिट मिल सके।

इसके अलावा मैं देखता हूं कि हमारे यहां सदन में इतने सारे किसान सदस्य बन कर आये हैं फिर भी कृषि के बारे में बहुत ही कम प्रकाश डाला गया है। आप देखते हैं कि हम सब बड़े-बड़े सूट और बूट में निकलते नजर आते हैं लेकिन गरीब किसान वही अंगरखी और धोती में निकलता है। इसका क्या कारण है ? इसका कारण गरीबी है। इसका कारण यह है कि उनको औजार और उन्नत बीज और साधन हम उपलब्ध नहीं कराते हैं। इसके ऊपर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। यह साधनों की कमी से ही नहीं है बल्कि सरकारी मशीनरी भ्रष्ट है। हमारे जिले में कई तरह की लोन के बारे में अनियमिततायें हैं। दो-दो और तीन-तीन महीनों के बाद भी फाइलें उनकी तैयार नहीं होती हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं और जनरल क्लास को भी मोटरें खरीदने के लिए चार महीने के बाद लोन मिलता है। ऐसी स्थिति में भला एक गरीब आदमी कैसे काम कर सकता है ? उसके लिये सुलभ साधन उपलब्ध हों। जिला कृषि अधिकारी उनको एडवाईज करें इमीजियेटली एक्शन से कम्पेन करके, जिस तरीके से पहले किया गया था कृषकों को इमीजियेट राहत दिलाने के लिये लोनिंग किया जाय। इसके साथ-साथ कई तरीके हैं। एग्रीकल्चर के अन्दर डवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। लाइट कनेक्शन टाईम पर नहीं दिये जाते हैं। सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अन्दर 1200 कनेक्शन के लिये आवेदन पत्र पेण्डिंग पड़े हैं। 1200 आदमियों को केवल इस कारण कनेक्शन नहीं मिल रहा है कि सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सामान उपलब्ध कराया जाय इसके बावजूद भी कई चीजें ऐसी हैं ट्रांसफार्मर की फुल कैपेसिटी होनी चाहिए जिसके कारण कई तरह की बाधा आती है। टाइम पर कृषकों को बिजली उपलब्ध नहीं होता है तो फसलों को बहुत नुकसान होती है। ऐसी स्थिति में निवेदन करना चाहता हूं आपर उप-करण उपलब्ध कराये जायें। ट्रांसफार्मर की केपेसिटी इम्प्रूव कर दी जाये। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में लोड बहुत बढ़ा है। 220 के.वी. की लाइन तुरन्त उपलब्ध कराई जाय ताकि कृषकों को किसी तरीके की दिक्कत न आये। इस के अलावा…

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं कुछ और निवेदन करना चाहूंगा। कृषि फार्मों पर कुछ बन्धक लोग भी हैं। बन्धक लोगों को राहत दी जाय उनको रिहा किया जाय और जिस फार्म से रिहा किया जाय उसी फार्म से जमीन दिलाई जाय। जैसे धवली तहसील देवास में बन्धकों को फ्री करके उनको जमीन दी जाय जो कृषि के लिये काम करते आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिले।

इसके अलावा मैं निवेदन करूं कि कृषि के अन्दर एडवांस होते हुए भी रेवदर में कोई कृषि मण्डी नहीं है। शिवगंज में कृषि मण्डी है जो 80 किलोमीटर दूर है। रेवदर में कृषि मण्डी बने ताकि वहां के

(श्री छोगाराम बाकोलिय)
कृषकों को राहत मिल सके। सिरोही डिस्ट्रिक्ट एडवांस स्टेज पर पहुंच सकेगा।

इसके अलावा पशुपालन के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा।

श्री सभापति : संक्षिप्त में कह दीजिये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : उसमें खास तौर से यह है कि हमारे सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अन्दर वेटरीनरी हॉस्पिटल का सुव्यस्थित तरीके से अरेन्जमेन्ट नहीं है जिसके कारण कई तरीके के रोग फैले हुए हैं। जिसके कारण से पशु मरते चले जाते हैं। पिछले साल अकाल के कारण खूब सारे जानवर खत्म हो गये हैं और उन जानवरों को अच्छी मेडिसन्स उपलब्ध न होने के कारण दिन ब दिन मरते जा रहे हैं जिससे वहां पशुधन भी बहुत महंगा हो गया है। कृषकों को पशु पालना बहुत महंगा पड़ता है पशुओं को कैसे खरीदा जाय सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर मैक्जीमम मेडिसन दिलाई जायं और पशु खरीदने के लिये पशुपालकों को एड दी जाय। एड देकर पशु खरीदने के लिये प्रोत्साहन दें ताकि अकाल के कारण जिन लोगों के पशु मरे हैं उनको राहत मिल सके। उनको सबसिडी देकर जानवर खरीदने के लिये प्रोत्साहित करें।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी ! माननीय सदस्य आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बात 5 मिनट में समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, कृषि, पशुपालन हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार है और इस दृष्टि से कोई लम्बी बात न कह कर अपने सुझाव देना चाहूंगा।

सबसे पहले अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थान में डी. पी. ए. पी. का जो कार्यक्रम चल रहा है, भीलवाड़ा जिले में काफी बड़ा क्षेत्र है कृषि में काफी विस्तार हो सकता है। इसलिये इस दृष्टि से पूरे जिले में डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम को चालू रखें। कृषि विस्तार का कार्यक्रम जो प्रारम्भ हुआ है, कृषि विस्तार का नाम तो है परन्तु मेरी मान्यता यह है कि न कृषि का विस्तार बढ़ा है और न ही प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़ी राशि इस कार्यक्रम पर खर्च हो रही है मेरा सुझाव यह है कि इस कार्यक्रम को परिवर्तित करके पंचायत समिति के अन्दर ही लागू किया जाय तो कम खर्च में अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ग्राम सेवक जो पंचायतों के अन्दर थे, कृषि विभाग में आने के बाद किसानों से उनका सम्पर्क कम हो गया है और सारे कार्यक्रम जो कृषि विस्तार के चलते थे, वह कम हो गये हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि पंचायत समिति के अन्तर्गत इस कार्यक्रम को ज्यादा विस्तार करके चलाया जाना चाहिये, यह मेरा आपसे निवेदन है।

खेती की एजेन्सियां अलग अलग प्रकार से हैं; बिना पढ़े लिखे किसान के लिये अलग अलग एजेन्सियों के चक्कर लगाना बड़ा कठिन है, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं सारी एजेन्सियों को एक स्थान पर लाकर और सारे खाद, बीज, ऋण वगैरह सभी सुलभ हो जायं, यह मेरा सुझाव है। खास तौर पर कृषि में जो बीमारियां चल रही हैं इसके लिये

(श्री रतनलाल ताम्बी)

विभाग की ओर से उपयोगी दवाइयां उपलब्ध करायें और इससे जो नुकसान होता है उसके लिये कृषि की बीमा योजना लागू की जाय। अच्छी दवाइयां गांवों में पहुंचाई जायें। पिछले तीन-चार साल में चने में गोदावद रोग लगा है। कृषि विभाग न जाने किस नाम से पहचानता है। पत्ती हरी रहती है, उसका टांट होता है वह सब सूख जाता है। इस रोग को रोकने की व्यवस्था की जाय इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

इसके साथ-साथ पशु चिकित्सा की बात कह कर समाप्त करूंगा पशु पालने की दृष्टि से हमारे क्षेत्र में विस्तार होना चाहिये। पहाड़ी इलाका है जहां हमारे यहां पशु हैं लोग इसी पर आधारित हैं। इसका कार्यक्रम शुरू किया जाय।

हमारे इलाके में पशु चिकित्सा का भी काफी अभाव है इसलिये सुझाव देता हूं कि मेरे क्षेत्र में पारोली, खजूरी, आमरबासी बड़े-बड़े गांव है, सैकण्ड्री स्कूल के हैडक्वार्टर्स हैं, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन तीनों स्थानों पर पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार करें। मेरा सुझाव यह है कि जैसे मोबाइल सर्जिकल यूनिट्स चलते हैं उससे बड़ी तादाद में राजस्थान के गरीब लोगों को लाभ मिलता है उसी प्रकार मोबाइल पशु यूनिट भी कायम किया जाय। सारे राजस्थान में बड़े-बड़े पशु चिकित्सा के कैम्प्स लगाकर अच्छे उपचार की व्यवस्था कर सकें ताकि गरीब लोग अपने पशु ले जाकर दिखा सकें और उपचार करा सकें, यह मेरा सुझाव है।

कृषि उपज मण्डियों की स्थिति आज खराब हो रही है। कई जगह कृषि मण्डियां भंग कर दी हैं। एस. डी. ओ. वगैरह को लगाया जाता है उनके पास काम बहुत रहता है। जहाजपुर कृषि उपज मण्डी के निर्माण का कार्य अभी भी नहीं हुआ है उसको भी प्रारम्भ किया जाकर जल्दी से जल्दी बनाया जाय

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

किसानों को विद्युत कनेक्शन विलम्ब से मिलते हैं। कृषि विभाग विशेष रूप से ध्यान दे और समय पर बिजली मिल जाय जिससे प्रोडक्शन बढ़े। इस दिशा में आप ध्यान दें। सुझाव तो बहुत हैं लेकिन समय कम है इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि इस दृष्टि से आप विचार करें। अधिक से अधिक किसानों को सुविधायें मिल सकें। ग्राम सेवकों को पंचायत समिति के अन्तर्गत लें, ग्राम विस्तार कार्यक्रम लागू हो। इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से चालू करें, जो अपव्यय हो रहा है उसको रोकें और यह भी मेरा निवेदन है कि डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम में भीलवाड़ा जिले को सम्मिलित किया जाय।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, जनता पार्टी जे. पी. को समय दिया जाय...

श्री सभापति : आपके सदस्य गोपाल पचेरवाल आज बोल चुके हैं। साढ़े सात बजे तक का समय है, माननीय सदस्य अब आप कृपा पूर्वक स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, मुझे कुछ समय दिया जाय ...

श्री सभापति : मैं अवसर दूंगा कभी माननीय सदस्य आपको।

श्री सूरज पाल सिंह !

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, मैंने मांग संख्या 37 और 39 के बारे में कटौती प्रस्ताव दिये हैं। उसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। सबसे पहला जो मेरा कटौती प्रस्ताव है वह यह है कि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज देश के अन्दर सबसे ज्यादा अगर कोई शोषित हो रहा है तो वह किसान है। देश में 80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं और उन खेती करने वालों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है। किसान को 10 साल पहले गेहूं का मूल्य 110 रुपया मिलता था, आज अधिक स अधिक बढ़ाकर उसको 140-150 मिलता है जबकि आज से 10 साल पहले एक ट्रैक्टर जो 20 हजार में मिलता था वही आज उसको 80 हजार में मिलता है आज से 10 साल पहले जो इंजन तीन हजार में मिलता था उन्हें आज उसके 12 हजार चुकाने पड़ते हैं आज से पांच साल पहले पेस्टीसाइड का बैग 20 रुपये में मिलता था, आज उसके 60-70 देने पड़ रहे हैं, इनसेक्टिसाइड जो आज से चार साल पहले 22-23 रुपये में मिलता था आज 50 रुपये करीब उनकी कीमत देनी पड़ती है। इन सब चीजों को बारीकी से देखा जाय तो किसान को जो चीजें परचेज करनी पड़ रही हैं उसमें चार गुने भाव बढ़ गये हैं। इसी तरह तेल का ड्रम 110 रुपये में मिलता था, आज साढ़े तीन सौ में मिलता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी चीजें उसे खरीदनी पड़ती हैं उसका मूल्य बाजार में पांच गुणा-चार गुणा बढ़ गया और जो उसकी उपज लेते हैं उसमें वृद्धि कितनी हुई 110 रुपये से 140-150 रुपये। सभापति महोदय, वह भी किसानों को लाभ नहीं मिलता है किसान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह अपनी उपज को रोक सके। खलिहान से जब माल लाता है तो उसको 110 रुपये से ज्यादा नहीं मिलता है। हो सकता है आज बाजार में गेहूं 200 रुपये क्विन्टल का हो लेकिन उसका सारा मुनाफा तो किसान को न मिलकर व्यापारी को मिलता है, क्योंकि वे उसके माल को 110 रुपये में लेकर रोक लेता है और भाव बढ़ने पर बेचता है अतः किसान तो उससे वंचित ही रहता है। मेरा सभापति महोदय, सुझाव है किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा जब कभी भी वे इस विषय में चाहें केन्द्रीय सरकार से या जब कभी कृषि मंत्रियों की मीटिंग हो या अन्य कोई अवसर प्राप्त हो तो किसानों की उपज के भाव बढ़ाने के लिए पुरजोर शब्दों में मांग करें कि किसान जो पैदा करता है उसका उचित मूल्य मिलना ही चाहिये अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

दूसरा, मेरा निवेदन है भीनमाल कृषि उपज मण्डी का निर्माण कार्य चल रहा है वह बड़ा धीमे चल रहा है। पांच साल हो गये 7 लाख की जो स्कीम थी, कभी सीमेन्ट के अभाव में, कभी अन्य कारणों से यह निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है तो मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित

(श्री सूरजपाल सिंह)
करूंगा कि हमारे यहां की कृषि उपज मण्डी के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाय जिससे किसानों को राहत मिल सके और अगर इसमें शिथिलता बरती जाती है तो किसानों का शोषण होगा। जब तक कृषि उपज मण्डी का निर्माण नहीं हो जाता है और कार्य रूप में परिणित नहीं हो जाता है तब तक किसानों को राहत नहीं मिल सकती है। आज भी हालत यह है कि वह कोई भी कमशियल क्राप का उत्पादन करता है और जब मण्डी में माल आता है तो 42 किलो माल को 40 किलो ही तोला जाता है। तो मेरा निवेदन है जब तक मण्डी का निर्माण नहीं करेंगे तब तक किसान का शोषण होता रहेगा इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि कृषि उपज मण्डी के निर्माण कार्य में जो शिथिलिता बरती जा रही है उसमें तेजी से प्रगति की जाय ताकि किसान को होने वाले शोषण से बचाया जाय।

तीसरा जो मेरा कटौती प्रस्ताव है वह किसानों को उचित खाद, बीज और कीट-नाशक औषधियां नहीं मिलने के बारे में है। सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर बीज की तो यह हालत है कि भगवान ही मालिक है। किसान को जो बीज दिया जाता है, मैं बताऊं जोधपुर के अन्दर कोपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी के अन्दर बीज के अन्दर इतने घपले बाजी चल रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। गुजरात से कोई सीड जो पिछले साल दिया गया और किसानों को बेचा गया उसका जर्मीनेशन ही नहीं हुआ है दो-दो बार बुआई करनी पड़ी। इसलिये मेरा निवेदन है राजस्थान स्टेट में जब बीज निगम की स्थापना भी हो गई तब भी हम अपनी स्टेट में किसी तरह का बीज तैयार नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो कि हमें गुजरात पर डिपेण्ड करना पड़े, महाराष्ट्र पर डिपेण्ड करना पड़े और हमारी स्टेट में बीज नहीं हो। मेरा निवेदन है कि हमारी स्टेट में ही बीज बने और गलत तरीके का बीज जो आज किसानों को दिया जा रहा है उस पर अंकुश लगाना चाहिये। पेस्टीसाइड के मामले में भी यही हालत है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज, सभापति महोदय, कई तरह के एडल्ट्रेशन पेस्टीसाइड के मार्केट में आ रहे हैं और एक्सपायरी डेट की पेस्टीसाइड लोग पता नहीं कहां से लाकर बेच देते हैं जिनके नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है जितने एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर्स हैं, उनको पूर्ण चेतावनी दी जाय कि काश्तकारों को बेचे जाने वाली पेस्टीसाइड कम से कम एक्सपायरी डेट की न हो, यह सावचेती बरती जानी चाहिये।

पशु चिकित्सा के बारे में मेरा सुझाव है जहां-जहां डिस्पेन्सरीज हैं वहां मोबाइल यूनिट्स को कभी नहीं रखा जाय। मोबाइल वालों को 5-6 दिन के पैट्रोल का प्रावधान होता है इसलिये जहां आलरेडी डिस्पेन्सरीज हैं उनका मुख्यालय रखने से कोई मतलब नहीं है। जहां आलरेडी हॉस्पिटल्स हैं वहां मोबाइल यूनिट का हैडक्वार्टर अन्यथा स्थान पर रखा जाना चाहिये।

(श्री सूरजपालसिंह)
या जैसे भीनमाल के अन्दर हॉस्पिटल है और वहां मोबाइल यूनिट भी है तो मेरा यह निवेदन है कि जब भीनमाल का होस्पिटल है,और हमारे पास बजट प्रावधान इतना नहीं है कि हम जगह जगह हॉस्पिटल खोल सकें, मैं समझता हूं कि पिछले 3-4 साल से जालोर में तो कोई नया पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया। हमारे पास धनाभाव है ऐसी स्थिति में इस मोबाइल यूनिट का हैडक्वार्टर अगर भीनमाल में से हटा करके कम से कम जो दूरदराज के गांव हैं, वहां रखा जाय ताकि वहां से बैठ करके जिन लोगों को यह सुविधा नहीं मिल रही है, उन्हें सुविधा उपलब्ध हो सके।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री सूरजपाल सिंह: दो मिनट लूंगा। सभापति महोदय, हमारे जालोर जिले के अन्दर डेयरी जो है, वह प्राइवेट सैक्टर में है। पहले जो मिस्टर सिक्का थे, उन्होंने उस डेयरी को बेच दिया है। अब किसी टाटाज या बिड़लाज को दिया है, उसका वह सर्वे कर रहे हैं, पुरानी लायबिलिटीज का और जो कुछ अदा नहीं किया दूध वगैरह उसका सर्वे कर रहे हैं। तो इस विषय में मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि यह जो डेयरी है प्राइवेट सैक्टर में यह बहुत बढ़िया यूनिट है, बड़ी अच्छी मशीनरीज हैं। अमूल डेयरी के बाद में अगर यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उसका सही रूप से काम करें। राज्य सरकार भी इसकी पूर्ण निगरानी रखे। इस तरह से न हो जैसे प्राइवेट सैक्टर में पहले मिस्टर सिक्का थे जो लोगों का पैसा और शेयर वगैरह खाकर चले गये। उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। रोड्स के अभाव के कारण डेयरी रोड्स के लिए भी कुछ करें क्योंकि यह प्राइवेट सैक्टर में है। अन्य जिलों को तो डेयरी रोड्स के लिए पैसा मिलता है। अब क्योंकि जालोर जिले में एक प्राईवेट सैक्टर में डेयरी लगा दी है इसलिए डेयरी रोड्स के लिए पैसा नहीं मिल सका। मैं निवेदन करूंगा कि डेयरी रोड्स नयी खुलें, सड़कों के निर्माण के लिए कुछ पैसा राज्य सरकार अगर दे सके तो रानीवाड़ा के लिए ज्यादा उचित रहेगा। यह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है लेकिन हमारी डेयरी रोड्स का अभाव है जब कभी भी हमने उनको बुलाया, मिस्टर सिक्का को वे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनको भी बुलाया तो उन्होंने भी यही डिफिकल्टी बतायी थी कि सड़कों का अभाव है। सभापति महोदय जालोर जिला सडकों के हिसाब से ही सबसे ज्यादा उपेक्षित है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि डेयरी के लिए वहां (समय-समाप्ति सूचक-घण्टी) वहां की लिंक रोड डेयरी के लिए हैं, उनको विकसित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट प्रावधान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री खेत सिंह राठोड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय ने साढ़े सात बजे तक का समय बढ़ाया था। मेरा प्रस्ताव है कि आज की कार्य सूची खत्म होने तक समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है आज की मांगे पारित होने तक सदन का समय बढ़ाने के लिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज की कार्य सूची समाप्त होने तक। एक प्रस्ताव भी है और एक स्टेटमेन्ट भी है।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिये सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है परबतसर मेले की व्यवस्था के सम्बन्ध में मैंने दिया है सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके दल का समय समाप्त हो गया। अब दो मिनट में आप अपनी बात कह दीजिए आगे से आप प्रथम वक्ता की तरह से बोला करें अपने दल की ओर से।

(व्यवधान)

श्री जेठमल बरबड़: मेरे से नाराजगी है क्या?

सभापति महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव परबतसर पशु मेले के बारे में दिया है। आप जानते हैं कि परबतसर में जो पशु मेला लगता है, वह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा मेला है। लाखों बैल उसमें आते हैं। बैलों के अलावा ऊंट, भैंस, घोड़े, कई प्रकार के पशु उसमें आते हैं राजस्थान के ही नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर के राज्यों से जैसे यू. पी. पंजाब, हरियाणा, सब जगह से व्यापारी पशु खरीदने के लिए आते हैं और लाखों आदमी वहां इकट्ठे होते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि परबतसर पशु मेले के लिए एक मास्टर प्लान बनाने की योजना थी लेकिन उस मास्टर प्लान को आज तक भी पूरा नहीं किया गया। न तो उस परबतसर मेले के अन्दर सड़कों की व्यवस्था है, न पूरी लाइट की व्यवस्था है, न पीने के पानी की पूरी व्यवस्था है। सभापति महोदय, वहां वर्षा के समय मेला लगता है। अभी 26 अगस्त, 1980 को मेला लगने वाला है। 26 तारीख को वर्षा के कारण मेले के समय इतना गारा और कीचड़ हो जाता है, कि बैलों के पैर रुक जाते हैं और आदमियों को भी चलने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए वहां सड़कों का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात वहां स्वच्छ जल की व्यवस्था भी नहीं है। सिर्फ विभाग वाले वहां पर नाम मात्र की प्याऊ लगाते हैं, पानी के लिए बीच बीच में 5-10 प्याऊ लगा देते हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्याऊ के अन्दर जो पानी डालते हैं, वह पी. डब्लू. डी. के ढोल मंगाकर उनमें डालते हैं, काले ढोल होते हैं उन ढोलों में, उन ड्रमों में पानी डालकर रखते हैं। मेले में जो आते हैं, जो पशु-पालक, व्यापारी और मेला देखने वाले

(श्री जेठमल बरबड़)

लोगों को, ढोलों और ड्रमों में जो पानी रखा होता है वही पानी पिलाया जाता है वह डामर के ढ़ोल होते हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, मंत्री महोदय को इस मेले की समुचित व्यवस्था सुधारने के लिए एक निश्चित योजना बनानी चाहिए। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह मेला परबतसर में जब लगता है तो यह सारे शहर में फैल जाता है। जहां पुराना मेला लगता था, उसी जगह मेला ज्यादा भरता है। मेला लगाने के लिए सरकार ने जो योजना बनायी थी और जगह निश्चित की थी, वहां जो पीरजी का नाका बंध है, वहीं रास्ता कटता है लेकिन उस पुराने मेले के स्थान पर नये स्थान से जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। सड़क का एक प्रपोजल भी है। पुराने स्थान पर तेजा जी की मूर्ति है, नये स्थान पर जो मेला भराया जा रहा है, उसके अन्दर भी तेजा जी का मन्दिर बनाया गया है, उस मन्दिर से सीधी सड़क बनाने की योजना थी सरकार की। वह सड़क आज तक नहीं बनायी गयी। खासकर जो कठिनाई होती है वर्षा के समय। अंधेरी रात के अन्दर लाइट का इन्तजाम किया जाता है, गैस की बत्तियां लगाकर। क्योंकि पूरी जगह लाइट की व्यवस्था नहीं है इसलिए गैस की व्यवस्था नाममात्र की होती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो लोग किसान बैल बेचने के लिए आते हैं, वे अंधेरे के अन्दर पड़े रहते हैं और उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। इसलिए मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से, सभापति जी, निवेदन करना चाहूंगा कि इस मेले का बजट बढ़ाया जाय और इस मेले का बजट बढ़ाकर मेले की समुचित व्यवस्था की जाय। मेले के अन्दर कोई व्यापारी या कोई बाहर से देखने के लिए आये या कोई खरीदने के लिए आये, उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। सड़कों का इन्तजाम भी नहीं। बड़ी परेशानी से वे लोग अपने पशु बेचने के लिए आते हैं उन लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है इसलिए इसकी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। एक बड़े पुराने जमाने से मेला लगता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने दो मिनट लिये थे। अच्छी बात है, आप दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री जेठमल बरबड : सभापति महोदय, दो मिनट में समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, 26 तारीख को मेला लगने जा रहा है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा, इस मेले का बजट बढ़ाकर इसका जो मास्टर प्लान बना हुआ है, उसके अनुसार ही इसकी सब योजना स्वीकृत की जाय। इसके अलावा परबतसर के अन्दर स्टेट के टाइम से किराये के मकान में डिस्पेन्सरी चलती है पशुओं के लिए, वही डिस्पेन्सरी है और वही कम्पाउन्डर, वही डॉक्टर हैं। इतने पशुओं के लिए वहां कोई भी होस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां एक अच्छा होस्पिटल बनाया जाय। होस्पिटल के द्वारा ही पशुओं का सही इलाज हो सकता है। आपने जो मुझे

(श्री जेठमल बरबंड़)
बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय कृषि मन्त्रीजी।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय कृषि मंत्री जी को वक्त दें, उसके पहले चिकित्सा मंत्री का स्टेटमेंट होना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय चिकित्सा मंत्री जी अभी आ रहे हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं तो स्थान ग्रहण कर लूंगा लेकिन माननीय चिकित्सा मंत्री जी कहां पर हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : चिकित्सा मंत्रीजी आ रहे हैं। आपको वक्तव्य दिलायेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं आपको कहता हूं कि चिकित्सा मंत्री जी नहीं आ रहे हैं। मैं उनको सब जगह पर ढूंढ आया हूं। उनके कमरे में, उनके कमरे के आस पास में सब जगह तलाश किया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं कह रहा हूं कि वे आ रहे हैं और आपको वक्तव्य देंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं उनको सब जगह देख आया हूं। वे यहां पर कहीं पर भी नहीं है। उनके कमरे में देख लिया हैं, उनके बाथ रूम में देख लिया है ..

श्रीमती कमला : वे आ रहे हैं, आप विश्वास रखिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप स्पष्ट रूप से कहिये कि माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद इस सदन की कार्यवाही को माननीय सभापति महोदय स्थगित नहीं करेंगे जब तक कि चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य नहीं हो जाय ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : आयुर्वेद की धात्रियों की जिस प्रकार की उपेक्षा बरती गई है...

श्रीमती कमला : आपको वक्तव्य देंगे। मैं सरकार की ओर से कह रही हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अगर सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई तो यह इतिहास की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जब तक हैल्थ मिनिस्टर साहब अपना वक्तव्य नहीं दे देंगे हम यहां से नहीं जायेंगे। आप विश्वास रखिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय सभापति महोदय, माननीय जोशी जी चिकित्सा मंत्रीजी के बाथ रूम में क्या करने गए थे ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, शुरू करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, आपने यह जो व्यवस्था दी थी कि दो माननीय सदस्य हमारी तरफ से बोलेंगे ...

श्री सभापति : दो विपक्ष के सदस्य बोलेंगे।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज, No, No माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने कृषि, पशुपालन और डेयरी विकास के बावत में बहुत सी कमियों की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है और साथ में कुछ बहुत उपयोगी सुझाव भी इन विभागों के कार्य को सम्पादित करने के सम्बन्ध में दिये हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभार मानती हूं और उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जो अलग अलग सुझाव आपकी तरफ से आये हैं उनमें से बहुत से प्रमुख मुद्दों के बारे में मैं इस वक्त कुछ कहना चाहूंगी, बाकी जो आपके सुझाव हैं, कुछ कमियों की तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया है और कुछ आपत्तिजनक बातें बताई हैं, उन सब के बावत अलग से कार्यवाही करने की व्यवस्था भी मैंने की है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य अपने खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए और राजस्थान में जो बहुत बड़ी भूमि अभी भी है और पूर्व में बहुत अधिक थी जिस पर खेती होना वांछित है, इस कार्य-क्रम को पूरा करने के लिए बहुत लम्बी और परिश्रमशील लड़ाई, बहुत अर्से से लड़ता आ रहा है। सन् 52-53 में जब राजस्थान का इतिहास शुरू हुआ नई आजादी के दौर में उस वक्त इसके क्षेत्रफल 342 लाख हैक्टेयर में से 109.39 लाख हैक्टेयर में ही फसलें बोई जाती थीं। आजादी के बाद जब सरकार बनी और पंचवर्षीय योजना के दौरान से इस देश के नियोजित विकास का कार्य-क्रम शुरू हुआ तो राजस्थान में दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 140 लाख हैक्टेयर जमीन खेती के नीचे लाई गई। चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इसका क्षेत्रफल और भी बढ़ता गया और 174.96 लाख हैक्टेयर तक पहुंचा। इस वक्त, 1980-81 के साल में हम इस वक्त पहुचे हैं, इस वक्त में 175.00 लाख हैक्टेयर में फसलें बोई जाने का टार्जेट अभी तक हमारा बना है। इस प्रकार आप देखेंगें कि 109 लाख से चले हैं, हालांकि बहुत धीमी हमारी दौड़ है लेकिन फिर भी पिछले वर्ष तक हम 174.96 लाख हैक्टेयर तक थे और इस वक्त हम 175 हैक्टेयर के अन्दर खेती करने का एक अपना लक्ष्य रखते हैं। यह सब धीरे धीरे से हुआ, यह सब आपके और हमारे सामने है। सूखी जमीन को पानी पहुंचाने के लिए कार्य किया बिजली के जरिये से, कुओं से सिंचाई के जरिये से और छोटी मध्यम सिंचाई योजनाओं के जरिये से। और किसानों को सुधरे हुए उपकरण प्रदान करके, सुधरी हुई खाद और बीज देने के जरिये से और विविध प्रकार के कार्य-क्रम पंचम पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये से हुए इस राज्य के अन्दर आगे से आगे विकास करने के लिए लक्ष्य बढ़ाया गया, इसके जरिये से यह प्रगति राज्य में हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं थे। उसके बाद में जो पांच पंचवर्षीय योजनायें आयीं इस राज्य के अन्दर,

(श्रीमती कमला)

उसके बाद यह राज्य आत्मनिर्भर हुआ। आत्मनिर्भर होने के बाद दूसरे राज्यों को, समीपवर्ती राज्यों को और देश के अन्य भागों को इसने खाद्यान्न दिया है। 1952-53 में इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 15.41 लाख हैक्टेयर सिंचित था। पिछले वर्ष में यह 34.51 लाख हैक्टेयर तक पहुंचा है। हमें उम्मीद है कि जो सिंचाई योजनायें आज निर्माणाधीन हैं तथा जो लघु सिंचाई योजनाओं के सर्वे हो रहे हैं तथा जो ए. आर. सी. की स्कीमें हैं, आर. ई. सी. की स्कीमें हैं और अण्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड की जो डिटेल्ड सर्वे हुई हैं, पानी का पता लगाया गया है, इन सब उपायों के जरिये से, इन सब योजनाओं के जरिये से हम आने वाले समय में राजस्थान की जो बारानी जमीन पड़ी हुई है उसमें और अधिक सिंचाई कर सकेंगे और उससे और अधिक खाद्यान्न पैदा कर सकेंगे। राजस्थान जिस तेजी से आगे बढ़ने का मन रखता है, हमारे मुख्य मन्त्रीजी जिस तत्परता से वर्ल्ड एजेंसीज को मोबीलाइज करके, और हमारी जो दूसरी राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसीज हैं उनको मोबीलाइज करके, खेती के रिसोर्सेज को मोबीलाइज करके सबसे अधिक प्राथमिकता के आधार पर पीने के पानी और सिंचाई के साधनों का लक्ष्य है उसके अन्तर्गत मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और अधिक जमीन को काबिल काश्त बना सकेंगे, खाद्यान्नों के लक्ष्य और उपज के लक्ष्य को और अधिक ऊंचा कर सकेंगे और हम राष्ट्र के बहुत सारे राज्यों को अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिये बताना चाहती हूं कि इस राज्य में 52-53 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 33.86 लाख टन था धीरे धीरे जैसा मैंने निवेदन किया कि द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान में भाखड़ा का, चम्बल का और दूसरी मीडियम इरिगेशन योजनाओं का और लघु सिंचाई योजनाओं का देश में जाल बिछा और बिजली का भी बहुत बड़ा जाल बिछा राज्य के अन्दर इसके जरिये से 43.30 लाख टन का लक्ष्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हुआ। पिछले वक्त में 78-79 के अन्तर्गत खाद्यान्नों का कुल उत्पादन राज्य के अन्दर 77-80 लाख टन हुआ। अब हमें उम्मीद है कि 80-81 के अन्दर हम इसको 84.15 लाख टन बना सकेंगे, और आगे छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि जो सिंचाई की योजनायें, बिजली की योजनायें, तकावी वगैराहकी योजनाएं हमारे राज्य के अन्दर बन रही हैं, उनको देखते हुए हमें उम्मीद है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 113 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन कर सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इस खाद्यान्न के लक्ष्य के अलावा इस राज्य में दूसरे जो तिलहन हैं, गन्ना है, कपास आदि की जो प्रमुख उपज हैं उनकी तरक्की के लिए पिछले अर्से में काफी काम हुआ है। अब आगे बहुत अच्छे उत्साहित करने वाले लक्ष्य हमने कायम किये हैं। तिलहन का 80-81 में हमने 6.2) लाख टन का टार्गेट रखा है और छठी पंचवर्षीय योजना

(श्रीमती कमला)

के अन्तर्गत हम यह उम्मीद करते हैं कि हम 8 .87 लाख टन उत्पादित कर सकेंगे।

इसी प्रकार गन्ना हमारी एक अच्छी फसल है। इस साल में 24 लाख टन का हमारा लक्ष्य है, वहां हम आने वाली छठी पंचवर्षीय योजना में 30 लाख टन का उत्पादन कर सकेंगे। ऐसी हमारी उम्मीद है।

इसी प्रकार कपास भी, इस राज्य में बहुत अच्छी किस्म की और अच्छी तादाद में होती है। कभी-कभी यह शिकायत हो जाती है कि इसकी कीमत अच्छी किसानों को नहीं मिल पा रही है। इसकी एक दूसरी व्यवस्था है, जिसको हम दूसरे ढंग से हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कपास का उत्पादन बढ़ाना होगा, यह किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। इस वर्ष 4.56 लाख टन से बढ़कर यह 5.09 लाख टन करीब रहा और आने वाली छठी पंचवर्षीय योजना में इसे 8.5 लाख टन उत्पादन की ओर हम ले जाने का लक्ष्य रखते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह कुछ आंकड़े मैंने इसलिये दिये हैं कि राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है और इसका मूल आर्थिक आधार खेती और साथ साथ पशुधन है। ठीक है, राजस्थान में बहुत सारी वन-सम्पदा और तैयार हो रही है। राजस्थान में बहुत खनिज सम्पदा भी है। राजस्थान में टूरिस्ट पाइन्ट भी बहुत अच्छे तैयार हो सकते हैं और वह भी एक बहुत बड़े कामर्शियल प्रोजेक्ट बन सकते हैं। फिर भी मूल आधार राजस्थान का खेती और पशुधन है। इसलिये कृषि और पशुधन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिये इस प्रकार की व्यवस्थाएं राज्य सरकार की तरफ से की गई हैं। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि कृषि को आगे से आगे बढ़ावा देने के लिये यह जरूरी है कि हम सबसे पहले किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध करायें। आम तौर पर कई माननीय सदस्यों ने भी इसी ओर इशारा किया, कई बार बीज की जर्मिनेशन और बीज की किस्म और बीज की तादाद, इन तीनों में बहुत दिक्कत आती है। समय पर बीज की उपलब्धि, हो बीज प्रामाणिक हो और उसकी जर्मिनेशन की बहुत अच्छी पर्सेन्टेज हो, यह तीनों बातें बहुत जरूरी हैं। यह हमारे विभाग की कमियां पहले वक्त में रही हैं, उनकी पूर्ति करने के लिये अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहती हूं, केवल इस साल के लिये हमने जो टार्गेट बनाये हैं, रबी के लिये हैं, जो आने वाला समय है, उसके लिये हमने 80-85 हजार क्विन्टल बीज का प्रावधान करने की व्यवस्था की है।

इसी प्रकार चने की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। उसके बीज की व्यवस्था के लिये हमने 10 हजार क्विन्टल अच्छा, बढ़िया किस्म के बीज का इन्तजाम करने की कोशिश की है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वक्त में चना हमारे यहां ज्यादा नहीं हुआ। इसलिये उसकी विशेष व्यवस्था के लिये राज्य सरकार प्रयत्नशील है। मस्टर्ड में भी एक हजार 488 क्विन्टल की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। जैसाकि मैंने निवेदन किया, इस वक्त खरीफ की फसल थी, इस वक्त

(श्रीमती कमला)

बाजरे और दूसरे कुछ किस्म के बीज हैं, हम उतनी तत्परता से और उतनी मात्रा में व्यवस्था नहीं कर पाये, जितनी कि करनी चाहिये थी। उसके कुछ कारण हैं, जैसा कि एक प्रश्न के जवाब में मैंने कुछ दिन पूर्व निवेदन किया था। लेकिन राज्य सरकार ने आने वाली खरीफ है, उसकी तैयारी अभी से की है। हम अपने बीज निगम के माध्यम, से राष्ट्रीय बीज निगम से सम्पर्क के अलावा सीधे उन संस्थाओं से कान्टेक्ट करेंगे, जिनके पास अच्छे, बढ़िया, प्रामाणिक बीज उपलब्ध हों सकेंगे। हो सकता है हम दोनों तरफ से इन्तजाम करें ताकि कुछ हमारा स्टॉक रहे। लेकिन किसानों को उत्तम तरीके से आवश्यक मात्रा में बीज न मिलें, इस तरह की कोई बात पैदा न हो, इसके लिये आगे से हम इन्तजाम कर चुके हैं।

इसी प्रकार, माननीय सभापति महोदय, बीज के अलावा फर्टिलाइजर खेती को बढ़ावा देने के लिये बहुत उपयोगी इन्पुट है। वैसे तो बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात के लिये कहा है, इस बात की जांच होनी चाहिये, इस बात का इवेल्यूएशन होना चाहिये, जो आपकी खाद है, उससे जमीन की क्वालिटी घट रही है, उससे नुकसान हो रहा है। उसके लिये मैंने भी एक अलग से सर्वे के लिये, इवेल्यूवेशन के लिये, जांच के लिये यूनिवर्सिटी को लिखने के लिये कहा है। जितने उन्नत किस्म के बीज हैं, जितने नये फर्टिलाइजर हैं, उनका हमारे किसानों की इनकम पर कितना, क्या प्रभाव पड़ा है, प्रतिकूल पड़ा है, या अनुकूल पड़ा है, उसकी जांच करके डिपार्टमेंट बतायेगा। दूसरी यूनिवर्सिटीज से इस प्रकार की जांच हुई है, उसका लाभ लेने की हम कोशिश करेंगे।

इसके बावजूद, आज के वक्त में जो हमारी पैदावार बढ़ाने का कार्य है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं, 1979-80 के अन्दर जो देशी खाद का उपयोग था, वह 22.67 लाख टन था। हम 80-81 के अन्दर 30.65 लाख टन बनाना चाहते हैं और 81-82 के अन्दर 31.90 लाख टन बनाना चाहते हैं। आने वाली छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम यह चाहते हैं कि 36.50 लाख टन फर्टिलाइजर की हम किसानों के लिये व्यवस्था कर सकें। फर्टिलाइजर की अवेलिबिलिटी में जितनी दिक्कत नहीं है, उतनी फर्टिलाइजर के डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत है। इसके लिये एजेन्सी को किस प्रकार कायम किया जाये। यहां पर जो सोसायटीज हैं, वह उनको सही समय पर फर्टिलाइजर नहीं दे सकें तो उसके बजाय दूसरी किस तरह की एजेन्सी ले सकते हैं। चाहे वह पंचायतें हो सकती हैं, चाहे दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हो सकती है और अन्य प्रकार की एजेन्सी हो सकती हैं। लेकिन इन्डिविजुअल एजेन्सी के बजाय किस प्रकार से आल्टरनेटिव रूप से तैयार कर सकते हैं, जिससे समय पर ठीक मात्रा में किसानों को फर्टिलाइजर पहुंच सके, इसकी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, किसान इस देश का, आम तौर पर बहुत कम साधनों वाला है। बहुत कम पर्सेन्टेज किसान का ऐसा है, जो सैल्फ सपोर्टेड है या जो अपनी खेती के इन्तजाम के लिये खर्चा खुद कर

(श्रीमती कमला)

सकता है। इसलिये सबसे बड़ी समस्या आज राजस्थान के किसान की है, वह उसके ऋण की है, उसकी वित्तीय व्यवस्था की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, पिछले कुछ अर्से में हमारी सहकारी बैंकों से इलाकों में स्थिति सुदृढ़ हुई है, कुछ एक–दो इलाकों को छोड़ कर। कुछ नेशनलाइज्ड बैंकों ने इसके अन्दर सहयोग किया है और कुल मिलाकर को-ऑपरेटिव सैक्टर के अन्दर हम काफी तादाद में किसानों को को-ऑपरेटिव बैंक से लोन दे रहे हैं। पिछले 79-80 में हम 20 करोड़ का ऋण दे सके हैं और आने वाले समय में हम यह उम्मीद करते हैं और यह ध्येय है हमारा कि हम 80-81 में 81 करोड़ का लोन किसानों को दे सकें। माननीय सभापति महोदय, आप इस बात को देखेंगे, यह सिर्फ रबी का है 20 करोड़। 61 करोड़ खरीफ में देने का रखते थे, और 20 करोड़ रबी में देने का रखते थे, इस प्रकार 81 करोड़ रखा था। पिछली दफा हम सिर्फ 63.2 करोड़ दे सके। 63.2 करोड़ के अगेन्स्ट में हम 81 करोड़ का लोन इस चालू वर्ष में एडवांस करेंगे और उसके जरिये हमें उम्मीद है कि किसानों की जरूरतें हैं, उनकी पूर्ति की तरफ ज्यादा से ज्यादा अग्रसर हो सकेंगे और किसान अपने स्तर पर, ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर ज्यादा से ज्यादा अच्छे किस्म की खेती करने में सक्षम हो सकेगा।

माननीय सदस्यों ने बहुत ज्यादा तादाद में जो हमारी कीटनाशक औषधियां हैं उनके बारे में अपने सुझाव और आपत्तियां रखी हैं। मैं इस बात को मानती हूं। आपको उम्मीद नहीं थी, तसल्ली नहीं थी, लेकिन मैंने कहा था जरूर आयेंगे

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर। मंत्री जी जारी रखें।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, हम इस बात को जानते हैं, राजस्थान की भूमि में कभी अकाल पड़ जाता है, कभी बीज समय पर उपलब्ध नहीं होता है और कभी अच्छी फसल हो जाये और बीज भी मिल जाये तो कुछ फसलों को लगने वाले ऐसे कीड़े और रोग हैं जो इतनी अच्छी बरसात होने के बावजूद भी खराब कर देते हैं। इस बार भी कातरे का प्रकोप हुआ, तो पेस्टीसाइड की खेती को उन्नत करने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं। आज जो पेस्टीसाइड बाजार में है, जो हमारे पास है, या दूसरी एजेन्सी से लेते हैं, उन पेस्टीसाइड को टेस्टीफाई करने, उस पेस्टीसाइड में कोई कमी नहीं हो अथवा एक माननीय सदस्य ने कहा था कुछ अडल्ट्रेटेड पहुंच जाता है, उसको देखने की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद यह भी जरूरत है कि जितनी आवश्यकता है, उसके मुताबिक किसानों को पेस्टीसाइड उपलब्ध करायें। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि पिछली साल पेस्टिसाइड की वृद्धि हमारे राज्य में हुई, वह 1798 टन हुई। इस बार में हमारे किसानों को खेती को जरूरत है उसको देखते हुए उम्मीद करते हैं कि हमें 2917 टन पेस्टिसाइड किसानों तक पहुंचाना है रबी और खरीफ दोनों में और छठी पंचवर्षीय योजना में हम कम से कम और ज्यादा से ज्यादा फसलें बिना नुकसान ले सकें इसके लिये हमने

(श्रीमती कमला)

4140 टन के टार्गेट छठी पंचवर्षीय योजना में रखे हैं।

इसके साथ साथ जैसे कि कुछ सुझाव आये थे, कुछ और पेस्टिसाइड दूसरी जगहों पर अवेलेबल हो सकते हैं। इसके बारे में हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन और करना चाहती हूं कि किसान ज्यादा से ज्यादा एरिया में अच्छी से अच्छी इंटेंसिव खेती करें और राज्य को लाभ पहुंचायें, इसकी व्यवस्था तो हम काफी पंचवर्षीय योजना में करते चले आये हैं। लेकिन जो खेती की पैदावार करके किसान मार्केट में लाते है, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा, किसानों को उचित कीमत नहीं मिलती यद्यपि उचित कीमत दिलाने के लिये सहकारी क्षेत्र में बहुत व्यापक योजनाएं बनाई हुई हैं हालांकि वे प्रभावशील ढंग से उतनी कारगर नहीं हैं जितनी होनी चाहिये फिर भी कुछ क्षेत्रों में कोटा और गंगानगर के क्षेत्रों में मार्केटिंग सोसाइटी काम करती हैं लेकिन बाकी मार्केटिंग सोसाइटीज अपने कर्तव्य को उतने ढंग से नहीं निभा पातीं जितना निभाना चाहिये। इसलिये मैं समझती हूं कि किसान का आज भी शोषण होता है और किसान ही ऐसा व्यक्ति है जिसकी फसल आज नीलाम होती है बाकी जितने दुकानदार हैं, छोटी छोटी चीजें लेकर घूमते हैं उनके भी पैसे दाम खुद तय करते हैं लेकिन किसान की जो फसल है चाहे कार्मशियल हो या दूसरी चीज हो उसकी बोली लगती है और फेयर प्राइस नहीं मिलती है। इसी बात को मद्दे नजर रखते हुए राज्य सरकार ने कृषि विभाग के अन्तर्गत कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की थी उसका काम यह था कि किसान को शोषण से बचाने के लिये किस प्रकार से सही रास्ता बताया जावे, उसका सही मार्ग दर्शन करें। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी चीज है वह यह कि किसान को अगर मण्डी तक आने की सुविधा नहीं है तो अपना उत्पादन मंडी तक नहीं ला सकता है और उसको उचित कीमत अपने उत्पादन की नहीं मिल सकती है और लोकली बेचता है तो बहुत कम कीमत आंकी जाती है और कौड़ियों के दाम अपनी चीज बेचनी पड़ती है। इसको देखते हुए कृषि विपणन बोर्ड का सबसे बड़ा काम यह था कि बड़े बड़े गांवों को जोड़ने वाली सड़कें ज्यादा से ज्यादा तादाद में बनाये जिससे किसान अपनी फसलों को मण्डी तक ला सकें और ज्यादा से ज्यादा कीमत किसान को मिल सके।

वर्तमान में कृषि विपणन बोर्ड ने 24.67 करोड़ की लागत की 49 परियोजनाएं स्वीकार कराई हैं उनमें 115 सड़कों का निर्माण कार्य चालू है। कुछ के कार्य पूरे हो चुके हैं। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि कृषि उपज मण्डियां राजस्थान में उन सभी क्षेत्रों में बनाई जावें जहां सभी क्राइटेरिया मौजूद हैं। और बहुत से माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि कई उपज मण्डियों में शोषण होता है, टैक्स लगाया जाता है। कुछ ऐसी शिकायतें मेरे पास आई हैं कि बहुत से गांवों में छोटे छोटे व्यापारियों को भेजा जाकर कृषि उपज मंडी क्षेत्र कम करके टैक्स लगाया जाता है तो छोटे व्यापारियों को तकलीफ है, कुछ मामलों में किसानों

(श्रीमती कमला)
को भी कृषि उपज मंडी में तकलीफ है और दूसरी अव्यवस्थाएं भी कायम है। तो मैं इस संबंध में, सभापति महोदय, आपकी मार्फत माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहती हूं कि यह अपने आप में बहुत उत्तम योजना है। इसका जितनी तेजी से और व्यापकता से फैलाव राजस्थान में होगा, किसानों की उपज को रेगुलेट करने की, मार्केटिंग करने की सुविधा होगी लेकिन जो आज कमियां हैं; दोष हैं उनके निराकरण के लिये हम तत्परता से कार्य करेंगे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंडियों के चुनाव कब तक करायेंगे ?

श्रीमती कमला : कुछ मोटे मोटे मुद्दे माननीय सदस्यों ने रखे उनमें सबसे बड़ा यह है कि राजस्थान में कृषि के विकास के अन्दर जो बहुत बड़ी कमी यह है राजस्थान में कोई अलग से कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। यह बात सही है कि जब उदयपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तो यह कृषि विश्वविद्यालय ही था। बाद में मल्टी फेकल्टी यूनिवर्सिटी उदयपुर विश्वविद्यालय बन जाने से जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद् है उससे करोड़ों रुपये रिसर्च और एक्सटेंशन के लिए मिलते हैं वे नहीं मिल पा रहे हैं इसलिए कि मल्टी फैकल्टी युनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है। श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसकी राजस्थान में बहुत बड़ी जरूरत है कि हम राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करें। सरकार इस पर बहुत सक्रियता से विचार कर रही है और सारे मुद्दों को जल्दी से जल्दी तय कर इस मामले को पूरा करेंगी जिससे हम राजस्थान में इस विश्वविद्यालय के माध्यम से खेती के अन्दर आने वाली दिक्कतों, को दूर करने या खेती के विस्तार, विकास के, इंटेंसिव खेती करने के जो मुद्दे है रिसर्च के, उनको यूनिवर्सिटी कर सके और राजस्थान राज्य को लाभ मिल सके।

इसके अलावा एक मुद्दा यह भी आया कि किसानों की खेती और फसल का बीमा अभी तक राजस्थान में नहीं है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और महत्वपूर्ण मुद्दा है तथा इस पर काफी वर्षों से विचार चलता आ रहा है। अब राजस्थान सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लेने का निर्णय किया है। बम्बई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी ने प्रस्ताव दिये हैं, और दूसरी एजेंसियों ने प्रस्ताव दिये हैं उनको एग्जामिन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जिस मन से, तत्परता से काम करना चाहते हैं, हम जल्दी ही इस योजना को एग्जामिन करके कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे। क्रोप इंश्योरेंस के अलावा किसान का जो पशुधन है उसके कैटल इंश्योरेंस का भी हम सोचें और इसको एग्जामिन करने के लिए हम काम करें और राज्य सरकार देखे।

मण्डी समिति और खास तौर से उन मण्डियों के बारे में माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की और अपने सुझाव दिये, मैं समझती हूं कि राजस्थान की अन्य मण्डियों में जो कमियां हैं वही इन मण्डियों में कमियां है इनको सुधारने के लिये राज्य सरकार काफी सक्रियता से काम करेगी। इसके अलावा, सभापति

(श्रीमती कमला)

महोदय, पशुपालन के बाबत, पशु चिकित्सालयों की कमी के बाबत, दवाइयों की कमी के बाबत और कृत्रिम गर्भाधान के विस्तार के मामले में बहुत सारी बातें कही गई। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव भी दिये हैं। मैं मानती हूं कि राजस्थान में जितना पशुधन है उसको रखते दृष्टिगत हुए राजस्थान में पशु चिकित्सालयों की, अथवा पशुओं की देख-रेख की व्यवस्था करके अथवा उन्नत किस्म के पशु तैयार करके किसान की हालत सुधारने के लिये काम कर सकते हैं। यह राजस्थान की बहुत बड़ी सम्पदा बन सकती है इस दिशा में जितनी व्यापक, तीव्र गति से काम करना चाहिये उतना नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी उम्मीद करती हूं कि इस वक्त में राजस्थान में 4.14 करोड़ पशुधन हैं जिसमें 2.25 करोड़ गौ वंश का पशुधन है उसके अनुपात में इस वक्त देखें तो पशु चिकित्सालयों की मांग माननीय सदस्यों की तरफ से आ रही है वह चालू वर्ष में 30 डी. पी. ए. पी. और 30 बाकी क्षेत्रों के लिये, कुल 60 पशु चिकित्सालय दे पाये हैं वर्तमान में जिस अनुपात में पशुधन के ऊपर पशु चिकित्सालय कायम किये हुए हैं हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर 25 हजार मवेशियों के ऊपर 7-8 किलोमीटर के अन्दर-अन्दर एक चिकित्सालय कायम कर सकें इसकी कोशिश करेंगे। इसका तात्पर्य यह होगा कि छठी पंचवर्षीय योजना खत्म हो उस वक्त तक 7-8 किलोमीटर के अन्दर-अन्दर पशु चिकित्सालय आ सकें इस प्रकार की व्यावस्था करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस विवरण में तो नहीं जाना चाहती कि कितनी व्यवस्था हो गई है? माननीय सदस्यों को इसकी पूर्णरूप से जानकारी है इसलिये मैं सदन का समय नहीं लेना चाहती हूं।

एक जो विशेष कार्य-क्रम राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों से चला है, वह डेयरी विकास का है। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है जितना पशुधन है, इस प्रकार के किस्म के पशुधन के विस्तार को देखते हुए यह सोचा गया है कि डेयरी विकास की संभावना है इसलिए डेयरी विकास निगम और बाद में डेयरी विकास फैडरेशन की स्थापना हुई है। इसने अपने दो-तीन फेजेज के अन्दर 18 जिलों के अन्दर कुल 11 संघों की स्थापना की है। इन 11 संघों की मार्फत फर्स्ट फेज में टोटल सोसाइटी हम 61 बना सके हैं इसके आखिरी फेज में 316 बना सके हैं, और इसके मैम्बर्स फर्स्ट फेज में 1200 और लास्ट फेज में 10,000 मैम्बर्स बना सके हैं। फर्स्ट फेज बीकानेर, जैसलमेर में प्रारंभ किया गया। इसमें 1 लाख 35 हजार मीटर फर्स्ट ईयर में और 1 करोड़ 58 हजार लीटर दूध लास्ट ईयर में किसानों से ले सके हैं।

दूसरा जो फेज था वह 1975 से 1980 तक का है इसमें वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। इसमें हमारा प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ा है। 692 सोसायटीज बनायी गयी, 23618 मैम्बर्स बनाये गये। 4 करोड़ 4 लाख लीटर दूध हम फर्स्ट ईयर में किसानों से इकट्ठा कर सके हैं। इस फेज के अन्तर्गत हम पाली, जालोर,

(श्रीमती कमला)

बाड़मेर, नागौर, भीलवाड़ा, अलवर डिस्ट्रिक्ट्स को ला सके हैं। दूसरे फेज के सैकण्ड ईयर में हमने जयपुर को ऐड किया है। दूसरे फेज के 1979-80 के लास्ट ईयर में कोटा, उदयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू आदि को इसके अन्दर शामिल कर सके हैं। कुल मिलाकर 1979-80 के अन्दर 2158 सोसायटीज बन चुकी हैं और 12 लाख 2 हजार 515 इसकी मैम्बरशिप हो चुकी है। दस करोड़ 95 लाख लीटर दूध इसके मार्फत इकट्ठा हो पा रहा है। जो दूध किसानों से लिया गया है उसके पेटे किसानों को 17 करोड़ 52 लाख का पेमेन्ट किया गया है। यह सब सैकण्ड फेज में हुआ है। थर्ड फेज 1980 से 1985 तक का बनाया गया है। इसमें हम यह उम्मीद करके चलते हैं कि चार हजार सोसायटीज बन सकेंगी, 26 लाख 50 हजार की मेम्बरशिप हो सकेगी और करीब 24 करोड़ लीटर दूध हम इकट्ठा कर सकेंगे जिसके कारण किसानों को करीब 50 करोड़ का भुगतान संभव हो सकेगा। हम यह उम्मीद करके चलते हैं कि 1985 तक पहुंचते पहुंचते राजस्थान के तमाम 26 जिले इस योजना के अन्तर्गत आ सकेंगे।

माननीय सभापति जी, डेयरी विकास के कार्य-क्रम के बारे में, इसकी गतिविधियों के बारे में काफी शिकायतें आई हैं, उनमें से बहुत सी शिकायतें सही भी हैं। कभी कभी दूध के अन्दर गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होती है, कभी घी में गड़बड़ी की शिकायत मिलती है। खास तौर से किसानों की यह शिकायत है कि पेमेन्ट, कीमत कम है। यह सारी बातें डेयरी विकास के बारे में आई हैं। जहां तक किसानों को जो रेट, कीमत मिल रही है, वह रेट मार्केट रेट से काफी कम है। दूसरी एजेन्सी के द्वारा जो दूध बेचा जा रहा है वह रेट ज्यादा है। इसके बाबत मैंने विभाग के अधिकारियों से बातचीत की है, इसको किस प्रकार से हम संतुलित बना सकते हैं, किस प्रकार से हम किसान को मवेशी रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। वह घाटे में न रहे उसके लिये दूध का काम हानिकारक न हो, इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। जहां तक व्यवस्था का सवाल है—इसके बारे में भी शिकायतें हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि ये शिकायतें इसलिए भी हैं कि जो हमारे 18 जिले हैं उनमें इनके जो संघ हैं, सोसायटीज हैं, उनमें से अधिकांश के चुनाव नहीं हो पाये हैं। यथा सोसाइटी के रिप्रेजेन्टेटिव दुग्ध उत्पादक संघों के अन्दर नहीं हैं, इसलिए भी घाटा हो रहा है। कि संचालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है यह व्यवस्था की कमी है। इसलिए हम इनके चुनाव कराने जा रहे हैं जिससे इनकी जगहों पर चुने हुए संचालक मण्डल आ जाएं। मैं यह उम्मीद कर के चलती हूं कि यह जो शिकायतें हैं व्यवस्था सम्बन्धी ये अपने आप ही खतम हो जाएंगी। अभी तक दो-चार सोसाइटीज, संघों के चुनाव हो पाये हैं और बाकी के पड़े हुए हैं। इनमें तीन, चार तो नोमिनेटेड हैं और इनके अलावा सब की सब बिना चुनी हुई काम कर रही हैं। जहां इस प्रकार का बहुत बड़ा काम हो, जिसमें जनप्रतिनिधि न हों, जो दुग्ध उत्पादक हैं, जिनके माध्यम से

(श्रीमती कमला)

यह सारा काम हो रहा है, वह न बैठे तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। मेरा यह प्रयत्न होगा कि इन संघों, सोसायटीज के चुनाव जल्दी से जल्दी करवाये जाएं जिससे इनका काम व्यवस्था के साथ साथ उत्तमता के साथ चल सके।

माननीय सभापति जी, भेड़, ऊन के बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ उपयोगी सुझाव भी यहां पर दिए हैं। हम यह जानते हैं कि राजस्थान में मवेशियों के साथ साथ भेड़ का भी उतना ही औद्योगिक दृष्टि से, किसानों की आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से महत्व है, जितना कि अन्य मवेशियों का हो सकता है। इस वक्त राजस्थान में लगभग एक करोड़ भेड़ें हैं और लगभग दो लाख भेड़ पालक हैं। एक करोड़ भेड़ें दो लाख भेड़ पालकों का आधार हैं। इसलिए किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा अच्छी किस्म की भेड़ें हों जो ऊन देने वाली हों, अच्छी किस्म की ऊन देने वाली हों, किस प्रकार ऊन की खरीद और बिक्री हो, यह सारे मामले जितने व्यवस्थित और व्यापक कर सकें उतनी ज्यादा भेड़ के ऊपर आधारित है जो अर्थ व्यवस्था किसान की है, उसको हम तरक्कीवान बना सकेंगे। इसलिए राज्य सरकार का यह प्रयत्न होगा कि जितना हम काम कर चुके हैं, उसके अलावा भेड़ों के चरागाह के सम्बन्ध में, भेड़ की ऊन की किस्म को सुधारने के सम्बन्ध में, स्थानीय तौर पर ऊन का वर्गीकरण हो सके, खरीद बिक्री की व्यवस्था के माध्यम से ऊन पर आधारित इन्डस्ट्रीज हों, उनको स्थानीय ढंग से कायम करने की दृष्टि से जितना हम कर सके हैं उसके अलावा कितना और हम करने की चेष्टा कर सकेंगे, यह हम प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि राज्य के भेड़पालकों को इस बात की सुविधा मिल सकेगी। वह अपने आधार को कमजोर नहीं कर पाएगा और अच्छी अर्थ व्यवस्था को बिल्ड अप कर सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगी कि यह कृषि, पशुपालन की मांग को पारित किया जाए।

श्री सभापति : मांगें पारित कराने का प्रश्न है। यदि सदन की अनुमति हो तो पहले माननीय चिकित्सा मन्त्री का वक्तव्य हो जाए।

सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया है। इसलिए पहले चिकित्सा मन्त्री का वक्तव्य हो जाए। या सदन का समय बढ़ाया जाए। सदन की अनुमति है।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37…

श्री दाऊदयाल जोशी : पहले वक्तव्य होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। वक्तव्य दिलाया जाएगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिए। उसमें यह कहा गया है, मांग पारित होने के पहले पहले वक्तव्य दिलाया जाएगा।

श्री सभापति : सरकार ने आश्वासन दिया है। वक्तव्य मांग पारित होने के बाद दिया जाएगा। आप धैर्य रखिये।

मांग संख्या 37 व 39 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,53,63,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 37 पारित की गयी।

मांग संख्या 39

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39-पशुपालन एवं पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,22,43,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 39 पारित की गई,

व्यवस्था का प्रश्न
आसन के खड़े रहने के समय दीर्घा में आवागमन

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। आप बैठे हैं और लोग जा रहे हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। कौन जा रहे हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ऑफिसर्स गैलेरी में से ऑफिसर्स जा रहे हैं।

श्री सभापति : वे जा सकते हैं।

घोषणा
वित्तीय समितियों के निर्वाचन के लिए वैध घोषित नामांकन पत्रों की सूची

श्री सभापति : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान विधान सभा की वित्तीय समितियों के लिये जो नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे उनकी जांच करने के बाद जो नामांकन पत्र वैध पाये गये हैं उनको नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा दिया गया है। माननीय सदस्य उनको चाहें तो देख सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : नोटिस बोर्ड कहां है ?

शासकीय वक्तव्य
राजस्थान राजकीय आयुर्वेद धात्री/उपवैद्य संघ द्वारा किया जा रहा आन्दोलन

श्री सभापति : माननीय चिकित्सा मंत्री।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (चिकित्सा मंत्री): सभापति महोदय ..

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मुझे जब वक्तव्य देने के लिये कहा था मैंने उस वक्त सदन से निवेदन किया था कि 4 बजे महासंघ से बातचीत होने वाली है, उसके बाद में वक्तव्य दूंगा। अध्यक्ष महोदय, 4 बजे से साढ़े सात बजे तक महासंघ के प्रतिनिधियों और जो धात्री उपवैध संघ के प्रतिनिधि थे उनमें और सरकारी अधिकारी और मेरे बीच में वार्ता हुई। उनकी जो 28 सूत्री मांगें थीं उन सब पर बहुत ही सन्तोषजनक बातें हुई हैं

(व्यवधान)

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जो फैसला हुआ है उसका प्रारूप लिखित में तैयार किया जा रहा है। उनके प्रतिनिधियों ने इस सदन को सूचित करने के लिए कहा है कि बातचीत सन्तोषजनक हुई है और जो बातचीत हुई है उसको वे महासंघ के सामने रखेंगे। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि उनकी ओर से कोई उत्तेजनात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बहुत सी मांगें मंजूर हो गयी हैं तो अन्य पर क्या चर्चा चल रही है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : क्या समझौता हो गया है माननीय मंत्री उन सब प्रश्नों से सदन को अवगत करायें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रतिनिधियों ने कहा है कि सदन को यह कहिये कि बात बहुत, ही सन्तोषजनक हुयी है। वे महासंघ के सामने उनको रखेंगे और उसके बाद निर्णय करेंगे। जितनी 28 सूत्री मांगें थीं सब पर सन्तोषजनक बातें हुयी हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : नवीन वेतन-मान कुछ को दिया जा रहा है और कुछ को नहीं दिया जा रहा है। मुख्यत जिसके बारे में आन्दोलन है उसके बारे में मंत्री महोदय बतायें कि क्या हुआ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जितनी बातें हुई हैं वे इनके और उनके बीच में हुई हैं और बहुत ही सन्तोषजनक हुई हैं। अब जो समझौता हो रहा है वह लिखित में तैयार किया जा रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो घोषणा हो रही है उनकी तरफ से, जो उन्होंने 15 तारीख को आत्मदाह की घोषणा की है तो कहीं वैसी परिस्थितियां न आ जायें..

(व्यवधान)

1-4-72 को देने की बजट में जो घोषणा की गई थी कनिष्ठों को तो देने के बारे में सोचा जा रहा है वरिष्ठों को देने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है? देंगे या नहीं देंगे? 28 मांगें हो सकती हैं लेकिन एक मुख्य मुद्दा है उसके बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि वरिष्ठ जो हैं, कम्पाउण्डर हैं उपवैद्य हैं उनको आपने जो 1-4-72 को देने की बजट में घोषणा की थी, उस घोषणा के बारे में क्या है?

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं एक यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सन्तोषजनक वार्ता की गई है उसमें धात्री उपवैद्य यथावत बने रहेंगे या कल्पवत तय करने जा रहे हैं। क्या वह कल्पवत बना रहेगा? यह बता दीजिये मैं मान जाऊंगा कि आपकी संतोषजनक बात हुई है?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने यह घोषणा कर दी है कि बहुत ही सन्तोषजनक सब मुद्दों पर बातें हुई हैं। वे अपने महासंघ को कन्सल्ट करना चाहते हैं। यह स्पष्ट हो गया है इसलिए विस्तार में जाना उचित नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया आपस में बातचीत न करें। ऑर्डर ऑर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा बड़ी सन्तोषजनक बात हुयी है। क्या सदन को यह विश्वास दिला रहे हैं आज ही उनका आन्दोलन समाप्त हो जायेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आशा यही करता हूं। मैंने उनसे निवेदन किया था कि इसका निर्णय दें पर वे उस परिस्थिति में नहीं थे। वे महासंघ के सामने सारी बात रखेंगे। वह उनके वश की बात नहीं है। उन्होने यह विश्वास दिलाया है कि कोई उत्तेजनात्मक कार्यवाही नहीं करेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उप-वैद्यों का कोई महासंघ नहीं है। मैं चैलेन्ज से कहता हूं कि धात्री उप-वैद्यों का कोई महासंघ या और संगठन नहीं है। आप बात किससे कर रहे हैं ? मेरा निवेदन यह है कि धात्री उप-वैद्यों का कोई महासंघ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब समझौते के निर्णायक दौर में वार्ता पहुंच गयी है तो उसमें कोई नया...

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप बात किससे कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा वातावरण नहीं बनायें...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बिचोलिये कौन आ गये ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर-ऑर्डर !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो सरकारी सूचना है, अधिसूचना है। वित्त विभाग की दिनांक 17-3-72 की जिसमें राजस्थान सिविल सेवा वेतनमान नियम, 1969 लिखा हुआ है, गवर्नमेंट की अधिसूचना है। अब तक पालन नहीं किया। केवल मात्र एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मुझे उत्तर दिलावें। जो वेतनमान थे वह नहीं दिये गये जो 68 से दिये जाने वाले थे।

यह दिये जाने के बारे में बात करके आये हैं या नहीं ? केवल इसका उत्तर दे दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हरएक मांग पर बात हो गई है। उनकी सहमति से बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : कृपया मन्त्री महोदय एक बात बता दें, धात्रियों का कौन प्रतिनिधि था ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। जब सौहार्दपूर्ण

(श्री अध्यक्ष)
वातावरण में उनकी बात हो गई है। अब आप यह प्रश्न उठायें कि कौन वार्ता कर रहा है ? किसको अधिकार है। हमको यह मानकर चलना चाहिए, सही बात कही गई है। अब इस बारे में ज्यादा नहीं कहें।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह डिमाण्ड है मेरी ·····

(व्यवधान)

कौन व्यक्ति बात कर रहे थे ? हमें एक बात का जवाब दे दें। आयुर्वेद धात्री उपवैद्य परिषद् ने 28 सूत्री मांग-पत्र दिया है। साढ़े तीन घण्टे तक आपने बात की है। संगठन के कौन पदाधिकारी थे ?

श्री अध्यक्ष : बातचीत हो गई है। इन प्रश्नों में अब अपन नहीं जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : समझौता हो रहा है, उसमें बाधक बनते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर कोई दुर्घटना घटित हुई ···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह तो अभी होने जा रही थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिन लोगों से आपने बात की है क्या उन लोगों के हाथ में यह आन्दोलन वापस लेने का अधिकार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन्होंने कहा है, हम महासंघ के सामने बात रखेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसमें कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मौजूद थे, उनके साथ में उनके और सदस्य आये थे। सभी से बात हुई है। महासंघ के सामने अपनी बात रखेंगे, यह उन्होंने कहा है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से शिक्षकों में दो गुट हैं, एक सनाढ्य गुट है और एक शेखावत गुट है, इसी प्रकार से इनमें भी दो गुट हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि क्या आप किसी और गुट से बात कर रहे हैं ? वह कौन हैं, जिनसे आपकी बातचीत हुई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत बाद में प्रश्न उठा रहे हैं। इस प्रश्न को आप उस समय कह देते जब यह बात कर रहे थे तो यह रेलेवेण्ट होता। अब यह प्रश्न लाना कि किससे बात हुई है, उचित नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, नाम बताने में क्या हो जाएगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। शान्त रहें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर आया है, उससे

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

हम बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं हुए हैं। महासंघ से रिलेटेड हैं, वह कौन से हैं? माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह जाकर बात करेंगे। क्या माननीय मन्त्री महोदय इस स्थिति में हैं कि वह आन्दोलन वापस ले लेंगे?

श्री अध्यक्ष : वही तो मुझे आशंका प्रतीत हुई।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कौन आन्दोलन चला रहा है, यह आपके सोचने की बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नया विवाद पैदा करना मैं उचित नहीं समझता हूं।

श्री दाउदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह उचित नहीं है।

श्रीमती कमला : आप थोड़ी आशा रखिये। नतीजा अच्छा निकलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : किससे बात हुई है, यह तो बतायें। क्या बात हुई, यह भले ही न बतायें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मुझे ऐसा लगता है, इस सारे मामले में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर आपको ऐसी आशंका थी तो 4 घण्टा पहले से यह बात हो रही थी, आप यह जानकारी कर सकते थे किस गुट के साथ बात हो रही है।

(व्यवधान)

अब आपको यह आशंका कैसे हो रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा: कोई प्रतिनिधि नहीं था। माननीय मन्त्री महोदय ने कोई नाम नहीं लिये हैं।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्री जी को चलाना है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जो बातें हुई हैं, सभी के सामने हुई हैं। डिपार्टमेण्ट के सैक्रेटरी मौजूद थे। आयुर्वेद के डायरेक्टर मौजूद थे। महासंघ के प्रतिनिधि मौजूद थे। सब जानते हैं। उनके साथ में जो सदस्य आये थे, सभी से बातें हुई हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप क्या कह रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मन्त्री महोदय ने नहीं किया है। वह कुछ भी नहीं कह रहे हैं।

(व्यवधान)

मन्त्री महोदय की सारी जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई । सदन की कार्यवाही ।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय,……

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं…

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, कृपया शान्त रहें । श्री चतुर्वेदी !

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरा निवेदन है कि…

(व्यवधान)

आप करेंगे क्या—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे बात नहीं करें ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक धात्री उपवैद्य 15 अगस्त को आत्म-दाह करने वाले हैं । मैं माननीय चिकित्सा मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या उन्होंने आपको आश्वासन दे दिया कि वह नहीं होगा, आन्दोलन समाप्त हो जायेगा…

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : मन्त्री महोदय ने स्पष्ट कह दिया कि कोई उत्तेजनात्मक कार्यवाही नहीं होगी । यह स्पष्ट कह दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य । ऑर्डर प्लीज ।

श्री सूरजपालसिंह : उत्तेजनात्मक कार्यवाही नहीं होगी ।

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान में 25 हजार धात्री उपवैद्य हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, मन्त्री महोदय,

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया है

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : मन्त्री महोदय ने बात कर ली है । बात करने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने सदन को बार बार निवेदन किया है कि उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि वे आत्मदाह नहीं करेंगे और कोई उत्तेजनात्मक कार्यवाही नहीं होगी ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप क्या करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 18 अगस्त, 1980 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.24 बजे सोमवार, दिनांक 18 अगस्त, 1980 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(190)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न सं. 490 की सूची

राजस्थान में कार्यरत प्रयोगशालाओं की सूची जहां खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच की जाती है

1.	केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर		एक
2.	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सीकर		एक
3.	-यथा-	भरतपुर	एक
4.	-यथा-	जोधपुर	एक
5.	-यथा-	उदयपुर	एक
6.	-यथा-	अजमेर	एक
7.	-यथा-	श्री गंगानगर	एक
8.	-यथा-	बांसवाड़ा	एक
9.	-यथा-	कोटा	एक
10.	-यथा-	भीलवाड़ा	एक
11.	-यथा-	बीकानेर	एक
12.	-यथा-	अलवर	एक

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न सं. 491 की सूची

बसों को परमिट दिये हुये की सूची

1.	श्री संतोष कुमार कावरा	आर. जे. के.	4115
2.	श्री लादूराम एण्ड कं.	आर. जे. आई.	718
3.	श्री गजानंद	आर. जे. बी.	464
4.	श्री परमेश्वरी प्रसाद	आर. जे. पी.	1847
5.	श्री रामकिशन शर्मा	आर. एस. एम.	969
6.	श्री जानकी लाल	आर. जे. बी.	1846
7.	श्री घासीराम	आर. जे. बी.	2581
8.	श्री उम्मेदसिंह	आर. जे. बी.	1201
9.	श्री रामविलास सोनी	आर. जे. बी.	1425
10.	श्री माली राम	आर. जे. बी.	1493
11.	श्री मुकारब खां	आर. जे. बी.	1491
12.	श्री जुगलकिशोर सत्यनारायण	आर. जे. बी.	1494
13.	श्री शौकीन महो.	आर. जे. यू.	2526
14.	श्री चिरंजी लाल	आर. जे. एल.	7935
15.	श्री छोटूखां	आर. एस. क्यू	6422
16.	श्री कुशाल सिंह	आर. जे. बी.	1969
17.	श्री भागीरथ मल	आर. जे. एल.	6901
18.	श्री सीताराम शर्मा	आर. जे. बी.	1052
19.	श्री सीताराम फागलवाल	आर. जे. बी.	1461
20.	श्री भोला बक्स	आर. जे. बी.	1456
21.	श्री राधाकिशन	आर. जे. बी.	2219
22.	श्री पन्नालाल शर्मा	आर. जे. बी.	446
23.	श्री अब्दुल लतीफ अब्दुल सत्तार	आर. जे. बी	757
24.	श्री जगन्नाथ प्रसाद मनोहर लाल	आर. जे. बी.	491
25.	श्री संतोष कुमार कावरा	आर. जे. बी.	912
26.	श्री गजानंद वर्मा	आर. एस. एल.	494
27.	श्री बजरंगलाल	आर. जे. बी.	1366
28.	श्री खलील अहमद	आर. जे. बी.	2844
29.	श्री कुंज बिहारी	आर. जे. बी.	3008
30.	श्री इब्राहिम खां	आर. जे. बी.	1527

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जिला झुन्झुनू में क्रियाशील राजकीय औषधालय

494. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झुन्झुनू जिले में कितने राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय हैं ?

(2) कितने गांवों में जन सहयोग से भवन बनाये जाने के बावजूद वहां आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोले गये और अब कब तक खोल दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) झुन्झुनू जिले में 109 आयुर्वेदिक चिकित्सालय/औषधालय हैं।

(2) विभाग में उपलब्ध सूचना के आधार पर सात गांवों में जन सहयोग से भवन निर्मित हैं, किन्तु वहां आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोले गये हैं।

बजट पारित होने के बाद। नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों के वेतन का भुगतान और अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करना

495. श्रीमती कमला (सागवाड़ा) : क्या सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य को अकाल राहत कार्यों के लिये चालू वर्ष 1980-81 में रु. 20 करोड़ आवंटित किये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि गेहूं के अभाव में मजदूरों को तहसीलों में मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है और भील बेल्ट में, विशेषकर आदिवासी मजदूरी न मिलने के कारण भुखमरी की स्थिति में पहुंच गये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि भील क्षेत्रों में एक ओर तो अकाल राहत कार्य बन्द पड़े हैं और दूसरी ओर उन्हें दो तीन माह का वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और यही स्थिति अन्यत्र भी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) सरकार मजदूरी के भुगतान और अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने की व्यवस्था कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सरकार ने राज्य को अकाल राहत कार्यों के लिए चालू वित्त वर्ष 1980-81 में 1532 लाख रु. की अग्रिम आयोजना सहायता उपलब्ध कराई तथा राज्य सरकार के पास उपलब्ध 774 लाख की मार्जिन-मनी में से राहत कार्यों के लिये 478.75 लाख की सीमा बन्दी की। इस प्रकार से 2010.75 लाख की राशि इन राहत कार्यों के लिए उपलब्ध हुई।

(2) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कार्यों पर लगे हुये मजदूरों को

(सहायता मन्त्री)
31-5-80 तक की मजदूरी का भुगतान समस्त जिलों में किया जा चुका है । राज्य के कुछ जिलों में तो 15-6-80 तथा 30-6-80 तक की अवधि का भी भुगतान किया जा चुका है । भीलबेल्ट के आदिवासियों को मजदूरी नहीं मिलने के कारण भुखमरी की कोई सूचना जिलाधीशों को प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) जी नहीं । जन जाति क्षेत्रों में राहत कार्य अभी बन्द नहीं किये गये हैं । दूसरे जिलों की भांति भील क्षेत्र के जिलों में भी राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान 31-5-80 तक की अवधि का हो चुका है । भुगतान में देरी के निम्न कारण हैं:—

1. परिवेक्षक तकनीकी कर्मचारियों का अभाव जिसके कारण मस्टर रोल और एम. बी. पूरी करने में विलम्ब हुआ ।

2. श्रमिकों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ।

3. कुछ स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर खाद्यान्न की यथा-समय उपलब्धि न होना ।

4. भारत सरकार से अपर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का आवंटन 4.08 लाख मैं. टन के विरुद्ध केवल 1 लाख 10 हजार मै. टन का हुआ । अभी हाल 20 हजार मैट्रिक टन का आवंटन और प्राप्त हुआ है ।

5. रेलवे से खाद्यान्नों की ढुलाई के लिये स्पेशल गाड़ियां एवं वैगन समय पर न मिलना तथा अन्य यातायात की कठिनाइयां जिसमें चुनावों के कारण ट्रक आदि का न मिलना भी सम्मिलित है ।

राज्य सरकार बकाया मजदूरी के भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। भारत सरकार से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न के आवंटन के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं । अभी हाल 20 हजार मै. टन का आवंटन और प्राप्त हुआ है जिसका विभिन्न जिलों को आवंटन कर दिया गया है। पिछले दिनों जनजाति क्षेत्रों में पहले से ही काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कार्य चल रहे हैं । शेष क्षेत्रों में ऐसे कार्य जो अग्रिम आयोजना सहायता के अन्तर्गत प्राप्त राशि से निष्पादित हो रहे हैं उनको 15 अगस्त, 1980 तक चालू रखने के निर्देश दिये हैं। यह कार्य ऐसे कार्य होंगे जो आयोजना अंशदान के मानदण्ड के अनुरूप सही एवं खरे हैं। ऐसे छोटे छोटे सामुदायिक ग्रामीण विकास के अधूरे कार्य जो विशिष्ट कार्य के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत करवाये जा रहे थे उनको भारत सरकार की नये राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के नीचे आगामी माहों में पूरे कराये जाने का प्रयास किया जायेगा ।

जयपुर-जोधपुर डीलक्स बस सेवा पुनः प्रारम्भ करना

496. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी).

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाडा)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा):

क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 17 जुलाई, 1980 को जयपुर से जोधपुर म. प. 3.15 बजे चलने वाली रोडवेज बस में कितनी सवारियां थीं व उसका कितना किराया प्राप्त हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर-जोधपुर डीलक्स बस जो जयपुर से म. प. 2.45 बजे रवाना होती थी उस बस को निगम ने बन्द कर दी है, जब कि प्रति दिन जोधपुर से चलने वाली दिन में अन्तिम बस, जो म. प. 3.15 बजे रवाना होती है, उसमें निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में सवारियाँ भरी रहती हैं ? यदि हां, तो उक्त डीलक्स बस को बन्द करने के क्या कारण रहे हैं ? इसे पुनः चालू करने के बारे में निगम का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) दिनांक 17-7-80 को जयपुर से जोधपुर 3.15 पी.एम. पर चलने वाली वाहन में जयपुर से विभिन्न स्थानों के लिए 44 यात्री बैठे एवं 480.70 रुपया किराया राशि प्राप्त हुई।

(2) यह सही है कि जयपुर से 2.45 पी.एम. पर रवाना होने वाली डीलक्स बस को मरुधर एक्सप्रेस प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् यात्रीभार कम होने की वजह से दिनांक 30-5-80 से बन्द कर दिया गया था, किन्तु जयपुर-जोधपुर मार्ग के यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पुनः यह सेवा दिनांक 31-7-80 से प्रारम्भ कर दी गई थी किन्तु उक्त बस को भी पर्याप्त मात्रा में यात्रीभार न मिलने की वजह से उक्त सेवा को बन्द कर उसके स्थान पर सेमी डीलक्स सेवा 7-8-80 से जयपुर से 15.45 पी. एम. व जोधपुर से 7.00 बजे प्रारम्भ कर दी गई है। जोधपुर से 3.15 पी. एम. पर कोई बस संचालित नहीं होती है तथा यह समय जयपुर से संचालित होने का है।

तहसील राजगढ़ (अलवर) में बालवाड़ी स्थापित करना

497. श्री समर्थलाल (राजगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील राजगढ़ (अलवर) में विभाग द्वारा बालवाड़ी योजना स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो योजना की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी हां। राजगढ़ के लिये भारत सरकार द्वारा समन्वित बाल विकास सेवा परियोजना स्वीकृत की गई है जिसके प्रारम्भ करने की पूर्व की तैयारियां की जा रही हैं। योजना शीघ्र ही प्रारम्भ करदी जायेगी।

नगरपालिका हेतु निर्धारित नॉर्म्स की पूर्ति की स्थिति में पंचायतों को पालिकाओं में क्रमोन्नति

498. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खण्डार की आबादी नगरपालिका बनने योग्य होते हुए भी अभी तक

(श्री चुन्नीलाल)
वहां नगरपालिका नहीं बनाये जाने के-क्या कारण हैं ?

(2) क्या सरकार ऐसी ग्राम पंचायतों को नगरपालिकाओं में परिणित करने का विचार रखती है जिनकी आबादी नगर-पालिका बनाने की सीमा में आती है ?

उत्तर

(1) खण्डार की आबादी नगरपालिका बनने योग्य नहीं है।

(2) नगरपालिका में परिणित करने के लिए जनसंख्या उपादेयता आदि सभी पहलुओं पर विचार कर निर्णय लिया जाता है।

महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर से अन्यत्र स्थानान्तरित रोग निदान विभाग

499. श्री अहमदबक्श सिन्धी (जोधपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर से चक्षु रोग, चर्म रोग, दांत रोग व मानसिक रोग विभागों को हटा कर शास्त्रीनगर स्थानान्तरित कर दिया गया है, जिससे जनसाधारण को बहुत असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो इन विभागों को तुरन्त पुनः महात्मा गांधी अस्पताल में स्थापित करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

विभागों के स्थानान्तरण से कोई असुविधा नहीं हुई है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासियों को साक्षर बनाने हेतु योजना तैयार करना

500. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के अन्य जिलों के मुकाबले आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में साक्षरता का क्या अनुपात है ?

(2) क्या आदिवासियों को साक्षर बनाने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

उत्तर

(1) राज्य के अन्य जिलों के मुकाबले में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में साक्षरता का अनुपात 1:0.68 है। राजस्थान राज्य में साक्षरता 19.07 प्रतिशत है, जब कि जन जाति उपयोजना क्षेत्र में यह प्रतिशत 12.91 है।

(2) आदिवासियों को साक्षर बनाने के लिए जन जाति उपयोजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। आदिवासियों को साक्षर बनाने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना अभी तक नहीं बनाई गई है।

महुआ तहसील की फर्म को नियंत्रण आदेश के विपरीत केरोसिन का आवंटन

501. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली): क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि डीजल व केरोसिन की बिक्री पर लागू नियंत्रण आदेश के

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

विपरीत सवाई माधोपुर जिले में महुआ तहसील की एक फर्म को इस वर्ष बिक्री हेतु 10 हजार लीटर केरोसिन एक साथ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों व संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

जी हां, इस प्रकरण की जांच की जा रही है, जाच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह निर्णय लिया जावेगा कि संबन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय।

लूणकरणसर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कृषि व पशु विज्ञान विषय खोलना

502. श्री मालूराम लेघा (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि शिक्षित युवकों को स्व-रोजगार के साधन उपलब्ध कराने तथा स्थानीय सरकारी कृषि एवं पशुपालक अनुसंधान केन्द्र का अध्यापन हेतु उपयोग होने के प्रयोजन से, कस्बा लूणकरणसर तहसील मुख्यालय स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कृषि एवं पशु विज्ञान विषयों के अध्यापन हेतु काफी लम्बे समय से मांग चल रही है ? यदि हां, तो सरकार का इस मांग को क्रियान्वित करने के बारे में क्या विचार है।

उत्तर

जी हां। नए विषय खोलने के प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

जयपुर की उपनगरी कान्तिनगर में डाली गई गटर लाइन से उत्पन्न समस्या

503. श्री रामकंवार बैरवा (कामां), क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कान्तिनगर जयपुर में नगर परिषद्, जयपुर द्वारा प्लिन्थ लेवल से दो फीट ऊपर गटर लाइन डाली गई थी ? यदि हां, तो किस कारण ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त लाइन को कान्तिनगर के दूसरे छोर पर कच्ची बस्ती तक नहीं पहुंचाने के कारण वहां के दलित वर्ग के लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो वहां गटर लाइन कब तक डाल दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कच्ची बस्ती तक गटर लाइन डाली हुई है।

नसीराबाद कस्बे में अवस्थित राजकीय औषधालय

504. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या नसीराबाद कस्बे में कोई राजकीय औषधालय है ? यदि हां, तो यह

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

किस भवन में स्थित है और क्या यह भवन औषधालय के लिये उपयुक्त है ?

उत्तर

जी हां।

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय नसीराबाद श्री प्रेमरतन नागोलिया के नि:शुल्क भवन में स्थित है। भवन औषधालय के लिये उपयुक्त नहीं है।

पथ परिवहन निगम की एटक यूनियन

505. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की एटक को यूनियन की मान्यता कब तक थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त यूनियन की मान्यता तिथि समाप्त हो चुकी है फिर भी मान्यता के साथ दी जाने वाली सुविधाएं जारी रखी गई हैं ? यदि हां, तो सरकार अमान्य उक्त यूनियन की सुविधाएं कब समाप्त करेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम में एटक यूनियन को चुनाव के आधार पर मान्यता की अवधि दो वर्ष अर्थात् दिनांक 19-4-78 से 18-4-80 के लिये थी।

(2) उक्त यूनियन की मान्यता तिथि समाप्त हो जाने के बाद मान्यता के प्रश्न पर विधिवत् विचार किया जा रहा है। शीघ्र ही निर्णय लेकर कदम उठाये जायेंगे।

नाथद्वारा में नगर विकास न्यास का पुनः गठन करना

506. श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि नाथद्वारा में नगर विकास न्यास था ? यदि हां, तो इसे भंग करने के क्या कारण थे ?

(2) क्या जनहित में सरकार पुनर्विचार कर वहां विकास न्यास गठित करेगी? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, नाथद्वारा की जनसंख्या बहुत कम तथा छोटा शहर होने के कारण नगरपालिका एवं नगर विकास न्यास दो संस्थाएं होना उपयोगी नहीं समझा गया, अतः न्यास भंग कर दिया गया।

(2) अभी कोई विचार नहीं है।

आमेर महल को चलचित्र शूटिंग के कारण क्षति पहुंचना

507. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या आमेर महल के पुरातात्विक अवशेषों को पिछले दिनों "बगावत" फिल्म की शूटिंग के दौरान नुकसान पहुंचा है ? यदि हां, तो क्या क्या नुकसान हुआ व उसके अवशेष अब कहां हैं ?

(श्री नाथूसिंह)

(2) शूटिंग पार्टी से हर्जाने के रूप में कितनी राशि वसूल की गई है ?

(3) क्या अवशेषों को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी अपने साथ ले जा सकती है ? यदि नहीं, तो क्या संग्रहालय में ही रहते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। एक जाली का कुछ भाग टूटा था। कुछ अवशेष तो वहां मौके पर लगे हुये हैं और कुछ छोटे टुकड़े एकत्रित कर वहीं रखवा दिये गये हैं।

(2) हर्जाने के रूप में 10,500/-(दस हजार पांच सौ) रुपये वसूल किये गये।

(3) जी नहीं। अवशेष स्मारक या अन्य सुरक्षित स्थान पर रखे जाते हैं।

श्री गंगानगर की आबादी में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि के संदर्भ में जल प्रदाय की व्यवस्था

508 श्री राधेश्याम (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर में वाटर वर्क्स का प्रारम्भ में निर्माण 30,000 की जनसंख्या की पूर्ति के लिये किया गया था, जब कि वर्तमान में शहर की आबादी लगभग 1.55 लाख है ? बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुये पेयजल प्रदाय बढ़ाने के लिये क्या सरकार के समक्ष कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो सरकार बढ़ती हुई आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

(2) क्या जिला प्रशासन की यह जानकारी में है कि संभ्रान्त महिलायें रात्रि में काफी समय जागकर पानी भरती हैं जिसके फलस्वरूप काफी असुविधा होती है ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर में पेयजल सप्लाई बढ़ाये जाने हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा संशोधित पेयजल सप्लाई स्कीम बनाई गई है। योजनानुसार प्रथम चरण का कार्य हो चुका है एवं द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण होना बाकी है। योजना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) संशोधित पेयजल सप्लाई योजना पूर्ण होने पर यह समस्या नहीं रहेगी।

द्वितीय चरण में निम्न कार्य अभी बाकी हैं:—

1. आर. सी. सी. टैंक 2 नग बनाना।
2. फिल्टर प्लान्ट बनाना एक
3. इनलैट चैनल निर्माण
4. पम्प वैल का निर्माण
5. सेडीमेंटेशन टैंक्स 55 लाख के 5 टैंक बनाने (जिसमें 2 टैंक की क्षमता का एक टैंक बनवाया जा रहा है)।
6. मेन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन्स।
7. पम्प क्रय करना।

बीकानेर नगर स्थित आयुर्वेदिक महाविद्यालय

509. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर शहर में आयुर्वेद महाविद्यालय सरकार द्वारा किन कारणों से बंद किया गया ? क्या यह सही है कि अब इस विशाल भवन को प्रबन्धकारिणी द्वारा किन्हीं संस्थाओं को किराये पर दिया गया है, जब कि उस सनातन धर्म आयुर्वेद महाविद्यालय समिति संस्था के विधान में स्पष्ट उल्लेख है कि इस भवन को केवल आयुर्वेद जगत की सेवा के लिए ही काम में लिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भवन को पहले रामपुरिया कॉलेज के छात्रावास हेतु किराये पर दिया गया था और मोहल्लावासियों द्वारा आयुर्वेद निदेशक को शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भवन को रु. 1200 माहवार पर किराये पर उठाने पर निदेशक आयुर्वेद के खिलाफ जांच की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भवन के पीछे इस संस्था के पदाधिकारियों ने सरकारी भूमि पर नाजायज रूप से बगैर इजाजत तामीर कर मकान बना लिये हैं और मकान में रहना प्रारम्भ कर दिया है ?

उत्तर

(1) मामला निजी संस्था का है अत: राज्य सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(2) जी हां। आयुर्वेद निदेशालय में कोई शिकायत उपलब्ध नहीं है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह एक निजी संस्था है।

(4) जी नहीं।

पाली जिले में विभिन्न स्तर के अतिरिक्त विद्यालय खोलना

510. श्री मुन्ना लाल गोयल (रायपुर) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सरकार पाली जिले में कहां कहां प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

नए विद्यालय खोलने के प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। नये विद्यालय स्थान विशेष की परिस्थिति, अन्य स्कूलों की दूरी, भौगोलिक स्थिति, भवन व्यवस्था आदि को ध्यान में रखकर खोले जावेंगे।

उदयपुर नगर में अवस्थित टाउन हॉल

511. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की करेंगे:—

(1) उदयपुर नगरपालिका द्वारा बनाये जा रहे टाउन हाल का कार्य कब प्रारम्भ हुआ एवं कितना-कितना धन किस-किस वर्ष खर्च किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक उक्त हॉल का कोई उपयोग नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) टाउन हाल का निर्माण 1-1-57 से प्रारम्भ हुआ। वर्षवार व्यय का विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं।

कार्यालय नगर परिषद्, उदयपुर (राज.)

नगर परिषद् द्वारा निर्माणाधीन टाउन हाल पर किये गये व्यय का
वर्षवार विवरण 1-1-57 से 10-8-80 तक

वर्ष		किया गया व्यय
1956-57		25,000.00
1957-58		1,25,000.00
1958-59		1,27,303.00
1959-60		41,984.65
1960-61		30,008.15
1961-62		06,594.08
1962-63		—
1963-64		2,68,160.78
1964-65		91,887.47
1965-66		—
1966-67		—
1967-68		2,468.60
1968-69		11,206.06
1969-70		—
1970-71		—
1971-72		5,676.75
1972-73		—
1973-74		61,248.73
1974-75		39,263.61
1975-76		—
1976-77		1,36,226.00
1977-78		6,62,782.00
1978-79		7,591.00
1979-80		—
1980-81	(10-8-80 तक)	76,581.80
	योग ...	17,19,000.68

आयुक्त,
नगर परिषद् उदयपुर

201

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 397 की सूची

क्र॰ सं॰	ग्राम का नाम	कार्य का विवरण
1	2	3
1.	मलावबासनी	प्रा॰ शाला निर्माण
2.	घोलूसा	मानकर तालाब खुदाई
3.	,,	मारिया तालाब खुदाई
4.	सीकर बस स्टेण्ड से खिचयावास मीग्रेवल रोड तक	
5.	फोगड़ी	कुई पर पानी का होज निर्माण
6.	खुडी	कुइ मरम्मत
7.	पावा	,,
8.	खुडी	नाडिया तालाब खुदाई
9.	कुन्चेटिया	प्रा॰ शा॰ होज निर्माण
10.	पावा	,, भवन निर्माण
11.	भवाद	डेढ नाड़ी खुदाई
12.	पयली	मिस्तानी तलाई खुदाई
13.	तोलियासर	जाटानी तालाब खुदाई
14.	भुवा	सांड शाला निर्माण
15.	तोलियासर	भूतानी तालाब खुदाई
16.	बेरी खुर्द	जबरामा तालाब खुदाई
17.	,,	सांड शाला निर्माण
18.	,,	ठेहाला तालाब खुदाई
19.	,,	पंचायत भवन निर्माण
20.	सुद्रासन	गवाई कुआ मरम्मत व होज निर्माण
21.	,,	पंचायत भवन निर्माण
22.	क्यामसर	सांड शाला निर्माण
23.	सुद्रासन	विश्रामगृह निर्माण
24.	माडवासर	मरकानी नाड़ी खुदाई
25.	खानड़ी	प्राथमिक शाला निर्माण
26.	बाकीपुरा	,, भवन निर्माण

1	2	3
27.	धनकोली	तोराना तालाब खुदाई
28.	रिकएवास	गवाई कुआ निर्माण
29.	धनकोली	पंचायत भवन व दुकानों का निर्माण
30.	मालियों की ढाणी	धर्मशाला भवन निर्माण
31.	छोटी खाटू	पक्का खुरा निर्माण
32.	,,	नाली व खुरा निर्माण
33.	,,	नाली व खुरा निर्माण
34.	,,	,,
35.	,,	कुम्हार खानिकों का तालाब खुदाई
36.	,,	कुमराव तालाब खुदाई
37.	ढाणी छाबड़ा	तालाब खुदाई
38.	,,	कुई खुदवाई
39.	केराप	ककराना तालाब खुदाई
40.	,,	सांड शाला निर्माण
41.	मामड़ोदा	उ. प्रा. वि. भवन का निर्माण
42.	केराप	केराप से मामड़ोदा तक ग्रेवल रोड़
43.	,,	अपूर्ण सांड शाला की मरम्मत
44.	मन्डूकरा	सांड शाला का निर्माण
45.	खरवालिया	स्कूल, भवन मरम्मत व चार दीवारी निर्माण
46.	कल्यान पुरा	गवाई नाडी खुदाई
47.	बगरवारिया	टेकगली नाडी खुदाई
48.	खरवालिया	नई सांड शाला निर्माण
49.	मन्डूकरा	दूदोलाई नाडी की खुदाई
50.	खरवालिया	बीजोलाई नाडी खुदाई
51.	सूपला	सांड शाला निर्माण
52.	,,	गेट दो बस स्टेण्ड पर व सार्वजनिक तालाब की खुदाई
53.	अम्बापा	प्राथमिक शाला में पानी का होज निर्माण
54.	खानू	सांड शाला निर्माण
55.	सेवा	प्रा. शा. में दो कमरों का निर्माण
56.	अम्बासा	प्रा. शाला में दो कमरों का निर्माण
57.	खाखोली	सार्वजनिक कुए पर खुरा निर्माण
58.	,,	पंचायत भवन निर्माण
59	तारपुरा	लाखाना तालाब की खुदाई

Page No. 203

1	2	3
60.	खाखोली	डूडाना तालाब की खुदाई
61.	बाटड़ी	प्रा. शा. में कमरा मरम्मत कार्य
62.	सागू कला	सांडशाला निर्माण
63.	सागू खुर्द	सांड शाला निर्माण
64.	बांटड़ी	जारूड़ा तालाब की खुदवाई
65.	सागू कला	राजकीय मा. वि. भवन मरम्मत
66.	बिचावा	औषधालय की बाउण्ड्री निर्माण
67.	पान्डोराई	प्रा. शाला में कमरा निर्माण
68.	गणेशपुरा	प्रा. शाला की मरम्मत व बरामदा निर्माण
69.	बांसा	तलाई खुदाई
70.	,,	खुरा निर्माण
71.	तोषीणा	रोडूराव तालाब की खुदाई
72.	बगतपुरा	प्रा. शाला भवन की मरम्मत
73.	,,	सांड शाला निर्माण
74.	तोषीणा	गंवाई कुए पर खुरा निर्माण
75.	पालोट	प्रा. शाला भवन मरम्मत
76.	दूदोली	सांड शाला मरम्मत
77.	पालोट	,, ,,
78.	पालोट	कुआ मरम्मत
79.	,,	पालोट से दूदोली सड़क ग्रेवल रोड़
80.	दूदोली	नाडी वाली कुए का निर्माण
81.	पालोट	पालोट से चौमू तक ग्रेवल रोड
82.	सीधाना	बोदरी नाडी खुदाई
83.	,,	सथाना से चारडिया तक ग्रेवल रोड
84.	आजवा	माजणा नाडी खुदवाई
85.	गिलाबासनी	पानी निकास नाला निर्माण
86.	चक	सांड शाला निर्माण
87.	दादूवसनी	कुम्हार नाडी खुदवाई
88.	सिघाना	सांड शाला मरम्मत व चार दिवारी
89.	सिगराव खुर्द	स्कूल भवन की मरम्मत
90.	सिगवाट खुर्द	स्कूल भवन की बाउण्ड्री निर्माण
91.	ब्यावा	प्रा. शाला भवन की मरम्मत
92.	यारेश	गवांई कुए के पास खरंजा व नाली का निर्माण
93.	सिगरावट खुर्द	धारणावाली नाडी की खुदवाई

1	2	3
94.	खरेस	देवड़ा की नाडी खुदवाई
95.	खरेस	पंचायत भवन निर्माण
96.	भागुन्ता	पंचायत भवन निर्माण
97.	,,	प्रा. शाला में कमरा निर्माण
98.	भागुन्ता	प्रा. शाला भवन की मरम्मत
99.	बूडोद	सांड शाला का निर्माण
100.	लोरोली खुर्द	प्रा. शाला भवन निर्माण
101.	मोलासर	सांड शाला मरम्मत
102.	,,	फाटक दीवार मरम्मत
103.	,,	गिराना तालाब खुदाई
104.	गोदरास	खाती नाडी खुदाई
105.	खुनखुना	गडवा नाडी खुदाई
106.	,,	किरडिया नाडी खुदाई
107.	खुनखुना कोठानी	खरंजा एवं कूप मरम्मत
108.	खुनखुना	प्रा. शाला में कमरा निर्माण
109.	रघनाथपुरा	गढेल नाडी की खुदाई
110.	,,	मेलाना तालाब खुदाई
111.	आकोदा	पिपली वाली नाड़ी की खुदवाई
112.	अलजपुरा	प्रा. शाला भवन की मरम्मत
113.	,,	खेरवाला तालाब की खुदवाई
114.	कीचक	खलाना तालाब की खुदाई
115.	अलखपुरा	बरबाना तालाब की खुदाई
116.	,,	प्रा. शाला में कमरा निर्माण
117.	सवा	सार्वजनिक होज की मरम्मत
118.	,,	गवाई कुऐ की मरम्मत
119.	सानिया	प्रा. शाला की मरम्मत
120.	पाटन	,, ,,
121.	गडा	,, ,,
122.	चांदबासनी	पिरथी तालाब की खुदाई
123.	पठानो का वास	ककराई तलाई की खुदवाई
124.	अमरपुरा	इन्दोखी तलाई खुदाई
125.	छापरी कल्ला	कुवा की मरम्मत व होज निर्माण
126.	सरदारपुरा कल्ला	कुवे की मरम्मत
127.	चुगनी	कुवे पर होज निर्माण

1	2	3
128.	छापरी कल्ला	कुवा गंवाई पर होज निर्माण
129.	जानकीपुरा	मातवा तालाब की खुदाई
130.	रामसावास	प्रा. शाला में दो कमरों का निर्माण
131.	चचालिया	उ. प्रा. वि. में नया भवन निर्माण
132.	रायसिंगपुरा	दादोला की नाडी खुदाई
133.	,,	सोरडा तालाब की खुदाई
134.	,,	पूर्णसागर तालाब की खुदाई
135.	रसीदपुरा	प्रा. शाला भवन में दो कमरों का निर्माण
136.	निम्मोढ़	पेशाबघर निर्माण
137.	,,	फाटक छत निर्माण
138.	,,	जल निकास निर्माण
139.	दीनदारपुरा	प्रा. शाला भवन निर्माण
140.	,,	सोनिडा तालाब की खुदाई
141.	खारीया	गुणा तालाब की खुदवाई
142.	निम्मोद	उच्च. प्रा. शाला में कमरा निर्माण
143.	दीनदार पुरा	सोनीडा तालाब की खुदाई
144.	तनवासा	मंगलाना तालाब की खुदाई
145.	मोडियावट	गवाई कुवे की मरम्मत व खुदवाई एवं होज निर्माण
146.	दीनदारपुरा	पंचायत भवन निर्माण
147.	खारिया	प्रा. शाला में कमरों का निर्माण
148.	बरागना	उ. प्रा. वि. में कमरों का निर्माण
149.	डीकावा	प्रा. शा. भवन मरम्मत
150.	खुडी जिम्बी	अधूरे शाला भवन को पूरा करना
151.	बेगसर	बेगसा स्टैण्ड से ग्राम तक ग्रेवल रोड
152.	बेडवा	प्रा. शा. भवन मरम्मत
153.	खुडली	गवाढ़ कुवे की मरम्मत व पानी का होज निर्माण
154.	कणवाई	सांड शाला निर्माण
155.	ललासरी	पंचायत भवन निर्माण
156.	लूनोद	सांड शाला भवन निर्माण
157.	नेतडा की ढाणी	कुवे की मरम्मत
158.	कनवाई	जोजिसिंह तालाव खुदवाई
159.	बरडवा	कलमरी तालाब खुदवाई
160.	मावा	प्रा. शाला भवन निर्माण
161.	बरडवा	पीलवानी नाड़ी खुदवाई

1	2	3
162.	थेबड़ी	कुवे की मरम्मत
163.	गावड़ी	गवाई कुवे पर खुर्रा निर्माण
164.	,,	कुमारिया नाडी खुदवाई
165.	थेबड़ी	कुवे पर होज निर्माण
166.	खोजास	खेतोलाई नाडी खुदवाई
167.	गावड़ी	केसोलाई नाडी खुदवाई
168.	कोलिया	कोलिया से पालोट तक ग्रेवल रोड
169.	,,	रवनी नाडी खुदवाई
170.	,,	आदर्श नगर में ग्रेवल रोड
171.	,,	नेहरू पार्क बस स्टेण्ड पर
172.	,,	खातोलाई नाडी खुदाई
173.	पायली	कूप मरम्मत
174.	नूवा	बरसाती नाला निर्माण
175.	खुनखुना	खातोलाई नाडी खुदवाई
176.	तोषीना	पंचायत भवन निर्माण
177.	लेंगा की ढाणी	धर्मशाला भवन निर्माण
178.	कीचक	सार्व. होज निर्माण
179.	बेरी खुर्द	सार्व. कूप मरम्मत
180.	मालियों की ढाणी	धर्मशाला भवन निर्माण
181.	रिक्साबास	सांड शाला भवन निर्माण
182.	बांसा	उ. प्रा. वि. मे दो कमरों का निर्माण
183.	,,	सार्वजनिक गडा निर्माण
184.	मोलासर	पशु चिकित्सालय निर्माण
185.	,,	पंचायत भवन निर्माण
186.	चोलूखां	सार्व. कुवे पर होज निर्माण
187.	आकोदा	डूगलाई नाडी खुदवाई
188.	,,	ग्रेवल रोड बस स्टेण्ड से ग्राम तक
189.	,,	उ. प्रा. वि. मे दो कमरों का निर्माण
190.	डिगाल	लालु वाली नाडी की खुदवाई
191.	केराप	खोलाई नाडी खुदवाई
192.	,,	केराप से ढढेल तक ग्रेवल रोड
193.	,,	केराप से घुडीला तक ,,
194.	,,	उ. प्रा. वि. मे कमरों का निर्माण

1	2	3
195.	खारिया	सांड शाला भवन निर्माण
196.	निम्बी	समाज कल्याण व धर्मशाला निर्माण
197.	मन्दूकरा	प्रा. शा. भवन निर्माण
198.	सानिया	गवाई कुआ पर होज निर्माण
199.	गनेवर	गवाई कुये ,, ,,
200.	कल्वानी	केरली नाडी खुदाई
201.	पाटन	हरसानर तलाब खुदाई
202.	मडाम	वाडोलाइ नाडी खुदाई
203.	कल्वानी	गवाई नाडी खुदवाई
204.	श्यामसर	उ. प्रा. शा. में कमरों का निर्माण
205.	सुद्रासन	सांडशाला भवन निर्माण
206.	नोसर	सार्वजनिक कुये की मरम्मत
207.	भदालिया	अध्यापिका क्वार्टर की मरम्मत
208.	लायडीया	पंचायत भवन निर्माण
209.	,,	उ. प्रा. वि. में कमरों का निर्माण
210.	भदालिया	सांडशाला भवन निर्माण
211.	कुचेटिया	बूचिया तलाई की खुदाई
212.	खुडी	प्रा. शा. भवन निर्माण
213.	कोडिया	,, ,,
214.	पावा	गनेससागर तालाब की खुदवाई
215.	,,	प्रा. शाला में कमरों का निर्माण
216.	पालोट	पराई नाड़ी की खुदाई
217.	दौलतपुरा	पंचायत भवन निर्माण
218.	छोटी खाटू	निर्भय सागर तालाब खुदाई
219.	,,	पटवार घर से फोजमलजी पगारिया तक नाली व खुर्रा निर्माण
220.	थेबडी	प्रा. वि. भवन निर्माण
221.	गाबड़ी	,, ,, में एक कमरा निर्माण
222.	थेबडी	सार्व. धर्मशाला का निर्माण
223.	ढिबारिया	कुये की मरम्मत
224.	खोंजास	सार्व. गड्डा निर्माण
225.	खाखोली	सार्व. कुँयें से कबूलियाबास तक पाइप लाइन
226.	तारपुरा	सांड शाला निर्माण
227.	बुगालियों की ढाणी	प्रा. शाला भवन निर्माण

1	2	3
228.	गूजरों की ढाणी	कुए की मरम्मत
229.	आगुन्ता	प्रा. वि. में कमरे का निर्माण
230.	दयालपुरा	ठण्ड तलाई खुदाई
231.	,,	हाई स्कूल की मरम्मत
232.	पान्डोराई	रास्तो समतलीकरण
233.	,,	प्रा. वि. में कमरों का निर्माण
234.	दयालपुरा	पंचायत भवन निर्माण
235.	,,	हाई स्कूल में दो नये कमरों का निर्माण
236.	दावड़ा	उ. प्रा. वि. में कमरों का निर्माण
237.	ललासरी	उ. प्रा. वि. के अपूर्ण कार्य को पूरा करवाना
238.	,,	,, ,, में दो कमरों का निर्माण
239.	बेमोट	नई प्रा. शाला भवन निर्माण
240.	नवाई	प्रा. वि. में कमरों का निर्माण.
241.	ललासरी	धर्मशाला मरम्मत
242.	,,	खोंडाला तालाब की खुदाई
243.	खरेस	प्रा. शाला में कमरों का निर्माण
244.	पवा	प्रा. वि. में होज निर्माण
245.	डाबगांव	गवाई तालाब की खुदाई
246.	बांठडी	,, ,,
247.	बीचावा	,, ,,
248.	,,	खड्डे व रास्तों का समतलीकरण
249.	जानकीपुरा	प्रा. शाला में कमरों का निर्माण
250.	लोरोली खुर्द	प्रा. शाला भवन निर्माण

ह.

जिलाधीश, नागौर (सहायता)

परिशिष्ट—5

परिशिष्ट 'क'

अतारांकित प्रश्न संख्या 401 की सूची

केन्द्रीय व क्षेत्रीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों का विवरण केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर

खेल	अजमेर में आयोजित वर्ष 78-79	आबू पर्वत पर आयोजित वर्ष 79-80
	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
एथलेटिक्स	20	17
बैडमिन्टन	5	—
बास्केटबाल	18	12
क्रिकेट	20	21
फुटबाल	8	11
जिम्नास्टिक	3	—
हाकी	19	24
टेबिल टेनिस	8	—
वालीबाल	14	32
टेनिस	9	—
कुश्ती	5	—
कुल....	129	117

वर्ष 79-80 में आयोजित क्षेत्रिय प्रशिक्षण शिविरों का विवरण।

अजमेर—	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, क्रिकेट, फुटबाल, हाकी व कुश्ती	— 112 प्रशिक्षार्थी
बीकानेर—	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, साईकिलिंग, फुटबाल, जिम्नास्टिक, वालीबाल	— 76 प्रशिक्षार्थी
जोधपुर—	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, फुटबाल, जिम्नास्टिक, टेबिलटेनिस, वालीबाल	— 178 प्रशिक्षार्थी
कोटा—	टेबिल टेनिस, एथलेटिक्स, बास्केटबाल, क्रिकेट, फुटबाल, हाकी, वालीबाल	— 145 प्रशिक्षार्थी
नाथद्वारा—	कुश्ती	— 8 प्रशिक्षार्थी
भरतपुर—	कुश्ती	— 8 प्रशिक्षार्थी
गंगानगर—	एथलेटिक्स, हाकी, बास्केटबाल, कबड्डी, खो-खो, वालीबाल, कुश्ती	— 92 प्रशिक्षार्थी
उदयपुर—	एथलेटिक्स, हाकी, बास्केटबाल, फुटबाल, हाकी, कबड्डी, खो-खो, टेबिल टेनिस, वालीबाल	— 152 प्रशिक्षार्थी
जयपुर—	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, क्रिकेट, फुटबाल, जिम्नास्टिक, हाकी, कबड्डी, खो-खो, तैराकी, टेबिल टेनिस, वालीबाल	— 294 प्रशिक्षार्थी

परिशिष्ट 'क'

महिला प्रशिक्षण शिविर जो राष्ट्रीय महिला खेल-कूद मेलों में भाग लेने से पूर्व आयोजित किये गये—का विवरण

	(78-79) प्रशिक्षार्थियों की संख्या	(79-80) प्रशिक्षार्थियों की संख्या
हाकी	14	17
बास्केटबाल	10	8
जिम्नास्टिक	8	6
वालीबाल	10	4
एथलेटिक्स	6	5
बैडमिन्टन	—	4
टेबिल टेनिस	2	2
कबड्डी	—	9
खो-खो	—	9
योग....	50	64

अखिल भारतीय ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पूर्व आयोजित ग्रामीण खेल-कूद प्रशिक्षण शिविर का विवरण

खो-खो	19	22
कबड्डी	17	20
तीरन्दाजी	6	9
कुश्ती	4	7
हाकी	6	17
एथलेटिक्स	6	17
बास्केटबाल	9	17
फुटबाल	14	14
वालीबाल	10	11
जिम्नास्टिक	—	5
योग....	91	139

परिशिष्ट "क"

वर्ष 78-79 व 79-80 में आयोजित प्रशिक्षण
शिविरों का विवरण

विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पूर्व आयोजित प्रशिक्षण शिविर

खेल का नाम	78-79		79-80	
	शिविरों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
एथलेटिक्स	2	35	1	73
बैडमिन्टन	2	5	2	9
बास्केटबाल	4	73	5	89
क्रिकेट	—	—	3	42
साइकिलिंग	2	19	2	27
फुटबाल	2	25	3	55
जिम्नास्टिक्स	1	17	2	46
हाकी	3	45	1	17
कबड्डी	3	45	2	38
खो-खो	3	54	1	27
तैराकी	2	15	2	6
टेबिल टेनिस	2	15	1	11
वालीबाल	3	44	3	45
भारोत्तोलन	3	17	1	5
कुश्ती (ओलम्पिक पद्धति)	—	—	3	33
हैन्डबाल	1	24	2	48
साफ्टबाल	—	—	1	30
महिला क्रिकेट	—	—	1	11
साइकिल पोलो	—	—	1	9

परिशिष्ट "ख"

1978-79 में खेल-कूद संघों/संस्थाओं आदि को दिये गये अनुदान की सूची

1.	राजस्थान ऐथलेटिक संघ, अजमेर	45,815 12
2.	राजस्थान बैडमिन्टन संघ, जयपुर	29,405-29
3.	राजस्थान बास्केट संघ, जयपुर	29,639-20
4.	राजस्थान क्रिकेट संघ, जयपुर	21,831-09
5.	राजस्थान साइक्लिंग संघ, बीकानेर	16,291-37
6.	राजस्थान फुटबाल संघ, अजमेर	19,105-25
7.	राजस्थान जिम्नास्टिक संघ, जयपुर	8,828-97
8.	राजस्थान हाकी संघ, जयपुर	27,093-90
9.	राजस्थान महिला हाकी संघ, जयपुर	3,669-50
10.	राजस्थान कबड्डी संघ, जयपुर	24,731-80
11.	राजस्थान खो-खो संघ, जयपुर	34,378-94
12.	राजस्थान लॉन टेनिस संघ, जयपुर	1,108-00
13.	राजस्थान तैराकी संघ, अजमेर	13,815-40
14.	राजस्थान टेबिल टेनिस संघ	30,379-60
15.	राजस्थान वालीबाल संघ, जयपुर	33,279-03
16.	राजस्थान कुश्ती संघ, (भा. प.) जयपुर	8,711-02
17.	राजस्थान भारोत्तोलन संघ, जयपुर	10,099-15
18.	राजस्थान शरीर शोष्ठव संघ, जोधपुर	5,250-00
19.	राजस्थान सोफ्टबाल संघ, जोधपुर	5,000 00
20.	राजस्थान केरम संघ, जयपुर	2,407-55
21.	राजस्थान शतरंज संघ, जयपुर	6,468-35
22.	राजस्थान हैण्डबाल संघ, जयपुर	9,183 40
23.	नेहरू गोल्ड कप टूर्नामेन्ट	10,000-00
24.	अखिल भारतीय डायमण्ड फुटबाल टूर्नामेन्ट	10,750-00
25.	अखिल भारतीय मडवानी मेमोरियल टूर्नामेन्ट	5,000-00
26.	भीलवाड़ा गोल्ड कप टूर्नामेन्ट	1,250-00
27.	जयपुर जिला टेबिल टेनिस संघ	3,750-00
28.	श्री रामसिंह ऐथलेटिक मीट	1,500-00
29.	खेल-कूद परिषद्, करौली	1,100-00
30.	जी. के. शर्मा मेमोरियल टूर्नामेन्ट	2,000-00
31.	जिला बास्केटबाल संघ, भीलवाड़ा	7,000-00
32.	टेनिकायट संघ	400-00
33.	वेस्टर्न इण्डियन ऑटोमोबाइल	1,500-00

34.	जिला क्रिकेट संघ, अजमेर	10,487-80
35.	स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान	1,100-00
36.	जिला क्रीड़ा परिषद, सवाई माधोपुर	5,000-00
37.	जिला क्रीड़ा परिषद्, भीलवाड़ा	5,000-00
38.	जिला क्रीड़ा परिषद्, चित्तौड़गढ़	4660 00
39.	जिला क्रीड़ा परिषद्, अजमेर	9,000-00
40.	जिला क्रीड़ा परिषद्, जयपुर	10,000-00
41.	जिला क्रीड़ा परिषद्, जोधपुर	3,800-00
42.	महावीर क्लब, जयपुर	750-00
43.	फ्रेण्ड्स क्लब, जयपुर	725 00
44.	मीरा स्पोर्ट्स क्लब, जयपुर	200-00
45.	जयपुर गेम्स, जयपुर	350-00
46.	वीर अर्जुन व्यायामशाला	250-00
47.	राज क्रिकेट क्लब, डूंगरपुर	1,000-00
48.	गेम्स क्लब राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	350-00
49.	सुपरस्टार क्लब, जयपुर	500-00
50.	महावीर क्लब, जयपुर	800-00
51.	नेहरू रिक्रेशियन क्लब, जयपुर	200-00
52.	यूथ क्लब, पिलानी	300-00
53.	फ्रेण्ड्स क्लब, डीडवाना	250-00
54.	बनीपार्क क्रिकेट क्लब, जयपुर	500-00
55.	हवामहल यूथ स्पोर्ट्स क्लब, जयपुर	600-00
56.	अमेच्योर शरीर शोष्ठव महासंघ, राजस्थान	1,000-00
57.	चन्द्रशेखर आजाद संस्थान, खेतड़ी	300-00
58.	जयपुर स्पोर्ट्स क्लब, जयपुर	200-00
59.	पवन व्यायाम शाला	250-00
60.	हैल्थ एण्ड स्पोर्ट्स क्लब, जयपुर	800-00
61.	टाईगर क्लब, जयपुर	400-00
62.	आदित्य समाज	250-00
63.	विजय क्रिकेट क्लब	350-00
64.	जयपुर जिला शरीर शोष्ठव संघ	1,000-00
65.	अखाड़ा अब्दुलाजी	850-00
66.	आदर्श क्लब, जयपुर	300-00
67.	जिला ऐथलेटिक चित्तौड़	400-00
68.	नेशनल स्पोर्ट्स क्लब, बीकानेर	200-00
69.	पिंक सिटी स्पोर्ट्स, क्लब	400-00

70.	कुबेर क्रिकेट क्लब	300.00
71.	भगवान महावीर व्यायाम शाला, बाड़मेर	300.00
72.	पंचवटी व्यायाम शाला, जयपुर	250-00
73.	भीम राष्ट्रीय व्यायाम शाला, उदयपुर	450-00
74.	जयपुर जिला केरम संघ, जयपुर	350-00
75.	जिला कुश्ती संघ, चित्तौडगढ़	550-00
76.	न्यायिक कर्मचारी खेलकूद परिषद्	200-00
77.	रेवेन्यू बोर्ड स्टाफ क्लब, अजमेर	250.00
78.	कल्याण शतरंज क्लब, जयपुर	150-00
79.	ताज स्पोर्ट्स क्लब, जयपुर	250-00
80.	युवा चेतना, जयपुर	150-00
81.	सर्वोदय स्पोर्ट्स क्लब, जयपुर	200-00
82.	सिटीजन केरम क्लब	250-00
83.	मारुति व्यायाम शाला	500-00
84.	सी. ए. ओ. रिक्रेशन क्लब	500-00

परिशिष्ट "ख"

1979-80 में खेलकूद संस्थाओं को दिये गये अनुदान की सूची

1.	राजस्थान ऐथलेटिक, अजमेर	—	30,489-65
2.	राजस्थान बैडमिन्टन संघ, जयपुर	—	20,696-25
3.	राजस्थान बास्केटबाल संघ, जयपुर	—	38,192-87
4.	राजस्थान क्रिकेट संघ, जयपुर	—	21,667-18
5.	राजस्थान साईकिलिंग संघ, बीकानेर	—	33,453-63
6.	राजस्थान फुटबाल संघ, अजमेर	—	22,554-99
7.	राजस्थान जिम्नास्टिक संघ, जयपुर	—	16,861-21
8.	राजस्थान हाकी संघ, जयपुर	—	30,577-43
9.	राजस्थान महिला हाकी संघ, जयपुर	—	15,588-50
10.	राजस्थान कबड्डी, संघ, जयपुर	—	26,788-70
11.	राजस्थान खो-खो संघ, जयपुर	—	21,497-45
12.	राजस्थान लॉन टेनिस संघ, जयपुर	—	7,567-95
13.	राजस्थान तैराकी संघ, अजमेर	—	15,114-55
14.	राजस्थान टेबिल टेनिस संघ, अजमेर	—	44,987-40
15.	राजस्थान वालीबाल संघ, जयपुर	—	31,484-30
16.	राजस्थान कुश्ती (भारतीय पद्धति) संघ, जयपुर	—	9,849-27

17.	राजस्थान कुश्ती (ओलम्पिक पद्धति) संघ, अजमेर	—	19,437.29
18.	राजस्थान भारोत्तोलन संघ, जयपुर	—	13,852-95
19.	राजस्थान बोडी बिल्डिंग संघ, जोधपुर	—	750 00
20.	राजस्थान केरम संघ, जयपुर	—	564-00
21.	राजस्थान शतरंज संघ, जयपुर	—	12,067-78
22.	राजस्थान साइकिल पोलो संघ, जयपुर	—	14,016-80
23.	राजस्थान महिला क्रिकेट संघ, जयपुर	—	5,834-20
24.	राजस्थान हैण्डबाल संघ, जयपुर	—	23,233-65
25.	राजस्थान सोफ्टबाल संघ, जोधपुर	—	14,861-65
26.	बापू नगर यूथ क्लब, जयपुर	—	1,500·00
27.	जी. के. शर्मा मेमोरियल फुटबाल टूर्नामेन्ट, जयपुर	—	1,500 00
28.	किरण काम्बले मेमोरियल बास्केटबाल टूर्नामेन्ट, उदयपुर	—	2,500-00
29.	विकलांग प्रगति संघ (विकलांग खेल-कूद प्रतियोगिता हेतु) जयपुर	—	500-00
30.	अजमेर जिला क्रिकेट संघ, अजमेर	—	2,712-40
31.	आल इण्डिया श्री रामसिंह ओपन ऐथलेटिक मीट	—	4,500-00
32.	आल इण्डिया ब्रजेन्द्रपाल रामचरण पारासर वालीबाल टूर्नामेन्ट करौली खेल-कूद परिषद्, करौली	—	400-00
33.	आल इण्डिया अडवानी मेमोरियल टूर्नामेन्ट (बास्केट-बाल), जयपुर	—	3,750-00
34.	आल इण्डिया ए. के. गोपालन कबड्डी टूर्नामेन्ट 79-80, जयपुर	—	3,000-00
35.	आल इण्डिया मेजर शैतानसिंह कबड्डी टूर्नामेन्ट, जयपुर	—	3,750-00
36.	वैलफेयर ऑफिसर ए. जी. राजस्थान नहर आल इण्डिया आडिट वालीबाल टूर्नामेन्ट, जयपुर	—	500-00
37.	पुष्कर व्यायाम शाला	—	500-00
38.	वनीपार्क क्रिकेट क्लब, जयपुर	—	700-00
39.	जयपुर जिला फुटबाल संघ, जयपुर	—	525-00
40.	अखाड़ा मोहल्ला पाटे, जयपुर	—	200-00
41.	विकल्प युवा परिषद्, जयपुर	—	200-00
42.	दीपसिंह व्यायाम शाला, जयपुर	—	250-00
43.	बाइस गोदाम वालीबाल क्लब, जयपुर	—	157-14
44	हवामहल ग्रुप स्पोर्ट्स क्लब, जयपुर	—	200-00
45.	जयपुर स्पोर्ट्स क्लब, जयपुर	—	325-00
46.	पीली का अखाड़ा, जयपुर	—	350-00

216

47.	जिला साइक्लिंग संघ, जयपुर	—	400-00
48.	मुख्य लेखाधिकारी कर्मचारी मनोरंजन क्लब, जयपुर	—	500-00
49.	राम क्रिकेट क्लब, डूंगरपुर	--	1,000-00
50.	जयपुर रिक्रेशन क्लब, जयपुर	—	417-52
51.	वेस्टर्न इण्डिया आटोमोबाइल्स	—	2,400-00
52.	आल इण्डिया डाइमण्ड फुटबाल टूर्नामेन्ट	—	6,250-20
53.	जिला क्रीड़ा परिषद्, बांसवाड़ा	--	5,000-00
54	,, ,, टोंक	--	5,000-00
55.	,, ,, बूंदी	-	5,000-00
56.	,, ,, कोटा	--	10,000-00
57.	,, ,, डूंगरपुर	—	5,000-00
58.	,, ,, बाड़मेर	—	4,700-00
59,	,, ,, बीकानेर	--	10,000-00
60.	,, ,, सवाई माधोपुर	--	4,850-00
61.	,, ,, जोधपुर	—	10,000-00
62.	,, ,, अलवर	--	4,500-00
63	,, ,, उदयपुर	—	10,000-00

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 की सूचना

जिलेवाइज सूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	न्यूनतम आवश्यकतायें पी. ओ. पी. 15 से.मी. × 5 दर्जन	बैण्डेज ऑर्डिनरी 10×4 दर्जन	गाज थान 60×18 मीटर	क्रय की गई 1978-79 पी. ओ. पी. 15×5 दर्जन	बैण्डेज ऑर्डिनरी 10×4 दर्जन	गाज थान 60×18 मीटर	1979-80 पी. ओ. पी. बैण्डेज 15×5 दर्जन	ऑर्डिनरी बैण्डेज 10×4 दर्जन	गाज थान 60×18 मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. अजमेर		3000	25000	40000	70	6760	42189	2900	19220	32520
2. अलवर		6000	8000	30000	10632	5000	80000	6050	10680	31800
3. बांसवाड़ा		7000	8000	18000	1130	6178	16704	2000	7719	1728
4. बाड़मेर		2000	5500	36000	—	760	11412	1600	5243	36504
5. भरतपुर	एक जिला	3000	10000	20000	4500	10000	10000	2500	10000	20000
6. धौलपुर	एक जिला	10000	15000	27000	1000	6000	14048	3500	1000	10998
7. भीलवाड़ा		5000	30000	40000	8000	35000	45000	—	20000	39996
8. बीकानेर		5000	6000	20000	2000	2000	16000	4000	4500	17000
9. बूंदी		5000	5000	20000	2000	2000	13000	3000	3000	15000

217

Page No. 218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	चित्तौड़गढ़	6000	0000	30000	10000	13000	69180	5050	4000	10000
11.	चूरू	3500	8200	25200	3400	6000	1246	3400	7900	10552
12.	डूंगरपुर	500	4000	9000		2640	7200	4550	4050	14100
13.	श्री गंगानगर	10000	15000	99990	9927	11350	56412	6756	9480	39996
14.	जयपुर	10000	15000	90000	—	36114	29004	—	24000	90000
15.	जैसलमेर	500	2000	3000	125	—	504	150	900	2006
16.	जालौर	2050	3000	9000	180	3300	4410		42050	5400
17.	झालावाड़	2000	8345	29592	2000	6000	21780	2000	9000	30006
18.	झुंझुनू	500	8000	40000	500	8000	47748	200	9000	18224
19.	जोधपुर	1000	8000	30000	10000	7600	50000	—	10050	15000
20.	कोटा	5000	12000	90000	—	9520	79200	1000	13600	77182
21.	नागौर	1000	10330	46872	—	9200	47502	1000	11330	46674
22.	पाली	2000	8000	36000	430	3340	26640	2850	14950	36000
23.	सवाई माधोपुर	2400	5850	34900	3100	6910	52356	3100	4860	35118
24.	सीकर	10000	15500	55800	200	6900	38502	6050	11500	18936
25.	सिरोही	1000	3000	27000	—	400	10890	550	2800	36540
26.	टौंक	1000	10000	50000	—	9000	28938	550	7050	81000
27.	उदयपुर	1000	25000	60000	100	3453	11520	2000	18250	53000
	योग:—	107450	328725	936354	69294	206625	834385	64746	466132	818280

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 286 की सूची

पंचायतों की सूची

1. पंचायत समिति बड़गांव

   (1) सेमल

   (2) घोड़च

   (3) भूताला

2. पंचायत समिति खमनौर

   (1) सिसोदा

   (2) कुठवा

   (3) बड़ा भाणुजा